अष्टम माला, खंड 40, अंक 6

1st August, 1988

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 40 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 1 अगस्त, 1988/10 श्रावण, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
81	1	"(क) से (ख)" के स्थान पर "(क) से (ग)" पढ़िये
149	16	प्रश्न संख्या "699" के स्थान पर "696" पढ़िये।
176	नीचे से 4	प्रश्न संख्या "734" के स्थान पर "735" पढ़िये
186	नीचे से 3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
195	नीचे से 3	प्रश्न संख्या "166" के स्थान पर "766" पढ़िये
242	7	"प०म०" के स्थान पर "म०प०" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 40, ग्यारहवां सत्र, 1988/1910 (शक)

अंक 4, सोमवार, 1 अगस्त, 1988/10 श्रावण, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 62 से 66	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—222
तारांकित प्रश्न संख्या : 61 और 67 से 80	20—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 569 से 653 और 655 से 799	33—222
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	224
राज्य सभा से संदेश	226
ज्योत्सना होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को सुमितोमो कारपोरेशन से हुई आय के समाचार के बारे में वक्तव्य	226—234
श्री बी० के० गढ़वी	226
आयुध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	234
आयुध (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के बारे में विवरण	234—240
श्री पी० चिदम्बरम	234
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) विधेयक—पुरःस्थापित	241

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अध्यादेश, 1988 के बारे में विवरण	241
श्री संतोष मोहन देव	241
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	241
राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के बारे में विवरण	242
श्री संतोष मोहन देव	242
नियम 377 के अधीन मामले	242—244
(एक) कलकत्ता-धनबाद-पटना के बीच दैनिक वायुदूत सेवा सुलभ कराना	
श्री सरफराज अहमद	242
(दो) समेकित विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ कस्बों का विकास किया जाना	242
श्री सोमनाथ रथ	
(तीन) जल संसाधनों का पता लगाने के लिए छोटा नागपुर क्षेत्र में चट्टानी इलाके का सर्वेक्षण किया जाना	
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	243
(चार) अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनयिक दर्जा दिया जाना	
श्रीमती गीता मुखर्जी	243
(पांच) स्टिंगर विमान-भेदी प्रक्षेपास्त्रों के आतंकवादियों के हाथों में जाने को रोका जाना	
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	243
(छः) गोआ में बजरा मालिकों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया जाना और बजरा उद्योग को निर्यातोन्मुख उद्योग घोषित किया जाना	244
श्री शांताराम नायक	
(सात) उत्तर प्रदेश के अलीगंज जिले में और अधिक पेट्रोल और डीजल पम्प स्थापित किया जाना	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	244
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	245—272
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	245
श्री रेणुपद दास	247

श्री सोमनाथ रथ	249
श्री शरद दिघे	250
डा० गौरी शंकर राजहंस	252
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	254
श्रीमती गीता मुखर्जी	255
श्री हरीश रावत	257
श्री सैयद मसूदल हुसैन	259
श्री उमाकान्त मिश्र	260
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	261
श्री विजय एन० पाटिल	263
श्री शांति धारीवाल	264
श्री सुख राम	266
नियम 193 के अधीन चर्चा	272—329
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आन्त्रशोथ/हैजे का प्रकोप	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	272
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	282
डा० टी० कल्पमा देवी	285
श्री एच० के० एल० भगत	287
श्री अमल दत्ता	292
श्री भरत सिंह	297
श्री तम्पन थामस	301
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	303
चौधरी खुर्शीद अहमद	305
डा० गौरी शंकर राजहंस	307
श्री मनोज पांडे	310
कुमारी ममता बनर्जी	312
श्री डी० एन० रेड्डी	315
श्री हरीश रावत	319
श्री मोतीलाल वोरा	320
ज्योत्सना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को सुमितोमो कारपोरेशन से हुई आय के समाचार पर चर्चा के बारे में	281—282

लोक सभा

सोमवार, 1 अगस्त, 1988/10 श्रावण, 1910 (शक)

लोक सभा 11.02 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बम्बई रेल दुर्घटना

[हिन्दी]

***62. श्री उत्तम भाई ह० पटेल :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1988 में मध्य रेलवे के बायकुला और चिंचपोकली रेलवे स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना में अनेक लोग मारे गये और घायल हुए थे;

(ख) यदि हां, तो मारे गये और घायल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और कितनी सम्पत्ति की क्षति हुई;

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई थी, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) प्रत्येक घायल तथा मृतक के परिवार को कितना मुआवजा अदा किया गया;

(ङ) क्या दुर्घटना के पीछे तोड़-फोड़ की किसी कार्यवाही की सम्भावना है; और

(च) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) इस दुर्घटना में दो व्यक्तियों की जानें गयीं, 29 को गम्भीर चोटें आयीं और 58 को मामूली चोटें आयीं।

अनुमान लगाया गया है कि रेल सम्पत्ति को लगभग 20,35,000 रुपये की क्षति पहुंची।

(ग) जी, हां । इस दुर्घटना की जांच मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा रही है ।

(घ) अभी तक किसी भी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि क्षतिपूर्ति की मात्रा का निर्णय सम्पूर्ण न्यायिक कार्यवाही के पश्चात् पदेन दावा आयुक्त के न्यायालय द्वारा किया जाता है।

बहरहाल, प्रत्येक मृतक के निकटतम सम्बन्धी को अनुग्रहराशि के भुगतान के रूप में 5000/- रुपये, गंभीर रूप से घायल को 1,000/- रुपये तथा साधारण चोटें आने वाले को 250/- रुपये (प्रत्येक को) तत्काल राहत स्वीकृत की गयी।

(ङ) इस दुर्घटना की जांच कर रहे मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त, दुर्घटना के कारणों की जांच-पड़ताल करेंगे।

(च) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये इसकी रोकथाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षणों को तेज करना।

(2) बहु-अनुशासनिक दल का गठन जो दुर्घटना-बहुल क्षेत्र का निरीक्षण करेगा तथा निवारात्मक उपाय सुझायेगा।

(3) कर्मचारियों विशेषकर ड्राइवरों, सहायक स्टेशन मास्टरों आदि को शिक्षित करना।

(4) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों पर जोर देना।

(5) सकल लापरवाही के कारण दुर्घटना के लिए जिम्मेवार पाये गये कर्मचारियों को निवारक दण्ड देना।

(6) कर्मचारियों के लिए शैक्षणिक अभियान और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए प्रचार।

(7) मानवीय चूकों की प्रति जांच के रूप में परिष्कृत प्रौद्योगिकी को अपनाना।

(8) रेलपथ और चल स्टाक का बेहतर अनुरक्षण।

श्री उत्तम भाई ह० पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि रेल दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में हमारे देश में कई रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या आपने उनके कारणों की जांच की। मंत्री जी ने यहां जिन कदमों का जिक्र किया, क्या वे कदम पहले भी उठाये गए थे। यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि ऐसे कदम पहले भी उठाये गये थे तो उनके परिणामस्वरूप रेल-दुर्घटनाओं में कमी क्यों नहीं हुई?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, 1985 से ही, जिस समय श्री बंसीलाल जी माननीय रेल मंत्री थे, रेल विभाग ने रेल सुरक्षा और रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। उसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में हमारे यहां रेल दुर्घटनाओं में लगातार कमी होती गयी है। रेल दुर्घटनाएं अब भी होती हैं, अवश्य होती हैं परन्तु उनकी संख्या कम करने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। हमारी यह मान्यता है कि हमारे कार्यक्रम के अनुसार इस दिशा में अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्री उत्तम भाई ह० पटेल : अध्यक्ष जी, क्या रेल मंत्री जी ने कभी ऐसा कोई सर्वे कराया है कि रेल कर्मचारियों में असंतोष है और इस तनाव से भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी के अनुसार रेल कर्मचारियों में कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है, असंतोष नहीं है, जिसके कारण रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, बल्कि जैसा मैंने पूर्व में कहा, पिछले तीन वर्षों में रेल विभाग के प्रयासों के परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनाओं में लगातार कमी हुई है तथा रेल दुर्घटनाओं में कमी का पिछले वर्ष हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जबकि भारतीय रेल इतिहास में वर्ष 1987-88 में सबसे कम कुल 604 रेल दुर्घटनाएं हुई। उनमें से मात्र 7 ऐसी थीं जिनमें जान की हानि हुई, 19 अतिरिक्त थीं जिनमें लोगों को चोटें आयीं यानि 26 दुर्घटनाओं में ही पैसेन्जर्स को चोटें आईं। इसके अलावा और जो रेल दुर्घटनाएं थीं, छोटे-मोटे डी-रेलमैंट थे उनको तथा गुड्ज ट्रेन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। मुझे आदरणीय सदस्यों से यह बात कहनी है कि अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुकाबले भारतीय रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े दूसरे विकसित देशों की रेलवेज से ज्यादा उत्तम हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सामान्यतः इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई जाँच की रिपोर्टें गुप्त रखी जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इन जांच रिपोर्टों के बारे में ऐसी गोपनीय क्या बात है। यह जनता को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जातीं ? अब क्या रेलवे विभाग क्विलोन में हुई रेल-दुर्घटना के सम्बन्ध में हो रही जांच की रिपोर्ट जनता को उपलब्ध कराएगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, यह प्रश्न बम्बई में हुई दुर्घटना के बारे में है। बहरहाल, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, मैं बताना चाहता हूं कि इन रिपोर्टों में कोई गुप्त बात नहीं है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जाती है, जो कि इस मामले में भी बम्बई में की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, नागर विमानन मंत्रालय रेलवे सुरक्षा आयुक्त को रिपोर्ट भेजता है, जिनमें बड़ी दुर्घटनाओं के कारण तथा मंत्रालय की सिफारिशों का उल्लेख होता है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाता है। अतः कोई भी माननीय सदस्य यदि चाहे तो बड़ी दुर्घटनाओं की रिपोर्ट देख सकता है और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा है कि इस दुर्घटना के कारणों की जांच शीघ्र ही शुरू कर दी गई है और मैं आशा करता हूं यह जांच कार्य यथासम्भव शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

किन्तु, महोदय, पहले ही दिन, समाचार-पत्रों में बताया गया था कि दुर्घटना का मुख्य कारण यह था कि ड्राईवर श्री अविनाश मूले ने सिगनल संख्या 23, 24 और 25 की कोई परवाह न करते हुए मीनार एक्सप्रेस के आखिरी डिब्बे से गाड़ी भिड़ा दी। यह सही है कि स्वयं ड्राईवर ने ही इस बात का खण्डन किया और श्री मूले ने अस्पताल में उन्हें देखने गये अधिकारियों से बार-बार यही कहा कि उन्होंने हरे सिगनल देखे थे। इसके परिणामस्वरूप बम्बई में मोटर-चालकों ने आन्दोलन किया तत्पश्चात् रेल-विभाग ने यह घोषणा की कि ऐसा कोई सरकारी वक्तव्य नहीं दिया गया कि ड्राईवर की गलती थी। किन्तु नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि कुछ समय तक तो वे यही कहते रहे कि पर्याप्त स्टाफ की कमी, आवश्यक सामग्री की अनुपलब्धता और गतायु सिगनल यंत्रों के न बदले जाने के कारण सिगनल व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तीन वर्ष

एड्स का संचरण सम्भोग के जरिए, रक्त और उत्पादों के कीटाणु युक्त होने, प्रदूषित सुइयों का साझा प्रयोग करने तथा जन्मपूर्व, जन्म के दौरान तथा जन्म के थोड़े समय के बाद संक्रमित माता से बच्चे को संक्रमण होने से होता है।

पिछले 6 महीनों के दौरान 198 सीरम पाजिटिव रोगियों को पता लगाया गया है।

एड्स संक्रमण वाले व्यक्तियों को अलग रखना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, एड्स संक्रमण की रोकथाम निम्नलिखित तरीकों को अपनाने से हो सकती है :

1. तरह-तरह के व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से बचे रहना।

2. कंडोमों का इस्तेमाल करना।

3. सुइयों और सिरिंजों को जीवाणु रहित करना तथा डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग करना।

4. रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

5. सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारंवाई पद्धति प्रभावी निगरानी के साथ जन शिक्षा के माध्यम से बचाव करना है। सरकार का विचार है कि एड्स के रोगियों का पता लगाने, उनके निदान तथा उपचार के संबंध में क्षमता उत्पन्न करने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा जनप्रचार के माध्यमों तथा निगरानी कार्य कलापों के विस्तार से जनशिक्षा के कार्य में तेजी लाई जाए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले तुलसी राम जी से एड्स का मतलब समझ लीजिए कि वह एड्स से क्या समझते हैं?

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी तो आप सब के लिए बहुत चिंतित हैं।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, एड्स की जो बीमारी है वह मैं कभी बैरागी जी को अलग से समझा दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बैरागी को नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य : आजकल के बैरागियों को इसमें विश्वास नहीं है।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत भयानक बीमारी है। अतः सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? जो विदेशी यहां आते हैं और वे जब एफ० आर० आर० ओ० में रिपोर्ट करते हैं तो क्या आप उस समय उनका मेडिकल चैक-अप करवाते हैं? ऐसा करने के बाद यह बीमारी उनमें हो तो क्या तुरन्त उन्हें फिर विदेश भेजने की आपने कोई योजना बनायी है? और जैसे नोन स्मोकिंग जोन कहते हैं ऐसे ही उनके लिए इन्तजाम करने का आप कुछ सोच रहे हैं?

श्री मोती लाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात को सही कहा है कि बीमारी काफी भयानक है। इस बीमारी को रोकने के लिए सभी प्रयत्न किये गये हैं और जो वालेण्टरी ब्लड डोनर्स हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं ऐसे वालेण्टरी आर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स के माध्यम से इस बीमारी का फैलाव होता है। हमारे लैबोरेट्री सिस्टम में भी हम काफी इम्प्रूवमैण्ट कर रहे हैं और ब्लड बैंक सही मानों में और सही मापदण्ड के हों इस दिशा में भी प्रयत्न किया जा रहा है। स्क्रीनिंग करने के लिए देश में 40 सर्विलेंस सैण्टर्स खोले गये हैं और इन 40 सर्विलेंस सैण्टर्स के अलावा 4 रैफरल सैण्टर्स हैं इनमें पिछले दो तीन वर्षों में जो सर्विलेंस हमने किया है उससे सीरम पोजिटिव केसेज हमारे सामने आये हैं उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। 30.6.1988 तक कोई 1,27,400 केसेज सर्विलेंस सैण्टर्स में आये, इनकी स्क्रीनिंग हुई और इनमें से केवल 389 सीरम पोजिटिव केसेज हुए हैं इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को समझायें और हैल्थ एजुकेशन के माध्यम से इसे रोका जा सके।

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले फ्रांस का एक पेशेण्ट हास्पिटल छोड़कर चला गया था, भाग गया था। पहाड़गंज के किसी होटल में ठहरा हुआ था। उसे होटल के मालिक ने पहचान कर पुलिस को पकड़वा दिया था लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया तो अपने यहां सरकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो ऐसी भयानक बीमारी वाले आदमी को भी पैसे लेकर छोड़ दें। हम बोफोर्स के चक्कर में नहीं कह सकते हैं लेकिन मेरा यह पूछना है कि वह आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है लेकिन इसको चैक करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : एड्स से बोफोर्स का सम्बन्ध है क्या ?

श्री बी० तुलसीराम : ऐसी भयानक बीमारी वाले को पुलिस वाले पैसे लेकर छोड़ते हैं···

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बोफोर्स कांग्रेस—आई० का एड्स है।

श्री बी० तुलसीराम : ऐसी बहुत सी भयानक चीजें होती रहती हैं। एक चीज मैं आप के ध्यान में ला दूं जो इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन दिल्ली में आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें जो इंजक्शन दिये जा रहे हैं उसमें ऐसे लोग भी हैं जो दवाई के इंजक्शन देने के बजाय पानी के इंजक्शन दे रहे हैं, यह आज के इंडियन एक्प्रैस में है जब इस तरह के केस होंगे तो आप लोग ऐसी भयानक बीमारी को रोकने के लिए क्या खास कदम उठा रहे हैं, यह सब ध्यान में रखकर मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलसी राम जी का अत्यन्त आभारी रहूंगा यदि वह उस मरीज का नाम बता दें जिसे पुलिस ने पहाड़ गंज में पकड़ा था। यदि वह बता देंगे

एड्स का संचरण सम्भोग के जरिए, रक्त और उत्पादों के कीटाणु युक्त होने, प्रदूषित सुइयों का साझा प्रयोग करने तथा जन्मपूर्व, जन्म के दौरान तथा जन्म के थोड़े समय के बाद संक्रमित माता से बच्चे को संक्रमण होने से होता है।

पिछले 6 महीनों के दौरान 198 सीरम पाजिटिव रोगियों को पता लगाया गया है।

एड्स संक्रमण वाले व्यक्तियों को अलग रखना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, एड्स संक्रमण की रोकथाम निम्नलिखित तरीकों को अपनाने से हो सकती है :

1. तरह-तरह के व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से बचे रहना।

2. कंडोमों का इस्तेमाल करना।

3. सुइयों और सिरिंजों को जीवाणु रहित करना तथा डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग करना।

4. रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

5. सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारंवाई पद्धति प्रभात्री निगरानी के साथ जन शिक्षा के माध्यम से बचाव करना है। सरकार का विचार है कि एड्स के रोगियों का पता लगाने, उनके निदान तथा उपचार के संबंध में क्षमता उत्पन्न करने के लिए कार्मिकों के प्रशिक्षण तथा जनप्रचार के माध्यमों तथा निगरानी कार्य कलापों के विस्तार से जनशिक्षा के कार्य में तेजी लाई जाए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष जी, आप पहले तुलसी राम जी से एड्स का मतलब समझ लीजिए कि वह एड्स से क्या समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी तो आप सब के लिए बहुत चिंतित हैं।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, एड्स की जो बीमारी है वह मैं कभी बैरागी जी को अलग से समझा दूंगा। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बैरागी को नहीं होती है।

एक माननीय सदस्य : आजकल के बैरागियों को इसमें विश्वास नहीं है।

श्री वी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत भयानक बीमारी है। अतः सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है ? जो विदेशी यहाँ आते हैं और वे जब एफ० आर० आर० ओ० में रिपोर्ट करते हैं तो क्या आप उस समय उनका मेडिकल चैक-अप करवाते हैं ? ऐसा करने के बाद यह बीमारी उनमें हो तो क्या तुरन्त उन्हें फिर विदेश भेजने की आपने कोई योजना बनायी है ? और जैसे नोन स्मोकिंग जोन कहते हैं ऐसे ही उनके लिए इन्तजाम करने का आप कुछ सोच रहे हैं ?

श्री मोती लाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात को सही कहा है कि बीमारी काफी भयानक है। इस बीमारी को रोकने के लिए सभी प्रयत्न किये गये हैं और जो वालेण्टरी ब्लड डोनर्स हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं ऐसे वालेण्टरी आर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स के माध्यम से इस बीमारी का फैलाव होता है। हमारे लैबोरेट्री सिस्टम में भी हम काफी इम्प्रूवमैण्ट कर रहे हैं और ब्लड बैंक सही मानों में और सही मापदण्ड के हों इस दिशा में भी प्रयत्न किया जा रहा है। स्क्रीनिंग करने के लिए देश में 40 सर्विलेंस सैण्टर्स खोले गये हैं और इन 40 सर्विलेंस सैण्टर्स के अलावा 4 रैफरल सैण्टर्स हैं इनमें पिछले दो तीन वर्षों में जो सर्विलेंस हमने किया है उससे सीरम पोजिटिव केसेज हमारे सामने आये हैं उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। 30.6.1988 तक कोई 1,27,400 केसेज सर्विलेंस सैण्टर्स में आये, इनकी स्क्रीनिंग हुई और इनमें से केवल 3८9 सीरम पोजिटिव केसेज हुए हैं इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को समझायें और हैल्थ एजुकेशन के माध्यम से इसे रोका जा सके।

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले फ्रांस का एक पेशेण्ट हास्पिटल छोड़कर चला गया था, भाग गया था। पहाड़गंज के किसी होटल में ठहरा हुआ था। उसे होटल के मालिक ने पहचान कर पुलिस को पकड़वा दिया था लेकिन पुलिस ने पैसे लेकर उसको छोड़ दिया तो अपने यहां सरकारी लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो ऐसी भयानक बीमारी वाले आदमी को भी पैसे लेकर छोड़ दें। हम बोफोर्स के चक्कर में नहीं कह सकते हैं लेकिन मेरा यह पूछना है कि वह आपका डिपार्टमेंट है या नहीं है लेकिन इसको चैक करने के लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : एड्स से बोफोर्स का सम्बन्ध है क्या ?

श्री बी० तुलसीराम : ऐसी भयानक बीमारी वाले को पुलिस वाले पैसे लेकर छोड़ते हैं...

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बोफोर्स कांग्रेस—आई० का एड्स है।

श्री बी० तुलसीराम : ऐसी बहुत सी भयानक चीजें होती रहती हैं। एक चीज मैं आप के ध्यान में ला दूं जो इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन दिल्ली में आजकल जो बीमारी चल रही है उसमें जो इंजक्शन दिये जा रहे हैं उसमें ऐसे लोग भी हैं जो दवाई के इंजक्शन देने के बजाय पानी के इंजक्शन दे रहे हैं, यह आज के इंडियन एक्सप्रैस में है जब इस तरह के केस होंगे तो आप लोग ऐसी भयानक बीमारी को रोकने के लिए क्या खास कदम उठा रहे हैं, यह सब ध्यान में रखकर मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मोती लाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलसी राम जी का अत्यन्त आभारी रहूंगा यदि वह उस मरीज का नाम बता दें जिसे पुलिस ने पहाड़ गंज में पकड़ा था। यदि वह बता देंगे

तो हम निश्चित रूप से उसके उपचार की समुचित व्यवस्था करेंगे। वह पता लगाकर नाम बता दें क्योंकि पुलिस वाले के नाम से उस व्यक्ति को ढूंढा जाना बहुत मुश्किल होगा। यदि उनके पास कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से वह दें।

अध्यक्ष महोदय : वह तुलसी राम जी से मिलने थोड़े ही आया होगा।

श्री बी० तुलसीराम : पेपर में आया है, उसकी तस्वीर है लेकिन अगर सही कार्यवाही करनी है तो दूसरे मंत्रियों के जैसे आप भी आश्वासन दे दें तो नहीं चलेगा।

श्री मोती लाल वोरा : आपको मैं आश्वासन ही नहीं, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि अगर आपकी जानकारी में ऐसा कोई मरीज है, तो निश्चित रूप से आप बतायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जो एड्स से ग्रस्त हुए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि एड्स की बहुत बड़ी बीमारी हमारे देश में है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह बीमारी न फैलने पाए और सरकार की ओर से पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए हम तत्पर हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : अभी तक हम इसी ख्याल में थे कि यह बीमारी भारत के बाहर से आई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक भी ऐसा मामला प्रकाश में आया है जब बीमारी देश के भीतर ही उत्पन्न हुई हो। यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोती लाल वोरा : हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई क्योंकि यह बीमारी विदेशों में उत्पन्न हुई है.........(व्यवधान).........

[हिन्दी]

यह बीमारी यहां की नहीं है, बाहर से आई है और हिन्दुस्तान के अन्दर इसके कहीं पर लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : मैंने पूछा था कि क्या कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया है जब बीमारी भारत में ही उत्पन्न हुई हो, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका प्रसार स्वदेश में हुआ है। बस इतना ही।

डा० वी० राजेश्वरन : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत में सभी एड्स पाजिटिव वाले रोगियों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र अथवा 'होम' बनाने का कोई प्रस्ताव है। यदि हां, तो वे केन्द्र कहां हैं ?

श्री मोती लाल वोरा : जैसा कि मैंने पहले कहा है, देश में चार निदान केन्द्र तथा चालीस निगरानी केन्द्र हैं। उन्हें अलग से किसी पुनर्वास केन्द्र में रखने का कोई कारण नहीं है। देश में निगरानी केन्द्र पहले ही कार्यशील हैं और वह मामले चार निदान क़ेन्द्रों को भेज दिए जाते हैं, जिनमें से दो दिल्ली में और एक पुणे में है।

श्री शांताराम नायक : एड्स के प्रसार के संबंध में जानकारी रखने वाले एक विशेषज्ञ ने हाल ही में—बहुत सोच विचार करके एक सुझाव दिया था कि इस बीमारी के प्रसार को ध्यान में रखते हुए अनिवासी भारतीयों तथा विदेशियों के बीच यौन संबंधों पर रोक लगाने हेतु विधान बनाया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इस विशेषज्ञ के सुझाव पर ध्यान दिया है जिसने अनिवासी भारतीयों और विदेशियों के बीच यौन संबंधों पर रोक लगाने हेतु विधान बनाने का सुझाव दिया है।

श्री मोती लाल वोरा : यह सुझाव उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दिए थे। मैंने भी इसके बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा है, किन्तु हमने इस पर कोई विचार नहीं किया है।

चलते-फिरते चिकित्सालयों की सुविधायें

*64. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में चलते-फिरते चिकित्सालयों की सुविधा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) भारत सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोमनाथ रथ : मेरा प्रश्न देश में, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में चलते फिरते औषधालयों की सुविधा प्रारंभ करने के बारे में था। मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्यों के चिकित्सा कालेजों में से प्रत्येक को चिकित्सा सेवा के लिए कितनी चलते-फिरते औषधालयों वाली गाड़ियां सप्लाई की गई हैं; और क्या सरकार को इस योजना के परिचालन तथा कार्यकरण के लिए कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धन राशि दी जा रही है?

श्री मोती लाल वोरा : चिकित्सा एवं शिक्षा योजना को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने चिकित्सा छात्रों को प्रशिक्षण देने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रत्येक मेडिकल कालेज को उपकरणों से लैस तीन गाड़ियां प्रदान की हैं। इस योजना के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय

क्षेत्र भी शामिल हैं। अतः इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा कालेजों को उपकरणों से लैस तीन गाड़िया प्रदान की गई हैं।

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है वे गाड़ियां चिकित्सा कालेजों के छात्रों को केवल अभ्यास के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए भी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को देश में इन गाड़ियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उड़ीसा को कितनी ऐसी गाड़ियां दी गई हैं और इस उद्देश्य हेतु कितना धन दिगा गया है ?

श्री मोती लाल वोरा : सभी चिकित्सा कालेजों को उपकरणों से लैस तीन गाड़ियां दी गई हैं। उड़ीसा के चिकित्सा कालेजों को भी ये दी गई होंगी। जनजातीय क्षेत्रों में इस संबंध में अच्छा कार्य हो रहा है। वहां छात्र जाते हैं।

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि भौगोलिक अड़चनों को ध्यान में रखते हुए और पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय लोगों, जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों में हैं, ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का वर्तमान मानदंड पर्याप्त है ? मेरा विचार यह है कि यह चिकित्सा संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। प्रधानमंत्री द्वारा देश के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों का दौरा किए जाने के पश्चात् एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किया गया था। इस प्रकार के पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चलती फिरती गाड़ियां आरम्भ की गई और एक योजना तैयार की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है और यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सक्रियता से विचार कर रही है।

श्री मोती लाल वोरा : जहां तक पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों का संबंध है, उप-केन्द्रों की स्थापना एक शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है। किन्तु इसे देखना राज्य सरकारों का काम है, क्योंकि यह राज्य सरकारों का विषय है। हम जब कभी राज्य सरकारों से पूछताछ करते हैं वह हमें बताते हैं कि वे पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान खासकर बिहार के पठारी क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। रांची, जहां से मैं आता हूं, में मेडिकल कालेज है। आप कहते हैं कि हर एक मेडिकल कालेज को आप वेन दे चुके हैं लेकिन मेरी जानकारी में यह है कि सबसे निगलेक्टेड एरिया अगर कोई है, तो वह छोटा नागपुर का है। वहां हैल्थ सेन्टर दिया गया, तो कम्पाऊन्डर नदारद है, अस्पताल खोले गये, तो डाक्टर का पता नहीं है। तो ऐसी जगहों पर क्या आप मोवाइल गाड़ी इन्ट्रोड्यूस करेंगे। हमारी सरकार उनके लिए चिंतित है, प्रधान मन्त्री जी भी चिंतित हैं। तो विचार कर ऐसे क्षेत्रों में जैसे वस्तर का इलाका

है, उड़ीसा के इलाके हैं और छोटा नागपुर का इलाका है, वहाँ पर विशेष प्रबन्ध करेंगें। वहां पर हजारों लोग मलेरिया से मर जाते हैं, सांप के काटने से मर जाते हैं और जंगली जानवरों के काटने से मरते हैं। तो क्या इसके बारे में आप विचार करने जा रहे हैं, स्पष्ट बताइए।

श्री मोती लाल बोरा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के बारे में माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उनकी चिन्ता में मैं भी अपने को सम्मिलित करता हूं। जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का सवाल है चाहे वे सब सेन्टर्स हों, चाहे वे प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हों और चाहे कम्युनिटि हैल्थ सेन्टर्स हों, इन सब में राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था की जाती है और निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो हिली एरियाज हैं, उनमें निश्चित रूप से कम से कम 10 प्रतिशत ऐसे इलाके हों कि जहाँ पर इस प्रकार की चिकित्सा की व्यवस्था कराएं। आपने जहाँ तक मलेरिया का उल्लेख किया बिहार में और अन्य बीमारियों का उल्लेख किया, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, उनमें तो हम मदद करते हैं लेकिन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की स्थापना करना, कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर की स्थापना करना, यह राज्य सरकार के दायरे के अन्तर्गत आता है।

बेरोजगारी

[अनुवाद]

+

*65. **श्री चिन्तामणी जेना :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने और अन्य कार्यों में लगाने के लिए क्या नई नीति अपनाने का विचार है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमान लगाया गया है कि श्रम बल में लगभग 393.8 लाख की शुद्ध वृद्धि की तुलना में 7वीं योजनावधि अर्थात् 1985-90 के दौरान 403.6 लाख मानक व्यक्ति वर्ष के बराबर अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा, जिसका आशय है प्रतिवर्ष 3.99 प्रतिशत की वृद्धि दर।

(ख) 8वीं योजना के प्रस्ताव पर आरम्भिक विचार किया जा रहा है।

श्री चिंतामणी जेना : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या योजना आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन रोजगार

उत्पन्न करने की गति की दर को बढ़ा कर एक करोड़ के लगभग नहीं किया गया तो पिछले वर्षों से चली आ रही बेरोजगारी को आठवीं योजना में सम्भालना कठिन हो जाएगा।

यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? योजना आयोग द्वारा दी गई चेतावनी को मद्दे नजर रखते हुए, क्या मैं मंत्री महदोय से पूछ सकता हूं कि सातवीं योजना के अन्त तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितने लोग बेरोजगार होंगे।

मैं उन प्रमुख योजनाओं के बारे में भी जानना चाहूंगा जो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही है।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की नीति पर अभी विचार चल रहा है। माननीय सदस्य ने भावी नीति के सम्बन्ध में जो कुछ पूछा उस बारे में बाद में विचार किया जाएगा।

जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है हम 3.90 करोड़ व्यक्तियों की जो रोजगार की तलाश में होंगे, तुलना में 4 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष के बराबर अतिरिक्त रोजगार सृजित करेंगे। इससे हम सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पिछले बकाया से लगभग दस लाख लोगों को खपा लेंगे। पिछले बकाया में वृद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में हम 92 लाख के पिछले बकाया, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के आरम्भ में था, में से 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर पाएंगे।

श्री चिंतामणि जेना : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा करना था, से वांछित परिणाम, कि प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन रोजगार मिलेगा। प्राप्त नहीं हो रहे हैं। किसी भी राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से धन प्राप्त नहीं हो रहा है।

यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? और इन कार्यक्रमों में इन त्रुटियों को दूर करने के क्या उपाय हैं ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, योजना आयोग द्वारा गरीबी हटाओ कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। परिणाम आशा से बेहतर हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस आधार पर कह रहे हैं कि कार्य निष्पादन ठीक नहीं रहा है।

श्री मोहन भाई पटेल : महोदय, बेरोजगारी देश की अत्यन्त गम्भीर समस्या है। मंत्री महोदय को यह मामला गम्भीरता पूर्वक योजना आयोग और योजना मन्त्रालय के साथ उठाना होगा।

सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना के अन्त में बेरोजगारी का प्रतिशत क्या होगा। यह बताया गया है कि आठवीं योजना के बारे में विचार विमर्श आरम्भिक चरणों में है। महोदय, यही समय है जब कि हम इस बारे में विचार कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए आप क्या नीति अपनाने जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, जैसे कि कृषि क्षेत्र जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की सम्भावनाएं हैं। जिस राज्य में अधिक सिचाई सुविधाएं होती हैं उसमें रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने योजना आयोग के साथ इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार किया है ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें और वे देश को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए क्षेत्रों का पता लगा सकें।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : बेरोजगारी की समस्या के साथ हम गम्भीरता पूर्वक निपट रहे हैं। जब आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति तैयार की जाएगी इन सभी पहलुओं पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य ने पूछा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात क्या स्थिति होगी। जैसा कि मैंने कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी अनुमानित उपलब्धि के अनुसार हम पिछले बकाया में से 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में जो बकाया 92 लाख था वह घट कर 82 लाख रह जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के बारे में माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजारी कम करने तथा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के माध्यम से इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल दिया गया है।

श्री तम्पन थामस : माननीय मंत्री महोदय कुछ कार्य घण्टों की बात कर रहे थे। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के बारे में एक अध्ययन किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि हम इसी दर से चलते रहे तो 2000 ईसवी तक भारत में विश्व की दो तिहाई बेरोजगारी होगी और यह एक ऐसा देश होगा जहां 10 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। जब उन्होंने उत्तर दिया तो बताया कि यहां 3.99 प्रतिशत की दर से रोजगार पैदा किया जा रहा है। हर वर्ष रोजगार के लिए कितने लोग उपलब्ध हैं और आप कितने लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं? आपने कहा कि आप 10 लाख पिछले बकाया को खपा सकते हैं। मेरे राज्य में 25 लाख बेरोजगार हैं और सम्पूर्ण भारत वर्ष में 10 लाख लोगों को खपा रहे हैं। यह सब कैसे होगा, आप बेरोजगारी की समस्या को कैसे हल करेंगे। क्या आपके पास इसके लिए कोई कार्यक्रम है। कम्प्यूटरीकरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैं पहले बता चुका हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रोजगार सृजन में तुलनात्मक दृष्टि से वृद्धि हुई है। हमारे अनुमानों के अनुसार 39.38 मिलियन लोग रोजगार की तलाश में होंगे। इसलिए मैंने कहा कि यदि हम 40.36 मिलियन रोजगार पैदा करें, जैसी कि सातवीं योजना में परिकल्पना की गई है, तो हम 10 लाख लोगों को खपा पाएंगे। यदि हम इसी दर से चलें तो हम आठवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद की योजनाओं में पहले से

चले आ रहे बेरोजगार लोगों को खपा पाएंगे। हमारा उद्देश्य इस शताब्दी के अन्त तक बेरोजगारी की स्थिति को शून्य पर लाना है। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार बेरोजगारी की समस्या को हल करने के संबंध में गम्भीर प्रतीत नहीं होती है। बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ कर 4 करोड़ हो गई है। यदि हम इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार लोगों, कृषि श्रमिकों की संख्या जोड़ें, जिन्हें वर्ष में 100 दिन से अधिक काम नहीं मिलता, तो यह 10 करोड़ हो जाएगी। इसके अलावा हजारों छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग बन्द हो रहे हैं और वहां काम करने वाले लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। भर्ती पर प्रतिबन्ध तथा व्यापक कम्प्यूटरीकरण का भी रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्या सरकार द्वारा इन पहलुओं पर विचार किया गया है या नहीं ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : यह सच है कि हम शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या पर काबू नहीं कर पाए हैं। पिछले सर्वेक्षणों और सातवीं योजना के दस्तावेजों से पता चला है कि विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के बन्द होने से इसमें थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति तैयार करते समय इन सभी बातों पर ध्यान रखा जाएगा। हम इस समय यह नहीं कह सकते कि यह इसी प्रकार बढ़ती जाएगी।

श्री आनन्द गजपति राजू : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्षेत्रवार रोजगार में वृद्धि करने के लिए क्या किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करके लगभग 10 लाख लोगों को खपाया जाएगा। इसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। सरकार उदारता की नीति अपना रही है और अधिक संयंत्रों और उपस्करों का आयात करके अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रही है। अधिक रोजगार देने और वेतन के संबंध में इसका क्या प्रभाव होगा ? यह नीति किस प्रकार कार्य करेगी।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मेरे पास क्षेत्रवार रोगजार के आकड़े नहीं हैं। जब हम रोजगार के बारे में योजना तैयार करेंगे तब हम इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। क्षेत्र वार निवेश, क्षेत्र वार उत्पादन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में विकास, आदि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। उस आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि रोजगार क्षमता क्या होगी।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी दो तरह की होती है, एक शिक्षित लोगों की बेरोजगारी और दूसरी अशिक्षित लोगों की बेरोजगारी। अशिक्षित लोगों के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० वगैरह प्रोग्राम चलाए गए हैं, लेकिन शिक्षित लोगों की बेरोजगारी एक विस्फोटक रूप लेने जा रही है। शिक्षित बेरोजगारी में भी दो तरह के लोग हैं, एक तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डाक्टर आदि हैं, जो कि लाखों की संख्या में बेरोजगार हैं इन सब को आप कहां पर रोजगार देंगे, आपके पास क्या योजना है, क्या कार्यक्रम

है। इसके अलावा हाई-स्कूल, इंटर, बी० ए०, एम० ए०, बी० टी० सी० पास कई लाख लोग बेरोजगार हैं। ये सब क्या करेंगे, कहां पर आप इनको रोजगार देंगे। क्या ये लोग डकैती डालेंगे, चोरी करेंगे, क्या काम करेंगे। क्या इस समस्या पर गंभीरता से सोच-विचार करके कोई योजना बनाई जा रही है, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को जल्दी काम में लगाया जा सके, अन्यथा देश में विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार इस ओर क्या करने जा रही है ?

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से मैं भी सहमत हूं कि शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन जब आठवीं पंचवर्षीय योजना की स्ट्रेटेजी बनायेंगे, उस वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे कि शिक्षित या शहरी बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। पहले हम लोगों का ख्याल था कि गावों की बेरोजगारी बढ़ रही है और उसको कम किया जाए। उसमें हमें सफलता मिली है। अब शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है उसको भी कम करने का प्रयत्न करेंगे। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा की जाए (**व्यवधान**) महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए। इसने सम्पूर्ण देश के लोगों के मस्तिष्क को उद्विग्न कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए मांग करना आपका अधिकार है और इस पर विचार करना मेरा काम है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : महोदय, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव रख सकते हैं और मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : महोदय, कृपया इस पर विचार करें क्योंकि इससे सारा देश चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इस पर सक्रियता से विचार करूंगा।

इंडियन एयरलाइन्स में ग्राहक सेवाओं में सुधार करने हेतु उपाय

*66. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए हाल ही में कोई विशेष उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की संख्या बढ़ाने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स में ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए उठाये गए प्रमुख कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं—

— 40 स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा लगाना ।

— व्यंजन सूची में विविधता को बढ़ाने के लिए उसमें परिवर्तन ।

— हवाई अड्डों पर सुविधा और शिकायत संबन्धी काउण्टरों की स्थापना ।

— टेलीफोन नम्बर आसानी से प्राप्त करने की व्यवस्था ।

— सामान की डिलीवरी की निगरानी ।

— जिन यात्रियों के पास पंजीकृत सामान न हो उनके लिए एक्सप्रेस काउंटर की व्यवस्था ।

— प्रमुख केसोरोल डिश से शाकाहारी/मांसाहारी भोजन अलग-अलग रखना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शाकाहारी भोजन की कोई कमी न हो ।

— कर्मचारियों इत्यादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सरकार के अनुमोदन से इंडियन एयरलाइन्स ने मैसर्स एयरबस इंडस्ट्रीज के साथ 19 एयरबस ए 320 विमान लेने के लिए मार्च, 1986 में एक खरीद करार किया जिनकी डिलीवरी अप्रैल 1989 से शुरू की जायेगी । इंडियन एयरलाइन्स का चालू वित्त वर्ष में एक एयरबस और छः बी-737 विमान पट्टे पर लेने का प्रस्ताव है जिससे 19 ए 320 विमान एयरबस की डिलीवरी होने तक अंतरिम आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि इंडियन एयरलाइन्स 19 एयरबस प्राप्त करने जा रही है । महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या प्राप्त किये जा रहे विमानों की संख्या से बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सकेगा । क्या इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है कि वर्तमान सुविधाओं में सुधार करने एवं नये मार्गों पर विमान सेवा आरम्भ करने के लिए मांग के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स वर्तमान वित्तीय स्थिति से विमान अर्जित कर सकेगी ? यदि हां तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, फिलहाल हमने 19 विमान प्राप्त करने के लिए ठेका किया है और हम 12 और विमान प्राप्त करने का भी विचार कर रहे हैं । प्रश्न इस उद्देश्य के

लिए धन जुटाने का है। हम आज इनको उधार पर ले रहे हैं और हमें कुछ ऋण भी दिया जा रहा है। एयरलाइन्स को बजट में बहुत कम राशि मिल पाई है। तब भी वे धन जुटाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबन्ध में योजना बनायी गई है और इसके अनुसार हम प्रगति कर रहे हैं।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अब, मैं अपने राज्य को लेती हूं। दिल्ली से हमारे राज्य की राजधानी भुनेश्वर तक एक मात्र वर्तमान उड़ान को कलकत्ता तक बढ़ा दिया गया है। मैं 'एकमात्र' शब्दों पर इसलिए जोर दे रही हूं क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर प्रत्येक राज्य की राजधानी का नई दिल्ली से सीधा सम्पर्क होना चाहिए। आप जानते हैं कि कलकत्ता ट्रैफिक का आकार सीमित है। इस प्रकार, इस मार्ग का कलकत्ता तक बढ़ाना कैसे उचित है, जो कई दूसरी उड़ानों से पहले ही नई दिल्ली जुड़ा हुआ है ? भुनेश्वर से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान का समय बहुत असुविधाजनक है और जहां तक सरकारी कार्य का सम्बन्ध है, एक पूरा दिन खराब हो जाता है। चूंकि कलकत्ता जाने वाले यात्रियों की संख्या कम होती है, इसलिए क्या सरकार इस उड़ान को भुनेश्वर तक ही रखने और कलकत्ता तक न बढ़ाने पर विचार करेगी ? इसके साथ-साथ, क्या सरकार नई दिल्ली और रायपुर के बीच कोई और सेवा चलाने तथा नई दिल्ली-भुवनेश्वर उड़ान को बारास्ता वाराणसी करने पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जल्दी कीजिए। यह तो एप्लीकेशन दफ्तर में जाकर देने वाली थी।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मेरा कहना है कि बनारस से भुनेश्वर तक प्रतिदिन एक उड़ान होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें।

(व्यवधान)

श्रीमती जयन्ती पटनायक : यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विदेशी पर्यटक प्रतिदिन वाराणसी आते हैं वे उस तरफ भुवनेश्वर भी जाते हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्या के साथ हमारी सहानुभूति है। परन्तु मैं सभा में कोई भी आश्वासन नहीं दे सकता। जब विमान उपलब्ध हो जायेगा तो हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आवश्यक सुविधायें प्रदान की जायें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि आने वाले वर्षों में वायु सेवाओं की मांग काफी तेज गति से बढ़ती जायेगी। निःसंदेह, मंत्री ने और विमान प्राप्त करने का अपना इरादा ज़ता दिया है। और विमान प्राप्त करने की प्रेरणा का मुझे पता

है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। परन्तु, इसके अतिरिक्त, मैं यह जानना चाहता हूं, विमानों के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुये, दुर्लभ विदेशी मुद्रा की बचत को ध्यान में रखते हुये, इस मांग को पूरा करने के लिए क्या सरकार हमारे ही देश में कुछ विमानों का उत्पादन करने के लिये गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव की मैं सराहना करता हूं। परन्तु धन का अभाव ही अभाव है और ऐसा कोई वक्तव्य देने से पहले जिसे आश्वासन समझ लिया जाए हमें उनको ध्यान में रखना होगा। विमानों को खरीदने की अपेक्षा विमानों का उत्पादन करने के लिए हमें अधिक धन की जरूरत पड़ेगी। यह पता लगाना होगा कि प्रारम्भिक चरणों में इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित धन उपलब्ध हो सकता है अथवा नहीं। परन्तु मैं कह सकता हूं कि दिया गया सुझाव बहुत अच्छा है। हम निश्चित ही इसे ध्यान में रखेंगे।

श्री विजय एन० पाटिल : महोदय, ग्राहक सेवाओं में सुधार के नाम पर आप कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा इत्यादि लगाने के बारे में सोच रहे हैं। परन्तु बहुत पहले किसी विशेष उड़ान के लिए टिकट खरीदने वाले व्यक्ति के टेलीफोन नम्बर नोट किये जाने की प्रथायी और यदि उड़ान में देरी हो जाती थी या रद्द हो जाती थी तो उसको सूचित कर दिया जाता था। परन्तु आजकल ऐसा नहीं है। इसका अर्थ है, जो ग्राहक सेवा दस वर्ष पहले उपलब्ध थी वह आज उपलब्ध नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, यहां तक कि जब हम स्वयं उड़ान के समय का पता लगाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो हमें टेलीफोन नहीं मिल पाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय वहां पर टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि करने जा रहे हैं।

दूसरे, दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्सों में यह प्रथा है कि आक्सीजन की कमी होने की स्थिति में एयर थैले दिये जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपने मुंह और सिर को ढकने और आग लगने की स्थिति में स्वयं को कार्बन मोनोक्साईड से बचाने के लिए, क्या आप ग्राहकों को प्लास्टिक के थैले देने जा रहे हैं। अब···

अध्यक्ष महोदय : अब, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विजय एन० पाटिल : जहां तक जल गाँव को वायु सेवा प्रदान करने का सम्बन्ध है, पूर्व मंत्री श्री टाईटलर ने एक वायदा किया था परन्तु वायदा पूरा किया जाने से पहले ही विभाग आपके पास आ गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस पर उच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार करेंगे···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह पर्याप्त है। आप समय बरबाद क्यों कर रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, आजकल भी देरी का पता पहले ही होता है तो सदस्यों को सूचना दे दी जाती है।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

[हिन्दी]

शोर करने से सारा काम खराब हो जाता है ।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्यों को मेरे वक्तव्य को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए । मैंने कहा है : "जब देरी सुनियोजित देरी होती है ।"

प्रो० मधु दण्डवते : अपना वक्तव्य और अधिक ध्यान से दें ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : जब देरी सुनियोजित होती है तो तब सूचना दे दी जाती है । और जब देरी सुनियोजित नहीं होती तो फिर हम कभी-कभी ही इनको सूचित करने का प्रयास करते हैं ··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय, क्या देरियों की कोई पंच वर्षीय योजना है ? इस बारे में बताया जाये । सुनियोजित देरी क्या होती है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम जहां तक संभव हो सकेगा उनको सूचित करेंगे । जो कुछ उन्होंने कहा है । उस पर हमने गौर किया है····

श्री सुरेश कुरूप : किस हद तक ? **(व्यवधान)**

श्री शिवराज वी० पाटिल : परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना देने की व्यवस्था है और हमारे पास आटोमैटिक व्यवस्था भी है । टेलीफोनों को हमने **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें टेलीफोन नहीं मिलेंगे । लोगों को कभी भी हवाई अड्डे का टेलीफोन नहीं मिलता । **(व्यवधान)**

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, इस पर एक आधे घंटे की चर्चा की जाये ।

[हिन्दी]

इस विषय पर हमें डिस्कशन मिलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में लिखकर दीजिए तो देखेंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं कह सकता हूं कि यह माननीय सदस्यों के फायदे के लिए है । हमने आपकी भावनायें जान ली हैं और हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों के लिए उड़ानें चलाने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स जो मानदण्ड और दिशा निर्देश अपनाती है, मुझे पता चला है कि उनमें से एक मापदण्ड यह है कि सबसे पहले उनको प्रत्येक राज्य की राजधानी से दिल्ली के लिए एक सीधी उड़ान की व्यवस्था करनी चाहिए।

हमने पूर्व मंत्री श्री जगदीश टाईटलर, जो यहां पर हाजिर भी हैं, कई बार यह अनुरोध किया था कि दिल्ली से भुनेश्वर तक एक सीधी उड़ान होनी चाहिए जो यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाखापत्तनम तक जा सके और सिद्धांत में वह इससे सहमत भी हो गये थे। उनको इस बात की जानकारी हो सकती है। परन्तु इसके विपरीत अब उड़ानें दिल्ली से भुनेश्वर जाती हैं, वहां से रायपुर और वहां से कलकत्ता जाती हैं। इसको नये मंत्रियों से जोड़ दिया गया है जो मंत्रालय में आ रहे हैं। महोदय, इण्डियन एयरलाइन्स के संचालन के लिए क्या यही मानदण्ड अपनाया जाएगा अथवा क्या आप इन मूल मानदण्डों और मूल्यों अथवा मापदण्ड को अपनाने जा रहे हैं जिनको नियमों के अनुसार बनाया गया है।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री विशेष रूप से इसका उत्तर दें और बतायें कि यह मापदण्ड है अथवा नहीं और यदि ऐसा है तो दिल्ली से भुनेश्वर वाली सीधी उड़ान को विशाखापत्तनम तक बढ़ाने का निर्णय मंत्रालय द्वारा लिया गया था और पूर्व मंत्री द्वारा स्वीकार किया गया था अथवा नहीं और यदि ऐसा है तो वर्तमान व्यवस्था में रुकावट क्यों डाली गयी और इस उड़ान को रायपुर और कलकत्ता से क्यों जोड़ा गया इसलिए क्योंकि भुनेश्वर उड़ान को बढ़ाकर वह रायपुर से कलकत्ता तक एक संपर्क चाहते हैं। यह सब कुछ क्या हो रहा है ? क्या आप कोई विशेष मानदण्ड अपनाने जा रहे हैं अथवा नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, हमारे पास सिर्फ 50 विमान हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक करोड़ यात्रियों को लाया ले जाया जाता है। सभी स्थानों से कार्यालय में मांग आ रही है और जितना संभव हो हम उतनी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तो विभिन्न सदस्यों की मांगें पूरी करनी हैं और दूसरी तरफ उस ढंग से मांगें पूरी करनी हैं जिस ढंग से वे पूरी करवाना चाहते हैं। हम इन दोनों हितों को साथ-साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जहां तक संभव हो सकेगा, हम इसे पूरा करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्नाटक को चावल की सप्लाई

*61. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की प्रति माह कुल आवश्यकता की तुलना में चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ख) क्या मई और जून, 1988 के दौरान सप्लाई की गई चावल की मात्रा में कोई कटौती की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाने के लिए कर्नाटक में पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जनवरी, 1988 से जून 1988 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कर्नाटक की चावल की मांग, आवंटन और उठान की स्थिति इस प्रकार है :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

मास	मांग	आवंटन	उठान (अनन्तिम)
जनवरी	75.0	60.0	57.3
फरवरी	75.0	55.0	56.8
मार्च	75.0	55.0	55.5
अप्रैल	75.0	55.0	44.2
मई	75.0	55.0	64.3
जून	75.0	45.0	44.1
		जोड़ 325.0	322.2

(ख) और (ग) कर्नाटक को मई, 1988 के लिए चावल के आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई थी । यह आवंटन अप्रैल, 1988 के स्तर पर किया गया था । तथापि, जून, 1988 मास के लिए आवंटन 45,000 मीटरी टन प्रतिमास के हिसाब से किया गया था । यह आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रख कर किया गया था ।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका खुले बाजार में उपलब्धता में कमी को पूरा करना मात्र होती है और राज्य सरकारों की मांग केन्द्रीय पूल में समूची उपलब्धता के अन्दर यथा सम्भव पूरी की जा रही है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर बोइंग 737 विमान द्वारा क्रैश लैंडिंग

*67. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जून, 1988 को इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर इण्डियन एयरलाइन्स के एक बोइंग 737 विमान द्वारा क्रैश लैंडिंग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप अनुमानित कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(ग) क्या इस घटना के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) विमान के नुकसान का जायजा जनरल इंश्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा लिया जाना है।

(ग) और (घ) इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर ही निवारक उपाय किये जाएंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण की समीक्षा

*68. **श्री अजय विश्वास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण की कोई समीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो समीक्षा कब तक पूरी की जायेगी और उसका परिणाम कब तक सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कामकाज की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। इसे केन्द्रीय न्यासी बोर्ड संगठन तथा मंत्रालय दोनों द्वारा किया जाता है।

ये समीक्षा प्रशासनिक समीक्षा के रूप में होती है तथा संगठन के बाह्य स्वरूप की नहीं होती है। अतः ऐसी समीक्षा को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रति वर्ष रखी जाती है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था

*69. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि अनेक आतंकवादी संगठनों के बढ़ते हुए खतरे के बावजूद इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विभिन्न विमान कम्पनियों के सुरक्षा स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार किसी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। इस मामले से सम्बन्धित समाचार सरकार के ध्यान में आया है। जब कि मौजूदा सुरक्षा प्रबन्ध पर्याप्त समझे गए हैं, फिर भी सरकार इस स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार निगरानी रखती है।

लम्बी दूरी की गाड़ियों के साथ भोजन यान की सुविधा

[हिन्दी]

*70. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लम्बी दूरी की कितनी रेल गाड़ियों में भोजन यान की व्यवस्था नहीं है;

(ख) ऐसी गाड़ियों में यात्रियों के खानपान के लिए क्या प्रबन्ध किये जाते हैं; और

(ग) लम्बी दूरी की सभी गाड़ियों में भोजन की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) लम्बी दूरी की किसी भी गाड़ी में भोजनयान सेवा नहीं है। तथापि, लम्बी दूरी की 49 गाड़ियों में भोजन पैंट्री कारों के माध्यम से और 43 में मार्ग में स्थैतिक यूनिटों द्वारा परोसा जाता है।

(ग) लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोजनयान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाक्टरों के लिए घोषित एकमुश्त लाभ का कार्यान्वयन

[अनुवाद]

*71. **डा० ए० के० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष डाक्टरों की हड़ताल के समय सरकार द्वारा घोषित एकमुश्त लाभ के प्रत्येक लम्बित मद के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इन घोषित लाभों के कार्यान्वयन पर डाक्टरों की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(ख) डाक्टरों के विभिन्न संघों ने एकमुश्त लाभों के सभी उपबन्धों को शीघ्र लागू करने की मांग की है। विवरण में निर्दिष्ट मदों को छोड़ कर शेष सभी मदों पर कारंवाई पूरी हो चुकी है।

विवरण

क्रम संख्या	घोषित लाभ	की गई कार्रवाई
1.	2.	3.
1.	सामान्य ड्यूटी उपसंवर्ग में वरिष्ठ ड्यूटी पदों में से 15 प्रतिशत पदों को बदलकर नान फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड बनाना तथा नान फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड में पात्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रोन्नत करना।	आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी हो जाने के पश्चात् नान फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
2.	6 वर्ष की सेवा वाले सह प्रोफेसरों को तथा 9 वर्ष की सेवा वाले विशेषज्ञ ग्रेड–II अधिकारियों को 4500–5700 रुपये का वेतनमान देना।	4500-5700 रुपये का वेतनमान देने के लिए अनेक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जिस संबंध में कार्रवाई पूरी होने वाली है।
3.	मेडिकल अफसरों (2200-4000 रुपये) तथा विशेषज्ञों (3000-5000 रुपये) के लिए उच्च प्रारंभिक वेतन (हायर स्टार्ट) देने के लिए डाक्टरों की मांगे तथा तीन समयबद्ध उन्नतियां देने की मांगें मन्त्रियों के दल को भेज दी जाएं।	इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में निजी क्षेत्र के नर्सिंग होम/अस्पताल

*72. **श्री तेजा सिंह दर्दी :**

श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1988 को दिल्ली में निजी क्षेत्र में चल रहे नर्सिंग होम/अस्पतालों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि ये नर्सिंग होम/अस्पताल रोगियों का शोषण कर रहे हैं और संतोषजनक उपचार भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1.1.1988 को दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 126 निजी उपचर्या गृह पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है कि दिल्ली में 77 अपंजीकृत उपचर्या गृह कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) विद्यमान कानून अर्थात् दिल्ली उपचर्या गृह अधिनियम, 1953 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कर्मचारी, आवास और उपकरण के बारे में न्यूनतम मानकों को पूरा करने की शर्त पर पंजीकरण की व्यवस्था है। तथापि, निजी उपचर्या गृहों में दी गई सेवाओं के लिए ली जाने वाली फीस विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। अपंजीकृत उपचर्या गृहों को चलाने वाले लोगों को कड़ा दंड देने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन विद्यमान कानून की पुनरीक्षा कर रहा है।

राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

*73. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मई, 1988 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के नये उपायों पर चर्चा करने हेतु राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी तथा चर्चा के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या जनसंख्या में वृद्धि रोकने हेतु किन्हीं नये उपायों पर विचार किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक 30 मई, 1988 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई थी। जिन मदों पर विचार किया गया तथा जो निष्कर्ष निकले उनका एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कार्यसूची मदसंख्या-1

लक्ष्य तथा पुरस्कार निर्धारित करने और 1988-89 तथा 1989-90 के लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली में संशोधन के बारे में समिति की सिफारिशें :

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए सुझावों/टिप्पटियों को देखते हुए इस बात पर सहमति थी कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबध में गर्भ निरोधन के विभिन्न तरीकों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित करने का अन्तिम निर्णय माननीय स्वास्थ्य मंत्री पर छोड़ दिया जाए।

जहां तक पुरस्कारों का प्रश्न है, इस संबंध में कोई सहमति नहीं हो सकी इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले को लक्ष्य और पुरस्कार समिति के पास वापस भेज दिया जाए और इस मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को अंतिम राय देने का प्राधिकार दिया गया।

कार्यसूची मदसंख्या-2

1987-88 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत हुए कार्य की प्रगति की राज्यवार समीक्षा :

चूंकि 1987-88 के दौरान इसके अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक कार्य हुआ और स्वीकार-कर्त्ताओं की संख्या 220 लाख पहुंच गई, इसलिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर इस बात का बल दिया गया कि यदि उन्हें निर्धारित तारीख तक राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो वे कार्यनिष्पादन का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए अपने भरसक प्रयत्न करें।

कार्यसूचि मंद संख्या-3

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन में गति लाने की कारंवाई की समीक्षा

16 से 30 वर्ष के युवा आयु वर्ग के दम्पत्तियों को गर्भधारण के प्रति सुरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया और तदनुसार यह महसूस किया गया कि इस समय इस प्रकार के कम से कम 5 करोड़ दम्पत्तियों को आत्यावश्यक आधार पर नसबंदी के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

कार्यसूची मद संख्या-4

योजनेतर बजट में मौजूदा योजना-देयताओं का स्थानान्तरण :

राज्य इस बात पर सहमत नहीं थे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछली योजनाओं में निर्धारित देयताओं को राज्यों के योजनेतर बजट में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। तथापि, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि साधनों की कठिनाइयों के कारण एक ऐसा तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को समग्र धन राशि स्थानान्तरित करने में कोई अड़चन नहीं हो भले ही इस व्यय को राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत योजना अथवा योजनेतर व्यय समझा जाए।

कार्यसूची मद संख्या-5

परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार :

सेवाओ की गुणवत्ता की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल करें जिससे गर्भनिरोध के विभिन्न तरीकों के बारे में नवीनतम जानकारी से वे परिचित हो सकें।

कार्यसूची मद संख्या-6

लिंग निर्धारण परीक्षण और उल्वबेधन :

I. समाचार पत्रों और अन्य स्रोतों से मिल रही सूचना का उल्लेख करते हुए यह महसूस किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित विधान की तरह एक विधान बनाए जाने की वांछनीयता पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

II. विभिन्न राज्यों के मंत्रियों/स्वास्थ्य सचिवों ने कुछ अन्य विषय उठाए और वे ये हैं—

(क) **अतिरिक्त वाहन :** बहुत से राज्यों ने इस बात को उठाया कि सभी नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वाहन दिए जाने चाहिए। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे कठिन क्षेत्रों और भौगोलिक स्थितियों वाले राज्यों में वाहनों के आवंटन में विशिष्टि दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार वाहनों के लिए स्वीकृत पैट्रोल (पी० ओ० एल०) की दरों में वृद्धि कर उन्हें संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) औषधों और मरहम पट्टियों की कीमत में वृद्धि : औषधों और मरहम पट्टियों की कीमत में हुई अत्याधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि नसबंदी के प्रत्येक मामले में दी जाने वालि राशि 25/-रु० से बढ़ाकर 35/-रु० करने की आवश्यकता है।

III. कुछ स्वास्थ्य मंत्रियों ने उनके सामने आने वाली विशिष्ट समस्याएं उठाई और अध्यक्ष महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया कि इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और यथा-समय उपयुक्त कारंवाई की जाएगी।

कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए
विशेष कार्यक्रम

*74. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

श्री विमल कान्ति घोष : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान देश में कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए कितनी राशी आवंटित की गई है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल रखा गया है ।

विवरण

जबकि अगले 3 वर्षों के दौरान देश में कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार नहीं किये गए हैं, फिर भी सरकार की नीति विशेषकर उन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए कम लागत के मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने की है, जिनकी सामर्थ्यता सीमित है, इस सम्बन्ध में, निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं :—

(i) अन्य बातों के साथ-साथ विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए कम लागत के आवास को प्रोत्साहन देने के लिए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने के लिए प्रारम्भ में 100 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी से एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। भूमि विकास बैंकों की भूमिका को किसानों के लिए आवासीय वित्त का क्षेत्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया गया है ।

(ii) उन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों जिसके लिए व्यवहार्य कम लागत अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, के लिए रिहायशी एककों के निर्माण हेतु आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) अपने वार्षिक ऋण स्वीकृतियों का 55 प्रतिशत उदि्दष्ट करता रहा है ।

(iii) हुडको मकानों के निर्माण में स्थानीय रूप से उपलब्ध कम लागत की सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी प्रोत्साहन देता रहा है ।

(iv) निर्माण/निर्मिति केन्द्रों के राष्ट्रीय नेट वर्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे कम लागत की भवन निर्माण सामग्रियों और तकनीकियों की सुगमता से अभिवृद्धि होगी ।

(v) भवन निर्माण सामग्रियों की लागत को कम करने के लिए उन गैर परम्परागत सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो सस्ता हो एवं कार्यात्मक हो, तथा भवन निर्माण में इमारती लकड़ी के स्थान पर धातु की मांग को परिवर्तित करने के लिए, सीमेंट पर अल्यूमिनियम और इस्पात से बने दरवाजों, खिड़कियों तथा उनके चौखटों आदि पर, पूर्व निर्मित भवनों के संरचनात्मक मध्यवर्ती और घटकों पर एवं उड़न राख की ईटों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है सीमेंट का विकल्प लिम्पों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(vi) ग्रामीण विकास विभाग इन्दिरा आवास योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत कम लागत के मकानों का निर्माण किया जा रहा है तथा ये ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बन्धुआ श्रमिकों को मुफ्त दिए जा रहे हैं।

कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए कम्प्यूटरीकृत सिगनल प्रणाली

*75. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कलकत्ता मेट्रो रेलवे के लिए कम्प्यूटरीकृत सिगनल प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) उक्त योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित कम्प्यूटरीकृत सिगनल प्रणाली की व्यवस्था एक सतत स्वचल गाडी नियन्त्रण प्रणाली है। अनुमान है कि इस पर 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

(ग) सतत स्वचल गाड़ी नियन्त्रण प्रणाली की व्यवस्था और सप्लाई हेतु ठेका देने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया गया है।

गर्भस्थ शिशुओं की लिंग निर्धारण जांच के बारे में कानून

*76. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गर्भस्थ शिशुओं की लिंग निर्धारण जांच के बारे में कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में राज्यों के विचार मांगे हैं;

(ख) क्या मई, 1988 में हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस विषय पर बातचीत की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं; और

(घ) यह कानून कब तक बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उल्ववेधन परीक्षण पर कानून बनाने के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद (जिसके सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री सदस्य हैं) की 15 से 17 फरवरी, 1988 को हुई बैठक में भी विचार किया गया था। फरवरी में हुई बैठक के दौरान यह सहमति हुई थी कि उल्ववेधन परीक्षण को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और यह परीक्षण सरकारी संस्थानों तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के अनुमोदित संस्थानों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए और केवल भ्रूण के लिंग को प्रकट किए बिना आनुवंशिक विकारों के निर्धारण के लिए ही यह कार्य किया जाना चाहिए।

30 मई को हुई बैठक में यह निश्चय किया गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित विधान जैसा ही एक विधान बनाए जाने की वांछनीयता पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित विधेयक की एक प्रति सभी राज्यों को भेजी गई है।

सरकार इस बारे में एक विधान तैयार करने के लिए भी कार्रवाई कर रही है जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की इस वर्ष बाद में होने वाली अगली बैठक में सभी राज्यों से परामर्श किया जाएगा।

विधान के पुरःस्थापित किए जाने के बारे में सम्भावित समय को बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस विषय पर राज्यों के परामर्श से कार्रवाई की जानी है।

मलेरिया उन्मूलन सम्बन्धी नई नीति

[हिन्दी]

*77. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मच्छरों द्वारा फैलने वाले मलेरिया तथा अन्य रोगों को समाप्त करने की दृष्टि से इस कार्यक्रम के बारे में सरकार द्वारा कोई नई नीति तैयार की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां। अप्रैल,1977 से संशोधित कार्य योजना के कार्यान्वियन से मलेरिया की घटनाएं धीरे-धीरे कम हो कर 1987में 16.4 लाख हो गई हैं, जबकि 1976 में 64.7 लाख रोगी सूचित किए गए थे।

(ख) तथापि, सरकार इसमें निरन्तर सुधार करने की इच्छुक है तथा कालाजार, फाइलेरिया

तथा जापानी एन्सेफुलइरिस के सभी वैक्टर वाहित रोगों के नियन्त्रण के लिए एक एकीकृत नीति तैयार कर रही है।

भारतीय खाद्य निगम का लागत ढांचा

[अनुवाद]

*78. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

डा० बी० एल० शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के लागत ढाँचे की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) :(क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम की परिचालन लागत की समीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है। तथापि, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से हाल ही में कहा गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की लागत लेखापरीक्षा का कार्य शुरू करें। यह अध्ययन चल रहा है।

उड़ीसा को चावलों की सप्लाई

*79. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान उड़ीसा को कितना चावल आवंटित किया गया तथा इस आवंटन का आधार क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य का चावल का कोटा बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अगस्त, 1987 से जुलाई, 1988 की अवधि के दौरान उड़ीसा को कुल 3.35 लाखमीटरी टन चावल आवंटित किया गया है।

केन्द्रीय पूल से आवंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार में उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रख कर मासिक आधार पर किए जाते हैं। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्धता में कमी को केवल पूरा करने के लिए होते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) मासिक आवंटन करते समय राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखा जाता है।

साहसिक पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाएं

*80. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहसिक पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिक्किम में नदियों में नौकाएं चलाने/नौका दौड़ के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने कुल 18.00 लाख रुपए की लागत पर 7 रेफ्टर्स हट्स और चौकीदार क्वार्टर्स का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से कहा गया है कि अपेक्षित उपकरण आदि की आवश्यकता बताते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करे। अतः इस स्तर पर इस स्कीम के कार्यान्वयन की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता।

भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के विरुद्ध
अनियमितताओं और कदाचार के आरोप

569. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कदाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में उनके घरों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) क्या जांच-पड़ताल होने तक सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) अपने भ्रष्टाचार निरोधी अभियान के अंग के रूप में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जून, 1988 में भारतीय खाद्य निगम के 4 अधिकारियों और 3 प्राइवेट पार्टियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए और 4 अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उत्तर प्रदेश में कुछ प्लिंथ स्थानों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट पार्टियों के साथ मिल गए पाये गये। इन प्लिंथों का निर्माण घटिया पाया गया और वस्तुतः यह गिर गए हैं। खोज बीन करने से कुछ गड़बड़ी वाले दस्तावेज मिले जिनमें बैंक पास बुक, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं जिन्हें जब्त किया गया। कोई उल्लेखनीय नकद राशि कहीं भी नहीं मिली। अन्य मदें जिनकी सूची बनाई गई उनमें थोड़ी-बहुत नकद राशि, जेवर, चल परिसंपत्ति आदि थीं।

(घ) जी, नहीं।

खाड़ी देशों से लौटने वाले मलयालियों के पुनर्वास हेतु कोष

570. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से खाड़ी देशों से लौटने वाले मलयालियों के पुनर्वास हेतु 750 करोड़ रुपये का एक कोष बनाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) केरल के मुख्य मंत्री ने खाड़ी के देशों से वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 750 करोड़ रुपये की निधि के सृजन हेतु केन्द्रीय सरकार को लिखा है।

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार इसके सृजन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो जाती है तो राज्य सरकार का इस निधि राशि के फैलाव के ब्यौरे तैयार करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं और इसके प्रभावों की ध्यानपूर्वक और विस्तृत संवीक्षा की आवश्यकता है।

सातवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य

571. **श्रीमति लाल हुंसवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) सातवीं योजना के अन्त तक आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अपने वार्षिक योजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय वे राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने की दृष्टि से आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर अपेक्षित केन्द्रों तथा 31.7.1988 को कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अपेक्षित केन्द्रों और 31.3.88 तक आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

		जनसंख्या मानकों के आधार पर 1990 तक खोले जाने-वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	31.3.88 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	137	34
2.	अरुणाचल प्रदेश	32	34
3.	असम	121	56
4.	बिहार	424	143
5.	गोवा दमण व दीव	2	1
6.	गुजरात	284	114
7.	हिमाचल प्रदेश	10	18
8.	कर्नाटक	257	115
9.	केरल	8	21
10.	मध्य प्रदेश	752	449
11.	महाराष्ट्र	237	237
12.	मणिपुर	25	26
13.	मेघालय	67	48
14.	मिजोरम	25	26
15.	नागालैंड	40	24

1	2	3	4
16.	उड़ीसा	318	295
17.	राजस्थान	214	71
18.	सिक्किम	2	3
19.	तमिलनाडु	12	2
20.	त्रिपुरा	33	17
21.	उत्तर प्रदेश	219	24
22.	पश्चिम बंगाल	92	21
23.	अण्डमान व निकोबार दीप समूह	4	2
24.	दादर व नागर हवेली	5	4
25.	लक्षद्वीप	2	7
		3322	1792

चिकित्सा शिक्षा में समानता

572. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सा शिक्षा में पाठ्यक्रम की अवधि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए छात्र-वृत्ति, पढ़ाये जाने वाले विषयों आदि के बारे में समानता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में समान चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के स्नातकपूर्व तथा स्नाकोत्तर, दोनों पाठ्यक्रमों के लिए कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और प्रशिक्षण तथा शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यक्रमों की अवधि, परीक्षा का पैटर्न आदि के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित हैं। ये सिफारिशें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमों के रूप में अनुमोदित हैं और अनिवार्य हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद देश में चिकित्सा शिक्षा का एक समान स्तर बनाए रखने के उद्देश्य से इन सिफारिशों के अनुपात का जायजा लेने के लिए सभी संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण करती रहती है। बहरहाल, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम की अवधि एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में अलग-अलग है। कुछ विश्वविद्यालयों में दो वर्ष का पाठ्तक्रम है और कुछ में तीन वर्ष का स्नाकोत्तर छात्रों के वजीफे की दर में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्नता है।

(ख) देश में एक समान चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा विश्व-विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हावड़ा और एसप्लेनेड पर आरक्षण व्यवस्था

573. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर और शोरानूर जाने वाले यात्रियों के लिए हावड़ा अथवा एसप्लेनेड के किसी भी बुकिंग काउन्टर पर सीटों के आरक्षण के लिए कोई कोटा निर्धारित है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों पर कोई आरक्षण कोटा आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) एसप्लेनेड में बुकिंग कार्यालय 31.12.1987 से बन्द कर दिया गया है। तथापि, 902 डाउन गुवाहाटी-तिरुवनन्तपुरम एक्सप्रेस, 940 डाउन गुवाहाटी कोचिन एक्सप्रेस और 952 डाउन हवड़ा-कोच्चिन एक्सप्रेस गाड़ियों से त्रिचूर की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए कलकत्ता क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों में आरक्षण कोटा उपलब्ध है। शोरूवण्णूर के लिए कोटा हवड़ा-मंगलोर स्लिप कोच में उपलब्ध है जिसे 3 हावड़ा-मद्रास मेल में लगाया जाता है।

एड्स रोग निरीक्षण केन्द्र

574. **श्री अमर सिंह राठवा** :

श्री चिन्तामणि जेना :

श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तथा किन स्थानों पर एड्स रोग निरीक्षण केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने नमूने एकत्रित किये गए तथा कितने मामलों में एड्स रोग का पता लगाया गया;

(ग) इनका उपचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या कुछ देशों में यह एक आम रोग है, यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या उन देशों के लोग भी भारत का दौरा कर रहे हैं; और

(च) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन आगुंतक व्यक्तियों का स्थानीय लोगों पर कोई प्रभाव न पड़े, उन पर कोई रोक लगाई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) फिलहाल एड्स रोग को रोकने अथवा उसे ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट औषधि अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है । रोगियों का उपचार करते समय अलग-अलग मामले में अवसरवादी रोगों तथा इसकी दुर्दम स्थितियों के लिए विनिर्दिष्ट थिरेपियों का इस्तेमाल किया जाता है ।

(घ) यह रोग संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा मध्य और पूर्वी अफ्रीका के कुछेक देशों में आम है । पिछले वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों से भी एड्स रोग की घटनाओं की सूचना मिली है ।

(ङ) जी, हां ।

(च) विदेशियों की जांच के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) किसी भी भारतीय संस्था में दाखिल होने वाले नए विदेशी छात्रों को एड्स की जांच करानी होती है । यदि किसी व्यक्ति में रोग के लक्षण पाये जाते हैं, तो उसे उसके देश वापिस भेज दिया जाता है ।

(2) यह निर्णय लिया गया है कि जो विदेशी एक वर्ष से अधिक अवधि तक भारत में रहने का इच्छुक हो उसकी एड्स की दृष्टि से स्क्रीनिंग की जाए । वैसे इस अवस्था में राजनयिक मिशनों के सदस्यों तथा पत्र सूचना कार्यालय में मान्य विदेशी पत्रकारों को एड्स की जांच करने से छूट होगी । जिस किसी व्यक्ति में रोग के लक्षण पाए जाते हैं उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है ।

विवरण

नमूनों की संख्या (जनवरी 15—जून 30, 1988)

1	2	3	4
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली	1392	5	5
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, अ. भ. आ. सं. नई दिल्ली	1	1	1
मेडिसिन विभाग अ. भा. आ. संस्थान, नई दिल्ली			

1	2	3	4
राष्ट्रीय वाइरोलाजी संस्थान, पुणे	1986	49	42
वाइरोलाजी का उन्नत अनुसंधान केन्द्र क्रिश्चियन मेडिकल कालिज, वेल्लूर	11869	163	135
केन्द्रीय जाल्मा कुष्ठ संस्थान, आगरा			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग बी० जे० मेडिकल कालिज, अहमदाबाद	1116	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, बंगलौर मेडिकल कालिज, बंगलौर			
पैथोलोजी विभाग गांधी मेडिकल कालिज, भोपाल	93	1	3
क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग ग्रेइन्ट मेडिकल कालिज, बम्बई			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग सेठ जी० एस० मेडिकल कालिज, बम्बई	1688	16	9
प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान संस्थान, सेठ जी० एस० मेडिकल कालिज, बम्बई	189	5	5
राष्ट्रीय हैजा और आन्त्र रोग संस्थान, कलकत्ता			
वाइरोलाजी विभाग स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसन कलकत्ता	810	1	1
प्रतिरक्षा विकृति विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	580	2	2
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग एस० सी० बी० मेडिकल कालिज, कटक	585	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग गोआ मेडिकल कालिज, गोआ	2018	7	5

1	2	3	4
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग गोहाटी मेडिकल कालिज, गुवाहाटी			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग उस्मानिया मेडिकल कालिज, हैदराबाद			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग क्षेत्रीय मेडिकल कालिज, इम्फाल	440	—	—
चोइथराम अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र ईन्दौर			
जनजाति स्वास्थ्य के लिए क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र मेडिकल कालिज, जबलपुर	38	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग एस० एम० मेडिकल कालिज, जयपुर			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के० जी० मेडिकल कालिज, लखनऊ			
प्रतिरक्षा रुधिर विज्ञान विभाग अपोलो अस्पताल, मद्रास	341	1	1
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग बाल स्वास्थ्य संस्थान और बच्चों के लिए अस्पताल, मद्रास	2192	5	4
सूक्ष्म जीव विज्ञान संस्थान मद्रास मेडिकल कालिज, मद्रास	9954	28	23
क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग मदुरई मेडिकल कालिज, मदुरई	3583	51	47
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग गवर्नमेंट मेडिकल कालिज, नागपुर	1080	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग मौलाना आजाद मेडिकल कालिज, नई दिल्ली			

1	2	3	4
राजेन्द्र मेमोरियल आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पटना	939	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	154	9	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग मेडिकल कालिज, रोहतक	1804	31	शुन्य
सूक्ष्म जीव विज्ञान संस्थान आई० जी० मेडिकल कालिज, शिमला	486	1	1
प्रतिरक्षा विकृति विज्ञान विभाग एस० के० आयुर्विज्ञान संस्थान, श्रीनगर	450	1	1
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग एस० वी० मेडिकल कालिज, तिरूपति	406	—	—
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग मेडिकल कालिज त्रिवेन्द्रम			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	750	—	—
आयुर्विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी			
सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग आन्ध्रा मेडिकल कालिज, विशाखापत्तनम्	1144	—	—

रिफेम्पिसिन और इथेम्बुटाल की खरीद

575. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तपेदिक और कोढ़ निवारण कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार पृथक-पृथक रूप से कुल कितने मूल्य की और कितनी मात्रा में रिफेम्पिसिन और इथेम्बुटाल फार्मूलों की खरीद की गई; और

(ख) प्रत्येक औषधि किस-किस कम्पनी से कितनी मात्रा में और कितने मूल्य पर खरीदी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

विवरण-1

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन रिफेम्पिसिम कैप्सूलों को खरीदने के लिए आदेश दिया गया, उनके ब्यौरे का विवरण :

(सभी आँकड़े लाखों में)

कम्पनी का नाम	वर्ष 1985-86				वर्ष 1986-87				वर्ष 1987-88			
	300 एम० जी०		150 एम० जी०		300 एम० जी०		150 एम० जी०		300 एम० जी०		150 एम० जी०	
	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. मैमर्स ल्यूपिन लैब, बम्बई	8.00	9.36	0.25	0.155	2.50	2.65	0.40	0.212	...	....	10.00	5.30
2. सी० आई. लैब कलकत्ता	4.00	4.82	...	...	10.00	10.20	0.10	0.053	10.00	10.20	....	....
3. एवरेस्ट कैमिकल इन्डस्ट्रीज, अहमदाबाद	2.04	2.36	0.25	0.155	...	...	....	....	20.00	20.80	6.00	3.168
4. मैसर्स बाम्बे फार्मा प्रोडक्ट्स, इन्दौर	4.32	5.054	2.00	1.196	....	....	....	....	....	....	....	....
5. मैसर्स ट्राइम्फ प्रोडक्ट्स, बम्बई	....	....	2.00	1.196	....	....	....	....	....	....	....	....
6. मैसर्स क्योरमेड फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली	....	....	0.50	0.309	....	....	....	....	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	मैसर्स एच० ए० एल० बम्बई	11.00	13.805	....	....	30.00	31.80	6.00	3.204	50.00	53.00	....	....
8.	मैसर्स आई० डी० पी० एल० नई दिल्ली	5.64	6.768	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
9.	मैसर्स रेडीक्यूरा फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली	....	....	....	....	2.50	2.65	0.10	0.053	14.00	14.84	....	....
10.	मैसर्स अल्पाइन इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	....	....	....	....	5.00	5.25	0.40	0.214	18.00	18.90	6.00	3.18
	कुल	35.00	42.00	5.00	3.011	50.99	52.55	7.00	3.683	112.00	117.74	22.00	11.648

विवरण–2

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खरीदे गए रिफेम्पिसिन और इथाम्बुटेल गोलियों के ब्यौरे :

क्रम सं०	औषध का नाम	वर्ष	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय संविदा दर प्राप्त करने वाले का नाम जिसे आदेश दिए गए	आदेशित मात्रा	कर आदि रहित कुल कीमत
1	2	3	4	5	6
1.	रिफेम्पिसिन कैप्सूल	1985-86	नहीं खरीदी गई		
	(150 मि. ग्रा.)	1986-87	(1) मैसर्स ल्यूपिन लैब्स, बम्बई	9 लाख	4.77 लाख रुपये
			(2) मैसर्स सी॰ आई॰ लैब्स, कलकत्ता	8 लाख	4.27 लाख रुपये
			(3) मैसर्स आलपिन इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली	9 लाख	4.77 लाख रुपये
		1987-88	(1) मैसर्स एच॰ ए॰ एल॰ पुणे	65 लाख	34.71 लाख रुपये
			(2) मैसर्स सी॰ आई. लैब्स कलकत्ता	15 लाख	8.01 लाख रुपये
2.	इथाम्बुटेल गोलियां (200 मि. ग्रा.)	1985-86	(1) मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	375 लाख	63.56 लाख रुपये
		1986-87	(1) मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	375 लाख	58.69 लाख रुपये
		1987-88	(1) मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	300 लाख	45.60 लाख रुपये
			(2) मैसर्स महाराष्ट्र ऐन्टीबाइटिक, कानपुर	140 लाख	22.72 लाख रुपये

1	2	3	4	5	6
3. इथाम्बुटेल गोलियां (800 मि. ग्रा.)	1985-86	(1)	मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	375 लाख	246.93 लाख रुपये
	1986-87	(1)	मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	375 लाख	216.94 लाख रुपये
	1987-88	(1)	मैसर्स ल्यूपिन लैब्स बम्बई	410 लाख	226.73 लाख रुपये
		(2)	मैसर्स आलपिन इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली	40 लाख	21.00 लाख रुपये

विमानों के इंजिनों पर बड़े आकार के नेत्र गोलक (आई बाल) के चित्र बनाना

576. **श्री कमल नाथ** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1988 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि जापान की 'आल निप्पन एअरवेज' का दावा है कि उसने अपने विमान इंजिनों पर बड़े आकार के नेत्रगोलक (आईबाल्वज) के चित्र बनाकर गत तीन वर्षों में आकाश में पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं को 20 प्रतिशत कम कर दिया है; और

(ख) क्या सरकार का आकाश में पक्षियों के विमान से टकराने की घटनाओं को कम करने हेतु देश में यह प्रणाली शुरू करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इंडिया ने अपने सभी विमानों के इंजनों के स्पिन्नरों पर बड़े आकार के नेत्र गोलक (आई बाल) के चित्र बनाये हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने भी अपने एयरबस विमानों में इनके चित्र बनाये हैं ।

लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता

577. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल एक्सप्रेस में परोसे जाने वाले अल्युमिनियम की पन्नी के भोज्य पैकेट चलाने से भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा तथा उपलब्ध खाद्य मदों की सख्या में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिये कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(ग) केरल एक्सप्रेस और लम्बी दूरी की अन्य गाड़ियों में भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता सुधारने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। थाली में सप्लाई किये जाने वाले भोजन की तुलना में अल्युमिनियम के केसरोलों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन की मात्रा और खाद्य मदों की संख्या मामूली सी कम है।

(ख) क्षेत्रीय रेलों द्वारा की गयी गहन रायशुमारी से पता चला है कि बड़ी संख्या में यात्रियों ने केसरोल सेवाओं की सराहना की है।

(ग) भोजन की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए किये गये उपायों/किये जाने वाले प्रस्तावित उपायों में आधान रसोईघरों का आधुनिकिकरण, गहन निरीक्षण, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, घटिया किस्म के भोजन के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई, आदि शामिल हैं।

कन्याकुमारी और मद्रास के बीच सुपरफास्ट गाड़ी चलाना

578. **श्री टी० बशीर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कन्याकुमारी और मद्रास के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सलाहकार समिति

579. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदद के लिये राज्य जिला, ब्लाक और पंचायत स्तरों पर सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ये समितियां स्थापित की गई हैं और उनके गठन के लिये मोटे तौर पर क्या-क्या मार्ग निर्देश अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इन समितियों में पंचायतों/स्थानीय निकायों के सदस्यों और अन्य प्रसिद्ध सरकारी अधिकारियों/समाज-सेवकों को तथा जहां कहीं आबादी के आधार पर जरूरी हुआ अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों और महिलाओं को भी शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसे सुप्रवाही बनाने के कार्य में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे राज्य, जिला, ब्लॉक तथा उचित दर की दुकान के स्तरों पर सतर्कता/परामर्शदात्री समितियां गठित करें। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी समितियों में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रमुख नागरिकों, राशन कार्ड धारकों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसी न किसी स्तर पर ऐसी समितियां गठित कर ली गई हैं।

समान दर पर मिट्टी तेल की सप्लाई

580. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल बम्बई में 2.17 रुपये प्रति लीटर तथा महाराष्ट्र के अन्य भागों में 2.52 रुपये प्रति लीटर की अलग-अलग दरों पर सप्लाई किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गरीब ग्रामीण उपभोक्ताओं की मदद के लिये एक समान कम दर निर्धारित करने का है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले मिट्टी के तेल के खुदरा मूल्य का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मिट्टी के तेल के लिए कोई एक-समान निम्न दर नियत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत में तेज गति की बुलेट रेलगाड़ी

581. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में तीव्र गति से चलने वाली एक "बुलेट" रेलगाड़ी के निर्माण की पेशकश की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान ने कोई प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना का काम कब से शुरू होने की आशा है, परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

रेल मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) जापान सरकार की लागत पर जापानी टीम द्वारा आगरा के रास्ते दिल्ली और कानपुर के बीच उच्चगति वाली नयी लाइन के लिए व्यावहारिकता-पूर्व अध्ययन किया गया है। अध्ययन दल ने बताया है कि वित्तीय और प्रौद्योगिकीय निहितार्थों का ठीक-ठीक पता लगाने के लिए आगे और विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है। उच्च गति वाली लाइन के निर्माण अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता के बारे में जापान सरकार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

फ्लूरोसिस रोकने के लिए कार्यवाही योजना

582. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लूरोसिस की विकट समस्या, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हजारों युवा तथा वृद्ध अशक्त तथा अपंग हो गये हैं, को रोकने के लिये कोई कार्यवाही योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पेय जल मिशन के अन्तर्गत अत्यधिक फ्लोराइड पर नियंत्रण पाने के लिए उप-मिशन शुरू किया गया है जिसके निम्नलिखित कार्यकलाप हैं :—

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में एक फ्लोरोसिस नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। यह नियंत्रण कक्ष विभिन्न राज्यों में फ्लोरोसिस के बारे में जानकारी देने वाले शिविरों का आयोजन कर रहा है। अब तक गुजरात, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में ऐसे आठ शिविर आयोजित किए जा चुके हैं।

2. अत्यधिक फ्लोराइड को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेजों और फ्लोरोनहरण संयंत्रों के लिए एकमुश्त प्रौद्योगिक युक्तियों का विकास किया गया है।

3. विभिन्न राज्य क्षेत्रों में पांच प्रदर्शन फ्लोरोनहरण संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

4. विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 130 फ्लोरोनहरण संयंत्र लगाने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति

583. **श्री रेणुपद दास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम में यह परिकल्पित है कि देश भर में समस्त खाद्य नमक का वर्ष 1992 तक क्रमिक रूप से आयोडीकरण करके गलगंड और अन्य सम्बद्ध आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों (आई० डी० डी०) को नियंत्रित किया जाए। वर्ष 1987-88 की अवधि में आयोडीकृत नमक के 12.00 लाख टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 16.87 लाख टन आयोडीकृत नमक का उत्पादन किया गया और इसे देश के स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में सप्लाई किया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गलगंड सेल की स्थापना करने, गलगंड शिक्षा एवं प्रचार सर्वेक्षण आदि के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिकों और कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवा निवृति योजना

584. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों की ऐच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभागीय उपक्रमों में या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृति के लिए सरकार ने कोई सामान्य योजना नहीं बनाई है। तथापि, हिन्दुस्तान स्टील कन्सट्रक्शन लि० (एच० एस० सी० एल०), भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (भा० ई० प्रा० लि०) जैसे व्यक्तिगत सरकारी उपक्रमों की स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजनाएं हैं ताकि अतिरिक्त श्रमिकों को कम किया जा सके।

कैंसर के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन सहयोग

585. **श्री परस राम भारद्वाज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कैंसर के इलाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए भारत और ब्रिटेन के संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से किए जा रहे चिकित्सा अनुसंधान कैंसर के लिए एक मुख्य क्षेत्र है; और

(ख) यदि हां, तो देश में कैंसर के इलाज के लिए ब्रिटेन द्वारा दिए गए सहयोग के संबंध में क्या ब्यौरा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) संयुक्त चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए कैंसर भारत और यू० के० के बीच सहयोग के अनेक क्षेत्रों में से एक है ।

(ख) गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद को 456,400 पौंड की सहायता प्राप्त हुई है जिसमें उपकरणों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का खर्च शामिल है । महदी नवाज जंग अस्पताल, हैदराबाद को 170,960 पौंड अनुमानित कीमत की एक नई हाई डोज रेट सेलेक्ट्रोन मशीन देने का प्रस्ताव है । भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के अधीन कार्यरत साइटोलॉजी अनुसंधान केन्द्र एक परियोजना चलाना चाहता है जिसका उद्देश्य गर्भाशयग्रीवा का कैंसर होने में मानव पैपीलोमा वायरस की भूमिका का पता लगाना है । इस परियोजना के अधीन ब्रिटिश सहयोग में डी० एन० ए० हाइब्रिडाइजशन तकनीकों की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और उपकरणों आदि के माध्यम से मानव अनुसंधान विकास शामिल होगा ।

साहेबगंज लूपलाइन पर और अधिक रेल गाड़ियां चलाना

586. **श्री गदाधर साहा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहेबगंज लूपलाइन पर प्रति दिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन पर कुछ और अधिक रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस लाइन पर रेल सेवा में सुधार करने तथा यात्रियों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) साहिबगंज लूप के रवाना-बड़हरवा तथा क्यूल-बड़हरवा खण्डों पर क्रमशः 18 तथा 15 जोड़ी दैनिक यात्री गाड़ियां चल रही हैं । इनके अतिरिक्त, ऐसी चार गाड़ियां साप्ताहिक/सप्ताह में तीन दिन/सप्ताह में चार दिन के आधार पर चल रही हैं ।

(ख) इस समय लाइन क्षमता की भारी तंगी के कारण इस खण्ड पर और अधिक गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) और (घ) यात्री सुविधाओं की व्यवस्था/बढ़ोत्तरी स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं के अनुरूप की जाती है बशर्ते कि धन उपलब्ध होता रहे।

"इंडियन वर्कर्स टेल आफ वो इन इराक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

587. **श्री आर०एम०भोये** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जून, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडियन वर्कर्स आफ वो इन इराक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 32 भारतीय मजदूरों का एक दल अत्यन्त दयनीय स्थिति में फंसा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से अधिकांश मजदूर अपनी जीविका के लिये विभिन्न गैर सरकारी कंपनियों में कुली, नलसाज तथा हैल्पर का काम करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) जी, हां, 32 मजदूरों के देश प्रत्यावर्तन के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मजदूरों के तुरन्त देश प्रत्यावर्तन के लिए भारतीय मिशन इराक के माध्यम से इराक सरकार के साथ मामले में जोरदार कार्रवाई की जा रही है।

पश्चिम विहार से झुग्गियों को हटाना

588. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री पश्चिम विहार से झुग्गियों को हटाने के बारे में 28 मार्च, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 486 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीति के रूप में यह सिद्धान्त अपनाया है कि वैकल्पिक स्थान उपलब्ध होने पर ही झुग्गियों को हटाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1988 में बिना वैकल्पिक स्थान दिए दुकानों को हटाने, आवंटित स्थलों को रद्द करने के क्या कारण हैं; और

(ग) बेदखल किए गए लोगों को वैकल्पिक स्थान कब तक दिए जाएंगे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन झुग्गी निवासियों को हटाने से पहले वैकल्पिक स्थलों की पेशकश की जाती है, जिनके पास सार्वजनिक भूमि पर अनधिवासिता के राशन कार्ड आदि जैसे प्रमाण हैं।

(ख) पश्चिमपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कोयला डिपो के आवन्टी द्वारा 10 दुकानों का अनधिकृत निर्माण किया गया था और इस प्रकार के हाल ही के वाणिज्यिक अतिक्रमण के लिए कोई वैकल्पिक स्थल नहीं दिए जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बेलरी-हास्पेट क्षेत्र, (कर्नाटक) के खान मालिकों से उपकर की वसूली

589. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कल्याण विभाग कर्नाटक राज्य में बेलरी हास्पेट क्षेत्र के खान मालिकों से श्रम कल्याण उपकर कक्ष के अधीन भारी धनराशि की वसूली कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अब तक विशेषकर खान मजदूरों से कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(ग) खान मजदूरों को अब तक मुहैया कराये गये लाभों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 में व्यवस्था है कि लौह/मैंगनीज/क्रोम अयस्क के मामले में संबंधित खनन क्रियाकलापों में नियोजित कर्मकारों को कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपकर तथा उपकर व निर्यात शुल्क लगाया जाय। उपकर खनिजों का प्रयोग करने वाले कारखाना मालिकों और अधिष्ठाताओं से न कि खान कर्मकारों से एकत्र किया जाता है।

(ग) बेलरी-हास्पेट क्षेत्र के खान कर्मकारों को उपलब्ध कराई गई कल्याण योजनाओं तथा लाभों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

खान कर्मकारों को दिए गए लाभों के ब्यौरे :

1. निम्नलिखित अस्पतालों तथा औषधालयों में निशुःल्क चिकित्सीय इलाज किया जाता है :

(क) केन्द्रीय अस्पताल, करीगानूर, हास्पेट के नजदीक, जिला बेलरी

(ख) स्थिर-एवं-चलता फिरता औषधालय, बेलरी

(ग) स्थिर-एवं-चलता-फिरता औषधालय, संदूर, जिला बेलरी

(घ) चलता-फिरता चिकित्सालय एकक, करीगानूर, हास्पेट के नजदीक, जिला बेलरी।

2. *निम्नलिखित योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता दी गई :*

योजना का नाम	लाभानुभोगियों की संख्या
(क) घातक और गंभीर दुर्घटना लाभ योजना	35
(ख) क्षय रोगियों के लिए गृहोपचार	17

(ग) खान प्रबंधतंत्रों को खान कर्मकारों के लिए स्थापित अपने अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए सहायता अनुदान दिया गया है।

3. **आवास** : मंजूर किए गए तथा पूरे किए गए मकानों के ब्यौरे :

योजना का नाम	मंजूर किए गए मकान	पूरे किए गए मकान
(क) नई आवास योजना	1,117	1,095
(ख) टाइप-II आवास योजना	584	484
(ग) टाइप-I आवास योजना	967	681

4. जल आपूर्ति योजनाओं तथा कुएं खोदने के लिए खान प्रबंधतंत्रों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अब तक किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :

योजना का नाम	स्वीकृत	पूरे किए गए
(क) जल आपूर्ति योजना	12	12
(ख) खुले कुएं	5	5
(ग) ट्यूब वैल	8	8

5. खान कर्मकारों के पांचवी और इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों को छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	लाभानुभोगियों की संख्या	स्वीकृत राशि
1985-86	725	1.77 लाख रुपये
1986-87	929	2.27 लाख रुपये
1987-88	1,178	3.65 लाख रुपये

6. खान कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बालकों को लाने ले जाने के लिए स्कूल बस खरीदने के लिए खान प्रबंधतंत्रों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

7. खान प्रबंधतंत्रों को चलते फिरते सिनेमा एककों, रेडियो सैट तथा 16 एम एम प्रोजेक्टरों की सप्लाई करके मनोरंजन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

पश्चिम बंगाल को खाद्य तेलों की सप्लाई

590. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तुरन्त खाद्य तेल भेजने का अनुरोध किया है क्योंकि केन्द्रीय पूल से खाद्य तेलों की सप्लाई न हो पाने से वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति नाजुक है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस समय खाद्य तेलों की कितनी मात्रा में सप्लाई की जाती है और आगामी त्यौहार के महीनों में कितनी मात्रा उपलब्ध कराने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार को लिखा था। राज्य को की जाने वाली आपूर्ति में, राज्य को आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेलों की सर्विस करने में आई अनेक समस्याओं के कारण, आंशिक रूप से व्यवधान आया था। इन समस्याओं को, राज्य सरकार को निजी परिष्कारकों (रिफाइनर्स) का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करके, राज्य व्यापार निगम को सड़क परिवहन का इस्तेमाल करने का निर्देश देकर तथा छोटे पैकों की कुछ मात्रा, जिसकी हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स द्वारा सर्विस नहीं की जा सकी, के आबंटन को 15 कि. ग्रा. के टीनों के आबंटन में बदलकर अब दूर कर दिया गया है।

(ग) जुलाई, 1988 के दौरान पश्चिम बंगाल को खाद्य तेलों की कुल 9000 मी. टन मात्रा आबंटित की गई। तेल वर्ष के बाकी के महीनों के लिए आबंटन इनकी मांग तथा खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्य और अन्य संबंधित बातों के आधार पर किए जाएंगे। त्यौहार के मौसमों के दौरान आबंटन आमतौर पर अधिक मात्रा में किया जाता है।

"वुमैन बीड़ी वर्कर्स डिनाईड बेनिफिट्स" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

591. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1988 के एक अंग्रेजी समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वुमैन बीड़ी वर्कर्स डिनाईड बेनिफिट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जहां तक बीड़ी बनाने का संबंध है बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम 1970 आदि के प्रावधानों को लागू करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है।

विवरण

स्वनियोजित महिलाओं तथा अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट पर आधारित समाचार में महिला बीड़ी कर्मकारों के बारे में निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियां की गई हैं :

1. देश में कृषि के बाद बीड़ी और तम्बाकू संसाधन उद्योग में सबसे अधिक महिला कर्मकार नियोजित हैं।

2. महिला बीड़ी कर्मकारों को उप ठेकेदारों, जो स्वयं बड़े ठेकेदारों द्वारा लगाए जाते हैं, द्वारा नियोजित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप बीड़ी कर्मकारों को उनकी वजह से कानून के अनुसार लाभ नहीं दिए जाते हैं।

3. महिला कर्मकारों को प्रत्येक राज्य में निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी अदा की जाती है।

4. कर्मकारों को दिया जाने वाला कच्चा माल अपेक्षित भार से कम है जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी कर्मकारों को उत्पादन की कमी अपनी मजदूरी से पूरी करनी पड़ती है।

5. बहुत अधिक अनुपात में अर्थात् 5 से 20 प्रतिशत तैयार बीड़ी खराब मान कर रद्द कर दी जाती हैं।

6. महिलाएं दो या तीन नियोक्ताओं के पास कार्य करती हैं परन्तु वेतन लेते समय उनसे कहीं हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं।

7. भविष्य निधि अंशदान की कटौती की जाती है परन्तु कोई रसीद नहीं दी जाती है।

8. अधिकतम महिला बीड़ी कर्मकार घर पर कार्य करती हैं।

9. बीड़ी कर्मकारों के लिए स्थापित की जाने वाली सहकारी समितियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

कलकत्ता में ऊपरी पुल

[अनुवाद]

592. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में बन्देल गेट और लेक गार्डन के ऊपरि पुलों के निर्माण कार्य के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक इन स्थलों पर ऊपरी-सड़क-पुलों के निर्माणार्थ ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में जल की खपत

593. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में जल की प्रतिदिन औसत खपत कितनी है;

(ख) बिना मीटर के आधार पर सप्लाई किए गए जल का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार को सरकारी कालोनियों में बिना मीटर के जल की पूर्ति करने से जल के भारी मात्रा में होने वाले अपव्यय की जानकारी है; और

(घ) पानी के अपव्यय को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औसतन 280-290 लाख गैलन प्रतिदिन

(ख) लगभग 2 प्रतिशत

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई भारी मात्रा में अपव्यय नहीं है।

(घ) जहां तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, वहां बिना मीटर पानी की सप्लाई को धीरे-धीरे मीटर से पानी की सप्लाई की जा रही है।

परवाना सहकारी आवास निर्माण समिति का चुनाव

594. **श्री शरद दिघे :** क्या शहरी विकास मंत्री परवाना सहकारी आवास निर्माण समिति के चुनाव के बारे में 7 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या, 1806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का चुनाव करवाने की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और यदि हां, तो इसके लिए क्या कोई तारीख निश्चित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो चुनाव न करवाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए नए प्रशासक ने अपने पूर्वाधिकारी से सोसाइटी से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का अधिग्रहण कर लिया है; यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नही।

(ख) से (घ) फरवरी, 1988 में नियुक्त किए गए प्रशासक दस्तावेजों के अभाव में प्रबन्ध समिति के चुनाव नहीं करा सके। इसके अलावा, न्यायालय ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

इण्डियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षु तकनीशियनों की भर्ती

595. **श्रीमती उषा ठक्कर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षु तकनीशियनों की भर्ती के लिए नवम्बर, 1987 में अनेक लिखित परिक्षाएं आयोजित की थीं और साक्षात्कार लिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या चुने गए उम्मीदवारों में कोई पैनल बनाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक विषय के प्रशिक्षु तकनीशियनों के पैनल में कितने उम्मीदवार रखे गए हैं;

(घ) क्या चुने गए उम्मीदवारों को निकट भविष्य में नियुक्त किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो किस तारीख तक नियुक्त किए जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स के उत्तरी क्षेत्र ने 6. 9. 1987 को विभिन्न ट्रैडों में प्रशिक्षु तकनीशियनों के

पद के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी तथा 23 और 30 नवम्बर, 1987 के बीच सम्पन्न उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया।

(ख) जी, हाँ।

(ग) ट्रैड-वार पैनल में रखे गए इस प्रकार के उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

सामान्य ट्रैड	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन० जाति
गैट०/ए०/सी० ओ/एच/इंजिन	41	2	—
विद्युत ट्रैड	27	—	—
रेडियो ट्रैड	03	—	—
उपस्कर ट्रैड	04	—	—

(घ) और (ङ) उपरोक्त में से, अब तक 8 सामान्य और 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। पैनल में बचे शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। ये पैनल 8. 5. 90 तक वैद्य हैं।

कानपुर में रेलवे टिकटों के आरक्षण में तथाकथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

596. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी होने की कितनी घटनाओं का पता चला है;

(ख) सरकार ने रेलवे कुलियों की मिलीभगत से स्थानीय रेलवे कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले आरक्षण सम्बन्धी घपलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार ने सम्बन्धित रेलवे कर्मचारियों तथा कुलियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1987-88 के दौरान कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन पर आरक्षण में अनियमितता/कदाचार के 12 मामले पकड़े गए थे।

(ख) निरन्तर अचानक जांच की जा रही है और असामाजिक तत्वों और कतिपय भारिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) जी हां।

(घ) अनियमितताओं में लिप्त पाये गए नौ रेल कर्मचारियों में से पांच के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है और दो के विरुद्ध अपेक्षित है। दो कर्मचारियों का कानपुर से स्थानान्तरण कर दिया गया था। कदाचार में लिप्त पाये गए लाइसेन्सधारी तीन भारीकों में से, एक राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया गया था और अन्य दो के अस्थायी रूप से बैज ले लिए गए थे।

मोती बाग के क्वार्टरों के बरामदों में शीशा लगाना

[अनुवाद]

597. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार के अनुदेश जारी किए हैं कि आवंटिती के अनुरोध पर सरकारी क्वार्टरों के इमारती ढांचे में कोई निर्माण/परिवर्तन न किया जाए, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किस प्रकार के निर्माण/परिवर्तन को इमारती ढांचे में माना गया है जिनके लिए ये अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या इन अनुदेशों की सीमा के अन्दर मोती बाग-एक, नई दिल्ली के टाइप-दो क्वार्टरों के पीछे के बरामदों में शीशा लगाना भी आता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन क्वार्टरों के बरामदों में शीशा न लगाने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के रिहायशी क्वार्टरों की लाइसेन्स फीस की दर को संशोधित करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में ये अनुदेश जारी किए गए थे। वेतन आयोग की सिफारिश यह थी कि आवंटित वास के टाइप को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्स फीस एक समान दर पर निर्धारित की जाए तथा यह सम्पूर्ण भारत में एक रूप से लागू हों तथा इसे आवंटी के वेतन की प्रतिशतता के आधार पर नहीं माना जाए।

(ख) और (ग) संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक स्वरूप में परिवर्धन/परिवर्तन के वर्गीकरण के प्रश्न विचाराधीन है तथा आगे और अनुदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

(घ) सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए सरकार के अनुदेशों के कारण मोती बाग के क्वार्टरों के बरामदों में शीशे नहीं लगाये जा रहे हैं जिनमें आवंटियों की व्यक्तिगत पसन्द को पूरा करने के लिए विद्यमान फर्शों, दिवारों पैनल बनाने आदि में किसी प्रकार के सुधार पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है ।

भोपाल और इन्दौर में इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों क आगमन/प्रस्थान में बिलम्ब

598. **श्री सुभाष यादव :**

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल और इंदौर हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में अधिकतर देरी हो जाती है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान उपरोक्त हवाई अड्डों से कितनी बार उड़ानों में देरी हुई थी;

(ग) तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(घ) इन उड़ानों को समय पर चलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जनवरी, 1988 से जून, 1988 की अवधि के दौरान कुल 602 उड़ानें (38.42%) अर्थात् एक्स भोपाल और एक्स-इन्दौर से क्रमशः 352 और 250 उड़ानों में देरी हुई/उड़ानें रद्द कर दी गईं । उपरोक्त में से 90% देरी/रद्द की गई उड़ानें परिणामी कारणों से हुई जो कि प्रारम्भिक देरियों के कारण होती है । चूंकि एक विमान दिन में कई उड़ानों का परिचालन करता है और किसी एक उड़ान में देरी होने से उसके बाद की उस दिन विमान द्वारा परिचालित सभी उड़ानों में देरी हो जाती है ।

(घ) दो उड़ानों के बीच के समय में पर्याप्त वृद्धि करने में परिणामी देरियों में कमी आ सकती है । तथापि इस समय इंडियन एयरलाइन्स में विमानों की अत्यधिक कमी के कारण उड़ानों के बीच पर्याप्त वृद्धि करना सम्भव नहीं है । इंडियन एयरलान्स द्वारा निकट भविष्य में विमानों को लीज पर लेने या उनकी खरीद के पश्चात् स्थिति में सुधार आ सकेगा ।

समुद्र के किनारे होटल के निर्माण के लिए सीमा सम्बन्धी छूट प्रदान करना

599. **श्री गुरुदास कामत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्र के किनारे होटल बनाने के लिए छूट प्रदान कर क्षेत्रों में सीमा 500 मीटर से घटाकर 200 मीटर करने का निर्णय लिया है;

(ख) सीमा सम्बन्धी यह छूट देने के क्या कारण हैं; और

(ग) कतिपय चुने हुए इलाके में ही छूट प्रदान करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यावरण सम्बन्धी समग्र महत्व को ध्यान में रखते हुए, समुद्रतट पर होटलों का निर्माण करने के लिए प्रत्येक मामले के गुणों पर निर्भर रहते हुए कुछ क्षेत्रों में 500 मीटर सीमा में छूट देकर 200 मीटर करने के प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ख) अन्य देशों में ऐसे लोकप्रिय समुद्रतट होटलों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए जो सामान्यतः समुद्रतट के अधिक निकट हैं।

(ग) फिलहाल यह छूट केवल उन्हीं समुद्रतटों तक सीमित है जो विदेशी पर्यटकों में अधिक लोकप्रिय हैं।

परिवार कल्याण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति

600. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वीकृत पैटर्न की योजनाओं के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर राज्यों द्वारा किए गए कुल व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके कार्य-निष्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान सुधार हुआ है तथा जिन्होंने अधिक धन-राशि खर्च की है और केन्दीय सरकार से प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त की है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार इन राज्यों को कितनी धनराशि दी गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित शीर्षों/स्कीमों के अन्तर्गत सहायता दी जाती है :—

(1) निर्देशन और प्रशासन

(2) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

(3) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं

(4) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य

(5) परिवहन

(6) मुआवजा

(7) जन शिक्षा और प्रचार

(8) प्रशिक्षण, अनुसंधान और सांख्यिकी

(9) क्षेत्रीय परियोजनाएं

(10) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना

(11) अन्य सेवाएं और सामग्री (इसमें प्रसवोत्तर कार्यक्रम, पुरस्कार, आदि शामिल हैं)।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार द्वारा उसको दी गई राशि से अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। तथापि महाराष्ट्र सरकार को उसके द्वारा 81-82 से 84-85 के दौरान अधिक व्यय करने के फलस्वरूप 9.13 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में परिवार कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन

601. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण योजनाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार को किए गए केन्द्रीय आवंटन का ब्यौरा क्या है,

(ख) किन विभिन्न मदों में राशि दी गई थी;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रति-वर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया और क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए;

(घ) क्या राज्य सरकार ने वर्ष 1988 और 1989 के लिए आवंटन में वृद्धि करने का आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 34.44 करोड़ रुपये, 37.11 करोड़ रुपये और 42.13 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया था।

(ख) राज्य सरकारों को निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत राशि दी गई थी :—

(1) निर्देशन और प्रशासन

(2) ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

(3) शहरी परिवार कल्याण सेवाएं

(4) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य

(5) परिवहन

(6) मुआवजा

(7) जन शिक्षा और प्रचार

(8) प्रशिक्षण, अनुसंधान और सांख्यिकी

(9) क्षेत्रीय परियोजनाएं

(10) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना

(11) अन्य सेवाएं और सामग्री (इसमें प्रसवोत्तर कार्यक्रम के पुरस्कार और सामग्री आदि शामिल हैं।)

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान आवंटन में वृद्धि करने के बारे में राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में धन राशि के उपयोग से संबंधित ब्यौरा :

(लाख रुपये)

वर्ष	दी गई राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय
1985-86	4255.39	3992.20
1986-87	4245.14	4701.75
1987-88	5063.78*	5398.86

*इसमें वर्ष 1981-82 से 1984-85 तक 912-89 लाख रुपये का वकाया भी शामिल हैं

महाराष्ट्र राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	नसवंदी		आई० यू० डी०		प्रचलित गर्भ निरोध के उपयोगकर्ता		खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1985-86	565,000	556,090	600,000	417,182	600,000	562,119	148,000	172,586
1986-87	570,000	555,353	650,000	420,841	700,000	733,719	203,000	212,334
1987-88	570,000	444,398*	525,000	376,973*	850,000	719,447*	217,000	246,541

* आंकड़े अनन्तिम

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की हालत में सुधार

602. **श्री विष्णु मोदी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 18 जून, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नासिएटिंग स्टेट आफ अफेयर्स एट आई० एस० बी० टी०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अधिकारियों के अड़ियल रवैये के विरुद्ध कथित आरोपों की कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की हालत सुधारने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है और अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, हां, हिन्दुस्तान टाइम्स में दिए गए लेख में बताये गए आरोपों की जांच करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का दौरा किया। उन्होंने अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के महाप्रबन्धक को एक महीने के भीतर सामान्य स्वच्छता में सुधार करने को कहा। दिल्ली विकास प्राधिकरण का सामान्य स्वच्छता और भीड़-भाड़ को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव है :

(1) प्रस्थान ब्लाक में सौन्दर्यपरक निर्मित टिकट खिड़कियों की पुनर्स्थापना और पुर्नविकास।

(2) यात्रियों के आवागमन के लिए आरक्षित क्षेत्र निर्धारित करना।

(3) कम दूरी की अन्तर्राज्यीय सेवाओं के लिए टर्मिनल-II को विकसित करके भीड़-भाड़ को कम करना।

(4) यात्रियों की सुविधा के लिए परिचालन क्षेत्र में वृद्धि हेतु परिचालन क्षेत्र में पड़ने वाले आगमन ब्लाक में संरचनाओं को हटाना चाहे कुछ सीमा तक इससे अन्तर्राज्यीय बस अड्डे की आय में कमी आ जाए।

(5) बिजली गुल होने की आकस्मिकता की पूर्ति के लिए एक जैनरेटिंग सैट की अलग से व्यवस्था करना।

खाद्य तेलों की नई मूल्य निर्धारण नीति

603. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने और उनका आयात कम करने हेतु खाद्य तेलों की नई

मूल्य निर्धारण नीति सरकार के सक्रिय विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) देशी खाद्य तेलों के मूल्य-निर्धारण पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं है । तथापि, आयातित खाद्य तेलों के मूल्य सरकार द्वारा विनियमित किए जाते हैं। ये मूल्य बहुत से घटकों, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्य, खुले बाजार में चल रहे देशी खाद्य तेलों के मूल्य, तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर निकाले गए खाद्य तेलों के मूल्य तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर नियत किये जाते हैं । मूल्य-निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि उससे तिलहनों के देशी उत्पादन पर हतोत्साहक प्रभाव न पड़े ।

पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से उत्तर प्रदेश को सहायता

[हिन्दी]

604. **श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश से जल निगम की पेयजल परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक की सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक प्रस्ताव किस तारिख को प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, किच्छा, काशीपुर शहरों के लिए पेयजल सप्लाई योजनाओं हेतु सहायता संबंधी अनुरोध सम्मिलित हैं;

(घ) यदि हां, तो इन सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । इसके अलावा, विश्व बैंक द्वारा सहायतित एक उत्तर प्रदेश शहरी विकास तथा जलपूर्ति परियोजना चल रही है ।

(ख) वित्त मंत्रालय के माध्यम से 15.7.88 को निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) देहरादून जलपूर्ति

(2) मसूरी जलपूर्ति

(3) अल्मोड़ा जलपूर्ति तथा मलनिर्यास

(4) नैनीताल जलपूर्ति तथा मल निर्यास

(5) हलद्वानी जलपूर्ति तथा मल नियार्स, और

(6) झांसी—बबीना जलपूर्ति

(ग) इन प्रस्तावों में अल्मोड़ा के लिए पेयजलपूर्ति योजना शामिल है।

(घ) इस समय कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

केरल में पेय जल परियोजनाओं के लिए सहायता

[अनुवाद]

605. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितनी पेयजल परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है; और

(ख) अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केरल जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना के अन्तर्गत, वहां सात पेयजल आपूर्ति उप-परियोजनाएं हैं, जिनके लिए विश्व बैंक सहायता मिल रही है।

(ख) केरल जल प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अब तक दी गई कुल सहायता 4.83 मिलियन एस० डी० आर० है।

मयूर विहार फेज-2 में सब-स्टेशन स्थल को डेसू को सुपुर्द किया जाना

606. **श्री के० एन० प्रधान** :

श्री प्रताप भानु शर्मा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मयूर विहार, फेज-2 में सब-स्टेशन स्थल की सुपुर्दगी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) वह स्थल दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कब तक सुपुर्द कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मयूर विहार, चरण-II में 11 के. वी. सब-स्टेशनों के लिये दो स्थलों तथा

66 के. वी. सब-स्टेशन के लिए एक स्थल को क्रमशः 18.9.1987 तथा 13.11.87 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सौंप दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मुजफ्फर नगर (उत्तर प्रदेश) में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले अस्पताल और औषधालय

[हिन्दी]

607. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कुल कितने अस्पताल तथा औषधालय हैं;

(ख) क्या दिल्ली के अस्पतालों/औषधालयों की तरह इन अस्पतालों तथा औषधालयों में सभी सुविधाएं तथा महंगी दवायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इन औषधालयों/अस्पतालों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर जिले में कोई केन्द्रीय सरकारी अस्पताल/औषधालय नहीं खोला गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एड्स की रोकथाम के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सुझाव

[अनुवाद]

608. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एड्स की रोकथाम के लिए क्या कोई उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों का अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) से (घ) एच. आई. वी. संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के परामर्श से निम्नलिखित नियंत्रण उपाय किए गए हैं:—

— अत्यधिक खतरे वाले वर्ग के लोगों में, जिनमें वेश्याएं और यौन संचारित रोगों से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं सोरम के द्वारा एच. आई. वी. संक्रमण का पता लगाने के लिए देशभर में संदर्भ निगरानी केन्द्रों का एक जाल सा बिछाया जा रहा है।

— सोरम-पाजिटिव व्यक्तियों के इलाज के बारे में और इन व्यक्तियों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

— जन प्रचार माध्यमों के जरिए सामुदायिक जागरुकता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज कर दिया गया है।

— भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले सभी विदेशी छात्रों की एच. आई. वी. प्रतिपिण्डों के लिए जांच की जाती है और केवल उन्हीं छात्रों को दाखिला दिया जाता है जिनका सीरम नेगेटिव हो।

— राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि वे अत्यधिक खतरे वाले वर्गों के लोगों की, जिनमें रक्तदाता आदि भी शामिल हैं, एच. आई. वी. प्रतिपिण्डों के संबंध में जांच करें।

— एड्स क्लोयरेंस प्रमाण पत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

—राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि या तो जहां तक संभव हो पूर्व-निर्जीवाणुकृत डिस्पोजेबल सिरिंजों का प्रयोग हो अथवा निर्जीवाणुकरण पद्धतियों का कड़ाई से पालन किया जाए।

हवाई अड्डों पर आधुनिकतम विमान संचालन संबंधी उपकरणों, संचार उपकरणों की व्यवस्था करना

609. **श्री वाई०एस० महाजन :** क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश हवाई अड्डों पर आधुनिकतम विमान संचालन संबंधी उपकरण, संचार उपकरण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उपकरण तथा सुविधायें उपलब्ध करने के लिए बनाये गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुमानित लागत आयेगी और वित्तीय संसाधन कहां तक जुटाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) देश के हवाई अड्डों पर दिकचालन, संचार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संघ के मानकों के अनुरूप हैं। हवाई अड्डों पर संचार और दिक्चालन सुविधाओं का लगातार आधुनिकीकरण या तो पुरानी तकनीक के उपस्कर बदलकर या नयी सुविधाओं की व्यवस्था करके किया जाता है।

समुद्र तट पर कोणार्क होते हुए गोपालपुर तक मैरिन ड्राइव का निर्माण

610. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेष कर पुरी जिले में पर्यटन के विकास के लिए समुद्र तट पर कोणार्क होते हुए गोपालपुर तक एक मैरिन ड्राइव के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई विचार विनिमय हुआ है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को कोणार्क से गोपालपुर तक एक मैरिन ड्राइव का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु न तो उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही मैरिन ड्राइव मंत्रालय की एक अनुमोदित प्लान स्कीम है।

(ख) राज्य सरकार ने राज्य सेक्टर के अन्तर्गत परियोजना प्रारम्भ की है और इस मंत्रालय ने इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करना सुनिश्चित करने की जरूरत पर राज्य सरकार से बल देकर कहा है।

ओसमानाबाद और बम्बई के बीच वायुदूत सेवा

611. **श्री अरविंद तुलसी काम्बले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओसमानाबाद और बम्बई के बीच शोलापुर होकर वायुदूत सेवा आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब से शुरू की जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) यद्यपि इस समय शोलापुर से होकर उस्मानाबाद और बम्बई के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उस्मानाबाद उन स्टेशनों की अनुमोदित सूची में नहीं है जिन्हें चालू पंचवर्षीय योजना अवधि में वायुदूत द्वारा जोड़ा जाना है लेकिन विमानक्षमता की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं के विकास और परिचालनों को आर्थिक सक्षमता के आधार पर ऐसी सेवा उपलब्ध कराये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक/तमिलनाडु में मकानों के निर्माण हेतु हुडको की वित्त प्रदान करने की नीति

612. **श्री जी० एस० बसवराजु :**
श्री एस० बी० सिदनाल :
श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में मकानों के निर्माण हेतु वित्त प्रदान करने के लिए कोई नीति मंजूरी की है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इसके अतिरिक्त हुडको इन प्रत्येक राज्य में छः हजार मकान बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से ऋण देने पर भी सहमत हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इन मकानों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा तथा ऋण वसूली का तरीका क्या होगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) निर्धारित मार्ग निर्देशनों के अनुसार विभिन्न आवास तथा शहरी विकास योजनाओं के लिए सम्पूर्ण देश में विभिन्न पात्र अभिकरणों को हुडको ऋण सहायता देता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, हुडको विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर ऋण नियतन के बारे में सूचित करता है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लिए कोई विशिष्ट योजना अनुमोदित नहीं की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लिए ऋण नियतन तथा 30.6.88 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत राशि नीचे दी गई है :

राज्य	ऋण नियतन 1988-89	30.6.88 की स्थिति के अनुसार मंजूरी
	(करोड़ रुपयों में)	
कर्नाटक	25.83	6.90
तमिलनाडु	37.80	8.74

(ग) 6000 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हुडको लोगों को सीधे ऋण सहायता नहीं देता है लेकिन यह केवल आवास अभिकरणों के माध्यम से देता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेलों के लिये बाजार नियंत्रण नीति

613. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक "साइक्लिक बाजार नियंत्रण नीति" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह नीति मूंगफली उत्पादकों के लिए अलाभदायक सिद्ध होगी;

(ग) यदि हां, तो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (घ) खाद्य तेलों का आयात देश में खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों की अधिकांश मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तन्त्र के जरिए उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। कमी के तथा पुराना माल बाहर निकालने के मौसम के दौरान खुले बाजार में खाद्य तेलों की उपलभ्यता तथा उनके मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों की निर्मुक्ति को इस प्रकार से विनियमित किया जाता है कि यह खुले बाजार में खाद्य तेलों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में एक बाजार-दखल उपाय के रूप में कार्य करे। इसके साथ ही साथ किसानों के हितों का भी यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है कि खुले बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य तिलहनों के लिए समर्थन मूल्य स्तर के आधार पर निकाले गए मूल्य से अधिक रहें, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें।

माल भाड़ा कम्प्यूटरीकरण योजना

614. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** :

श्री शांताराम नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की माल-भाड़ा कम्प्यूटरीकरण योजना को अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने भी इसे मंजूरी दे दी है; और

(ग) इस पर कुल कितनी राशि का निवेश करने का विचार है और यह कार्यक्रम कितने चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) माल गाड़ी परिचालन सूचना प्रणाली एक अनुमोदित कार्य है। इस समय योजना आयोग के परामर्श से इस परियोजना की पुनरीक्षा की जा रही है। इस पुनरीक्षा के बाद परियोजना पर किये जाने वाले निवेश और चरणों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

चावल और गेहूं का आयात

615. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

श्री प्रकाश बी० पाटिल :

श्री राम पूजन पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान आयात किए जाने वाले चावल और गेहूं की नवीनतम अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) 1 अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार चावल और गेहूं का अनुमानित भंडार कितना था;

(ग) चालू वर्ष के दौरान दोनों वस्तुओं का अनुमानित उत्पादन कितना होगा;

(घ) चालू वर्ष के दौरान इनकी अनुमानित खपत कितनी होगी;

(ङ) कितना सुरक्षित भंडार बनाए रखने का विचार है; और

(च) आयातित गेहूं और चावल की अनुमानित भाड़ा सहित लागत कितनी होगी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सरकार ने 1988-89 के दौरान 20 लाख मीटरी टन गेहूं और 7 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है और आवश्यकता पड़ने पर और मात्रा का आयात भी कर सकती है।

(ख) पहली अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं का अनुमानित स्टाक क्रमशः 59.1 लाख मीटरी टन और 33.4 लाख मीटरी टन था।

(ग) 1987-88 के दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अन्तिम अनुमान के अनुसार क्रमशः 557.8 लाख टन और 446.2 लाख मीटरी टन है।

(घ) क्योंकि खाद्यान्नों की खपत कई तथ्यों पर निर्भर करती है जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि, आय के स्तर, प्रतिस्थापन योग्य खाद्य वस्तुओं के दाम आदि, इसलिए चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों की खपत के सही-सही अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं।

(ङ) सरकार की मौजूदा बफर स्टाक की नीति में यह व्यवस्था है कि वर्ष में भिन्न-भिन्न समय पर सरकारी एजेंसियों के पास गेहूं और चावल का कुल स्टाक 165 लाख मीटरी टन और 214 लाख मीटरी टन के बीच होना चाहिए।

(च) आयातित गेहूं और चावल की औसत उतरान लागत क्रमशः लगभग 2620 रुपये और 4253 रुपये प्रति मीटरी टन आंकी गई है।

युवा पीढ़ी में दिल के दौरों की घटनाएं

616. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा पीढ़ी में दिल के दौरों की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(ग) युवा पीढ़ी को इस बीमारी से बचाने के क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों मे दिल के दौरे की अत्याधिक बारम्बारता देखी गई है।

(ख) समस्त देश के आयुवार सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार इसके जोखिम के कारणों के बारे में जानकारी उत्पन्न करने और इन जोखिमों से बचाव करने के लिए जन-प्रचार के माध्यमों से हर कोशिश कर रही है, जो तम्बाकू अल्कोहल, उच्च रक्त चाप, मधुमेह, अतिवसारक्ती स्थूलता और शारीरिक श्रम आदि हैं।

खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डार

617. **श्री आनन्द पाठक :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घट रहे सुरक्षित भंडार की भरपाई के लिए दस लाख टन गेहूं का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 के अन्त में कुल कितना सुरक्षित भंडार था और वर्ष 1987 में यह कितना घट गया;

(ग) मार्च, 1988 के मध्य में क्या स्थिति थी और खाद्यान्न का आयात करने से सुरक्षित भंडार को अपेक्षित स्तर तक लाने में कहां तक सहायता मिलेगी; और

(घ) सुरक्षित भंडार हेतु गेहूं का आयात करने के लिए कुल कितनी राशि व्यय की गई ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां। सरकार ने 20 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) 1986 के अंत में सरकारी एजेंसियों के पास खाद्यन्नों का स्टाक अनुमानतः 236.3 लाख मीटरी टन और 1987 के अन्त में 141.4 लाख मीटरी टन था।

(ग) मध्य मार्च, 1988 की खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति उपलब्ध नहीं है। तथापि, पहली अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार खाद्यान्नों का स्टाक अनुमानतः 94.3 लाख मीटर टन था। बफर स्टाक में आयातित मात्रा तक बढ़ोत्तरी हो जाएगी क्योंकि ये आयात केवल बफर स्टाक की भरपाई करने की दृष्टि से किए जा रहे हैं।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका से 20 लाख मीटर टन गेहूं की कुल जहाज पर निष्प्रभार लागत लगभग 2420 लाख अमरीकी डालर बैठेगी।

स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी शिक्षा आयोग

618. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी एक शिक्षा आयोग गठित करने की मांग है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो इस प्रस्तावित आयोग के मुख्य कार्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) आयुर्विज्ञान शिक्षा पुनरीक्षा समिति ने स्वास्थ्य विज्ञान पर शिक्षा आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ख) इस प्रस्ताव के विरुद्ध भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस आयोग के कार्यों के बारे में सरकार का विभिन्न व्यावसायिक संगठनों से परामर्श करने का विचार है।

उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय में कदाचार की शिकायत

619. **श्री सी० सम्बु :**

श्री मानिक रेड्डी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली में उत्प्रवासी संरक्षक के कार्यालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) जी, हां। उत्प्रवासी संरक्षक, नई दिल्ली को रिश्वत के रूप में धन देने के प्रस्ताव के सम्बंध में शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) सभी सम्बंधित अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है और मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा जाँच की जा रही है।

(घ) निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं :—

(1) सम्बन्धित स्टाफ को पूर्ण रूप से बदल दिया गया है।

(2) विद्यमान प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

(3) भावी उत्प्रवासियों को उत्प्रवास अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में व्यापक प्रचार करना।

(4) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उत्प्रवासी संरक्षी के कार्यालयों के अचानक निरीक्षण किए जाते हैं।

मांग की तुलना में खाद्य तेलों की उपलब्धता

620. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों की मांग की तुलना में उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या मांग और उपलब्धता में काफी बड़ा अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) तेल वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों की अनुमानित मांग तथा उसकी तुलना में उनकी उपलभ्यता क्रमशः 52 लाख मी० टन तथा 31 लाख मी० टन के लगभग होगी। सरकार मांग व आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए खाद्य तेलों का आयात करती है।

गुजरात में हड़तालें तथा तालाबन्दी

621. **श्री छीतू भाई गामित :**

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1 जनवरी, 1987 से 31 जुलाई, 1988 के दौरान विभिन्न उद्योगों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों इत्यादि में अनेक हड़ताल हुई और तालाबन्दी घोषित की गयीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इसके कारण कर्मचारियों तथा मालिकों को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार गुजरात में वर्ष 1987 और 1988 (जनवरी-अप्रैल) में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में हड़तालों, तालाबन्दियों की संख्या और मजदूरों की हानि के मूल्य और उत्पादन की हानि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह हड़तालें और तालाबन्दियां सामान्यतः मजदूरियों और भत्तों, कार्मिक और छंटनी से संबंधित मुद्दों के बारे में थीं।

विवरण

गुजरात में हड़तालों और तालाबन्दियों के बारे में ब्यौरे : (अनंतिम)

	(1987)		(1988) (जनवरी-अप्रैल)	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5
हड़तालें				
संख्या	18	179	5	53
मजदूरी की हानि का मूल्य (लाख रुपयों में)	7.90 (11)	191.86 (141)	0.01 (1)	29.22 (45)
उत्पादन की हानि का मूल्य (लाख रुपयों में)	25.50 (5)	4832.81 (137)	....	470.47 (39)

1	2	3	4	5
तालाबन्दियां				
संख्या	1	28	—	13
मजदूरी की हानि का मूल्य (लाख रु० में)	....	216.91 (19)	—	16.27 (9)
उत्पादन की हानि का मूल्य (लाख रु० में)	...	3690.89 (18)	—	348.60 (9)

( ) : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन मामलों की संख्या दर्शाते हैं जिससे प्रासंगिक सूचना सम्बन्धित है।

(—) : शून्य

(...) : सूचना उपलब्ध नहीं है।

विदेशियों के साथ भारतीय नागरिकों द्वारा यौनाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून

622. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री एच० एन० नंजे गौडा :

श्री आर० एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एड्स रोग के संक्रमण को रोकने के लिए विदेशी लोगों के साथ भारतीय नागरिकों द्वारा यौनाचार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई कानून बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में एड्स रोग के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (ग) देश में एड्स की रोकथाम के लिए कानून बनाना एक जटिल मामला है जिसमें केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर अनेक विभाग/एजेन्सियां शामिल हैं। जिन विषयों पर विचार किया जाना है; वे हैं : इस सम्बन्ध में बनाए जाने वाले कानून के संगठनात्मक, प्रशासनिक, विधिक, वित्तीय, सामाजिक और नीतिपरक निहितार्थ। मौजूदा कानून के अन्तर्गत इस रोग के अत्यधिक खतरे वाले लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवहार्यता की जांच करने तथा अलग से कानून बनाने के लिए विचार-विमर्श शुरू किया गया है।

(घ) देश में एड्स की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय बरते जा रहे हैं :—

(1) देश में एड्स नियन्त्रण कार्यों में तालमेल रखने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक सेल खोला गया है।

(2) अधिक जोखिम वाले वर्गों की जांच के लिए देश में 40 निगरानी केन्द्र खोले गए हैं।

(3) इन सभी केन्द्रों में नैदानिक अभिकर्मक उपलब्ध किए गए हैं और इनमें से अधिकांश केन्दों में उपकरण पैकेज भी उपलब्ध किए गए हैं।

(4) एड्स क्लीयरंस प्रमाणपत्र के बिना रक्त और रक्त उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(5) सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों/अस्पतालों/एस० टी० डी० क्लीनिकों को सजग रहने के लिए कहा गया है।

(6) सभी रक्त बैंकों को हिदायतें दी गई हैं कि वे व्यावसायिक रक्तदाताओं की स्क्रीनिंग करें।

(7) सभी स्वास्थ्य प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्पतालों और क्लीनिकों में विसंक्रमण प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें और जहां तक संभव हो पूर्व विसंक्रमित डिस्पोजेबल सिरिंजों और सूइयों का इस्तमाल करें।

(8) स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के लिए सभी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं।

(9) एड्स की प्रकृति, संचरण और रोकथाम के बारे में लोगों को शिक्षा देने के लिये जन प्रचार के सभी माध्यमों का उपयोग किया गया है।

(10) **विदेशी :**

(i) किसी भी भारतीय संस्था में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्र को एड्स की जांच करानी होती है। किसी भी छात्र में एड्स पाया जाता है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है।

(ii) यह निर्णय लिया गया है कि उन विदेशियों की एड्स के लिए स्क्रीनिंग की जाए जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक भारत में रहना चाहते हैं। तथापि, राजनयिक मिशन के सदस्यों और पत्र सूचना ब्यूरों से मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को इस समय एड्स टेस्ट से छूट होगी। जो भी व्यक्ति एड्स से पीड़ित पाया जाता है उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है।

अशोक यात्री निवास में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति

623. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1988 के पहले सप्ताह में अशोक यात्री निवास में सुरक्षा-गार्ड की श्रेणी के सम्बन्ध में साक्षात्कार हुए थे;

(ख) क्या चुने गए अभ्यर्थियों की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चुने गए उम्मीदवारों को 14. 7. 88 को नियुक्ति के प्रस्ताव भेज दिए गए हैं।

रेलवे के डिवीजनल मैनेजरों का सम्मेलन

624. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में रेलवे के डिवीजनल मैनेजरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में यात्री सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार रेलवे द्वारा दी जाने वाली यात्री सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) बोर्ड ने मण्डल रेल प्रबन्धकों के साथ एक बैठक आयोजित की थी।

(ख) जी, हां।

(ग) कुछ महत्वपूर्ण यात्री सुविधाओं की समीक्षा की गई थी तथा रेल उपयोगकर्त्ताओं की सन्तुष्टि के लिए सुविधाएं प्रदान करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 में संशोधन

625. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय नियोजक संगठन ने यह सुझाव दिया है कि कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत बनाए गए आदर्श नियमों में संशोधन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संशोधनों का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वी दुबे) : (क) से (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन नियम बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, अधिनियम को लागू करने में हर सम्भव एकरूपता लाने के विचार से, केन्द्रीय सरकार माडल नियम बनाती है तथा इन्हें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस सुझाव के साथ भेजती है कि इन नियमों को उचित स्थानीय दशाओं के अनुसार आवश्यक संशोधन करके अपने कारखाना नियमों में समाहृत कर लें। कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अधीन केन्द्रीय सरकार ने माडल नियम बनाये थे तथा जनवरी, 1988 में इन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रचालित किया गया था। "सक्षम व्यक्ति" की परिभाषा, सक्षम व्यक्तियों के सम्बन्ध में आयु सीमा में छूट, सक्षम व्यक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील के उपबन्ध, केवल उन एककों के सम्बन्ध में, जो जोखिमपूर्ण पदार्थों का विनिर्माण करते हैं या जो खतरनाक संक्रियाओं में लगे हैं, सुरक्षा समिति सम्बन्धी नियम लागू करने के बारे में अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन ने अप्रैल, 1988 में माडल नियमों में कतिपय संशोधन करने का सुझाव दिया। केन्द्रीय सरकार ने मामलों की जांच की है तथा यह माडल नियमों में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती है। तथापि, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियमों के प्रारूप को प्रकाशित किये जाने पर अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन को अपने विचार प्रस्तुत करने का सांविधिक अधिकार होगा।

औषधीय वनस्पति पर विचार गोष्ठी

626. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के दौरान मंत्रालय द्वारा जूनागढ़, मनाली, नैनीताल, गुवाहाटी और कोयम्बतूर में औषधीय वनस्पति सम्बन्धी पांच क्षेत्रीय विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक सम्मेलन में क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) इनकी मुख्य सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) इन सेमिनारों में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) औषधीय पादपों के विकास से सम्बन्धित कार्यकलापों में तालमेल रखने के लिए केन्द्र और प्रत्येक राज्य में नोडल एजेन्सियों की स्थापना करना।

(2) चुनिंदा औषधीय पादपों की आधुनिक तकनीकों के जरिए उनकी खेती करना, विकास और संरक्षण करना।

(3) औषधीय पादपों के लिए विपणन नीति का विकास करना।

(4) सामाजिक वानिकी स्कीम के अन्तर्गत औषधीय महत्व के वृक्षों को उगाना।

(5) औषधीय पादपों के संग्रहण/संरक्षण की तकनीकों में आदिवासियों/संग्रहकर्त्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(6) स्थानीय रूप में उपलब्ध औषधीय पादपों के चिकित्सीय उपयोग के बारे में प्रचार करना और शिक्षा देना।

(7) कच्ची जड़ी-बूटियों और तैयार उत्पादों के गुणवत्ता नियन्त्रण के उपाय करना।

(8) प्रत्येक राज्य में औषधीय पादपों के डेटा बैंक की स्थापना करना।

(9) टिशू कल्चर और जर्म प्लाज्मा के संग्रह इत्यादि जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए उन ओषधीय पादपों का संरक्षण और पुनरुत्पादन करना जो समाप्त हो रहे हैं।

(10) ओषधीय पादपों के लिए जड़ी बूटी उद्यानों और प्रदर्शन फार्मों को विकसित करना।

(ग) इन सेमिनारों में की गई सिफारिशों पर निम्नलिखित अनुवर्ती कार्रवाई की गई है :—

(1) ओषधीय पादपों के विकास के लिए उपाय सुझाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ओषधीय पादपों पर एक स्थायी समिति गठित की गई है। ओषधीय पादपों से सम्बन्धित कार्य को समन्वित करने के लिए मंत्रालय में एक ओषधीय पादप कक्ष की भी स्थापना की गई है।

(2) क्षेत्रीय सेमिनारों में की गई सिफारिशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिपत्रित कर दिया गया है।

(3) हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और गुजरात राज्यों में ओषधीय पादपों पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

(4) गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में नोडल एजेन्सियां स्थापित कर ली हैं और ओषधीय पादपों के विकास के लिए कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करना

[हिन्दी]

627. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भारी संख्या में कर्मचारी मस्टर रोल पर कार्य कर रहे हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ख) कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर पांच वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का उन्हें नियमित करने का विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में मस्टर रोल पर कामगारों की संख्या 15,529 है।

(ख) अधिकांश मस्टर रोल कामगार 5 से भी अधिक वर्षों से काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ) पात्र मस्टर रोल कामगारों को नियमित किया जाएगा बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों। सम्मिलित कामगारों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए, ऐसे नियमन के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

सीतापुरी-डाबरी दिल्ली में मकान गिराना

(अनुवाद)

628. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में सीतापुरी-डाबरी और कर्दमपुरी में भारी संख्या में मकान गिराये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ग) गिराई गई कालोनियां कब से अस्तित्व में थीं;

(घ) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई जांच की है कि शहर में अनधिकृत कालोनियों का निर्माण रोकने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों पर जिम्मेदारी ठहराने के लिए इन अनधिकृत कालोनियों को अस्तित्व में आने की अनुमति कैसे दी गई थी; उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) प्रभावित परिवारों का सरकार का किस प्रकार पुनर्वास करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 12.6.88 और 5.6.88 को क्रमशः सीतापुरी डाबड़ी में लगभग 300 अर्द्ध पक्की/अस्थायी संरचनाएं और चहारदीवारियां तथा कर्दमपुरी, दिल्ली में 800 अर्द्ध पक्की संरचनाएं गिरायी गयी थीं। सीतापुरी, डाबड़ी में लगभग 1000 व्यक्ति प्रभावित हुए थे और कर्दमपुरी में लगभग 4000 व्यक्ति प्रभावित हुए थे।

(ग) 12.6.88 अर्थात गिराने के दिन के 3 महीने से एक वर्ष तक।

(घ) कोई जांच नहीं की गई है।

(ङ) चूंकि ये व्यक्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण की अर्जित की गई भूमि के हाल ही के अनधिकृत अतिक्रमणकर्ता थे, इसलिए उनके पुनर्वास का प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन विकास

629. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** :

श्री पी० ए० एन्टनी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में पर्यटन तथा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में

शामिल किए गए ऐसे कौन-कौन से प्रस्ताव हैं, जिन्हें अभी पूरा किया जाना अथवा कार्यान्वित किया जाना शेष है;

(ख) राज्य में पर्यटन संवर्धन के लिए यदि सरकार के विचाराधीन और भी अन्य प्रस्ताव हैं, तो वे कौन-कौन से हैं; और

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिये क्या-क्या समय निर्धारित किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केरल में पर्यटन का विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं तथा जो अभी भी कार्यान्वित की जा रही हैं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को 1988-89 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केरल सरकार से प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों पर प्रस्ताव के गुणों, धन-राशि की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाएगा। भूमि, निर्माण सामग्री, उपकरण, आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए सामान्यतः परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में दो से तीन वर्ष का समय लगता है।

विवरण

केरल में पर्यटन का विकास करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं तथा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं :

1. एल्लेप्पी में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं।
2. कोट्टार्कारा में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं।
3. कन्नानौर में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं।
4. पालघाट में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं।
5. बाइनाद में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं।
6. कोवलम में जल क्रीड़ाएं।
7. काप्पड़ में समुद्रतट विहार-स्थल।
8. क्विलान में यात्री निवास।
9. त्रिवेन्द्रम में यात्री निवास।
10. परम्बिकुलम में वन-गृह।

11. ट्रैकिंग उपकरणों की खरीद।

12. मालमपुझा में जल क्रीड़ाएं।

13. पथिरामनल में स्पीड बोट।

14. वेली में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट।

15. वाइनाद वन्य जीव अभ्यारण्य में मिनी बसें।

16. नेय्यार डैम और परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए मिनी बसें।

17. कोचीन में यात्री निवास।

18. त्रिचूर में यात्री निवास।

19. कोवलम और कोचीन के लिए लग्जरी क्रूजर।

20. त्रिवेन्द्रम संग्रहालय और कन्नाकाकुन्नू महल पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था।

21. वर्कला में समुद्रतट विहार-स्थल।

22. कन्यानीकुलम, वलरा, कंजीरापल्ली, बड़ागारा, कुंजापुर में मार्गस्थ सुविधाएं।

23. कोचीन, क्विलान, कुमारकोम और थेक्कड़ी के लिए नौकाओं की व्यवस्था।

दिल्ली में मकानों का गिराया जाना

[हिन्दी]

630. **श्री राज कुमार राय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई, 1988 से 30 जून, 1988 तक दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में कितने मकान गिराये गए तथा इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या मकान गिराने से पहले लोगों को सूचना दी गई थी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रभावित मकान के मालिकों को सरकार द्वारा कितनी राशि का मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या उन लोगों के मकानों को, जिन्होंने भू-खण्ड खरीद कर, उन पर मकान बनाये हैं; गिराया जा रहा है, जबकी उन झुग्गी-वासियों को जन-सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिन्होंने डी० आई० जेड० एरिया और गोल मार्किट के पास गैर-कानूनन सरकारी भूमि पर कब्जा करके उस पर झुग्गियां बनाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली नगर निगम ने 23 मामलों में मकान गिराने की कार्यवाही की थी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 101 पक्के तथा 938 अर्द्ध पक्के मकानों सहित 2919 संरचनाओं को हटाया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी भूमि पर अधिकांश अतिक्रमण नये थे तथा इस प्रकार अनधिकृत दखलकारों को नोटिस नहीं दिए गए थे। अन्य मामलों में, जहां नोटिस दिए गए थे, मकान गिराने के आदेश पारित किए गए थे तथा गिराने का अभियान भी चलाया गया था। दिल्ली नगर निगम ने पर्याप्त प्रक्रियाओं तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित नोटिस जारी करने के पश्चात् मकान गिराने की कार्यवाई की थी।

(ग) प्रभावित दखलकारों मालिकों को हर्जाने की राशि देने की दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। मकान गिराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण भी किसी हर्जाने का भुगतान नहीं करता है, लेकिन वैकल्पिक वास के लिए पात्र निवासियों को आवास मुहैया कराया जाता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम उन मामलों में जहां दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा भवन उपनियमों के उल्लघंन करके अनधिकृत निर्माण किए जाते हैं। वहां मकान गिराने की कार्यवाई करता है। डी. आई. जैड क्षेत्र, गोल मार्कीट, जो कि नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में है, में झुग्गी झोपड़ी समूह सरकारी भूमि पर स्थित हैं तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा वहां कोई नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं की गई हैं।

रोहिणी में मूलभूत सुविधायें

[अनुवाद]

631. **श्री रामश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी आवास योजना दिल्ली के सैक्टर 7 के कुछ पाकिटों में वर्ष 1983-84 में प्लाट आवंटित किए जाने के बावजूद पानी जैसी मूल-भूत सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं; और

(ख) क्या इसके बारे में कोई निर्णय लिया गया है कि उन निवासों पर अभी तक गृह कर नहीं लगाया गया है जिन्हें पेय जल के कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सड़क, सीवरेज, जलपूर्ति, पथ प्रकाश आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं रोहिणी के सेक्टर-7 में मुहैया की गई हैं। सैक्टर-6 में ओ० एच० टी० के कमांड एरिया में पड़ने वाले केवल कुछ पाकेटों में पहले दिल्ली नगर निगम से पानी उपलब्ध नहीं था। अब इन पाकेटों में भी, पानी उपलब्ध है और पानी के कनैक्शन दिये जा रहे हैं।

(ख) साधारण कर तथा अग्नि कर सभी भूमियों तथा भवनों पर लागू हैं। जल कर जल मुहैया करने के पश्चात् ही लगेगा। सफाई कर केवल तब लगाया जाता है जब सम्पत्ति पालिका की नालियों से जुड़ी हुई हों अथवा धारा 115 (2) (ख) के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है।

कृषि विमानन निदेशालय द्वारा जहाजों के रखरखाव पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

632. **श्री एस० बी० सिद्नाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक ने केन्द्रीय सरकार (सिविल) सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में कृषि विमानन निदेशालय द्वारा हवाई जहाजों की खरीद और रख रखाव पर विपरीत टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) से (ग) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा 1986-87 की अपनी रिपोर्ट में कृषि विमानन निदेशालय के सम्बन्ध में की गई टिप्पणियों की, कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए जांच की जा रही है।

धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों की सहायता

633. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड** :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कुछ समय पहले धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसकी विभिन्न वर्ग के लोगों ने प्रशंसा की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन राज्यों को क्या प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार धूम्रपान और अन्य तम्बाकू उत्पादकों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के सभी उपायों का समर्थन कर रही है। धूम्रपान और अन्य तम्बाकू उत्पादकों के इस्तेमाल से

स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए जन प्रचार, सिनेमा स्लाइडों और पैम्फलेटों के माध्यम से देशव्यापी सर्वतोमुखी स्वास्थ्य शिक्षा अभियान चलाया गया है।

रेल दुर्घटनायें

643. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :**
श्री छीत भाई गामित :
श्री हरूभाई मेहता :
श्री शांति धारीवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1988 तक की अवधि के दौरान जोन-वार कितनी रेलदुर्घटनायें हुईं, इसके क्या कारण थे ;

(ख) उनके परिणामस्वरूप रेल विभाग को कितनी हानि हुई;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए; और

(घ) इन मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजे के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी गई ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1.1. 1988 से 15.7. 88 तक की अवधि के दौरान हुई परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का रेलवे-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मध्य	....	35
पूर्व	...	43
उत्तर	...	59
पूर्वोत्तर		17
पूर्वोत्तर सीमा	....	36
दक्षिण	....	30
दक्षिण-मध्य	....	28
दक्षिण-पूर्व	....	42
पश्चिम	....	33

इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं माल गाड़ियों की थीं।

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण मुख्यतः उपस्करों की खराबी, रेल कर्मचारियों की गलती और रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती थी रेल सम्पत्ति को 6.05 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) इन दुर्घटनाओं में 160 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 425 को चोटें आयीं। इनमें समपार फाटकों पर मृतकों तथा घायलों की संख्या शामिल है।

(घ) दक्षिण रेलवे पर तदर्थ दावा आयुक्त और दूसरी रेलों पर पदेन दावा आयुक्तों द्वारा गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गये और घायल व्यक्तियों के आश्रितों को क्षति पूर्ति का भुगतान किया जायेगा। तथापि, उपयुक्त पाये गये सभी मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग में बाल-श्रम

[हिन्दी]

635. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग में कार्य करने वाले नाबालिग बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन फैक्टरी मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है जिन्होंने इन बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने फैक्टरी मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थाइलैण्ड से चावल का आयात

[अनुवाद]

636. **श्री पी० कुलनदईवेलू :**

श्री ओ० भूपति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थाइलैण्ड से चावलों के आयात के बारे में कोई समझौता किया है, यदि हां, तो कितना चावल आयात करने का विचार है;

(ख) देश म चावलों की पहली खेप कब तक पहुंचेगी;

(ग) इस बात को देखते हुए कि देश चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है, चावल के आयात के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या आयात किया जा रहा चावल बढ़िया किस्म का है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां। सरकार ने थाइलैण्ड से 5 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने का ठेका किया है।

(ख) यह सम्भावना है कि थाई चावल ला रहा पहला जहाज भारतीय बन्दरगाहों पर अगस्त, 1988 के प्रारम्भ में पहुंच जाएगा।

(ग) बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए आयात किए गए हैं। यह स्टाक सूखे के कारण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर बढ़े हुए दबाव के कारण काफी कम हो गया था।

(घ) थाइलैण्ड से आयात किया जा रहा चावल कुल मिलाकर देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से दिए जा रहे देशी चावल की गुणवत्ता के साथ मिलता-जुलता है।

दिल्ली में नये रेलवे स्टेशन का निर्माण

[हिन्दी]

637. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली और दिल्ली मुख्य रेलवे स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ रहती है जिससे यात्रियों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्टेशनों पर भीड़ भाड़ को कम करने के लिए दिल्ली में एक नये रेलवे स्टेशन का निर्माण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर कोचिंग सुविधाओं के विस्तार का कार्य एक अनुमोदित कार्य है जो चल रहा है। बिजवासन, होलम्बी कलां और आनन्द विहार में दिशिक टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए अनुमोदन भी प्रदान कर दिया गया है। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव है। दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनलों के विकास के लिए अध्ययन करने का कार्य जापानी दल को सौंपा गया है। जिससे अपेक्षा की गयी है कि इस वर्ष के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।

दार्जिलिंग मेल

[अनुवाद]

638. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग मेल नियमित रूप से देर से चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, गाड़ियों के इस जोड़ी के चालन में आगे और सुधार के लिए प्रयास जारी हैं।

खाद्यान्नों का आयात

639. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका तथा अन्य देशों से गेहूं अथवा अन्य खाद्यान्नों का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आयात के लिए कितनी मात्रा का ठेका दिया गया है, इसे कहां से आयात किया जा रहा है और इसका औसत मूल्य कितना है; और

(ग) क्या इसके मूल्य पूर्व अनुमानों की अपेक्षा अधिक हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 20 लाख मीटरी टन गेहूं, थाइलैण्ड से 5 लाख मीटरी टन चावल और डी० पी० आर० कोरिया से 2 लाख मीटरी टन चावल का आयात करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है। अमरीकी गेहूं के मामले में औसत अनुमानित लागत जहाज पर निष्प्रभार प्रति मीटरी टन लगभग 121 अमरीकी डालर और थाई चावल के बारे में 244 अमरीकी डालर बैठती है। जहां तक कोरियाई चावल का संबंध है, लागत तथा भाड़ा एफ० ओ० लागत 269 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन है।

(ग) जी, नहीं।

बाल श्रमिकों संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े

640. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार एशिया के 380 मिलियन बाल श्रमिकों का एक तिहाई भारत में है; और

(ख) यदि हां, तो बाल श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन का एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकास

641. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन का एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकास करने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) प्लेट फार्म नं० 2 और 3 पर 108 मीटर तक प्लेटफार्म सायबान का विस्तार करने और सीमेंट कंक्रीट के बने एप्रन के निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है और निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(ख) इस परियोजना को आरम्भ करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । इस कार्य का चरणों में पूरा किये जाने की योजना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

पश्चिमी-समुद्री तट रेल लाइन

642. **श्री तम्पन थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने रेलवे को कोई ऋण दिया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस ऋण का एक भाग पश्चिमी समुद्री तट रेल पर व्यय करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या पश्चिमी समुद्री तट लाइन को पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(घ) क्या इस परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां । विश्व बैंक से लिये गये तीन ऋण चल रहे हैं ।

1. ऋण संख्या 2210-आई एन/क्रेडिट सं० 1299-आई एन—आधुनिकीकरण तथा अनुरक्षण सुविधाओं (चल स्टाक हेतु) के लिए। कुल राशि-400 मिलियन डालर।

2. ऋण संख्या 2417- आईएन—कारखाना आधुनिकीकरण तथा विद्युतीकरण के लिए ऋण की राशि 280·7 मिलियन डालर।

3. ऋण संख्या 2935-आई एन—रेलपथ के आधुनिकीकरण तथा पुनः स्थापन के लिए ऋण की राशि-390 मिलियन डालर।

(ख) से (ड) ऋणों का कोई भी घटक नयी लाइनों के प्रयोजन के लिए नहीं है। पश्चिम तटीय लाइन का निर्माण एक अनुमोदित परियोजना नहीं है। इस प्रकार, इस लाइन को पूरा करने की समय-सीमा का प्रश्न ही नहीं उठता।

बंधुआ मजदूर

643. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्ष पहले ठेकेदारों द्वारा आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा से लाये गये 3000 बंधुआ मजदूर महाराष्ट्र के परभानी जिले में निम्न तराना परियोजना में कष्टों से दिन काट रहे हैं;

(ख) क्या श्रम कल्याण महानिदेशालय से अनुदेश जारी किये जाने के बावजूद इन मजदूरों को मुक्त नहीं किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बंधुआ मजदूरों की समस्याओं की जांच करने के लिए किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि इसमें कोई सिफारिशें की हैं, तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ओस्मानाबाद जिले में लोअर तराना परियोजना के कार्यस्थल पर 1985-86 में 75 बंधुआ श्रमिकों का पता लगाया गया था। इन सभी बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराया गया था और पुनर्वास के लिए उनके अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश में वापस भेजा गया था।

(ग) और (घ) सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग गठित किया था। इस आयोग की अवधि 3 वर्ष है। इस आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक बंधुआ श्रमिकों की समस्या का अध्ययन करना और रिपोर्ट देना है। इस आयोग ने बंधुआ श्रमिकों पर कोई सिफारिश नहीं की है।

बम्बई कालीकट-बम्बई विमान सेवा की बारम्बारता

644. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कालीकट बम्बई विमान सेवा की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या विमान सेवा की बारम्बारता और दिनों की संख्या बढ़ाने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय इंडियन एयरलाइन्स बम्बई और कालीकट के बीच सप्ताह में 4 बार की बी 737 सेवा चला रही है। हाल में विमान क्षमता की भारी कठिनाई के कारण इंडियन एयरलाइन्स इसकी आवृत्ति में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

[हिन्दी]

645. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किन-किन स्थलों और नगरों का पता लगाया गया है; और

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए झांसी से शिवपुरी, चन्देरी, ओरछा, दतिया, सेरागोर, खजुराहो, टिकमगढ़ आदि होकर एक पैकेज टूअर का प्रबंध करने की कोई योजना तैयार करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटन आधार संरचना का सृजन कराने के वास्ते केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु स्थानों का अभिनिर्धारण और प्रस्तावों को तैयार करने का कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को राज्य सरकारों के परामर्श से पर्यटन मंत्रालय ने झांसी, दतिया, ओरछा, चन्देरी, देवगढ़, ललितपुर और शिवपुरी सहित एक नया यात्रा परिपथ विकसित करने का निर्णय लिया है। मूल आधार-संरचना का सृजन हो जाने के बाद, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगमों द्वारा संयुक्त रूप से इस परिपथ पर पैकेज टूअर्स का परिचालन करने का प्रस्ताव है।

"न्यू पैटर्न हुडको स्कीम 1979" के अन्तर्गत फ्लैटों का आवंटन

[अनुवाद]

646. **श्री कमल चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री "न्यू पैटर्न हुडको स्कीम" 1979 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के बारे में 18 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7331 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नवीन पद्धति हुडको योजना, 1979 के अन्तर्गत मार्च, 1988 के अंत तक आवंटित/कब्जा किए गए फ्लैटों का श्रेणी-वार और कालोनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

श्रेणी-वार और कालोनी-वार पूर्ण किए गए फ्लैटों की कुल संख्या के बारे में सूचना संलग्न विवरण–2 में दी गई है।

प्रत्येक श्रेणी में अभी भी निर्माणाधीन फ्लैटों की कालोनी-वार संख्या से संबंधित सूचना, दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त हो गई है। परन्तु उसमें कुछ असंगतियां पाई गई हैं। अतः दिल्ली विकास प्राधिकरण को उसे समंजित करने के लिए कहा जा रहा हैं।

ऐसे आवेदकों की श्रेणी-वार संख्या जो अभी भी प्रतीक्षा सूची पर है तथा प्रतीक्षा सूची समाप्त होने की सम्भावित अवधि इस प्रकार है :—

नवीन पद्धति योजना

श्रेणी	आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रहे पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या
मध्यम आय वर्ग/नवीन पद्धति	30486
निम्न आय वर्ग	48143
जनता	31948

यद्यपि, इस पिछले बकायों को शीघ्रतिशीघ्र निपटाने के लिए सभी गंभीर प्रयास किए जाते हैं, फिर भी प्रतीक्षा सूची को निपटाने के बारे में कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह निधियों, भूमि और भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण-1

क्र. सं०	योजना का नाम	आवंटित फ्लैटों की संख्या	जारी किये गये कब्जा पत्र
1	2	3	4
1.	दिलशाद गार्डन	4041	3301
2.	नन्द नगरी	942	404
3.	त्रिलोकपुरी	1252	1200
4.	मानसरोवर पार्क	330	90
5.	निर्माण विहार	40	38
6.	विकासपुरी	2765	2236
7.	जनकपुरी	278	187
8.	पश्चिम विहार	1200	513
9.	राजोरी गार्डन	100	99
10.	रामपुरा	96	96
11.	शालीमार बाग	520	461
12.	पीतमपुरा	972	717
13.	रोहिणी	1961	1201
14.	अशोक विहार	144	63
		14641	10706

आवंटित/कब्जा दिये गये निम्न आय वर्ग/न्यू पैटर्न मकान

क्र. सं०	योजना का नाम	आवंटन किया गया	कब्जा पत्र जारी किया गया
....	....	....	....
1.	राजोरी गार्डन	670	670
2.	विकासपुरी	1599	1599
3.	बोडेला	379	379
4.	शालीमार बाग	1037	977
5.	पीतमपुरा	2496	2406
6.	रामपुरा	303	300
7.	लारेंस रोड	461	455
8.	कालकाजी	314	285
9.	जनकपुरी	837	784
10.	दिलशाद गार्डन	2069	1804
11.	पश्चिमपुरी	1584	1196
12.	मादीपुर	215	215

1	2	3	4
13.	त्रिलोकपुरी	1509	1285
14.	रोहिणी	1776	1750
15.	झिलमिल	795	604
16.	नन्द नगरी	1000	756
17.	जाफराबाद	254	107
18.	मानसरोवर गार्डन	328	250
19.	मायापुरी	44	34
20.	अशोक विहार	162	112
21.	विविध	45	मांग पत्र अभी जारी किये जाने हैं
	योग :	17877	15968

जनता श्रेणी के अन्तर्गत किये गये कुल आवंटन तथा 13.4.88 की स्थिति के अनुसार योजना-वार जारी किये गये कब्जा पत्र :

क. सं०	योजना का नाम	आवंटित फ्लैट	कब्जा पत्र जारी किये गये
1.	अशोक विहार	120	120
2.	राजोरी गार्डन	432	432
3.	अवन्तिका	2064	2063
4.	विकासपुरी, साईट-I, II, III, IV, जे जी-II, के. जी. III जे. जी. III	2461	2441
5.	पीतमपुरा	916	912
6.	प्रियदर्शनी विहार	48	10
7.	पश्चिमपुरी वी जी-6	1233	1200
8.	गाजीपुर	926	630
9.	टोडापुर	50	4
10.	सरिता विहार	788	515
11.	वदरपुर	640	420
12.	खिरखी	343+133	350
13.	तिगड़ी	312	215

1	2	3	4
14.	नन्द नगरी	1831	1788
15.	शास्त्री पार्क	232	176
16.	त्रिलोकपुरी	546	166
17.	रोहिणी	1519	1356
18.	दिलशाद गार्डन	2559	2319
19.	मंगलापुरी	132	3
20.	रघुवीर नगर	165	5
21.	शालीमार बाग	1044	999
22.	पश्चिमपुरी पाकेट "बी"	202	150
23.	पश्चिमपुरी जी एच-6	484	300
24.	रामपुरा	312	306
25.	आनंद नगर	112	69
26.	दक्षिणपुरी	255	154
27.	चिल्ला	312	97
28.	मदनपुर खादर	58	23
29.	खाली/निरास्त तथा वापस किये गये फ्लैट	2163	—
		22391	17291

विवरण-2

हुडको की नवीन पद्धति योजना, 1979 के अन्तर्गत श्रेणी-वार तथा इलाका-वार निर्मित फ्लैटों की कुल संख्या :

क्र. सं०	इलाका	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
1	2	3	4	5
1.	शेख सराय	260	9.8	524
2.	राजोरी गार्डन	1020	2808	432
3.	कटवारिया सराय			148
4.	वजीरपुर	294	323	312
5.	जहांगीरपुरी			1457
6.	मुनीरका	105	59	
7.	वसंत गांव			200

1	2	3	4	5
8.	कालकाजी	1134	922	660
9.	मंगोलपुरी			284
10.	प्रशाद नगर	352	....	....
11.	पांडु नगर	....	....	280
12.	साहपुर जाट	....	....	304
13.	मालवीय नगर	104	....	....
14.	पंचशील पार्क	120	68	....
15.	दिलशाद गार्डन	5280	2108	4355
16.	चिराग इनक्लेव	....	...	12
17.	मस्जिद मोठ	204	140	....
18.	तुर्कमान गेट	....	....	450
19.	पीतमपुरा	1758	3834	1616
20.	सराय खलील	53	78	48
21.	शालीमार बाग	2592	2040	2378
22.	सुल्तानपुरी	....	....	518
23.	हैदरपुर	....	....	140
24.	चौखण्डी	....	....	1
25.	जनकपुरी	619	1756	368
26.	नन्द नगरी	1200	1026	2482
27.	त्रिलोकपुरी	3452	2888	560
28.	नई सीमापुरी	....	....	410
29.	कल्याणपुरी	....	....	130
30.	हिम्मतपुरी	....	....	300
31.	पश्चिमपुरी	2185	2112	3810
32.	लारेंस रोड	288	468	1272
33.	अशोक विहार	288	330	120
34.	बुडेला	3278	1782	2926
35.	अबंतिका	....	...	2124
36.	पंजाबी बाग	....	....	144
37.	दक्षिणपुरी	....	....	406
38.	मयूर विहार	290	430	....
39.	मादीपुर	....	252	1118
40.	रामपुरा	96	1612	....

1	2	3	4	5
41.	रोहिणी	2620	1734	1530
42.	वसंत कुंज	....	....	120
43.	गाजीपुर	....	....	926
44.	मानसरोवर पार्क	576	576	...
45.	प्रियदर्शिनी विहार	....	....	48
46.	जाफराबाद	....	256	....
47.	शास्त्री पार्क	....	....	300
48.	निर्माण विहार	40	...	....
49.	मायापुरी	....	216	....
50.	विकासपुरी	....	...	....
51.	गढ़ी पीरान	....	....	410
52.	रघुवीर नगर	....	....	768
53.	मंगलापुरी	....	....	152
54.	माल रोड	....	....	....
55.	किलोकरी	....	192	....
56.	मदनपुर खादर	....	....	994
57.	गौतम नगर	....	....	....
58.	आनन्द विहार	....	....	120
59.	झिलमिल	....	816	....
60.	टीकरी	...	...	320
61.	सराय जुलैना	64	...	....
62.	मोतिया खान	....	718	....
63.	ग्रेटर कैलाश	....	...	....
64.	अलकनन्दा	....	....	....
65.	नारायणा	....	....	....
66.	फ्रैंडस कालोनी	18	....	....
67.	इस्ट ऑफ कैलाश	...	....	....
68.	सुखदेव विहार	....	....	...
69.	नीति बाग	...	....	....
70.	हौजखास	....	....	....
71.	युसुफ सराय	....	....	....
72.	सिद्धार्थ एनक्लेव	....	....	....
73.	सराय फूस	....	....	80

1	2	3	4	5
74.	गढ़ी	....	....	200
75.	एन. एस. रोड	...	....	96
76.	सराय रोहिल्ला	....	....	128
77.	कालू सराय	....	....	56
78.	गुलाबी बाग	96	336	....
79.	खिड़की	....	....	488
80.	एम. बी. रोड	...	....	656
81.	चिल्ला	....	...	320
82.	भात नगर सोसायटी	....	....	46
83.	लाडो सराय	....	....	160
84.	टोडापुर	....	....	80
85.	अन्य फ्लैट	भारतीय रिजर्व बैंक के लिए शालीमार बाग में 314 फ्लैट, एशियाड के लिए सिरी फोर्ट पर 853 फ्लैट।		

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

647. **श्री एम० जी० घोलप :**
श्री कमल चौधरी :
श्री राम धन :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1987 से जुलाई, 1988 के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो कितनी;

(ख) मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 26.9.87 तथा 9.7.88 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। कुछ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, कुछेक में कमी आई है तथा कुछ वस्तुओं के मूल्य लगभग स्थिर रहे हैं। इस अवधि के दौरान मूल्यों में किस हद तक परिवर्तन आया है उससे संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मूल्यों में यह वृद्धि मुख्य रूप से 1987 में पड़े अत्यधिक भयंकर सूखे तथा कमी के मौसम के कारण हुई कही जा सकती है।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, के उत्पादन को बढ़ाने पर दिया गया है। अन्य उपायों में ये शामिल हैं :—घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना, कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना तथा उसका विस्तार करना और जमाखोरों व चोरबाजारियों के विरुद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबंधों को सख्ती से लागू करना।

विवरण

26.7.87 तथा 9.6.1988 को समाप्त सप्ताहों के बीच चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता :

वस्तु	26.9.1987 तथा 9.7.1988 को समाप्त सप्ताहों के बीच आए उतार-चढ़ाव की प्रतिशतता
1	2
चावल	+ 8.6
गेहूं	+ 5.7
ज्वार	+ 1.7
बाजरा	+15.2
चना	+33.3
अरहर	+ 6.8
मूंग	+72.4
मसूर	+15.9
उड़द	+19.7
आलू	−25.4
प्याज	−53.3
दूध	+ 7.1
मछली	+30.5
गोश्त	+ 6.7
लाल मिर्च	+41.6
चाय	− 1.8

1	2
कोक	स्थिर
मिट्टी का तेल	स्थिर
आटा	+11.9
चीनी	+12.9
गुड़	+10.6
वनस्पति	+ 1.3
मूंगफली का तेल	— 3.2
सरसों का तेल	—27.1
नारियल का तेल	— 4.5
नमक	— 0.4
साबुन	— 5.9
दियासलाई	स्थिर
सूती कपड़ा (मिल का)	+ 2.4
समस्त वस्तुएं	+ 6.0

केरल की खाद्यान्नों की मांग और उसे सप्लाई की गई मात्रा

648. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछले छः महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की कितनी मात्रा की मांग की गई थी और प्रत्येक महीने में खाद्यान्नों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ख) क्या केरल सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा उठाने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मांग पूरी करने हेतु केरल को सप्लाई की जाने वाली मात्रा में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) केरल के बारे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जनवरी-जून, 1988 तक की अवधि की चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका खुले बाजार में उपलब्धता में कमी को पूरा करनी मात्र होती है और केन्द्रीय पूल से आवंटन करने के लिए राज्य की मांगों को केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता के अन्दर यथा संभव पूरा किया जाता है।

विवरण

केरल की जनवरी-जून, 1988 की अवधि के दौरान चावल और गेहूं की मांग, आवंटन और उठान :

(हजार मीटरी टन में)

1988	चावल			गेहूं		
मास	मांग	आवंटन	उठान	मांग	आवंटन	उठान
जनवरी	200.0	145.0	144.2	35.0	35.0	8.6
फरवरी	200.0	135.0	155.1	35.0	35.0	10.1
मार्च	200.0	125.0	164.0	35.0	20.0	10.9
अप्रैल	200.0	125.0	149.5	35.0	20.0	10.5
मई	200.0	125.0	129.4	35.0	20.0	10.2
जून	200.0	125.0	133.0	35.0	15.0	15.1

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आबंटित धनराशि

[हिन्दी]

649. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के किन पर्यटक स्थलों को शामिल किया गया है और उनके विकास के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) प्रत्येक पर्यटक स्थल के लिए दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय निधियों का आबंटन न तो राज्य-वार और न ही स्थान-वार करता है बल्कि स्कीम-वार करता है। यह मंत्रालय पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार संरचना का सृजन करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर तथा प्रस्ताव के गुणों, धन राशि की उपलब्धता एवं परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए दी जाती है।

शामिल किए गए स्थानों के ब्यौरे और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत परियोजनाएं तथा रिलीज की गई राशि इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

परियोजना का नाम	रिलीज की गई राशि
1. सरहन में ट्रैकर्स हट्स	12.00
2. चौमुंडादेवी में सराय	3.00
3. रिवालसर में टूरिस्ट इन्न	5.00
4. चितपूर्णी और हाथ कोठी में पर्यटक गृह	4.00
5. फोसिल पार्क सुकेती में हट्स	5.00
6. ट्रैकिंग उपकरणों की व्यवस्था	4.68
7. हिमाचल प्रदेश में ट्रैकर्स हट्स	7.00
8. कुल्लू में दशहरा पर्व समारोह	1.44

रेलवे द्वारा तुर्की में प्रारंभ की गयी परियोजनाएं

[अनुवाद]

650. **श्री राधाकांत डिगाल :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने तुर्की को विशेषज्ञता प्रदान करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करने की पेशकश की गयी है;

(ग) उस देश में भारतीय रेलवे द्वारा आरम्भ किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस एजेंसी को यह कार्य सौंपा गया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) :(क) और (ख) भारतीय रेलों द्वारा तुर्की रेलवे को सुविज्ञता के बारे में ऐसी कोई पेशकश नहीं की गयी है। तथापि, रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम-राइट्स तुर्की रेलवे के लिए दो अध्ययन करेगा अर्थात् (1) तुर्की रेलवे की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं के लिए व्यावहारिकता-पूर्व अध्ययन और (2) तुर्की रेलवे के वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए अध्ययन। राइट्स ने कारखाना आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी अपनी सुविज्ञता की पेशकश की है।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय के दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-इरकान ने तुर्की रेलवे की (1) रेल लाइनों के विद्युतीकरण, (2) माल डिब्बा उत्पादन यूनिटों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण और (3) सिगनल और दूर संचार प्रणाली में सुधार के कार्य शुरू करने की पेशकश की है।

(ग) और (घ) राइट्स अथवा इरकान द्वारा तुर्की में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है।

भारत और आयरलैंड के बीच विमान सेवा

651. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और आयरलैंड के बीच विमान सेवा शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच कब से विमान सेवायें शुरू की जायेंगी;

(ग) क्या भारत और आयरलैंड के बीच विमानन समझौता हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जून, 1988 में भारत और आयरलैंड के बीच अन्तर सरकारी विमान सेवा बातचीत हुई थी।

(ख) और (ग) चूंकि किसी विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, इसलिए विमान सेवाएं शुरू करने के लिए कोई तारीख नहीं दी जा सकती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

652. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कार्यप्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुरस्कार जीतने के लिए राज्यों के बीच खतरनाक होड़ को बढ़ावा न देने को दिशानिदेश जारी करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना जारी रखी जा रही है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में न्यायोचित और स्वच्छ प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने के मानदण्डों में 1988-89 से संशोधन किया जा रहा है।

मोटूमरी-जग्गैयापेट रेल लाइन

653. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटूमरी-जग्गैयापेट रेल लाइन पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग पर रेल सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) नयी रेल लाइन मोटूमारी से जग्गयापेट टाउन तक (26 कि० मी०) मार्च, 1987 में और जग्गयापेट टाउन से जग्गयापेट तक (6 कि० मी०) सितम्बर, 1987 में मात्र यातायात के लिए खोल दी गयी है। इस रेल लाइन में यात्री गाड़ी सेवाओं की योजना नहीं बनायी गयी है।

इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को आगे ले जाना

655. **श्री अनादि चरण दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों को आगे ले जाने के बारे में 12 मई, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) में पूछी गई आवश्यक सूचना अब तक प्राप्त की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स अभी तक सूचना एकत्र कर रही है और दिनांक 14-5-88 के लिखित प्रश्न सं० 10718 के उत्तर में दिया गया आश्वासन यथा समय पूरा किया जाएगा।

इन्डियन एयरलाइन्स की क्षमता में कमी करने का प्रस्ताव

656. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंन्स का वायुयानों की अपनी उपयोगिता क्षमता में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कारंवाई के लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं और इससे क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है; और

(घ) यात्रियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने के विचार हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र की आटा मिलों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की नियमित सप्लाई

657. **श्री प्रतापराव बी० भोसले :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से महाराष्ट्र की आटा मिलों को ए० एण्ड बी० किस्म की गेहूं की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम पर जोर डालने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई और शहरी क्षेत्रों में डबल रोटी की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है;

(घ) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि महाराष्ट्र की आटा मिलों को ए० एण्ड बी० किस्म की गेहूं की अनियमित सप्लाई से राज्य में डबल रोटी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और इससे आम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो समस्या को हल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं सप्लाई

करने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि इससे उचित मूल्यों पर ब्रेड और गेहूं के पदार्थों की उपलब्धता पर गम्भीर असर पड़ रहा था।

(ग) से (ङ) यह स्वाभाविक है कि शहरीकरण से ब्रेड की मांग में बराबर वृद्धि होगी जिसके फलस्वरूप मैदा की माँग में भी वृद्धि होगी लेकिन रोलर फ्लोर मिलों से लाइसेन्स सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लेने के बाद केन्द्रीय सरकार का मिलों को गेहूं सप्लाई करने का कोई दायित्व नहीं है। ये मिलें भारतीय खाद्य निगम, यदि उनके पास स्टाक उपलब्ध है, समेत किसी भी स्रोत से गेहूं खरीदने के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, भारतीय खाद्य निगम स्टाक की कुल उपलब्धता के अन्दर इन मिलों को चल रहे निर्गम मूल्यों पर गेहूं बेचता रहा है।

पश्चिमपुरी में निम्न आय वर्ग के फ्लैटों का आवंटन

658. **श्री आर० धनुषकोडी अतीतन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन लोगों, को जिन्होंने 34,273 रुपये जमा कराये थे पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में जी एच 2/जी एच 17 में 51.49 वर्ग मीटर के स्थान पर 46.59 वर्ग मीटर के निम्न आयवर्ग के फलैट आवंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इन फ्लैटों के आवंटिति, उनके द्वारा जमा की गई 10,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि अब उन्हें वापस दिये जाने अथवा यह राशि उनको भावी किस्तों में समायोजित किये जाने के हकदार हैं;

(घ) यदि हां, तो कितने आवंटितियों ने उनके आरम्भ में जमा की गई अतिरिक्त धनराशि वापस/समायोजित किये जाने का अनुरोध किया है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये फ्लैट निम्न आय वर्ग के श्रेणी के थे।

(ग) जी, हां। आवंटियों से वसूली गई फालतू राशि वापिस की जायेगी या सम्बन्धित आवंटियों के अनुरोध के अनुसार किश्तों में समायोजित की जायेगी।

(घ) केवल दो आवंटियों ने फालतू राशि को वापस करने का अनुरोध किया है। आगामी किश्तों में फालतू राशि को समायोजित करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) फालतू राशि को वापस करने के लिए भाग (घ) के उत्तर में यथा उल्लिखित मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

कोटा हवाई अड्डे के परिसर में वाणिज्यिक भूखंडों का आवंटन

[हिन्दी]

659. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा हवाई अड्डे के परिसर में वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के कारण इस हवाई अड्डे की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे पर दुर्घटनायें रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोई वाणिज्यिक प्लाट आवंटित नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर की दुकानों के लिए खाद्यान्न की सप्लाई

[अनुवाद]

660. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक नयी योजना आरम्भ की है, जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित दर की दुकानों के लिए खाद्यान्न की सीधे सप्लाई की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों को खाद्यानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली अन्य वस्तुओं की आपूर्त्ति करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। अतः राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यानों की सुपुदर्गी लेने के वास्ते आवश्यक प्रबन्ध करने होते हैं। इस सम्बन्ध में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे एक सुविकसित सुपुदर्गी प्रणाली के लिए अपेक्षित वित्तीय तथा वास्तविक व्यवस्था करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे एक ऐसी प्रणाली आरम्भ करने पर विचार करें जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुदर्गी उचित दर की दुकानों पर की जा सके।

पाल घाट में स्लीपर बनाने का कारखाना

661. **श्री वी० एल० विजयराघवन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालघाट में प्रस्तावित सीमेंट के स्लीपर बनाने के कारखाने की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ख) यह कारखाना कब तक स्थापित हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केरा० औ० वि० नि०) से के० रा० औ० वि० नि० के माध्यम से प्राप्त पालघाट में संयुक्त क्षेत्र में कंक्रीट स्लीपर सयंत्र की स्थापना करने के लिए परियोजना रिपोर्ट और प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

(ख) के० रा० औ० वि० नि० ने अपने प्रस्ताव की स्वीकृति के 8 महीने के अन्दर इसे स्थापित करने की पेशकश की है ।

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का छिन्न-भिन्न होना

662. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कैपिटल्स पी० डी० एस० इज ऑन वर्ज आफ कालैप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उचित मूल्य की दुकानों पर अच्छी किस्म की सामग्री उपलब्ध न कराने के क्या कारण है; और

(घ) राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां ।

(ख) कथित समाचार में निम्नलिखित मुख्य आरोप लगाए गए हैं:—

1. नई उचित दर की दुकानें खोलने की दर बढ़ती आबादी के अनुपात में नहीं है;
2. आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाने पर नई उचित दर की दुकानों का स्वामित्व लेने के लिए लोगों से पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं;

3. प्रशासन ने राजसहायता प्राप्त दरों पर उचित दर की दुकानें चलाने के लिए स्थान प्रदान करने हेतु दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से संपर्क किया है। इन एजेंसियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी।

4. भारतीय खाद्य निगम वस्तुओं को निर्मुक्त करने में काफी समय ले रहा है। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मुक्त वस्तुओं को उठाने में देरी करता है।

5. घटिया क्वालिटी के खाद्यान्न सप्लाई किए जाते हैं।

6. उचित दर की दुकान के मालिकों को लाभ का मार्जिन कम दिया जाता है।

7. मार्ग में होने वाली हानि से उचित दर की दुकान के मालिकों को मिलने वाले मार्जिन पर प्रभाव पड़ता है जो पहले से कम है।

इस बारे में दिल्ली प्रशासन ने इन आरोपों पर एक खंडन भी जारी किया है, जो 23.7.88 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम/दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं सप्लाई सुपुर्द की जाती हैं। तथापि, इस कार्य के काफी बड़ा होने के कारण, जिसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य, निगम/दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रत्येक महीने विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के लगभग 7 लाख बोरे निर्मुक्त तथा सुपुर्द किए जाते हैं, कुछ स्टाक के विशिष्टियों के अनुरूप न होने की कुछ संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः भारतीय खाद्य निगम/दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ऐसे स्टाक को एक सप्ताह के भीतर बदलने की प्रणाली बनाई गई है बशर्ते कि उचित दर के दुकानधारी ऐसे स्टाक की सूचना उसके प्राप्त होने के 72 घंटों के भीतर दे दें।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

1. 1987-88 के दौरान 100 दुकानें खोलने के लक्ष्य की तुलना में 176 उचित दर की दुकानें खोली गईं। 1988-89 की पहली तिमाही के दौरान 80 नई उचित दर की दुकानें खोली गई हैं, जबकि सारे वर्ष के लिए 100 दुकानें खोलने का लक्ष्य रखा गया था। इस समय दिल्ली में 3382 उचित दर की दुकानें कार्य कर रही हैं।

2. उचित दर की दुकानें दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा केन्द्रीय भंडार को आवंटित की जा रही हैं।

3. चीनी तथा आयातित खाद्य तेल के मामले में उचित दर दुकानधारियों के लाभ का मार्जिन बढ़ा दिया गया है।

4. दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की सुपुर्दगी उचित दर दुकानों पर की जाती है।

5. स्टॉक के विशिष्टियों के अनुसार न पाए जाने पर उसे बदलने के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टाक) सृजित किया गया है।

6. विशिष्ट खाद्य वस्तुओं के नमूने उचित दर की दुकानों पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तकि खाद्य कार्डधारी/उपभोक्ता यह जांच कर सकें कि वे ये वस्तुएं विशिष्टियों के अनुरूप प्राप्त कर रहे हैं।

7. 25 स्वैच्छिक संगठनों को उचित दर की दुकानों का निरीक्षण करने तथा घटिया किस्म के स्टाक, कम तोल आदि के मामलों, यदि कोई हों, की रिपोर्ट करने की साविधिक शक्तियां दी गई हैं।

8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में निरन्तर सुधार करने के लिए उचित दर दुकानधारी कल्याण संघ के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। क्षेत्र निरीक्षकों/मंडल खाद्य आपूर्ति अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों के किए जाने वाले निरीक्षणों की न्यूनतम संख्या विनिर्दिष्ट की गयी है।

9. जो उचित दर दुकानधारी दिल्ली स्पेसीफाइड फूड आर्टीकल्स (रेग्यूलेशन आफ डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 1961 के उपबन्धों तथा उन्हें जारी किए गए प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघंन करते है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

आद्रा और हावड़ा के बीच रेलगाड़ियां

663. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर में विद्यासागर विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद आद्रा और हावड़ा के बीच चलने वाली रेल-गाड़ियों की वर्तमान संख्या से दैनिक यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या दैनिक यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुये सरकार का आद्रा-हावड़ा सेक्शन पर और अधिक गाड़ियां चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) आद्रा और हावड़ा के बीच दो जोड़ी थ्रू गाड़ियां और तथा मिदनापुर और हावड़ा के बीच अप दिशा में 8 और डाउन दिशा में 7 लोकल गाड़ियां उपलब्ध हैं। इसके अलावा, खड़गपुर में दोनों दिशाओं में मेल लेने वाली कई गाड़ियां उपलब्ध हैं। हावड़ा में लाइन क्षमता तथा टर्मिनल सुविधाओं की तंगी के कारण अतिरिक्त गाड़ी सेवाएं चलाना इस समय व्यावहारिक नहीं है।

भदुत्तला और मेटल शहर में हाल्ट-स्टेशन (दक्षिण पूर्व रेलवे)

664. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणपूर्व रेलवे के आद्रा-खड़गपुर अनुभाग में भदुत्तला और मेटल शहर में हाल्ट स्टेशन बनाने का विचार है;

(ख) क्या इस अनुभाग के लोग लम्बे समय से इन हाल्ट स्टेशनों की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) मेट्याल शहर में एक यात्री हाल्ट खोलने का विनिश्चय किया गया है । भादुतला में यात्री हाल्ट खोलने पर सहमति नहीं हुई है क्योंकि यह क्षेत्र सड़क सेवाओं से अच्छी तरह सेवित है और यह हाल्ट वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है ।

पालपाड़ा में ऊपरी पुल

665. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** :
श्री रेणुपद दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे के सियालदह-कृष्णनगर सेक्शन पर पालपाड़ा में ऊपरी पुल के निर्माण के लिए लम्बे समय से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां ।

(ख) पालपाड़ा में ऊपरि पैदल पुल की व्यवस्था करने के काम को रेलों के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने की कार्यवाही की जायेगी, जो धनराशि की उपलब्धता तथा अन्य स्टेशनों की तुलनात्मक जरूरतों पर निर्भर करेगी ।

हावड़ा से चलने वाली 952 डाउन एक्सप्रेस के चलने के समय में परिवर्तन करना

666. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 952 डाउन एक्सप्रेस के हावड़ा से प्रस्थान के वर्तमान समय के कारण कोचीन जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है क्योंकि यह रेलगाड़ी रात को कोचीन पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके चलने के समय को बदलकर 19.00 बजे करने का है ताकि कोचीन जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर रात न बितानी पड़े और वे उसी दिन स्थानीय रेलगाड़ियों/बसों द्वारा अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंच सकें;

(ग) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) इस समय 952 डाउन गाड़ी 22.30 बजे हावड़ा से छूटती है और 18.40 बजे कोच्चिन पहुंचती है जो सुविधाजनक समय है। तथापि, परिचालनिक कठिनाइयों के कारण हावड़ा से इस गाड़ी को पहले छोड़ना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। बहरहाल, कोच्चिन पहले पहुंचने के इच्छुक यात्री 15.15 बजे हावड़ा से छूटने और 17.50 बजे मद्रास पहुंचने वाली 141 कोरोमण्डल एक्सप्रेस का लाभ उठा सकते हैं और तब वहां से मेल लेने वाली 41 कोच्चिन एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं जो 9.20 बजे कोच्चिन पहुंच जाती है।

हावड़ा से 952 डाउन ट्रेन के प्रस्थान के समय को पुनःनिर्धारित करना

667. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण जाने वाले अधिकतम यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा से चलने वाली 952 डाउन ट्रेन मंगलवार के बजाय शनिवार या रविवार को चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) 952/951 एक्सप्रेस का रेक लिंक 911/912 गोरखपुर-कोच्चिन एक्सप्रेस और 955/956 बिलासपुर-कोच्चिन एक्सप्रेस गाडियों के साथ संयोजित किया जाता है। 952 डाउन गाड़ी के समय में कोई परिवर्तन करने से अन्य गाड़ियों की समय सारणी में गड़बड़ी हो जायेगी।

हावड़ा-कोचीन एक्सप्रेस पर खान-पान सेवा

668. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हावड़ा-कोचीन एक्सप्रेस पर खान-पान सेवा यात्रियों की सन्तुष्टि के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन अथवा सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी में भोजन-यान जोड़ा जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो खान-पान सेवा सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस गाड़ी में पैन्ट्रीयान लगाने के सम्बन्ध में एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ग) से (ङ) यह विनिश्चय किया गया है कि ज्योंही पैन्ट्रीयान उपलब्ध होंगे, इस गाड़ी में पैन्ट्रीयान सेवा शुरू कर दी जायेगी।

गाड़ियों की गति बढ़ाना

669. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गाड़ियों के जोनवार नाम क्या हैं जिनकी गति पिछले छः महीने के दौरान बढ़ाई गयी है;

(ख) क्या कुछ और अधिक गाड़ियों की गति बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित योजना का कार्यान्वियन कब तक किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) ऐसी कुछ गाड़ियां हैं जिनकी निर्धारित रफ्तार बड़ी लाइन पर 90 कि० मी० प्रति घंटा तक बढ़ायी गयी है।

ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) अधिकतम अनुमेय सीमा के अन्तर्गत रफ्तार बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय-समय पर विभिन्न गाड़ियां शामिल रहती हैं।

विवरण

क्र० सं०	गाड़ी नम्बर और नाम	रेलवे
1	2	3
	बड़ी लाइन	
1.	407/408 लुधियाना-धनबाद एक्सप्रेस	उत्तर
2.	59/60 नयी दिल्ली-श्री गंगानगर एक्सप्रेस	उत्तर
3.	55/56 दिल्ली-बरेली एक्सप्रेस	उत्तर
4.	79/80 आणंद-अहमदाबाद पैसेंजर	पश्चिम
5.	95/96 आणंद-अहमदाबाद पैसेंजर	पश्चिम
6.	109/110 वड़ोदरा-अहमदाबाद पैसेंजर	पश्चिम

1	2	3
7.	43/44 सूरत-अहमदाबाद पैसेंजर	पश्चिम
8.	51/52 बयाना-मथुरा जक्शन पैसेंजर	पश्चिम
9.	85/86 रतलाम-भोपाल पैसेंजर	पश्चिम
	मीटर लाइन	
10.	13/14 दिल्ली-अजमेर फास्ट पैसेंजर	पश्चिम
11.	193/194 अजमेर-किशनगढ़ पैसेंजर	पश्चिम
12.	191/192 अजमेर-फुलेरा पैसेंजर	पश्चिम
13.	163/164 बांदीकुई-रेवाड़ी फास्ट पैसेंजर	पश्चिम
14.	161/162 बांदीकुई-रेवाड़ी फास्ट पैसेंर	पश्चिम
15.	5/6 अहमदाबाद-आगरा फोर्ट एक्सप्रेस	पश्चिम
16.	101/102 बांदीकुई-आगरा फोर्ट फास्ट पैसेंजर	पश्चिम
17.	157/158 रेवाड़ी-रीगंस फास्ट पैसेंजर	पश्चिम
18.	159/160 रेवाड़ी-रीगंस-जयपुर फास्ट पैसेंजर	पश्चिम
19.	126/128/130 अजमेर-नसीराबाद पैसेंजर	पश्चिम

राज्यों को चावल की सप्लाई

670. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे चावल उपभोक्ता राज्यों की चावल की तिमाही मांग कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रत्येक तिमाही में चावल की कितनी मात्रा सप्लाई की जाती है;

(ग) क्या खुले बाजार में चावल का मूल्य इतना बढ़ गया है कि जन साधारण और निर्धन व्यक्ति उस मूल्य पर चावल नहीं खरीद सकते हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य की चावल की मांग की पूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) क्या देश में चावल की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए उसका आयात करने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवंटन मासिक आधार पर

किया जाता है। एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1988 से जून, 1988 तक के महीनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बारे में चावल की मांग, आवंटन और उठान का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) खुले बाजार में मूल्य में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन यह वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जिससे यह जिन्स जनसाधारण की पहुंच से बाहर हो जाए। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण पिछले वर्ष के भयंकर सूखे के कारण कम उत्पादन होना है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका तो खुले बाजार में उपलब्धता मे कमी को पूरा करना मात्र होती है और केन्द्रीय पूल से आवंटनों के लिए राज्य सरकारों की मांगे केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता के अन्दर यथासम्भव पूरी की जाती हैं।

(ङ) सरकार ने बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए सात लाख मीटरी टन चावल का आयात करने के लिए ठेका किया है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जनवरी–जुलाई 1988 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं के आवंटन और उठान का विवरण :

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		जनवरी 1988	फरवरी 1988	मार्च 1988	अप्रैल 1988	मई 1988	जून 1988	जुलाई 1988
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	आ	21.0	21.0	21.0	10.0	10.0	10.0	10.1
	उ	8.2	9.3	10.8	5.4	7.3	3.6	उ०न०
अरुणाचल प्रदेश	आ	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	उ	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.1	उ०न०
असम	आ	36.4	36.4	30.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	उ	31.4	29.2	32.7	14.0	12.9	14.7	उ०न०
बिहार	आ	110.0	110.0	100.0	72.0	72.0	50.0	50.0
	उ	92.2	107.3	82.7	32.9	35.6	50.5	उ०न०
गोआ	आ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	उ	0.8	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	उ०न०
गुजरात	आ	75.0	60.0	85.0	60.0	70·0	70.0	70.0
	उ	53.1	83.8	101.1	66.1	69.4	59.2	उ०न०
हरियाणा	आ	30.0	40.0	30·0	30.0	30.0	20.0	20.0
	उ	32.7	31.6	20.4	0.5	नग०	0.1	उ०न०
हिमाचल प्रदेश	आ	10.0	15.0	15.0	20.0	20.0	15.0	10.0
	उ	9.9	14.1	13.2	14.1	15.3	11.4	उ०न०
जम्मू तथा कश्मीर	आ	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	उ	9.2	6·1	10.7	6.2	9.8	7.8	उ०न०
कर्नाटक	आ	25.0	25.0	20.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	उ	15.0	17.3	15.7	16.6	10.6	15.4	उ०न०
केरल	आ	35.0	35.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0
	उ	8.6	10.1	10.9	10.5	10.2	15.1	उ०न०
मध्य प्रदेश	आ	50.0	50.0	40.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	उ	33·5	33.3	29.5	11.5	11.5	18.2	उ०न०
महाराष्ट्र	अ	100·0	100·0	80·0	80·0	80·0	80·0	85.1
	उ	101·7	85·3	81·5	83·5	79·3	75·1	उ०न०
मणिपुर	आ	2·0	2·0	2·0	2·0	2,0	2·0	2·0
	उ	1·6	1·1	1·0	1·6	0·6	0·1	उ०न०
मेघालय	आ	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	उ	2.2	2.3	2.2	—	1.9	2.1	उ०न०
मिजोरम	आ	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	उ	—	—	—	0.1	0.4	2.1	उ०न०
नागालैण्ड	आ	2.0	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.0
	उ	2.7	2.0	1.0	1.9	1.4	2.1	उ०न०
उड़ीसा	आ	23.0	23.0	23.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	उ	18.3	13.9	15.6	12.3	13.6	14.7	उ०न०
पंजाब	अ	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0
	उ	0.3	0.9	1.6	—	—	—	उ०न०

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्थान	आ	120.0	130.0	100.0	80.0	80.0	100.0	80.0
	उ	112.3	127.2	100.6	83.2	70.2	73.9	उ०न०
सिक्किम	आ	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	. 0.25	0.25
	उ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	उ०न०
त्रिपुरा	आ	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	उ	1·0	0·8	2·2	1·3	0·8	0·9	उ०न०
तमिलनाडु	आ	30·0	30·0	30·0	30·0	30·0	30·0	30·0
	उ	11·1	12·1	14·6	10·8	10·1	7·6	उ०न०
उत्तर प्रदेश	आ	45·0	100·0	100·0	50·0	50·0	50·0	50·0
	उ	64·5	88·6	72·1	24·2	10·8	15·6	उ०न०
पश्चिम बंगाल	आ	126.0	126.0	100.0	80.0	50.0	50.0	50.0
	उ	79.9	95.4	83.5	54.0	63.2	71.0	उ०न०
अण्डमान तथा	आ	2.1	—	—	2·1	—	—	2.1
निकोबार द्वीप समूह	उ	—	—	0.1	0.4	—	0.5	उ०न०
तमिलनाडु	मां		100.0	1 00.0	1·00.0	100.0	100.0	100.0
	आ		50.0	80.0	50.0	80.0	50.0	40.0
	उ		51.9	68.6	74.0	56.4	68.6	46.9
त्रिपुरा	मां		14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
	आ		14.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
	उ		9.1	8.2	11.2	11.1	14.3	11.6
उत्तर प्रदेश	मां		150.0	150.0	160.0	60.0	60.0	60.0
	आ		60.0	50.0	40.0	40.0	40.0	40.0
	उ		40.1	42.3	34.5	39.8	33.8	28.7
पश्चिम बंगाल	मां		150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
	आ		125.0	110.0	100.0	85.0	85.0	80.0
-	उ		65.1	71.0	85.05	79.0	79.0	76.0
अण्डमान तथा	मां		4.0	—	—	4.0	—	—
निकोबार द्वीप समूह	आ		3.0	—	—	4.0	—	—
	उ		0.1	0.7	1.3	1.4	—	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8
चण्डीगढ़	मां	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	आ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	उ	0.7	0.2	0.5	0.4	0.6	0.5
दादर तथा नगर	मां	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
हवेली	आ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	उ	0.2	0.2	0.3	—	—	—
दमन और दीव	मां	0.55	0.45	0.5	0.65	0.7	0.5
	आ	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	उ	—	0.2	0.2	—	0.2	0.2
दिल्ली	मां	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	आ	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
	उ	16.1	18.1	20.7	23.8	23.3	21.0
लक्षद्वीप	मां	—	—	—	—	—	—
	आ	—	—	—	—	—	—
	उ	0.8	1.6	1.1	नगण्य	नगण्य	नगण्य
पांडिचेरी	मां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	आ	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	उ	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3

मां=मांग आ=आवंटन उ=उठान

सलबुटामोल का विपणन

671. **श्री मुरलीधर माने** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलबुटामोल दमा-निरोधी औषधि को "सस्टेन्ड रिलीज परपरेशन" के अन्तर्गत विपणन की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रूप में इस प्रकार के "परपरेशन" की अनुमति कब दी गई;

(ग) क्या माननीय उपभोग की मंजूरी प्रदान करने से पहले "सलबुटामोल सस्टेन्ड रिलीज" पर कोई विलयन परीक्षण किये गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन्विटश और इन्विवो काइनेटिस के बीच सहअवरण (कोरिडवशन) किया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) औषध नियंत्रक (भारत) ने 1980 में मैसर्स सिपला लिमिटेड, बम्बई को सलबुटामोल सस्टेन्ड रिलीज गोलियों को बेचने की अनुमति दी थी।

(ग) से (च) जी, हां। मैसर्स सिपला द्वारा किए गए विलयन अध्ययन में मिली ग्राम में रिलीज की गई सक्रिय औषध की मात्रा, मिली ग्राम में रिलीज की गई संचित मात्रा और भारतीय भेषज संहिता में विलयन अध्ययन के लिए किए गए निर्धारण के अनुसार 1/2 घण्टे से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घण्टों तक के समय माप में संचित रिलीज की प्रतिशतता शामिल थी। औषध के अतर्जीव (इन-वीवो) प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए औषध के चिकित्सीय अनुक्रिया संबंधी पैरामीटरों का मापदंडों के रूप में चयन किया गया था।

खाद्य तेलों का उत्पाद और खपत

672. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) जनता को खाद्य तेल के वितरण की वर्तमान प्रणाली क्या है; और

(घ) क्या सरकार का वर्तमान वितरण प्रणाली में परिवर्तन करने का विचार है ताकि खाद्य तेल देश के प्रत्येक गांव की जनता को उपलब्ध हो ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) तेल वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों की अनुमानित खपत और उत्पादन क्रमशः 52 लाख मी० टन तथा 31 लाख मी० टन के लगभग होगा। परिणामस्वरूप मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार को खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों का नियत निर्गम मूल्यों पर आवंटन करती है। इन तेलों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जिन्हें वितरण की मात्रा, उपभोक्ता से लिए जाने वाले मूल्य और इन्हें गैर कानूनी रूप मे अनधिकृत माध्यमों तक पहुंचने से रोकने के लिए निवारक तथा दण्डात्मक उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

खाद्य तिलहन का आयात

673. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाद्य तेलों की अपेक्षा खाद्य तिलहनों का अधिक आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार की खाद्य तेल आयात नीति के कारण तेल पिराई उद्योग की उपयोग क्षमता 30 प्रतिशत रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य तेल की बजाए खाद्य तिलहन आयात करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) (ख) (घ) और (ङ) इस समय तिलहनों का आयात नहीं किया जा रहा है।

सरकार, विभिन्न बातों, जैसे पौध संगरोध की आवश्यकताओं तिलहनों के आयात से संबंधित बदलती रहने वाली अर्थ-व्यवस्था, उन्हें प्राप्त करने तथा परिणामी तेलों का वितरण करने में आने वाली संभार-तंत्र संबंधी तथा प्रशासनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, आमतौर पर तिलहनों के आयात के पक्ष में नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जरिए सहायता आधार पर 5 लाख मी० टन तिलहनों का आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। अभी तक तिलहनों के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) तेल पिराई उद्योग की क्षमता का समग्र उपयोग 40-45 प्रतिशत के लगभग है।

पर्यटन से अर्जन

674. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन से निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक अर्जन कितना हुआ;

(ख) वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में अर्जन बढ़ाने के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा रखे गये अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1987-88 के दौरान पर्यटन से अर्जित विदेशी मुद्रा आय 1890·00 करोड़ रुपये थी। सामान्यतः विदेशी पर्यटक आगमनों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, कुल पर्यटक आगमनों और पर्यटकों के औसतन व्यय के आधार पर विदेशी मुद्रा के आंकड़ों का अनुमान लगाया जाता है।

(ख) योजना आयोग ने सातवीं योजना अवधि के दौरान विदेशी पर्यटक आगमनों में 7 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) देश में पर्यटक अन्तर्वाह को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में शामिल हैं—आधार-संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार, विदेशी मार्किटों में प्रचार अभियान को तीव्र करना और पर्यटक सुविधा सेवाओं को कारगर बनाना।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था

675. **श्री टी० बशीर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर "माडर्न अप्रोच लाइटिंग" व्यवस्था नहीं है;

(ख) इस हवाई अड्डे पर "माडर्न अप्रोच लाइटिंग" व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिये प्रस्तावित माड्न एप्रोच प्रकाश प्रणाली के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

(1) धावनपथ-32 प्रिसिजन एप्रोच प्रकाश श्रेणी-1

(2) धावनपथ-14 साधारण एप्रोच प्रकाश प्रणाली।

राजधानी में राशन कार्ड कुप्रथा

676. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान दिल्ली में जाली राशन कार्डों की कुप्रथा को रोकने के लिए कोई अभियान चलाया गया;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया;

(ग) क्या कुछ इलाकों में दिल्ली में छः महीने से अधिक अवधि से रह रहे जिन व्यक्तियों ने अपने नाम शामिल करने के लिए आवेदन किया है उनके नाम अभी भी राशन कार्डों में शामिल नही किए गए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने के बाद एक उचित अवधि के अंदर राशन कार्ड के पात्र व्यक्तियों के नामों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि उनके खाद्य कार्डों में जाली यूनिटों का पता लगाने के लिए 23-12-1985 से 27-3-87 के दौरान एक विशेष अभियान चलाया गया था। उनके खाद्य और आपूर्ति विभाग द्वारा भी समय-समय पर निरीक्षण/जांच की जाती है। 1986 से 1988 के दौरान जाली खाद्य कार्ड रखने/उनमें जाली यूनिटें रखने के लिए 5 व्यतियों के विरुद्ध 3 प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई।

(ग) और (घ) जी नहीं। आम तौर पर राशन कार्डों में ऐसे नाम कार्ड धारकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर शामिल किए जाते है।

पठानकोट और जालन्धर को वायुदूत सेवा से जोड़ना

677. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पठानकोट और जालंधर के वायुदूत सेवा से जोड़ने के प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन संबन्धित विभागों/एजेंसियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस बारे में आपत्तियां की है;

(ग) क्या आपत्तियों को इस बीच दूर कर दिया गया है; और

(घ) इन स्टेशनों को कब तक वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। वायुदूत परिचालनों के लिए भारतीय वायु सेना के पठानकोट हवाई क्षेत्र को वहां से रक्षा मंत्रालय की अनुमति प्राप्त न होने के कारण पठामकोट तथा जालंधर को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ा जाना संभव नहीं हो पाया। रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त होने और पर्याप्त विमान क्षमता तथा जालंधर के लिए उपयुक्त विमान क्षेत्र सहित अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होते ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगें

678. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शहरी विकास** मंत्री केन्द्रीय लोक निर्माण कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने और धीमी गति के काम करो आन्दोलन के बारे में 27 जुलाई, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर इंजीनियर्स एसोसिएशन, आल इण्डिया सी० पी० डब्लू० डी० मजदूर यूनियन आल इण्डिया सी० पी० डब्लू० डी० वर्कर्स यूनियन की हड़ताल के दौरान प्रस्तुत की गई मांगों पर गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने क्या निर्णय लिया; और

(ख) क्या वार्ता के माध्यम से कोई मांग समझौते के लिए अभी भी निर्णयाधीन है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा अपनी 37 दिनों की हड़ताल समाप्त करने पर 20.8.87 को सरकार तथा कनिष्ठ इंजीनियरों के संघ के मध्य एक सर्वसम्मति (जैसा कि संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है) हुई थी। सर्वसम्मति में निर्दिष्ट मागों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन की शेष मांगों पर निर्णय/वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण-3 संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

विवरण–1

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों तथा उद्यान अनुभागीय अधिकारियों की वे विभिन्न मांगें, जिनके लिये वे 14 जुलाई, 1987 से हड़ताल पर थे, पर शहरी विकास मंत्रालय के सचिव तथा निर्माण महानिदेशक द्वारा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) सहित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ इंजीनियर संघ के प्रतिनिधियों और दो संसद सदस्यों श्री पी. आर. कुमारमंगलम तथा हरीश रावत के साथ चर्चा की थी, चर्चा के बाद उनकी मांगों के संदर्भ में एक सर्वसम्मति इस प्रकार है :—

1. कनिष्ठ इंजीनियरों को दो संशोधित वेतन मान स्वीकृत किये गये हैं, नामतः 1400-2300 रुपये (कनिष्ठ इंजीनियर की स्वीकृत संख्या के 25% के लिए) और 1640-2900 रुपये (कनिष्ठ इंजीनियरों की स्वीकृत संख्या के 75% के लिए)। आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि उच्च वेतन-मान नामतः 1640-2900 रुपये के पदों में भर्ती निम्न वेतन-मान (1400-2300 रुपये) के उन कनिष्ठ इंजीनियरों में से पदोन्नति (गैर चयन आधार पर) की जाय, जिनकी अपने वेतन-मान में पांच साल की नियमित सेवा हो। कनिष्ठ इंजीनियरों के अनुसार इन निर्णयों में विसंगति है और ना ही दोनों वेतन-मानों में वितरण की प्रतिशतता, ना ही उच्च वेतन मान में पदों पर भर्ती का तरीका उन्हें स्वीकार्य है। यह सहमति हो गई थी कि शहरी विकास मंत्रालय अपनी **उपयुक्त सिफारिशों**

सहित इस मामले को चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाली इसी प्रकार की विसंगतियों पर विचार करने के लिये गठित मंत्रियों के दल को प्रस्तुत करेगा।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों के संघ ने एक मांग की है कि जब तक मंत्रियों के दल के निर्णय की घोषणा नहीं हो जाती तब तक वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति की प्रक्रिया को लम्बित रखा जाय और वरिष्ठ वेतन-मान में पदोन्नति के कोई आदेश जारी न किये जायें। निर्माण महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था।

3. कनिष्ठ इंजीनियरों ने कम से कम 15 वर्ष की सेवा के भीतर व्यक्तिगत पदोन्नति तथा सेवा काल के दौरान दो पदोन्नतियों की मांग की है। यह नोट किया गया था कि पदोन्नति के अवसर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संवर्ग पुनरीक्षा तथा संरचनात्मक पुनर्संगठन के प्रश्न से सह-संबन्धित है। यह सहमति हुई थी कि कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के संवर्ग की पुनरीक्षा अधिकारियों की एक समिति नियुक्त कराकर माह नवम्बर, 1987 में की जाएगी।

4. कनिष्ठ इंजीनियरों ने संवर्ग पुनरीक्षा के परिणाम-स्वरूप हाल ही में सृजित सहायक इंजीनियरों के 559 पदों पर पदोन्नति को तत्काल कार्यान्वित करने की मांग की है। यह सहमति हुई थी कि पदोन्नति के आदेश दो माह के भीतर जारी कर दिये जायेंगे।

5. कनिष्ठ इंजीनियरों ने मांग की है कि उनके पक्ष में निर्धारित सवारी भत्ता स्वीकृत किया जाय। यह स्वीकार किया गया था कि इस मांग को सक्षम पदाधिकारियों के साथ एक बार फिर उठाया जायेगा।

6. कनिष्ठ इंजीनियरों ने मांग की है कि आयोजना तथा संकल्पना कार्यों के लिये विशेष वेतन में वृद्धि की जाय। इस संबन्ध में यह सहमति हुई थी कि योग्यता को ध्यान में रखे बिना आयोजना तथा संकल्पना कार्यों के लिये एक समान विशेष वेतन नामतः संकल्पना कार्य के लिये 150/-रुपये प्रतिमाह और आयोजना कार्य के लिये 80/-रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा।

7. कनिष्ठ इंजीनियरों ने मांग की है कि केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी—II में सीधी भर्ती को समाप्त किया जाय। यद्यपि इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया था फिर भी यह नोट किया गया था कि यह मांग इस आशंका के आधार पर की गई है कि केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा श्रेणी-II में सीधी भर्ती से कनिष्ठ इंजीनियरों की पदोन्नति पर प्रतिरोध होगा। यह स्वीकार किया गया था कि यह ध्यान में रखा जायेगा कि श्रेणी-II में पदोन्नति से कनिष्ठ इंजीनियरों के पदोन्नति के अवसरों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. यह स्वीकार किया गया था कि हड़ताल पर गये कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) को दण्ड नहीं दिया जायेगा। यह भी स्वीकार किया गया था कि अनुकूल संबंध सृजित करने की दृष्टि से "नियमानुसार कार्य" आन्दोलन के दौरान हड़ताली कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के विरुद्ध चलाये गये मुक्कदमों को वापस ले लिया जायेगा सिवाय व्यक्तिगत हमले या हिंसा वाले मामलों के।

9. यह भी स्वीकार किया गया था कि कनिष्ठ इंजीनियरों (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) की सेवाओं के सभी निबन्धव तथा शर्तें उपर्युक्त स्वीकृत शर्तों सहित, यथाआवश्यक परिवर्तन सहित अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) पर लागू होंगी।

10. यह भी स्वीकार किया गया था कि जब भी कनिष्ठ इंजीनियरों के संघ द्वारा या अन्य प्रकार से इसे उनके ध्यान में लाया जायेगा तो यह विभाग वाह्य संवर्ग पदोन्नति के प्रश्न को अन्य विभागों के साथ उठायेगा।

11. यह भी स्वीकार किया गया था कि हडताल में शामिल होने के कारण जिन कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें ड्यूटी पर आने की अनुमति दे दी जायेगी। हड़ताल की अवधि को नियम 27 में रिआयत तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा (पेन्शन नियमावली), 1972 के नियम 28 और मूल और अनुपूरक नियम 17-ए की शर्तों अर्थात् हड़ताल की अवधि गत सेवा के अपवर्तन के लिये नहीं मानी जायेगी, पर माफ कर दी जायेगी। तथापि, हड़ताल की अवधि के दौरान वेतन तथा भत्तों के संबन्ध में मामले को कार्मिक विभाग को यह विचार करने के लिये भेजा जायेगा कि क्या कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) को अनुमेय छुट्टियों को हड़ताल की अवधि के लिये समायोजित किया जा सकता है।

12. उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सर्वसम्मति को देखते हुये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ इंजीनियर संघ तथा उद्यान अनुभागीय अधिकारी संघ अपनी मांगों के समर्थन में तत्काल हड़ताल समाप्त करने तथा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमत हो गये। वे इस बात के लिये भी सहमत हो गये कि सभी कनिष्ठ इंजीनियर तथा अनुभागीय अधिकारी (उद्यान) काम पर वापस आ जायेंगे और पूर्ण निष्ठा तथा परस्पर आस्था से काम करेंगे।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(हरीश चन्द्र)	(पी० के० मिश्रा)	(एम० के० मिश्रा)
निर्माण निर्देशक		
केन्द्रीय लोक निर्माण	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
विभाग	(एम० जे० खब्बर)	(जे० पी० यादव)
	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
हस्ताक्षर	(डी० सी० शर्मा)	(बीरबल)
(देशराज सिंह)		
संयुक्त सचिव	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
शहरी विकास मंत्रालय	(निगम प्रकाश)	(एन० के० यादव)

उपर्युक्त हस्ताक्षर आज दिनांक 20 अगस्त, 1987 को किये।

विवरण—2

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा
हड़ताल— संघ के साथ सर्वसम्मति पर अनुवर्ती कार्यवाही :

1. **वेतन मानों में विसंगति के सम्बन्ध में मंत्रियों के दल के लिये टिप्पणी तैयार करना।**

अब इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय के लिये गठित की जाने वाली विसंगति समिति को भेजने का प्रस्ताव है।

वेतन मानों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये जाने तक कनिष्ठ इंजीनियरों के ग्रेड-1 में पदोन्नति को आस्थगित रखा गया है।

2. **कनिष्ट इंजीनियरों तथा अनुभागीय अधिकारियों (उद्यान) के संवर्ग की पुनरीक्षा :**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में इस प्रयोजन के लिये एक कार्य दल का गठन किया गया है।

3. **सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति :**

494 कनिष्ठ इंजीनियरों को सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

4. **निर्धारित मंहगाई भत्ता देना :**

पुनः विचार किए जाने के बावजूद भी सरकार ने इस मांग को नही माना है।

5. **आयोजना तथा संकल्पना कार्य के लिये विशेष वेतन में वृद्धि करना :**

डिजाइन तथा आयोजना भत्ते की राशि में वृद्धि करने के लिए 12 अक्तूबर, 1987 को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं।

6. **हड़ताली कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय (उद्यान) अधिकारियों को वस्त्र देना :**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सभी मुख्य इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

हड़ताल के सम्बन्ध में तथा नियमानुसार कार्य आन्दोलन जिन पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने या हिंसा के अभियोग हैं, को छोड़कर, के सम्बन्ध में कनिष्ठ इंजीनियरों के विरुद्ध दायर मामले वापस लेने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा अभियोग निदेशक को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

7. **संवर्ग वाह्य पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति :**

अन्य विभागों में संवर्ग वाह्य पदों के लिये कनिष्ठ इंजीनियरों के नाम उदारता से भेजने के लिये मुख्य इंजीनियरों तथा अधीक्षक इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

8. **हड़ताल की अवधि के लिये वेतन तथा भत्तों का भुगतान :**

कार्तिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करने के बाद इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि "कार्य बिना वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर हड़ताल की अवधि के लिये कनिष्ठ इंजीनियरों तथा अनुभागीय इंजीनियरों (उद्यान) को किसी प्रकार का वेतन तथा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

विवरण-3

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन की शेष मांगें	निर्णय/वर्तमान स्थिति
1. समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान ।	1.4.87 से कार्यान्वित ।
2. 1982-83 तथा उसके बाद उत्परदकता से सम्बद्ध वोनस का भुगतान ।	सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है ।
3. अधिनियम और उसके अन्तर्गत 1.1.86, 1.10.86 और 1.4.87 से बने नियमों के तहत यथा परिभाषित मजदूरी के आधार पर कार्य-प्रभारित वर्गीकृत नियमित स्थापना तथा मस्टर रोल कर्मचारी की न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत समयोपरि भत्ते का भुगतान ।	सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है ।
4. सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों को वर्दी जारी करना ।	कार्यान्वयन किया जा चुका है ।
5. छः महीने की सेवा पूर्ण करने के बाद सभी मस्टर रोल कर्मचारियों को पूर्व-प्रभावी रूप से नियमित करना ।	मस्टर रोल कामगारों को नियमित किया जायेगा बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों ।
6. सभी मस्टर रोल कर्मचारियों को वर्दी तथा उसकी कीमत दी जाय तथा बोनस, साईकिल भत्ता, औजार भत्ता, वेतन वृद्धि, अवकाश भत्ता रियायत, प्रभावी छुट्टियाँ आदि पूर्व प्रभावी रूप से दी जायं ।	मस्टर रोल कामगार नैमित्तिक कामगार हैं और इसलिए उन्हें वर्दी सप्लाई करना उचित नहीं समझा गया । मस्टर रोल कामगारों को नियमित कार्य-प्रभावित स्थापना पर सरकारी कर्मचारियों को अनुमेय अन्य सुविधाएं/लाभ देना भी उचित नहीं पाया गया है ।
7. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन कार्य के साथ ही कर्मचारियों को राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण में भेजने के निर्णय होने तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से सिविल हवाई अड्डा, रन-वे आदि के अनुरक्षण/निर्माण का कार्य अन्तरित होने से रोकना ।	सिविल हवाई पट्टियों के अनुरक्षण/निर्माण का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जाता रहेगा ।

अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन की शेष मांगें	निर्णय/वर्तमान स्थिति
1. निर्माण महानिदेशक तथा अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन के बीच दिनांक 20.4.87 को हुए करार का कार्यान्वयन । 2. निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को 9.3.87 को पेश की गई "कार्यकारी दल" की रिपोर्ट का कार्यान्वयन ।	कार्यदल की रिपोर्ट के प्रकाशन को छोड़कर 20.4.87 के द्विपक्षीय करार पर पहले ही अमल किया जा चुका है । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-क के तहत इसी मसले पर मध्यस्थों के फैसले के सन्दर्भ में कार्यदल की रिपोर्ट प्रकाशित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।
3. रिट याचिका (सिविल) संख्या 15920/84 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 23.4.87 को दिये गये निर्णय को अमल में लाना ।	फैसले का कार्यान्वयन 1.4.87 से किया जा चुका है ।
4. 5.9.86 को मजदूर यूनियन के साथ हुए करार को रद्द करना । मद संख्या 4 के बारे में क्योंकि यह अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी यूनियन के साथ हुए दिनांक 6.8.86 के पूर्व समझौते के विपरीत है ।	5.9.86 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन के साथ हुआ करार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रबन्ध और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन के बीच विवाद में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 12 (3) के तहत एक समझौता था और इसलिए इसे निरस्त नहीं किया जा सकता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वर्कर्स यूनियन की शेष मांगें	निर्णय/वर्तमान स्थिति
1. कार्य प्रभारित/नियमित स्टाफ के रूप में सभी नैमित्तिक/मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए ।	रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर ही पात्र नैमित्तिक/मस्टर रोल कार्मिकों को नियमित किया जायेगा ।
2. पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के कोटे में रिक्त पड़े सभी पदों को भरा जाना चाहिए ।	सम्बन्धित अधिकारियों को रिक्त पद, यदि कोई हो, को भरने के लिए आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं ।
3. सभी नैमित्तिक/मस्टररोल कर्मचारियों को कार्य प्रभारित कर्मचारियों की तरह 16 भुगतानयुक्त राजपत्रित छुट्टियाँ प्रदान की जायें ।	उन्हें 16 छुट्टियां स्वीकृत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे नियमित कर्मचारी नहीं हैं ।

4. सभी नैमित्तिक/मस्टर रोल कर्मचारियों को वर्ष में 12 भुगतानयुक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जायें।	उन्हें ऐसी छुट्टी स्वीकृत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि वे नियमित कर्मचारी नहीं है।
5. सभी नैमित्तिक/मस्टर रोल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायं।	उन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वे नियमित कर्मचारी नहीं है।
6. चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमानों का लाभ एम० आर० एम० परियोजना कामगारों को भी दिया जाय।	1.10.1986 से, अथवा उनको भारत में खपाने की तारीख से, जो भी पहले हो चतुर्थ वेतन आयोग के वेतनमान उन्हें दिए गए हैं।
7. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सभी कर्मचारियों को पूर्व प्रभावी तारीख से 30 दिन के समान बोनस का भुगतान किया जाय।	जैसा कि तदर्थ बोनस के आदेश अन्य सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं, उन्हीं के अनुसार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य प्रभारित स्टाफ को तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाता है।
8. पूछताछ कार्यालयों में कार्यप्रभारित कर्मचारियों/नियमित कर्मचारियों के लिए द्वितीय शनिवार की छुट्टी होनी चाहिए।	कार्यप्रभारित स्टाफ/नियमित स्टाफ के लिए द्वितीय शनिवार को अवकाश के रूप में मानना व्यावहारिक नहीं पाया गया है, क्योंकि श्रम कानून में इसे अनुमति नहीं है।
9. सभी कार्यप्रभारित/नियमित स्थनान्तरित श्रेणी के पदों की अकुशल, अर्धकुशल, कुशल आदि के रूप में तत्काल पुन: वर्गीकरण/पुन: श्रेणीबद्ध किया जाय।	सभी कार्यप्रभारित स्टाफ तथा नियमित वर्गीकृत स्टाफ के पुन: वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध करने के प्रश्न का अध्ययन मध्यस्थ द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अन्तर्गत किया गया है। मध्यस्थ का निर्णय जो सरकारी राजपत्र में 19.3.88 को प्रकाशित हुआ था। सरकार ने इस निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय किया है।
10. 1.8.1976 से 31.12.1985 तक रिक्त सभी सेलेक्शन ग्रेड पदों की कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा नियमित कर्मचारियों की सूची प्रचलित की जाय।	अंचल अधिकारियों को सभी सेलेक्शन ग्रेड पदों के लिए पत्रता की सूची परिचालित करने के निर्देश दिए गए हैं।
11. पूछताछ कार्यालयों में कार्यरत नियमित स्थानान्तरित श्रेणी/नियमित कर्मचारियों को कार्यप्रभारित कर्मचारियों की तरह समयोपरिभत्ता दिया जाय।	पूछताछ कार्यालयों में कार्यरत नियमित अंतरित श्रेणियों तथा नियमित स्टाफ को समयोपरि मजदूरी दी जाती है, जब जब उन्हें उनकी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त ड्यूटी करने के

	लिए कहा जाता है। तथापि, उनको कार्य प्रभारित स्टाफ की तरह समयोपरि मजदूरी देना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि वे न्यूनतम मजदूरी नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।
12. कतिपय कामगारों और इन्जिनियरों को मानदेय के भुगतान के बारे में आदेशों को रद्द किया जाय।	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कामगारों और इंजीनियरों को मानदेय के भुगतान के सम्बंध में सरकार के आदेशों को रद्द करना सम्भव नहीं है।
13. कार्यप्रभारित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट न लिखी जाय।	इस सुझाव के निमित्त कोई औचित्य नहीं दिया गया है। प्रसंगवश गोपनीय रिपोर्ट उच्च पदों में प्रोन्नति के लिए स्टाफ के चयन हेतु आधार पर तैयार करती हैं इसलिए इस पद्धति को जारी रखना आवश्यक माना गया है।
14. उन सभी खल्लासियों/बेलदारों जिनके पास लाइसेन्स/आई० टी० आई० सर्टिफिकेट आदि हैं, को उसके लिए भत्ता दिया जाय।	इस सुझाव के निमित्त कोई औचित्य नहीं दिया गया है और इस प्रकार से इस सुझाव की जांच करना सम्भव नहीं है।
15. जिन मालियों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है उन्हें बिना ट्रेड टैस्ट के वरिष्ठ माली के रूप में पदोन्नत कर दिया जाय।	नियमों के अनुसार एक माली को वरिष्ठ माली के रूप में प्रोन्नत करने से पूर्व ट्रेड टेस्ट एक अनिवार्य बात है। अतः इस मांग को नहीं माना जा सकता।
16. कर्मचारियों को सही और अद्यतन भविष्य निधि का लेखा खाता दिया जाय।	जोनल अधिकारियों को यह करने को कहा गया है।
17. मैट्रिक पास सभी अकुशल और अर्ध-कुशल कामगारों को क्लर्क के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र माना जाय।	इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है क्योंकि कार्य प्रभारित स्टाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा प्रसारित है।
18. सभी कार्य प्रभारित कर्मचारियों को गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के समान छुट्टियों की सुविधाएं प्रदान की जायं।	सब मिलाकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य प्रभारित कर्मचारी सिवाय उन कर्मचारियों को छोड़कर जो अस्थाई हैं, नियमित स्टाफ की तरह उनके समान छुट्टियों के अधिकार का लाभ उठा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में मल व्ययन कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता

679. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या शहरी विकास मंत्री शहरी क्षेत्रों में मल व्ययन कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के बारे में 6 अप्रैल, 1987 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5749 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक श्रेणी के शहरों और कस्बों में मल व्ययन के और मल व्ययन उपचार की व्यवस्था हेतु शहरी सफाई के बारे में विशिष्ट नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्वतीय राज्यों को इस प्रयोजन के लिए कोई आवंटन किया गया है और यदि हां, तो नगरों/कस्बों के नामों सहित प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कस्बों के वर्गीकरण के मापदण्ड क्या हैं और क्या पर्वतीय राज्यों, क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में न्यूनतम कार्यक्रम के लिए जनसंख्या पर विचार किये बिना ऐसे सभी जिलों, उप-खंड तहसील और खण्ड विकास मुख्यालयों का, जिनमें नगरपालिका अधिसूचित क्षेत्र समितियां हैं, विशेष ध्यान रखा जाएगा जैसाकि राज्यों की राजधानियों के मामले में किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख तक निर्णय लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी स्वच्छता के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश दिनांक 6.4.87 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 5749 के उत्तर में पहले से ही बता दिये हैं। सातवीं योजना दस्तावेज का पैरा 12.62 पृष्ठ 304 भी देखें।

(ख) पर्वतीय राज्यों के शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों के बारे में वित्तीय ब्यौरे, जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा वार्षिक योजना प्रारूप 1987-88 तथा 1988-89 के दस्तावेजों के निर्दिष्ट हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नगरों के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड जनगणना में गिनी गई जनसंख्या के आकार पर आधारित हैं और यह इस प्रकार हैं :—

श्रेणी-I	100,000 और उससे अधिक जनसंख्या
श्रेणी-II	50,000 से 99,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-III	20,000 से 49,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-Iv	10,000 से 19,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-v	5,000 से 9,999 तक जनसंख्या
श्रेणी-vI	5,000 से कम जनसंख्या

महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा की गई जनगणना में सभी जिले उप-मंडल, तहसील और खंड शामिल हैं। इन श्रेणियों पर विशेष ध्यान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(रुपये लाखों में)

पर्वतीय राज्य का नाम	7वीं योजना परिव्यय	1985-86 व्यय	1986-87 व्यय	1987-88 परिव्यय	1987-88 प्रस्तावित व्यय
हिमाचल प्रदेश	325.00	27.34	39.95	180.00	180.00
जम्मू तथा कश्मीर	2189.00	328.06	345.00	536.00	575.00
मणिपुर	450.00	14.13	29.78	35.00	35.00
मेघालय	200.00	—	—	17.00	17.00
मिजोरम	25.00	—	10.00	3.00	3.00
नागालैंड	50.00	1.13	4.98	5.00	5.00
त्रिपुरा	190.00	48.43	51.21	60.00	60.00
सिक्किम	175.00	—	22.14	30.00	30.00
अरुणाचल प्रदेश	458.00*	—	12.11	300.000	300.00*

*शहरी जलपूर्ति भी शामिल है ।

पवन हंस लिमिटेड द्वारा हेलीकाप्टरों की खरीद

680. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान पवन हंस लिमिटेड द्वारा कितने हेलीकाप्टर खरीदे गए;

(ख) किन शर्तों पर इन हेलीकाप्टर की खरीद की गई;

(ग) पवन हंस लिमिटेड कितने स्थानों से इन्हें चला रहा है; और

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान प्रति हेलीकाप्टर कितने घंटे की उड़ान कराई गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान पवनहंस ने 12 वेस्टलैंड 30, 11 एस ए-365 एन डाफिन 2 और 3 एसए-365 एन डाफिन 2 एक्जियूक्यूटिव किस्म के हेलीकाप्टर प्राप्त किये हैं। ब्रिटिश सरकार ने मैसर्स वेस्टलैंड हेलीकाप्टर- यू० के० से 21 वेस्टलैंड 30 हेलीकाप्टरों की खरीद के लिए सीधे 650 लाख पौंड के अनुदान की पेशकश की थी। डाफिन हेलीकाप्टरों के लिए फ्रांस सरकार ने भारत-

फ्रांस आर्थिक नमावार के अन्तर्गत इन हेलीकाप्टरों की खरीद को कवर करने का प्रस्ताव किया है जो पैकेज अनुदान की 31% मंजूरी तक होगा।

(ग) इस समय पवन हंस इन्हें 15 स्थानों से परिचालित कर रहा है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान पवनहंस लिमिटेड के हेलीकाप्टरों द्वारा की गई घंटों की उड़ान :

डाफिन एस ए 365 एन		वेस्टलैंड-30	
पंजीकरण सं०	घंटे	पंजीकरण सं०	घंटे
वीटी-ईएलए	402.35	वीटी-ईकेई	310.30
वीटी-ईएलबी	721.15	वीटी-ईकेएफ	566.05
वीटी-ईएलसी	697.45	वीटी-ईकेजी	265.10
वीटी-ईएलडी	435.32	वीटी-ईकेएच	149.50
वीटी-ईएलई	499.00	वीटी-ईकेआई	275.35
वीटी-ईएलएफ	865.40	वीटी-ईकेजे	251.40
वीटी-ईएलजी	827.45	वीटी-ईकेके	157.45
वीटी-ईएलएच	571.00	वीटी-ईकेएल	728.55
वीटी-ईएलआई	165.45	वीटी-ईकेएम	469.51
वीटी-ईएलजे	1040.43	वीटी-ईकेएन	846.35
वीटी-ईएल के	764.30	वीटी-ईकेओ	830.25
वीटी-ईएलएल	337.55	वीटी-ईकेपी	348.25
वीटी-ईएलएम	870.35	वीटी-ईकेक्यू	536.55
वीटी-ईएलएन	777.05	वीटी-ईकेआर	316.34
वीटी-ईएलओ	293.30	वीटी-ईकेएम	159.00
वीटी-ईएलक्यू	783.20	वीटी-ईकेयू	311.00
वीटी-ईएलआर	387.15	वीटी-ईकेवी	60.10
वीटी-ईएलएस	279.00	वीटी-ईकेडब्ल्यू	116.30
वीटी-इएलटी	386.25	वीटी-ईकेएक्स	96.10
वीटी-ईएलजैड	435.15	वीटी-ईकेवाई	41.05
वीटी-ईएलपी	244.05	वीटी-ईकेटी	170.55

टिप्पणी : हेलीकाप्टरों की उड़ान के घंटों में भिन्नता इसलिए थी क्योंकि :

(क) हेलीकाप्टरों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया है जिसकी सुपुर्दगी सितम्बर,

1986 से शुरू हुई थी।

(ख) हेलीकाप्टरों की उपयोगिता ग्राहक और उस भूमिका पर निर्भर करती है जिसके लिए इसे लगाया गया है।

स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति व्यय

681. **श्री रेणु पद दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया; और

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए विवरण–1 संलग्न है। वर्ष 1986-87 और 1987-88 के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संकलित किए जाते हैं जिन्हें राज्यों के वित्त लेखों की प्रतीक्षा है।

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में स्वास्थ्य बजट पर खर्च दर्शाने वाला विवरण–2 संलग्न है। वर्ष 1987-88 के दौरान संघ सरकार द्वारा स्वास्थ्य बजट पर दिया गया कुल परिव्यय 205 करोड़ रुपये है और वर्ष 1988-89 के दौरान 228 करोड़ रुपये है।

विवरण-1

वर्ष 1985-86 के दौरान स्वास्थ्य (चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य) और परिवार कल्याण पर प्रति व्यक्ति (सार्वजनिक क्षेत्र) खर्च :

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985–86 स्वास्थ्य	1985–86 परिवार कल्याण
1	2	3	4
		रु० पैसे	रु० पैसे
1.	आन्ध्र प्रदेश	39-03	7.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	246.24	1.62
3.	असम	44.93	5.35

1	2	3	4
4.	बिहार	23.79	4.52
5.	गोवा, दमण और द्वीप	224.31	4.17
6.	गुजरात	44.45	9.40
7.	हरियाणा	60.05	8.79
8.	हिमाचल प्रदेश	133.08	15.44
9.	जम्मू और कश्मीर	156.10	4.42
10.	कर्नाटक	34.24	8.86
11.	केरल	45.36	9.12
12.	मध्य प्रदेश	40.67	7.08
13.	महाराष्ट्र	63.43	6.82
14.	मणिपुर	133.73	12.14
15.	मेघालय	—अनुपलब्ध—	
16.	मिजोरम	329.05	10.47
17.	नागालैंड	—अनुपलब्ध—	
18.	उड़ीसा	33.32	6.75
19.	पंजाब	55.37	8.07
20.	राजस्थान	65.87	6.95
21.	सिक्किम	170.86	12.84
22.	तमिलनाडु	47.57	5.23
23.	त्रिपुरा	73.32	4.49
24.	उत्तर प्रदेश	26.51	6.78
25.	पश्चिम बंगाल	37.54	4.64
26.	पांडिचेरी	153.47	6.21
	अखिल भारत	46.23	7.19

नोट : अखिल भारत के योग में संघ सरकार का खर्च शामिल है अर्थात् केन्द्र सरकार और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित खर्च ।

विवरण-2

वर्ष 1987–88 और 1988-89 के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वास्थ्य बजट पर प्रदान किया गया परिव्यय :

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89
1	2	3	4
		(रुपये लाखों में)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	3000.00	3400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	300.00	286.00
3.	असम	2500.00	2550.00+425.00 विशेष केन्द्र सहायता
4.	बिहार	4870.00	4515.00
5.	गोवा	× 475.00	44.00
6.	गुजरात	2050.00	2359.00
7.	हरियाणा	1638.00	1537.00
8.	हिमाचल प्रदेश	736.00	800.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1375.00	1909.00
10.	कर्नाटक	2361,00	2916.00
11.	केरल	1276.00	1400.00
12.	मध्य प्रदेश	4317.00	4500.00
13.	महाराष्ट्र	9204.00	7682.00
14.	मणिपुर	324.00	350.00
15.	मेघालय	360.00	359.00
16.	मिजोरम	290.00	342.00
17.	नागालैंड	475.00	526.00
18.	उड़ीसा	1602.00	1761.00
19.	पंजाब	1533.00	2068.00
20.	राजस्थान	2250.00	3038.00

1	2	3	4
21.	सिक्किम	150.00	165.00
22.	तमिलनाडु	3092.00	3607.00
23.	त्रिपुरा	404.00	454.00
24.	उत्तर प्रदेश	10135.00	9651.00
25.	पश्चिम बंगाल	2588.00	अनुपलब्ध
	योग राज्य	57297.00	56616.00
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	90.00	130.00
2.	चण्डीगढ़	195.00	200.00
3.	दादरा और नागर हवेली	28.41*	30.00
4.	दमण और दीव		76.40
5.	दिल्ली	3933.00	4300.00
6.	लक्षद्वीप	15.42	264.0
7.	पाण्डिचेरी	180.00	250.00
	योग संघ राज्य क्षेत्र	4441.83	5012.44
	कुल योग (राज्य+संघ राज्य क्षेत्र)	61738.83	61628.44
			+ 425.00
			62053.44

×दमण और दीव के आंकड़े शामिल हैं।

*गोवा के आंकड़ो में शामिल हैं।

इन्जनों की खरीद

682. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेल विभाग को कुल कितने इन्जनों की आवश्यकता है;

(ख) कुल कितने इन्जन उपलब्ध हैं; और

(ग) उनमें से पुराने पड़ गए इन्जन कितने हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद): (क) और (ख) इस समय भारतीय रेलें माल और यात्री गाड़ियों के दिन प्रति दिन के संचलन के लिए बड़ी लाइन के 3957 और मीटर लाइन के 659 डीजल और बिजली रेल इन्जनों का उपयोग करती है और, इतनी ही संख्या में रेल इन्जन उपलब्ध हैं ।

(ग) बड़ी लाइन के 19 डीसी गतायु बिजली रेल इन्जन अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण गाड़ियों में लगाये गये हैं ।

मयूराक्षी एक्सप्रेस चलना

683. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मयूराक्षी एक्सप्रेस प्रतिदिन ठीक समय पर चल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान यह रेल गाड़ी अपने गन्तव्य स्थान तक कितने दिन ठीक समय से पहुंची ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (ग) अप्रैल मई और जून 1988 के दौरान मयूराक्षी एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्टेशन रामपुरहाट पर 90 दिन और हबडा पर 70 दिन समय पर पहुंची । यह गाड़ी अधिकांशतः शरारती तत्वों की गतिविधियों, आंदोलनों और दुर्घटनाओं आदि के कारण विलम्ब से चली ।

ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की कार्यनिष्पत्ति और कमियां

684. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधायें बेहतर बनाकर इनकी असीम क्षमता का उपयोग करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता के लिए स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं की कार्यनिष्पत्ति और कमियों का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : *(क) और (ख) जी, हां । ग्रामीण* लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का आकंलन करने के लिए निम्नलिखित अध्ययन किए गए हैं :—

(1) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के टास्क फोर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आपरेशन रिसर्च ग्रुप बड़ौदा द्वारा केरल, गुजरात और बिहार में जन स्वास्थ्य सेवाएं उपयोग में कम लाए जाने के कारण ।

(2) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जिले में इंस्टिट्यूट आफ मैनपावर रिसर्च द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या और स्वास्थ्य कार्मिकों पर एक अध्ययन (1984) ।

(3) भारतीय प्रबंध-संस्थान, अहमदाबाद द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविधाओं के उपयोग और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रबंध पर सितम्बर, 1985 में किया गया अध्ययन ।

(4) आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा द्वारा भारत के गांवों में सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बिहार, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया गया एक तुलनात्मक अध्ययन (1986) ।

उपर्युक्त बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आ रही जो मुख्य अड़चने हैं वे हैं : लोगों तक पहुंचने में दुर्गम्यता, सामग्री, परिवहन, जनशक्ति और कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी संभारतंत्र (लाजिस्टिक) सहायता की अपर्याप्ता ।

वायुदूत में हिस्सा

685. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तीसरे स्तर की फीडर एयरलाइन्स, वायुदूत पर अपनी पकड़ बनाये रखने के वास्ते इसमें अपना हिस्सा रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वायुदूत कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एयरइन्डिया और इन्डियन एयरलाइन्स की एक संयुक्त कम्पनी है । वायुदूत का पूंजीगत ढांचा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा इक्विटी में सहभागिता करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

मुआवजे के भुगतान के लिए लम्बित आवेदन

686. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (वाणिज्यिक सम्पदा शाखा) के पास दिल्ली विकास प्राधिकरण

परामर्श दात्री समिति के सदस्यों और अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान हेतु अग्रेषित किए गए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक आवेदन में क्या आधार दिए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भुगतान कब तक करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मुआवजे के भुगतान का कोई आवेदन नहीं है जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण परामर्शदात्री समिति के सदस्यों और अन्य अति-विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए भेजा गया है, जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास लम्बित पड़ा है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्व-वित्त योजना के अंतर्गत पश्चिमपुरी नई दिल्ली में 365 फ्लैटों का निर्माण

687. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री स्ववित्त योजना के अन्तर्गत पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में 356 फ्लैटों के निर्माण के बारे में 9 दिसम्बर, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना को लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्थित कोयला डिपो और बुद्ध बिहार स्थल को अन्यंत्र ले जाने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, निर्माण कार्य प्रगति पर है । कोयले का डिपो तथा बुद्ध विहार दोनों को पूर्व स्थिति में ही छोड़ दिया गया है और बुद्ध विहार चिन्हित क्षेत्र है । कोयले का डिपो जो कि पश्चिमपुरी में चल रहा है, को तब स्थानांतरित किया जाएगा जब उसे वैकल्पिक स्थान दे दिया जाएगा ।

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिती लि०, वसंत विहार से दिल्ली विकास प्राधिकरण की मांग

688. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वसंत विहार और शांतिनिकेतन दोनों कालोनियों में भूमि के लिए दिये गये अतिरिक्त मुआवजे के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० से एक करोड़ रुपये से अधिक की मांग की है; यदि हां, तो इन दोनों कालोनियों के संबंध में पृथक-पृथक रूप से देय राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन कारणों से तत्संबंधी पंचाटों की तिथि, प्रत्येक मामले में निर्धारित की गई राशि और ऐसा पंचाट देने वाले न्यायिक प्राधिकरी सम्बन्धी सूचना नहीं दे रहा है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी मालिकाना सिद्धांतों के विरुद्ध पूर्व लक्षी ब्याज सहित इस राशि के भुगतान के लिए अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण को समिति को वांछित सूचना देने और मामले के निपटाने तक भुगतान की तिथि बढ़ाने का निदेश देने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यायालयों के नियमों के अनुसार की गई वृद्धि के आधार पर भूमि की अतिरिक्त लागत के कारण गवर्नमेंट सर्वेंटस को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० से 1,74,10,044,90 रुपये की मांग की है। ब्लाक "ए" (शान्ति निकेतन) और ब्लाक "बी" (वसन्त विहार) में भूमि के सम्बन्ध में अतिरिक्त लागत क्रमशः 39,42,952.48 रुपये और 1,34,67,082.42 रुपये है।

(ख) बढ़ा हुआ मुआवजा विभिन्न तारीखों को विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवार्ड किया गया है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सोसायटी से बढ़े हुए मुआवजे की राशि एक माह के अन्दर जमा करने को कहा गया था जिसे सोसायटी के अनुरोध पर 3 माह के लिये बढ़ाया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सोसायटी ने बढ़ाई गई अवधि में भी भुगतान नहीं किया है। वे अब उपयुक्त आगामी कारंवाई करेंगे।

एयर इंडिया की विदेशों में धन राशि

689. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की नाइजीरिया सहित विभिन्न देशों में करोड़ों रुपये की धनराशि फंसी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया की विदेशों में फंसी धनराशि का देशवार ब्यौरा क्या है और इसे अपने देश में लाने के लिए क्या विचार किया गया है; और

(ग) क्या एयर इंडिया की विदेशों में धन-राशि का प्रबन्ध अमरीका की "मोरगन गारन्टी" को सौंपने का विचार है; यदि हां, तो किन शर्तों पर ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 30 जून, 1988 की स्थिति के अनुसार, एयर इंडिया को देय 38.14 करोड़ रुपये की राशि

अफ्रिका तथा पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में अवरुद्ध हो गई है। विवरण निम्न प्रकार है :

देश	स्थानीय मुद्रा में अवरुद्ध राशि (मिलियन)		अवरुद्ध राशि (करोड़ रुपयों में)
नाइजिरिया	एन० जी० एन०	18.310	15.56
ईराक	आई० आर० डी०	2.524	10.77
ईरान	आई० आर० आई०	351.220	7.05
जाम्बिया	जेड० एम० के०	20.397	3.50
तनजानिया	टी० ए० एस०	30.657	0.43
अन्य देश			0.83
			38.14

एयर इंडिया ने अवरुद्ध निधियों के प्रत्यावर्तन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. सभी विनियम संबंधी औपचारिकताएं तथा अन्य सरकारी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की गईं। एयर इंडिया की निधियों की शीघ्र प्राप्ति के लिए सम्बन्धित स्थानीय एजेन्सियों के साथ सम्पर्क कायम किया गया। इसके परिणामस्वरूप, एयर इंडिया वर्ष 1987-88 के दौरान नाइजिरिया, ईराक, लिबिया और तनजानिया से 17·96 करोड़ रुपये का प्रत्यावर्तन करने में सफल रहा। अप्रैल से जून, 1988 की अवधि के दौरान नाइजिरिया और ईराक से 5.45 करोड़ रुपये की राशि का भी प्रत्यावर्तन किया गया।

2. एयर इंडिया सम्बन्धित सरकारों के साथ औद्योगिक स्तर तक मामले को ले जाने के प्रयासों के लिए आयटा के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

(ग) जी, नहीं।

बिजली में कटौती के कारण आरक्षण प्रणाली में रुकावट

690. डा० बी० एल० शैलेश : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की आरक्षण प्रणाली राजधानी में बिजली में भारी कटौती के कारण मई-जून के दौरान लगातार कई दिनों तक पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त रही जिससे इन यात्रियों को ही अधिक असुविधा नहीं हुई जिन्हें एक आरक्षण काउन्टर से दूसरे काउन्टर पर जाना पड़ा बल्कि दिल्ली से सभी क्षेत्रों के लिए टिकटों की सम्पूर्ण योजना तथा व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भविष्य में बिजली फेल हो जाने की परिस्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में कंचनजंगा बिल्डिंग, मल्होत्रा बिल्डिंग और सफ्दरजंग एयरपोर्ट आरक्षण कार्यालय में डिजल जेनरेटर सैटों की व्यवस्था की जा रही है जिससे यात्रियों को बिजली फेल होने की स्थिति में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उड़ीसा में बंधुआ मजदूर

691. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार को पिछले चार वर्षों के दौरान कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) उड़ीसा के बारे में अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	केन्द्र के हिस्से की रिलीज की गई राशि (रुपये लाखों में)	निर्धारित लक्ष्य (संख्या)	प्राप्त लक्ष्य (संख्या)
1984-85	302.44	10,000	4952
1985-86	70.03	7,500	5385
1986-87	66.98	4,880	6577
1987-88	84.02	4,880	4499

बंधुआ मजदूरों का पता लगाया जाना

692. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1987-88 में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया और विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : 1987-88 के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्र के हिस्से के रूप में 255.6 लाख रुपये की राशि नियत की गई थी। 1987-88 के दौरान नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार 141.07 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई थी :

क्रमांक	राज्य का नाम	रिलीज की गई राशि (रुपये लाखों में)
1.	बिहार	8.17
2.	उड़ीसा	84.02
3.	राजस्थान	1.00
4.	उत्तर प्रदेश	47.88
	जोड़	141.07

खाद्य तेल का आयात

693. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्य तेलों के आयात को कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खरीफ तथा रबी मौसम के दौरान तिलहनों का अलग-अलग कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय, देशी खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, खुले बाजार में देशी खाद्य तेलों के मूल्य और सम्बन्धित घटकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है। अतः तेल वर्ष 1989-90 के दौरान खाद्य तेलों की आयात की जाने वाली मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

(ग) 1989-90 के लिए खरीफ और रबी तिलहनों के संभावित उत्पादन की भविष्यवाणी अभी नहीं की जा सकती।

कानून के अंतर्गत विवाह की निर्धारित आयु से पहले विवाह करने वालों के बारे में अध्ययन

694. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से परिवार

नियोजन संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि देश में कानून के अन्तर्गत विवाह की निर्धारित आयु पूर्ण विवाह करने और गर्भधारण करने वाली महिलाओं की संख्या अत्यधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) फैमिली प्लानिंग फाउन्डेशन ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र के सहयोग से पाँच राज्यों–उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक के कुछ चुने हुए (पहाड़ी, आदिवासी तथा ग्रामीण) जिलों तथा बम्बई की गंदी बस्तियों में प्रजननता के संदर्भ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 1987-88 के दौरान एक अध्ययन किया जिससे शिशु मृत्यु दर के लिए उत्तरदायी जोखिम वाले कारणों का पता लगाया जा सके, प्रजननता के साथ इसके सम्बन्ध की जांच की जा सके तथा शिशु मृत्यु दर और प्रजननता में कमी लाने के लिए उपयुक्त कार्यनीति का सुझाव दे सके। अध्ययन के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

कम उम्र में शादी करने के विरुद्ध जन अभियान चलाने के लिए संचार साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इसमें दूरदर्शन, और आकाशवाणी स्पाट्स, फिल्में, विज्ञापन और मुद्रित प्रचार सामग्री शामिल है। राज्य सरकारें केन्द्र द्वारा तैयार की गई सामग्री का इस्तेमाल करती हैं और कम उम्र में शादी करने से सम्बन्धित विषयों पर अपने द्वारा तैयार स्थानीय विशिष्ट प्रचार सामग्री रिलीज करती हैं। क्षेत्र प्रचार निदेशालय जैसे पारम्परिक संचार माध्यम जिनकी पहुंच देश के दूरस्थ क्षेत्रों, ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों तक हैं, इस विषय पर बड़ी संख्या में फिल्म शो, बातचीत और सामूहिक चर्चाएं आयोजित करता है। गीत और नाटक प्रभाग भी लोक प्रचार के माध्यम से देश के ग्रामीण, पहाड़ी, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में यह कार्य करता है।

विवरण

पाँच राज्यों में 18 वर्ष की आयु से पहले शादी करने वाली और गर्भ-धारण करने वाली महिलाओं की प्रतिशतताएं।

	उत्तर प्रदेश		मध्य प्रदेश	उड़ीसा	कर्नाटक		बम्बई गंदी बस्तियां
	पहाड़ी	ग्रामीण			ग्रामीण	शहरी	
1. 18 वर्ष की आयु से पहले विवाहित महिलाओं का प्रतिशत	87.4	72.9	90.3	61.3	86.4	63.6	76.8
2. 18 वर्ष की आयु से पहले गर्भवती होने वाली महिलाओं का प्रतिशत	37.5	26.0	59.0	28.5	48.1	33.2	47.1

अन्वेषण को रोकने के लिए कार्यवाही योजना

695. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे अन्वेषण पर नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार, राजस्थान, केरल, जम्मू व कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश ।

(ग) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए हर महीने आंतरिक बैठकों में और हर चार महीने केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा कार्यक्रम की पुनरीक्षा की जा रही है और जिन राज्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं है उन्हें कार्यक्रम को तेज करने की सलाह दी जा रही है ।

बच्चों का शोषण

699. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अप्रैल, 1988 को बाल श्रमिकों ने उनका शोषण किए जाने के विरोध में राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या इन बच्चों ने सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के एक फेडरेशन, एन० जी० ओ० फोरम द्वारा 30 अप्रैल, 1988 को एक बाल श्रमिकों की रैली आयोजित की गई थी ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और स्ट्रीट तथा कामकाजी बालकों से सम्बन्धित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच यात्रा समय कम करना

697. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों की गति बढ़ाकर बंगलौर नई दिल्ली का यात्रा समय कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : फिलहाल नहीं।

बंगलौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी में प्रथम-श्रेणी शायिका कोटा

698. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी में प्रथम श्रेणी की कुल कितनी शायिकायें उपलब्ध हैं;

(ख) प्रथम श्रेणी के औसतन कितने यात्री प्रत्येक दिन प्रतीक्षा सूची में हाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार गाड़ी में और अधिक डिब्बे जोड़कर प्रथम श्रेणी की शायिकाओं की संख्या बढ़ाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बेंगलूर-नयी दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस गाड़ी में पहले दर्जे के दो सवारी डिब्बे रोजाना चल रहे हैं। पहले दर्जे के सवारी डिब्बे की वहन क्षमता 22 और 26 शायिकाओं के बीच भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) मई, 1988 के दौरान, कर्नाटक एक्सप्रेस में पहले दर्जे में प्रतीक्षा सूची पर यात्रियों की दैनिक औसत संख्या नयी दिल्ली पर 20 और बेंगलूर सिटी पर 34 थी।

(ग) फिलहाल नहीं।

बंगलौर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के नए औसधालय खोलना

699. **श्री वी एस० कृष्ण अय्यर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित ए० जी० आफिस के परिसर में कार्यालय के समय के दौरान कर्मचारियों को सामान्य डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई औषधालय है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ए० जी० आफिस के कर्मचारियों और समीप के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों जैसे टेलीफोन एक्सचेंज आदि के कर्मचारियों को डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई नया औषधालय खोलने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोती लाल वोरा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

बेलूर में होटल का निर्माण

700. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेलूर में एक 25 कमरे का होटल और एक उद्यान रेस्तरां बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थल का चयन कर लिया गया है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है और यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार का बेलूर में एक 25 कमरे वाला होटल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, बेलूर में एक पर्यटक परिसर बनाने का प्रस्ताव है जिसमें एक 24-बैड्स वाला एक डोरमीटरी आवास, पर्यटक विश्राम गृह और कैन्टीन ब्लाक शामिल है।

(ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थल का अभिनिर्धारण कर लिया है।

(ग) निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने की संभावना है और ऐसी आशा है कि यह 24 महीनों में पूरा हो जाएगा।

गुजरात में मकानों के स्थल और मकानों का उपलब्ध कराया जाना

701. **श्री उत्तम भाई ह० पटेल :**

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को कितने मकानों के स्थल और मकान आवंटित किये गये; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों के आवंटन तथा निर्माण सहायता योजनाओं तथा इन्दिरा आवास योजना गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही है। इसी प्रकार, गुजरात के शहरी क्षेत्रों में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाए जाते हैं। गत वर्ष अर्थात 1987-88 के दौरान की वर्ष वार उपलब्धि नीचे दी गई है :

(क) आवास स्थलों का आवंटन (परिवार)	—	43536
(ख) निर्माण सहायता का प्रावधान (परिवार)	—	37688
(ग) इन्दिरा आवास योजना (रिहायशी एकक)	—	8348
(घ) शहरी क्षेत्रों (एककों) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	—	4080

(ख) 20-सूत्री कार्यक्रम-1986 के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लक्ष्य वर्ष से वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

गुजरात में कपड़ा मिलों तथा अन्य उद्योगों के बन्द होने से बेरोजगार हुए श्रमिक

702. **श्री उत्तमभाई ह० पटेल :**

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 1.1.86 से 31.7.1988 की अवधि के दौरान कुछ कपड़ा मिलों एवं अन्य उद्योगों के बन्द होने के कारण अनेक श्रमिक और अन्य कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने श्रमिकों को रोजगार दे दिया गया है; और

(घ) शेष श्रमिकों को रोजगार देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर गुजरात में 1986 से 1988 (जनवरी-अप्रैल) की अवधि के लिए कपड़ा तथा अन्य उद्योगों के बन्द होने के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इन कामबन्दियों से प्रभावित श्रमिकों, जिन्हें काम पर लगाया गया है, की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों इन बन्द औद्योगिक एककों को समुचित पुनर्वासन पैकेजों, जिनमें रियायतें, राहतें और वित्तीय सहायता शामिल है, के माध्यम से पुन: शुरू करने के कदम उठा रही हैं। कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने एक पुनर्वास निधि का गठन किया है जो कि बन्द हुई कपड़ा मिलों के श्रमिकों के लिए टेपरिंग आधार पर राहत प्रदान करती है। गुजरात सरकार ने बन्द पड़ी कपड़ा मिलों को पुन: शुरू करने के लिए बिक्री कर क्रय कर, बिजली शुल्क, और बिजली पर बिक्री कर के स्थगन, बिजली की कटौती से छूट और मिल प्रबन्धतंत्रों की ओर से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सरकार की गारंटी का प्रावधान जैसी राहतें और रियायतें प्रदान करने के कदम उठाए हैं।

विवरण

कपड़ा और अन्य उद्योगों के बन्द होने और उससे प्रभावित श्रमिकों की संख्या (अनतिम)

	कामबन्दियों की संख्या		प्रभावित श्रमिक	
	कपड़ा उद्योग	अन्य उद्योग	कपड़ा उद्योग	अन्य उद्योग
1986	9	31	12779	2198
1987	10	34	14404	1450
1988 (जनवरी-अप्रैल)	3	8	2060	245

उड़ीसा में नई रेल लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव

703. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नई रेल लाइनों के निर्माण करने सम्बन्धी कितने प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के निर्माण का सुझाव दिया है :

(1) जखापुरा-बासपानी

(2) तालचेर-सम्बलपुर

(3) कोरापुट-रायगडा

(4) खोरधा रोड-बोलनगीर

(5) बरगढ़-रायपुर

(6) आमगुड़ी-केंसिंगा

(7) तालचेर-बिमलगढ़

(8) गोपालपुर-ब्रह्मपुर

(9) जैपोर-मलकानागिरि

(ख) (1) जखापुरा-बांसपानी का जखापुरा दैतारी खण्ड पूरा हो गया है।

(2) तालचेर-सम्बलपुर और कोरापुट-रायगडा रेल लाइनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

(3) खोरधा रोड-बोलनगीर लाइन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इसके वित्तीय मूल्यांकन की समीक्षा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा गया है।

(4) नयी रेल लाइनों के निर्माण हेतु संसाधनों की तंगी के कारण अन्य लाइनों के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

दिल्ली-भुवनेश्वर विमान सेवाओं के समय में परिवर्तन

704. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली-भुवनेश्वर विमान सेवाओं के समय में अप्रैल, 1988 से प्रभावी परिवर्तनों से नागरिकों को होने वाली असुविधाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विमान सेवाओं के समय को यथापूर्व करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 31.3.88 से पहले, दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच हवाई संपर्क निम्नलिखित उड़ानों से जोड़ा गया था ।

—आई सी-497 (दिल्ली/रायपुर/भुवनेश्वर/दिल्ली) सप्ताह में 5 बार

—आई सी 497 (दिल्ली/वाराणसी/भुवनेश्वर/दिल्ली) सप्ताह में 2 बार ।

31.3.1988 से दिल्ली/भुवनेश्वर हवाई संपर्क को निम्नलिखित उड़ानों से जोड़ा जा रहा है :

—आई सी 477/478 दिल्ली/रायपुर/भुवनेश्वर/कलकत्ता और वापसी) सप्ताह में 3 बार ।

—आई सी-497 (दिल्ली/वाराणसी/भुवनेश्वर/दिल्ली) सप्ताह में दो बार ।

इस प्रकार दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच दैनिक संपर्क को मामूली परिवर्तन के साथ बनाये रखा गया है ।

होटल उद्योग को बढ़ावा

705. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त तक देश में कितने विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) देश में विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकों को पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में हाल ही में किन-किन लाभों की घोषणा की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) योजना आयोग द्वारा निर्धारित 7 प्रतिशत के वृद्धि लक्ष्य के अनुसार, 1990 तक 15 लाख पर्यटकों के आने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) देश में होटल उद्योग का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में वित्तीय प्रोत्साहनों और रियायतों का विस्तार, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना और सहायक सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं । इनमें शामिल हैं—एम० आर० टी० पी० एक्ट से छूट, नये होटलों को आयकर से छूट, उच्चतर मूल्यह्रास भत्ता, विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय निवेश इमदाद, ब्याज इमदाद, विदेशी मुद्रा प्रोत्साहन कोटा, आयात पर सीमा शुल्क में रियायत, टेलीफोन/टेलेक्स कनैक्श्नस के आबंटन में प्राथमिकता आदि । हाल ही में घोषित रियायतों में विदेशी मुद्रा आय पर कर से छूट और 3-तारा श्रेणी तक अनुमोदित होटलों के लिए ब्याज इमामद में वृद्धि शामिल हैं ।

चिकित्सा संस्थानों में रक्त की कमी

706. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1988 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें देश के अधिकांश चिकित्सा संस्थानों में रक्त का भारी अभाव बताया गया है जिसका देश में डाक्टरी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ग) अस्पतालों में रक्त की कितनी कमी है; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) सरकार ने इस समाचार को देखा है । चिकित्सा संस्थाओं में रक्त की कमी के मुख्य कारण हैं :

(1) जनता में व्याप्त गलत धारणाओं के कारण रक्तदान के प्रति अनिच्छा ।

(2) जनसंख्या में वृद्धि, स्वास्थ्य आधार भूत ढांचे के विस्तार और तंत्रिका शल्य चिकित्सा, हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सा आदि जैसी विशिष्ट सुविधाओं की उपलब्धता के कारण बीमारियों का शुरू में पता लग जाने से रक्त की मांग में वृद्धि ।

(ग) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल मांग की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत रक्त की कमी है ।

(घ) रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुमुखी कार्रवाई योजना शुरू कर दी गई है जिसका उद्देश्य है स्वैच्छिक रक्त संग्रह में वृद्धि करना, वर्तमाम रक्त बैंकों के काम-काज में वृद्धि करना, जनशक्ति का विकास करना, अधिक मरीजों में रक्त संघटकों का इस्तेमाल करना तथा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को सख्ती से लागू करना ।

"रैंजिंग आफ स्पीड आफ मेल/एक्सप्रेस ट्रेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

707. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1988 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि रेल अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने के लिए गहराई से अध्ययन किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गाड़ियों की गति कब तक बढ़ाये जाने की सम्भवना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास योजना तैयार की है जिसमें यात्री गाड़ियों को 160 कि० मी०/प्रति घंटा तक परिचालित करने की व्यवस्था है। तल्प, रेलपथ, पुल, कर्षण शक्ति, शिरोपरि प्रणाली, कोचिंग स्टाक, सिगनल और दूर संचार आदि क्षेत्रों में आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का हवाला देने वाले प्रलेख अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन ने तैयार कर लिए हैं।

(ग) इनको आरम्भ करने के समय से लगभग 5 वर्ष की अवधि में अध्ययन पूरे किए जाने की सम्भावना है। रफ्तार में वृद्धि अपेक्षित अवसंरचना, प्रशिक्षित कर्मचारियों आदि, जो अध्ययनों के परिणाम पर आधारित हैं, के विकास पर निर्भर करेगी।

एयर इन्डिया/इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किए गए कर्मचारी

708. **श्री सी० माधव रेड्डी** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मानिक रेड्डी : क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया ने सीधी भर्ती पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) क्या इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया द्वारा भारी संख्या में कर्मचारी जैसे चपरासी, लिपिक और आशुलिपिक दैनिक मंजूरी/अस्थाई आधार पर नियुक्त किये जाते हैं;

(ग) प्रत्येक निगम द्वारा गत एक वर्ष के दौरान अस्थाई आधार पर ऐसे कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये; और

(घ) क्या सरकार का अस्थाई नियुक्तियों को ध्यान में रखकर भर्ती पर से प्रतिबन्ध हटाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) चपरासी, टाइपिस्ट क्लर्क, आशुलिपिकों इत्यादि जैसी श्रेणियों में परिचालनात्मक आवश्यकताओं/कार्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए, छुट्टी रिक्तियों/अनुपस्थित कर्मचारियों के स्थान पर समय-समय पर दैनिक मजदूरी/अस्थाई आधार पर भर्ती की जाती है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एयरलाइनों का निजीकरण

709. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री शरद दिघे :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री जी० एम० बनातवाला :
श्रीमती किशोरी सिंह :
श्री मानिक रेड्डी :
डा० कृपासिन्धु भोई :
श्री अमर सिंह राठवा :
श्री मोहन भाई पटेल :
श्री शांताराम नायक :
श्री एच० बी० पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय समिति ने राष्ट्रीय एयरलाइनों के आंशिक निजीकरण का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन करणों से विशेषज्ञ समिति ने राष्ट्रीय एयरलाइनों के आंशिक निजीकरण की सिफारिश की है;

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज बी० पाटिल) : (क) और (ख) "पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति" ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन दो एयरलाइनों का आंशिक निजीकरण किए जाने की सिफारिश की है :—

एयर इन्डिया

ऐसा समझा जाता है कि इसे (एयर इंडिया) विस्तार संबंधी अपने कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक राजकोष से पर्याप्त पूंजी नहीं मिलेगी। अतः एयरलाइन के आंशिक निजीकरण पर विचार करना उपयुक्त होगा तथा अधिकांश पूंजी सरकार की रहेगी। इसका अर्थ होगा कि एयर इन्डिया का एक संयुक्त स्टाक कम्पनी में परिवर्तन तथा इसकी समता पूंजी का एक भाग जनता के पास रहेगा। इससे इसे वाणिज्यिक दिशा प्रदान करने और उपभोक्ता सुग्राहिता में भी मदद मिलेगी।

इन्डियन एयरलाइन्स

एयर-इंडिया की ही भांति, इण्डियन एयरलाइन्स भी संसाधनों पर कड़े प्रतिबंध के कारण अपना वांछित विस्तार नहीं कर सकेगी। अतः इंडियन एयरलाइंस के आंशिक निजीकरण पर विचार

करना उपयुक्त होगा तथा अधिकांश पूंजी सरकार की रहेगी। इससे इस संगठन द्वारा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा कर सकने में मदद मिलेगी।

(ग) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) "पर्यटन पर राष्ट्रीय समिति" ने पर्यटन सेन्टर में अधिकतम पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संबंधी कार्यकलापों के वास्ते वित्तीय प्रोत्साहनों के एक पैकेज की भी सिफारिश की है। समिति ने पर्यटन विभाग, भारत पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग के अधीन प्रशिक्षण संस्थानों के पुनर्गठन की भी सिफारिश की है।

इन सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बीयर की खरीद

710. **श्री अजय विश्वास :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इण्डियन एयरलाइन्स पूर्वी क्षेत्र में गैर-लाइसेंस शुदा दुकानों से बीयर खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आमतौर पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कलकत्ता/बैंकाक/कलकत्ता की उड़ान के लिए निःशुल्क बीयर के स्टाक की आपूर्ति की जाती है। चूंकि भारत पर्यटन विकास निगम के पास आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिये स्टाक नहीं था, अतः कई अवसरों पर निजी फर्म के जरिये भारतीय बीयर प्राप्त करनी आवश्यक हो गई क्योंकि इस सैक्टर पर अन्य एयरलाइनों के बीच गंभीर प्रतिस्पर्द्धा है जो कि विभिन्न प्रकार की शराब उपलब्ध कराते हैं। बीयर की क्वालिटी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली।

168 अप मालवा एक्सप्रेस का मथुरा में रुकना

[हिन्दी]

711. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा का एक धार्मिक महत्व का स्थान होने और तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 168-अप मालवा एक्सप्रेस गाड़ी को मथुरा जंक्शन पर रोके जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बे लगाना

712. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर लाइन और बड़ी लाइन पर ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी है जिनमें वातानुकूलित डिब्बे लगे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी गाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बे लगाने का है, यदि हां तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) बड़ी लाइन की 288 और मीटर लाइन की 24 गाड़ियों में वातानुकूलित सवारी डिब्बे लगाये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सीमित उत्पादन क्षमता और यातायात अपेक्षा के कारण।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दी गई दवाओं अथवा खून चढ़ाने की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण मरीजों की मौत

[अनुवाद]

713. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 मई, 1988 तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कितने मरीजों की मौतें हुईं;

(ख) इनमें से कितने मरीजों की मौतें की गई दवाओ अथवा खून की प्रतिकूल प्रतिक्रिया के कारण हुई हैं;

(ग) ब्लड-बैंक अथवा उन दवा कंपनियों के विरुद्ध जिन्होंने ऐसा रक्त/दवाएं सप्लाई की, क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) 1586

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में पेयजल की कमी

[हिन्दी]

714. **श्री मानवेन्द्र सिंह** :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में, विशेषकर नई दिल्ली क्षेत्र में, अभी भी पेयजल की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पेयजल की समस्या को हल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली में मौजूदा 4720 लाख गैलन प्रतिदिन की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में विभिन्न शोधन संयंत्रों, रैनी कुओं तथा नलकूपों से जल की सामान्य उत्पादन क्षमता लगभग 4090 लाख गैलन प्रतिदिन है। इस प्रकार लगभग 630 लाख गैलन प्रतिदिन की कमी है। इस कमी में यदा-कदा बिजली की खराबी संयंत्रों में कम वोल्टेज तथा वर्षा ऋतु के दौरान अस्त-व्यस्तता के कारण और वृद्धि हो जाती है।

(ग) दिल्ली की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिये कुछ दीर्घावधि योजनाओं के अलावा तत्कालिक प्रकृति के निम्नलिखित कार्य आरम्भ किये गये हैं, जो चल रहे हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं—

(1) 120 लाख गैलन प्रतिदिन पानी के उत्पादन के लिये अलीपुर में 3 रैनी कुओं का निर्माण। मयूर विहार में एक रैनी कुआं पूरा होने वाला है। इसका उत्पादन 30 लाख गैलन प्रतिदिन होने की आशा है।

(2) यमुना नदी घाटी में 5 अतिरिक्त रैनी कुओं का निर्माण करने के लिये भी कारंवाई की गई है। इन 5 अतिरिक्त रैनी कुओं का उत्पादन लगभग 200 लाख गैलन जल प्रतिदिन होगा।

(3) वजीराबाद में प्रतिदिन 120 लाख गैलन जलशोधन की क्षमता के संयंत्र का निर्माण।

(4) ओखला में प्रतिदिन 120 लाख गैलन जलशोधन की क्षमता के संयंत्र का निर्माण।

कुल मिलाकर इनसे प्रतिदिन 700 लाख गैलन जल का अतिरिक्त उत्पादन होगा।

एयरलाइनों के अधिकारियों के आवास पर व्यय

[अनुवाद]

715. **डा० ए० के० पटेल :** क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड द्वारा अपने दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता स्थित अधिकारियों के अधिकारी आवास गृहों पर प्रति माह कितनी धनराशि खर्च की जाती है तथा किराये पर लिये गये कार्यालयों, गोदामों आदि पर गत तीन वर्षों में वर्ष-वार तथा चालू वर्ष में प्रत्येक मद में अलग-अलग कितना व्यय किया गया; और

(ख) प्रत्येक सेवा में कितने-कितने अधिकारो आवास गृहों का प्रयोग कर रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में लीज प्रथा को समाप्त करना

[हिन्दी]

716. **श्री तेजा सिंह दर्दी :**

डा० गौरीशंकर राजहंस :

श्रीमती माधुरी सिंह :

श्री बलवंत सिंह रामुवालिया :

श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में जमीन की बिक्री के संबंध में लीज प्रथा को समाप्त कर फ्री-होल्ड प्रथा प्रारंभ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा कब प्रभावी होगी; और

(ग) लीज प्रथा को अब तक समाप्त न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में भू-धृति की लीज-होल्ड पद्धति को फ्री-होल्ड में तबदील करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) और (ग) कानूनी, वित्तीय तथा उसमें निहित अन्य कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है। कब तक निर्णय ले लिये जाने की सम्भावना है, यह बताना सम्भव नहीं है।

टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियां

[अनुवाद]

717. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री आर०एम० भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष चालीस लाख बच्चे मर जाते हैं और इतनी ही संख्या में विकलांग हो जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपलब्ध टीकों में से अनेक टीके समय पर खरे नहीं उतरे हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रभावी टीकों का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि बाल मृत्युदर को कम किया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) नमूना पंजीयन पद्धति से प्राप्त 0.4 वर्ष के आयु वर्ग में शिशु मृत्यु का उपलब्ध नवीनतम अनुमान वर्ष 1985 से संबंधित है और इससे यह पता चलता है कि प्रतिवर्ष 35.5 लाख बच्चे मर जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय कार्यक्रम में लगाए जा रहे टीके जैसे डी० पी० टी० पोलियों, बी० सी० जी० और खसरे की बीमारी समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं तथा शैशवकाल के दौरान इनसे संक्रमण रोकने में एक खास किस्म की मदद मिलती है। तथापि टाइफाइड का टीका, जिसे व्यापक रोग प्रति-रक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, बीमारियों की रोकथाम में सीमित परिणाम वाला पाया गया है।

(ग) अधिक नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग से नई-नई किस्मों की वैक्सीनें तैयार करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि इन टीकों के अपेक्षाकृत कम गौणप्रभाव होंगे और इनके प्रयोग से संक्रमणों से दीर्घस्तर/अधिक सुस्पष्ट रक्षा होगी।

रेबीज का नवीन उपचार

718. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डाक्टरों ने हाल ही में रेबीज का एक नया उपचार ढूंढ निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार संस्थान में जलातंक का कोई नया उपचार नहीं ढूंढा गया है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् की परियोजना के अंतर्गत जलातंक के उपचार पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। गत 2 वर्षों के दौरान, जिन दो मरीजों की डाक्टरी जांच के बाद उन्हें जलातंक होने की आशंका थी, वे गहन उपचार और औषध उपचार के बाद बच गए।

"टायफाइड" की रोकथाम और निदान हेतु टीका

719. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कामराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायलाजिकल साइंस, मदुरै में "टायफाइड" की रोकथाम और निदान हेतु एक नए टीके का आविष्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा प्राप्त की गई सूचना के अनुसार वैज्ञानिकों ने स्कूल ऑफ बायोलाजिकल साइंसेज, मदुरै में पोरिन नामक एक बाहरी मैम्ब्रेन प्रोटीन को साल्मोवेला एस० पी० से पृथक किया था और उसे शोधित किया

था तथा इसके मुकाबले मोनोक्लोनल प्रतिपिण्डों में सफलतापूर्वक वृद्धि की थी। टायफाइड ज्वर के निदान के लिए विकसित की जा रही नई जांच का आधार रोगियों के सीरम में इस प्रोटीन का पता लगाना है। यह जांच जानवरों पर किए गए प्रयोगों से सफल सिद्ध हुई है। मानव में टाइफाइड के निदान में इस जांच की उपयोगिता की परख की जा रही है। एक वैक्सीन तैयार करने के लिए इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है।

त्यौहारों के मौसम के लिए खाद्यान्न का कोटा

720. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी त्यौहारों के महीनों में चीनी और खाद्य तेलों की मांग में होने वाली वृद्धि की पूर्ति हेतु राज्यों को अधिक मात्रा में इन वस्तुओं की सप्लाई करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जहां तक चीनी का संबंध है, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरण के लिए लेवी चीनी का मासिक कोटा समान आधार पर आवंटित किया जाता है। आमतौर पर त्यौहार के महीनों में भी लेवी चीनी का उपयुक्त अतिरिक्त कोटा आवंटित किया जाता है।

जहां तक खाद्य तेल का संबंध है, राज्य व्यापार निगम के पास तेलों की उपलब्धता, देशी खाद्य तेलों के खुले बाजार में मूल्यों, उपभोग पैटर्न, मांग, त्यौहार मौसम आदि जैसे कई तथ्यों पर विचार करते हुए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मास-प्रति-मास के आधार पर आयातित खाद्य तेलों का आवंटन किया जाता है। त्यौहार मौसम के दौरान आवंटनों में आमतौर पर वृद्धि कर दी जाती है।

खाद्य तेलों की उपलब्धता

721. **श्री भद्रेश्वर तांती** :
श्री विमलकांति घोष : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि जनता को खाद्य तेल आसानी से और उचित मूल्य पर उपलब्ध हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर

वितरण करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें जो खाद्य तेल उपलब्ध कराएं जाएं वे उपभोक्ताओं को नियत मूल्यों पर मिलें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की खरीद

722. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से जुलाई, 1988 की अवधि तक केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्य-वार, गेहूं का कितना आवंटन और खरीद की गई ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जनवरी-जुलाई, 1988 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं के आवंटन और उठान :

(हजार मीटर टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		जनवरी 1988	फरवरी 1988	मार्च 1988	अप्रैल 1988	मई 1988	जून 1988	जुलाई 1988
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आन्ध्र प्रदेश	आ	21.0	21.0	21.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	उ	8.2	9.3	10.8	5.4	7.3	3.6	उ० न०
अरुणाचल प्रदेश	आ	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	उ	0.3	0.4	0.7	0.5	0.4	0.1	उ० न०
असम	आ	36.4	36.4	30.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	उ	31.4	29.2	32.7	14.0	12.9	14.7	उ० न०
बिहार	आ	110.0	110.0	100.0	72.0	72.0	50.0	50.0
	उ	92.2	107.3	82.7	32.9	35.6	50.5	उ० न०
गोआ	आ	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	उ	0.8	1.7	1.5	1.5	1.3	1.4	उ० न०

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गुजरात	आ	75.0	60.0	85.0	60.0	70.0	70.0	70.0
	उ	53.1	83.8	101.1	66.1	69.4	59.2	उ० न०
हरियाणा	आ	30.0	40.0	30.0	30.0	30.0	20.0	20.0
	उ	32.7	31.6	20.4	0.5	नग०	0.1	उ० न०
हिमाचल प्रदेश	आ	10.0	15.0	15.0	20.0	20.0	15.0	10.0
	उ	9.9	14.1	13.2	14.1	15.3	11.4	उ० न०
जम्मू तथा कश्मीर	आ	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
	उ	9.2	6.1	10.7	6.2	9.8	7.8	उ० न०
कर्नाटक	आ	25.0	25.0	20.0	15.0	15.0	15.0	15.0
	उ	15.0	17.3	15.7	16.6	10.6	15.4	उ० न०
केरल	आ	35.0	35.0	20.0	20.0	20.0	15.0	15.0
	उ	8.6	10.1	10.9	10.5	10.2	15.1	उ० न०
मध्य प्रदेश	आ	50.0	50.0	40.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	उ	33.5	33.3	29.5	11.5	11.5	18.2	उ० न०
महाराष्ट्र	आ	100.0	100.0	80.0	80.0	80.0	80.0	85.0
	उ	101.7	85.3	81.5	83-5	79.3	75.1	उ० न०
मणिपुर	आ	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	उ	1.6	1.1	1.0	1.6	0.6	0.1	उ० न०
मेघालय	आ	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	उ	2.2	2.3	2.2	—	1.9	2.1	उ० न०
मिजोरम	आ	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
	उ	—	—	—	0.1	0.4	2.1	उ० न०
नागालैंड	आ	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	उ	2.7	2.0	1.0	1.9	1.4	2.7	उ० न०
उड़ीसा	आ	23.0	23.0	23.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	उ	18.3	13.9	15.6	12.3	13.6	14.7	उ० न०
पंजाब	आ	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0
	उ	0.3	0.9	1.6	—	—	—	उ० न०

(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
राजस्थान	आ	120.0	130.0	100.0	80.0	80.0	100.0	80.0
	उ	112.3	127.2	100.6	83.2	70.2	73.9	उ० न०
सिक्किम	आ	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	उ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	उ० न०
त्रिपुरा	आ	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	उ	1.0	0.8	2.2	1.3	0.8	0.9	उ० न०
तमिलनाडु	आ	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
	उ	11.1	12.1	14.6	10.8	10.1	7.6	उ० न०
उत्तर प्रदेश	आ	45.0	100.0	100.0	50.०	50.0	50.0	50.0
	उ	64.5	88.6	72.1	24.2	10.8	15.6	उ० न०
पश्चिम बंगाल	आ	126.0	126.0	100.0	80.0	80.0	80.0	80.0
	उ	79.9	95.4	83.5	54.0	63.2	71.0	उ० न०
अण्डमान तथा	आ	2.1	....	....	2.1	....	....	2.1
निकोबार द्वीप समूह	उ	—	—	0.1	0.4	—	0.5	उ० न०
चण्डीगढ़	आ	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	उ	2.0	1.1	1.8	0.9	0.4	0.1	उ० न०
दादर तथा नगर	आ	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
हवेली	उ	0.1	0.1	0.1	—	—	नग०	उ० न०
दमन और दीव	आ	0.1	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	उ	....	0.1	0.1	0.2	0.1	नग०	उ०न०
दिल्ली	आ	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
	उ	48.6	49.7	49.1	36.5	25.3	33.0	उ० न०
लक्षद्वीप	आ	—	—	—	—	—	—	—
	उ	—	—	—	—	—	—	—
पांडिचेरी	आ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	उ	नग०	नग०	नग०	नग०	नग०	नग०	उ० न०

आ : आवंटन

उ : उठान

नग० : 50 मीटरी टन से कम

उ० न० : उपलब्ध नहीं ।

शहरों में रहने वाले लोगों को पेय जल की सप्लाई

723. **श्री भद्रेश्वर तांती :**

श्री विमल कांति घोष : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरों में रहने वाले लोगों को पेयजल की सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उसका प्रतिशत क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, 31.3.87 की स्थिति के अनुसार लगभग 79.24 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को स्वच्छ पेय जलपूर्ति द्वारा लाभान्वित किया गया है।

(ख) इसकी एक अन्तरिम प्रतिशतता दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण सलंग्न है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मार्च 87 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या लाभान्वयन (प्रतिशतता)
1.	आंध्र प्रदेश	62.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00
3.	असम	37.53
4.	बिहार	63.58
5.	गोवा	81.45
6.	गुजरात	93.30
7.	हरियाणा	100.00
8.	हिमाचल प्रदेश	92.87
9.	जम्मू तथा कश्मीर	94.98
10.	कर्नाटक	98.72
11.	केरल	65.62
12.	मध्य प्रदेश	80.48
13.	महाराष्ट्र	99.70
14.	मणिपुर	75.47

1	2	3
15.	मेघालय	49.47
16.	मिजोरम	18.57
17.	नागालैंड	19.87
18.	उड़ीसा	37.11
19.	पंजाब	71.17
20.	राजस्थान	54.53
21.	सिक्किम	67.12
22.	तमिलनाडु	88.24
23.	त्रिपुरा	53.19
24	उत्तर प्रदेश	69.29
25.	पश्चिम बंगाल	68.29
26.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	100.00
27.	चडीगढ़	100.00
28.	दादर तथा नगर हवेली	73.68
29.	दमण तथा दियू	त्रुटि
30.	दिल्ली	96.98
31.	लक्षद्वीप	त्रुटि
32.	पांडिचेरी	100.00
	कुल योग :	79.24

राज्यों के खाद्यान्नों के कोटे में कटौती

724. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्त्ति : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न का आवंटन किया गया और यह आवंटन किस आधार पर किया गया;

(ख) क्या राज्यों को खाद्यान्न के आवंटन में भारी कटौती की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकारों की खाद्यान्न की मांगें पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) 1986 और 1987 के वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यानों के आवंटन का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों को सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखकर 1988 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं का आवंटन युक्तियुक्त कर दिया गया है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका तो खुले बाजार में उपलब्धता में कमी को पूरा करने की होती है और केन्द्रीय पूल से आवंटनों के लिए राज्य सरकारों की मांगें केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता के अन्दर यथासम्भव पूरी की जाती है।

विवरण

1986 और 1987 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आवंटन

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल		गेहूं	
	1986	1987	1986	1987
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आन्ध्र प्रदेश	1240.0	1165.0	252.0	252.0
अरुणाचल प्रदेश	61.5	68.5	16.8	13.8
असम	530.0	530.0	436.8	436.8
बिहार	300.0	345.0	864.0	1006.8
गोआ	54.0	51.7	27.6	23.6
गुजरात	290.0	390.0	520.0	720.0
हरियाणा	42.0	42.0	362.0	360.0
हिमाचल प्रदेश	78.0	78.0	60.0	60.0
जम्मू तथा कश्मीर	228.0	305.0	144.0	150.0
कर्नाटक	595.0	67.50	300.0	300.0
केरल	1650.0	1660.0	420.0	420.0
मध्य प्रदेश	300.0	330.0	600.0	600.0
महाराष्ट्र	660.0	720.0	740.0	1080.0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मणिपुर	52.5	58.5	24.0	24.0
मेघालय	102.0	108.0	25.2	25.2
मिजोरम	79.5	79.0	12.6	12.6
नागालैण्ड	67.0	92.0	45.0	44.0
उड़ीसा	178.0	225.0	276.0	276.0
पंजाब	20.1	18.0	180.0	155.0
राजस्थान	24.0	30.0	690.0	800.0
सिक्किम	51.5	54.0	3.0	3.0
तमिलनाडु	700.0	600.0	360.0	360.0
त्रिपुरा	150.0	167.0	30.0	30.0
उत्तर प्रदेश	600.0	635.0	540.0	600.0
पश्चिम बंगाल	1500.0	1500.0	1512.0	1512.0
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.0	12.0	8.4	8.4
चण्डीगढ़	4.4	6.0	21.6	21.6
दादर तथा नगर हवेली	1.6	2.3	0.0	1.1
दिल्ली	300.0	300.0	584.0	600.0
दमन और दीव	—	2.3	—	0.5
लक्षद्वीप	5.5	5.5	0.1	0.1
पांडिचेरी	25.2	23.0	3.2	3.6

बिलासपुर के लिए वायुदूत सेवा को समाप्त करना

[हिन्दी]

725. **डा० प्रभात कुमार मिश्र :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिलासपुर शहर के लिए वायुदूत सेवा समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिलासपुर के लिये वायुदूत सेवा पुनः प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"माता वैष्णो देवी" रेस्तरा में सुविधाएं

726. **श्री अख्तर हसन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा जम्मू और कश्मीर में खोले गये "माता वैष्णो देवी" रेस्तरां की क्षमता क्या है और उसमें भोजन और निवास का दैनिक शुल्क क्या है;

(ख) इस रेस्तरां में कितने व्यक्ति नियुक्त हैं और क्या उन्हें नियमित वेतनमान आदि नहीं दिये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन कर्मचारियों को क्या अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने श्री माता वैष्णों देवी श्राइन बोर्ड के सहयोग से "जयकार अशोक" रेस्तरां की स्थापना की है। यह प्रतिदिन 1000 से 3000 व्यक्तियों की भोजन सम्बन्धी जरूरत को पूरा करेगा। भोजन के उचित दाम लिए जाएंगे जो 6 रु० से 15 रु० के बीच होंगे। तथापि, आवास सम्बन्धी सुविधाएं जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) अभी तक सोलह कर्मचारियों को कंट्रेक्ट पर प्रति व्यक्ति 600 रु० से 915 रु० के बीच समेकित वेतन पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियमित वेतनमान और कर्मचारियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को संयुक्त उद्यम कम्पनी अन्तिम रूप देगी जिसकी स्थापना भारत पर्यटन विकास निगम और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की जानी है। फिलहाल कर्मचारियों को वेतन का भुगतान बोर्ड द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम को उपलब्ध कराई गई निधियों से किया जाता है।

दिल्ली और पांडिचेरी में अस्पतालों में प्राप्त की गई सेवाओं के लिए प्रभार

[अनुवाद]

727. **श्री यशवन्तराव गडाखपाटिल :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और पांडिचेरी में अस्पतालों में लोगों द्वारा प्राप्त की गई सेवाओं के लिए प्रभार लगाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश वापस ले लिए गए हैं।

गेहूं की खरीद में कमी

728. **श्री यशवन्तराव गडाखपाटिल :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री अमर सिंह राठवा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में गेहूं की खरीद वर्ष 1987 की तुलना में कम हुई है, यदि हां, तो कम खरीद का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) :

(क) (22 जुलाई, की स्थिति के अनुसार आंकड़े लाख मीटरी टन में।)

	1988-89 मौसम	1987-88 मौसम
हरियाणा	12.60	22.32
पंजाब	47.37	43.80
राजस्थान	—	0.62
उत्तर प्रदेश	5.19	11.44
अखिल भारत	65.16	78.18

(1987-88 में सारे मौसम में 78.80 लाख मीटरी टन को वसूली हुई थी।)

(ख) इसके कारण कम उत्पादन, समर्थन मूल्य की तुलना में ऊंचे बाजार मूल्य और व्यापारियों तथा मिल मालिकों द्वारा अधिक खरीदारी करना है।

(ग) सरकार ने बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए अप्रैल, 1988 में केन्द्रीय पूल के लिए 10 लाख मीटरी टन गेहूँ आयात करने का ठेका किया है।

सिक्किम में यात्री निवास

729. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम एक यात्री निवास बनाने का विचार है;

(ख) क्या सिक्किम में भी एक यात्री निवास का निर्माण करने का निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सिक्किम में गंगतोक में 30.43 लाख रुपये की लागत पर एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और जून, 1988 में 5.00 लाख रुपये की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य सरकारों से प्राप्त पर्यटन के विकास संबन्धी योजनायें

730. **श्रीमती डी० के भण्डारी :**

श्री अजीत कुमार साहा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए पर्यटन विकास हेतु कोई योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार कितनी योजना मंजूर की गई और प्रत्येक योजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि देने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पर्यटन आधार-संरचना का सृजन करने के लिए प्रस्तावों का मिलना तथा राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर करना एक सतत प्रक्रिया है । यह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से इस मंत्रालय की वार्षिक योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है । ये प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित फ्रेमवर्क तथा दिशा निर्देशों पर निर्भर रहते हुए वार्षिक योजनाओं में शामिल किए जाते हैं । वर्ष 1988-89 के लिए इस मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्रस्ताव मिले हैं और ये पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचना का विकास करने; सांस्कृतिक पर्यटन, समुद्रतट पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, यात्री निवासों, साहसिक और खेल पर्यटन, स्मारकों पर प्रकाश-पुंज व्यवस्था, ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन, आदि के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के बारे में

हैं। मंत्रालय निधियों का आबंटन न तो राज्य-वार और न ही परियोजना-वार करता है बल्कि स्कीम-वार करता है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का सृजन कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। स्थान की संभाव्यता, मौजूदा आधार-संरचना, वर्तमान एवं भावी पर्यटक यातायात, प्रस्ताव के समग्र गुणों, परियोजना की व्यवहार्यता, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए इन प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है। ऐसी स्कीमों की संख्या जिनके लिए 1988-89 को पहली तिमाही के दौरान निधियां रिलीज की गई हैं को दर्शाने वाला एक राज्य-वार विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीमों की संख्या और 1988-89 की पहली तिमाही के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को रिलीज की गई राशि।

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्कीमों की संख्या	रिलीज की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	7.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	9.00
3.	असम	1	7.50
4.	बिहार	1	6.00
5.	गुजरात	5	23.80
6.	हिमाचल प्रदेश	2	12.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1	5.00
8.	कर्नाटक	1	10.00
9.	केरल	2	65.00
10.	मध्य प्रदेश	2	11.00
11.	मिजोरम	1	2.00
12.	राजस्थान	3	11.40
13.	सिक्किम	1	5.00
14.	तमिल नाडु	3	6.00
15.	त्रिपुरा	1	5.00
16.	उत्तर प्रदेश	1	5.00
17.	पांडिचेरी	2	13.91

पर्वतीय विश्राम स्थलों को प्रोत्साहन

731. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय विश्राम स्थलों को प्रोत्साहन देने के लिए मार्च, 1988 में एक अभियान प्रारम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस अभियान के अन्तर्गत जून, 1988 के अन्त तक क्या उपलब्धियां रही हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1987-88 के दौरान भारत के पर्वतीय स्थलों का सम्वर्धन करने के लिए पर्यटन विभाग ने एक अभियान चलाया था। इस अभियान के अंग के रूप में, "एनी टाइम इन जस्ट राईट फार ए परफैक्ट हिलीडे" नामक विज्ञापन मार्च 1988 में रिलीज किया गया था। इस विज्ञापन में उत्तर, पूर्व दक्षिण और पश्चिम स्थित बहुत से पर्वतीय स्थलों को दर्शाया गया है। इस विज्ञापन का उद्देश्य यह जागरूकता उत्पन्न करना था कि पहाड़ों पर अवकाश मनाने से न केवल गर्मी से राहत मिलती है बल्कि यह आराम और साहस भी प्रदान करता है। इस विज्ञापन के लिए अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का मीडिया इस्तेमाल किया गया था।

(ग) इस विज्ञापन के परिणामों को बता पाना कठिन होगा क्योंकि इसका उद्देश्य शैक्षणिक और अभिरुचि उत्पन्न करना था।

लिंग निर्धारण जांच के विरुद्ध विधेयक

732. **श्री आर० एम० भोये :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने लिंग निर्धारण जांच के विरुद्ध विधेयक तैयार कराने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से मार्ग-निर्देश देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

जनसंख्या वृद्धि को सीमा में रखने की नीति की समीक्षा

733. **श्री आर० एम० भोये :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी समीक्षा में देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए सस्ते और अधिक प्रभावी तरीके अपनाने सहित तिहरी नीति को अपनाने की बात कही गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या सुझाव दिए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) विस्तृत ब्यौरे के अभाव में हम प्रश्न में उल्लिखित किसी समीक्षा या अध्ययन का पता लगाने की स्थिति में नहीं हैं।

2. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रणीय सीमा में रखने के लिए हमारे पास एक बहुयामी कार्यनीति है। इस कार्यनीति में बनाए गए आधारभूत ढांचे का अभीष्टतम उपयोग करने, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, बच्चे को जीवित रखने की संभावना में वृद्धि करने, सूचना, शिक्षा और संचार को सुदृढ़ करने, अस्थायी गर्भ निरोधक को बढ़ावा देने आदि पर जोर दिया गया है।

रक्त की गैर-सरकारी बिक्री पर प्रतिबन्ध

734. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्त की गैर-सरकारी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का रक्त की कमी को पूरा करने के लिए क्या तरीका अपनाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुमुखी कार्यवाई शुरू कर दी गई है जिसका उद्देश्य है स्वेच्छा से रक्त संग्रह में वृद्धि करना, मौजूदा रक्त बैंकों की कार्यप्रणाली का उन्नयन करना, जनशक्ति का विकास करना, अधिक संख्या में मरीजों में रक्त के संघटकों का इस्तेमाल करना तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम को सख्ती से लागू करना।

नगरों के विकास के लिए विश्व बैंक सहायता

734. **श्री जी० एस० बसवराज** :

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तमिलनाडु के 10 नगरों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश को भी इस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया है और यदि हां, तो क्या योजना में सफल रही है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण से मध्य प्रदेश के निर्धन वर्गों को कहां तक लाभ पहुंचा है; और

(घ) इस योजना से तमिलनाडु में निर्धन वर्ग के लोगों को कहां तक लाभ पहुंचाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्रा (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (घ) जी, हां। विश्व बैंक तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना वित्त पोषण करने के लिये सहमत हो गया है जिसकी अनुमानित लागत 632.50 करोड़ रुपये है तथा इसमें 10 नगर समूह अर्थात् मद्रास, कोयम्बतूर, मदुरै, त्रिची, सलेम, तिरुनेलवेली, इरोर, तुतीकोरीन, वेल्लोर तथा तिरुधर शामिल हैं। इस परियोजना से स्थल और सेवाओं तथा मलिन बस्ती सुधार योजनाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार करके वहन करने योग्य निजी तथा सार्वजनिक सेवायुक्त भूमि की आपूर्ति में वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना अभी कार्यान्वियनाशील है और इसमें क्षेत्र विकास, मलिन बस्ती उन्नयन तथा कम लागत वाली स्वच्छता के पर्याप्त घटक हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत 80 प्रतिशत से अधिक लाभभोगी समाज के निर्धनतम वर्गों के हैं।

वनस्पति के उत्पादन में गिरावट

736. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री एस० बी० सिदनाल : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति इकाईयों ने यह धमकी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती वे वनस्पति उत्पादन में कटौती करेंगे;

(ख) यदि हां, तो वनस्पति इकाईयों की मुख्य मांगे क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगे पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ग) समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार वनस्पति उद्योग ने धमकी दी है कि यदि सरकार आयातित तेलों के आबंटन के बारे में एक दीर्घकालिक नीति तथा वनस्पति के लिए उचित मूल्य की घोषणा नहीं करती है तो वे उत्पादन में कटौती कर देंगे। सरकार ने निर्णय किया है कि तेल वर्ष 1987-88 के दौरान वनस्पति उद्योग को आयातित तेल (नियमित) को केवल 5 लाख मी० टन मात्रा ही आवंटित की जाए। 26 अगस्त, 1987 से वनस्पति के 15 कि० ग्रा० के टीन का अधिकतम उपभोक्ता मूल्य 335/-रु० (स्थानीय कर अतिरिक्त) बनाए रखा गया है।

गेहूं का आयात

737. **श्री ओ०एस० बसवराजू :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं आयात करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किया जाएगा;

(ग) आयात किन-किन देशों से किया जाएगा;

(घ) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा; और

(ङ) इससे आन्तरिक खपत के लिए गेहूं की मांग कहां तक पूरी हो पायेगी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (घ) सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 2420 लाख अमरीका डालर की जहाज पर निष्प्रभार लागत पर 20 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है।

(ङ) यह आयात बफर स्टाक की भरपाई करने में सहायक होगा।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत इन्जन के उत्पादन के लिए कारखाना

738. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में बिजली से चलने वाले इंजनों के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश में एक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समझौता

739. **श्री बी० तुलसी राम :**

श्री विजय एन० पाटिल :

श्री पी० एम० सईद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारतीय रेलवे के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव किया है, जैसा कि 2 जुलाई, 1988 के इन्डियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ग) भारत को कब तक आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है और इससे देश में रेलवे के कार्यकरण में सुधार लाने में कहां तक मदद मिलेगी; और

(घ) फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के आयात के कारण वित्तीय पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) से (घ) हाल ही में रेलवे के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत-फ्रांस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें विशेष रूप से विचारणीय मुद्दे इस प्रकार हैं :

1. उच्च गति प्रौद्योगिकी।
2. भारतीय रेलों के वर्तमान विद्युत और डीजल चल स्टाक में सुधार।
3. वर्तमान यात्री गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना।
4. यात्री टर्मिनल का आधुनिकीकरण।
5. उपनगरीय परिवहन।
6. प्रबन्ध व्यवस्था।
7. आधुनिक गाड़ी नियंत्रण प्रणाली का तकनीकी विकास।

दोनों पक्ष एक-दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे जो प्रत्येक मामले को दृष्टिगत रखकर किये जाने वाले करारों के आधार पर होगी।

मानखुर्द-बेलापुर रेलवे परियोजना

740. **श्री शरद दिघे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले रेल बजट से अब तक मानखुर्द-बेलापुर सम्पर्क परियोजना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) परियोजना की समग्र प्रगति 1.3.1988 से 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 30.6.1988 को 18.5 प्रतिशत हो गयी है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र को विशेष अनुदान

741. **श्री शरद दिघे : क्या शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार को बम्बई के विकास के लिए प्रधान मंत्री के 100 करोड़ रुपयों के अनुदान से फरवरी, 1988 से अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) अब तक किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सरकार को अब तक दी गई कुल 30 करोड़ रुपये की राशि में से, 15 करोड़ रुपये फरवरी, 1988 से आज तक दिये गये।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, मलिन बस्ती उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 मलिन बस्ती पाकेटों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है और इस कार्य की दिसम्बर, 1988 तथा फरवरी, 1989 के मध्य पूर्ण हो जाने की आशा है, जिससे 6310 मलिन बस्ती निवासी लाभान्वित होंगे। धारवी विकास योजना के अन्तर्गत, मलिन बस्तियों के पुन: स्थापन सहित 35 मलिन बस्ती पाकेटों को चुना गया है। 32 पाकेटों में सामुदायिक विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यह 12 मलिन बस्ती पाकेटों में पूर्ण हो गया है और पुर्ननिर्माण की तीन योजनाएं आरम्भ की गई है। जहाँ तक स्थल से दूर आधार-भूत सुविधाओं का संबंध है, गांधी नदी को गहरा करने तथा सफाई करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। शहरी नवीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 14 योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया है जिनमें से पांच भवनों का कार्य पूरा हो गया है, जिनमें 884 टेनामैन्ट हैं और नौ योजनायें प्रगति पर हैं।

राष्ट्रीय आवास नीति का कार्यान्वयन

742. **श्री शरद दिघे :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती मनोरमा सिंह :

श्री सरफराज अहमद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति के कार्यान्वयन के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) नीति के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है और राज्यों को दिये जाने और केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च किए जाने के लिए राज्यवार, मंजूर की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आवास नीति चर्चा तथा पारित करने के लिए संसद में प्रस्तुत की गयी है। नीति संबंधी

दस्तावेज पारित होने के पश्चात्, इस नीति को सुदृढ़ करने तथा एक समयबद्ध तरीके से इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विस्तृत कार्य योजना तैयार की जानी है, जिसके लिए राज्य सरकारों को अग्रिम कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए उचित रूप से लिखा गया है।

(ख) यद्यपि कोई विशिष्ट निधियाँ निश्चित नहीं की गई हैं, फिर भी नीति संबंधी दस्तावेज में यह विचार किया गया है कि इसके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवास में वर्तमान स्तर पर 30-35 प्रतिशत से अधिक तक पूंजी निवेश बढ़ाना होगा तथा अर्धसंरचनाओं, सेवाओं तथा जन-सुविधाओं में अपेक्षित प्रतिपूरक पूंजी निवेश भी सुनिश्चित किया जाना होगा।

खराब क्रेनों का आयात

743. **श्री कमल नाथ :**

श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे द्वारा आयात की गई अनेक दुर्घटना राहत क्रेनों को अब खराब पाया गया है,

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी क्रेनों का आयात किया गया, इन्हें किस देश से आयात किया गया तथा प्रत्येक के आयात पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या रेलवे विशेषज्ञों द्वारा इनको पोत पर लदान होने और माल की डिलीवरी होने से पहले कोई परीक्षण किया गया था;

(घ) क्रेनों में क्या मुख्य खराबियां पाई गई हैं;

(ङ) उन अधिकारियों के विरुद्ध जो भारतीय परिस्थितियों में प्रतिकूल पाई गई इन क्रेनों को खरीदने के लिए जिम्मेदार हैं, क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इन खराबियों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्रेन की अनुमानित लागत क्या होगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) (क) और (ख) : 140 टन क्षमता की 12 अदद डीजल हाइड्रोलिक ब्रेक डाउन क्रेनों की सप्लाई के लिए मै० मोट्टवाड, पश्चिम जर्मनी को एक ठेका दिया गया था तथा इतनी ही क्षमता वाली 12 क्रेनों की सप्लाई के लिए दूसरा ठेका मै० जेस्सप्स एण्ड कं० लि०, इण्डिया को दिया गया था जिनका निर्माण मै० एन ई आई, यू० के० के सहयोग से किया जाना था। इन दो किस्म की क्रेनों का क्रियादेश नीचे दिए गये मूल्यों पर दिया गया था :-

गोट्टवाड :

(1) पोत पर्यन्त निशुल्क डी० एम० 2.7 मिलियन। (अर्थात् 1.6 करोड़ रुपये) लगभग।

(2) उतराई पर्यन्त लागत—2.1 करोड़ रुपये (लगभग) प्रति क्रेन

ब्रेसप्स :

(रेल पर्यन्त निशुल्क) 2.73 करोड़ रुपये प्रति क्रेन लगभग।

हालांकि गोट्टवाड क्रेनें दोलन लेखी परीक्षणों के दौरान सामान्य रूप से संतोषजनक ढंग से काम करती पायी गयीं तो भी यह देखा गया कि भारतीय परिस्थितियों के अन्तर्गत स्प्रिंग लम्बन व्यवस्था केवल 50 कि० मी० प्र० घं० की गति के परिचालन के लिए ही अनुमेय है। सप्लायर के खर्च पर किए गए आशोधनों के उपरान्त किए गए और परीक्षणों से इन क्रेनों का 90 कि० मी० प्र० घं० तक की विनिर्दिष्ट गति से चालन सुनिश्चित पाया गया है।

(ग) जहाज पर लादने तथा सुपुर्दगी से पूर्व डिप्टी रेलवे एडवाइजर, बोन, पश्चिम जर्मनी द्वारा क्रेनों का निरीक्षण तथा परीक्षण किया गया। तथापि, कोई रफ्तार परीक्षण नहीं किए गए क्योंकि बड़े आमान की भारतीय रेलवे का पर्याप्त लम्बाई का रेलपथ उपलब्ध नहीं है।

(घ) क्रेनों में कोई प्रमुख दोष नहीं पाये गये।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टरों में कुछ फेर बदल करना

744. **श्री कमल नाथ** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टलैंड हेलिकाप्टर कम्पनी ने उन हेलीकाप्टरों में जो इसने भारत को बेचे थे, कुछ फेरबदल करने की आवश्यकता बताई है;

(ख) कुल कितने हेलीकप्टरों में फेरबदल किया जाना है और इन पर कितनी लागत आएगी;

(ग) सरकार द्वारा इन हेलीकाप्टरों की खरीद पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी; और

(घ) क्या कम्पनी ने कोई आश्वासन दिया है कि अपेक्षित फेरबदल करने के बाद हेलीकाप्टर में बार-बार रुकावट नहीं आएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। वेस्टलैंड हेलीकाप्टर लिमिटेड ने निःशुल्क 9 हेलीकाप्टरों पर कुछ आशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) चूंकि इन हेलीकाप्टरों की खरीद यू० के० सरकार से 650 लाख पोंड स्टर्लिंग के ओ० डी० ए० अनुदान के अन्तर्गत शामिल थी, इसलिए इस करार में कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं की गई थी।

(घ) हालांकि निर्माता ने कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया है, परन्तु हेलीकाप्टर की परिचालन संबंधी कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को सुधारने के लिए आशोधन किए गए हैं।

केरल को चावल की सप्लाई में कटौती

745. **श्री टी० बशीर :**

श्री के० मोहनदास : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल राज्य को सप्लाई की जाने वाली चावल की मात्रा में मई, 1988 महीने से कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य को चावल के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) केरल को मार्च, 1988 से चावल का आवंटन 1.25 लाख मीटरी टन प्रति मास की दर पर किया गया है और मई, 1988 से उसमें कोई कटौती नहीं की गई है।

(ग) और (घ) केरल सरकार केन्द्रीय सरकार से प्रति मास 2 लाख मीटरी टन चावल का आवंटन करने के लिए अनुरोध करती रही है। तथापि, राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के अन्तर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

746. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने मामलों को अन्मित रूप दिया गया;

(ग) कितने लोगों को दोषी ठहराया गया और दोष मुक्त किया गया; और

(घ) 1 अप्रैल, 1987 और 1 अप्रैल, 1988 को क्रमशः कितने मामले लम्बित पड़े थे ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बन्धुआ/प्रवासी और नैमित्तिक मजदूरों पर केन्द्रीय स्थाई समिति की बैठक

747. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1985 से बंधुआ/प्रवासी और नैमित्तिक मजदूरों के सम्बन्ध में केन्द्रीय स्थाई समिति की बैठक कब-कब हुई;

(ख) इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 अप्रैल, 1988 की स्थिति के अनुसार इन सिफारिशों का कार्यान्वयन कहां तक हो पाया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) बंधुआ/प्रवासी और नैमित्तिक मजदूरों पर केन्द्रीय स्थाई समित की पहली अप्रैल, 1985 से कोई बैठक नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खसरे के कारण बच्चों की मृत्यु

748. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** :
श्री कृष्ण सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में, विशेष रूप से खण्डवा जिले में, खसरे के कारण अनेक बच्चों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो कितने बच्चों की मृत्यु हुई और कितने बच्चे अभी भी इससे प्रभावित हैं; और

(ग) इस बीमारी को रोकने के लिए क्या एतयाती उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार खंडवा जिले में खसरे की महामारी की सूचना 25-4-88 को मिली थी। अन्तिम रोगी की रिपोर्ट 8-6-88 को मिली थी। 14-6-88 से कोई महामारी नहीं है। जिन रोगियों की रिपोर्ट मिली उनकी संख्या 646 है और 62 बच्चे मर गए।

(ग) रोग से बचाव के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार थे :

1. 1722 बच्चों को खसरे के टीके लगाए गए।
2. अतिसार नियंत्रण के लिए जीवन रक्षक घोल के 1700 ओ० आर० एस० पैकेट बांटे गये।

3. व्यक्तिगत स्वच्छता, अतिसार सम्बन्धी उपचार और तीव्र श्वसन संक्रमण से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप चलाए गए ।

4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में खसरे के टीकों और दवाइयों का स्टाक सुनिश्चित किया गया ।

औषध परीक्षण केन्द्रों की स्थापना

749. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में औषध परीक्षण सुविधायें बढ़ाने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और यदि हां, तो कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है;

(ग) इन परीक्षण केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) से (घ) औषध परामर्शदात्री समिति, जो औषध और प्रसाधन अधिनियम उपबन्धों के अधीन एक सांविधिक निकाय है, ने देश में औषध परीक्षण सुविधाओं की वृद्धि पर विचार करने के लिए एक उप-समिति बनाई थी ।

उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मौजूदा केन्द्रीय प्रयोगशालाओं का और उन राज्यों की प्रयोगशालाओं का भी जहां सुविधाओं का अभाव है, आधुनिकीकरण किया जाए और सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, पश्चिम जोन और उत्तर-पश्चिम जोन में एक-एक प्रयोगशाला और उन राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में, जहां फिलहाल कोई भी परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है, 6 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं । इसकी अनुमानित लागत 2339 लाख रुपए है ।

"बम्बेस हाउसिंग प्रोब्लम सोल्युएबल" शीर्षक से समाचार

750. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बम्बेस हाउसिंग प्रोब्लम सोल्युएबल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विचार आगामी 10-15 वर्षों में महाराष्ट्र में पचास हजार मकानों का निर्माण करने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार/आवास शहरी विकास निगम ने इस सम्बन्ध में कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो नागपुर में स्लम बस्तियों में रहने वालों के लिये कितने मकान बनाये जायेंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बम्बई महानगर से भीड़-भाड़ कम करना

751. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से बम्बई महानगर से भीड़-भाड़ कम करने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटन को गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

752. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच० एन० नन्जे गोडा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जून, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "मूव टू गिव टूरिज्म टु प्राइवेट सैक्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार किस सीमा तक पर्यटन को गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने का है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु देश में निम्न श्रेणी के होटल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) प्राईवेट सैक्टर पर्यटन के लिए पहले से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तथापि,

पर्यटन के लिए प्राईवेट सैक्टर निवेश को आकर्षित करने के लिए, हाल ही में प्रोत्साहनों/रियायतों की पेशकश की गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से, भारत पर्यटन विकास निगम गुलमर्ग में 30 कमरों वाले 4-स्टार होटल के अलावा निम्नलिखित संयुक्त उद्यम होटल परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है :—

1. भोपाल में 47 कमरों वाला 3-स्टार होटल
2. पुरी में 52 कमरों वाला 3 स्टार होटल
3. पांडिचेरी में 20 कमरों वाला 3-स्टार होटल
4. इटानगर में 20 कमरों वाला 1-2 स्टार होटल

बम्बई हवाई अड्डे पर वी० एच० एफ० प्रणाली का ठीक से कार्य न करना

753. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हवाई अड्डे पर प्रमुख संचार सम्पर्क (वी० एच० एफ०) काफी समय से ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे वायुयान और वायुयान नियंत्रण के बीच सम्पर्क सीमा कम हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो बम्बई हवाई अड्डे पर कब से वी० एच० एफ० प्रणाली ठीक तरह से काम नहीं कर रही है और दोष को ठीक न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रणाली के ठीक तरह से काम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) इस वर्ष मार्च-अप्रैल के दौरान कुछ मौकों पर ट्राम्बे हिल यूनिट तथा बम्बई हवाई अड्डा के नियंत्रण टावर के बीच वी० एच० एफ० के निष्पादन में गिरावट आई है जिसके कारण विमान और हवाई यातायात नियंत्रण का सम्पर्क दूरी में गिरावट आई है। सम्पर्क में त्रुटि/गिरावट का पता चलते ही उसके दूर करने की कार्रवाई तत्काल कर दी गई। इस सम्पर्क को अपने अच्छे निष्पादन स्तर पर पुनः ला दिया गया है और यह मई, 1988 से सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त बम्बई हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन पर आपातकालीन ट्रांसमिटर व रिसीवर स्थापित कर दिये गये हैं ताकि ट्रांबे और टर्मिनल भवन, बम्बई हवाई अड्डा के बीच सम्पर्क के निष्क्रिय रहने/इसमें गिरावट आने के समय इसका उपयोग किया जा सके।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराये पर बोइंग 737 विमानों का लिया जाना

754. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का पांच बोइंग 737 विमान किराये पर लेने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो यह विमान किस देश से किराये पर लिए जा रहे हैं और तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) किराये पर विमान लेने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयरबस इन्डस्ट्रीज के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार मैसर्स एयरबस इन्डस्ट्रीज से पांच बोइंग 737 विमानों को लीज पर प्राप्त करने का प्रस्ताव है। विमान ड्राई लीज पर अधिकतम 1,85,000 डालर प्रति विमान "मासिक किराये" पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) 19 ए-320 एयरबस विमानों की डिलिवरी होने की अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइन्स की अन्तरिम आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से इसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए इन विमानों को लीज पर प्राप्त किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा परिवार नियोजन हेतु ऋण

755. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत को 57 मिलियन डालर का एक ऋण दे रहा है ताकि गंदी बस्तियों में रहने वाली 2.5 मिलियन जनता को परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध की जा सकें ;

(ख) क्या इस योजना में आंध्र प्रदेश का कोई कस्बा अथवा शहर शामिल किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) बम्बई और मद्रास महानगरों में परिवार कल्याण जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक 570 लाख डालर की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता देने के वास्ते सहमत हो गया है।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह विश्व बैंक की सहायता के विचारार्थ इसी आधार पर एक परियोजना बनाए ।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ सहायता का उद्देश्य शहरों में, विशेषकर गंदे क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करके वर्तमान शहरी नवीकरण योजना को सहायता प्रदान करना है ।

बम्बई में आवासीय स्थिति में सुधार

756. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये, आवासीय स्थिति में सुधार करने हेतु दिसम्बर, 1985 में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 100 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अनुदान को उपयोग में लाने की दृष्टि से सरकार द्वारा कोई विशेष योजना प्रायोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन विशेष योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बम्बई में आवास तथा मलिन बस्ती समस्याओं को हल करने के लिए महाराष्ट्र को दिये गये 100 करोड़ रुपये के विशेष आयोजनाभिन्न अनुदान के अन्तर्गत राज्य सरकार ने योजनाओं की निम्नलिखित तीन श्रेणियों को आरम्भ करने का प्रस्ताव किया है :—

(1) मलिन बस्ती उन्नयन	: 22 करोड़ रुपये
(2) धारवी विकास	: 37 करोड़ रुपये
(3) शहरी नवीकरण तथा पुनर्निर्माण	: 41 करोड़ रुपये

(ग) कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर सम्पूर्ण सहायता चालू योजनावधि के ही दौरान दी जानी है ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार

757. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में भारी संख्या में युवा व्यक्ति पंजीकृत है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्षों गुजर जाने के बाद भी युवा व्यक्तियों को एक बार भी साक्षात्कार के लिए बुलाने संबंधी पत्र प्राप्त नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या रोजगार प्राप्त करने से पहले ही उनमें से अनेक व्यक्ति रोजगार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराना सुनिश्चित करने और रोजगार कार्यालयों में मांग से संबंद्ध अपेक्षित आयु में छूट देने का भी है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) 30.4.88 की स्थिति के अनुसार, देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 293 लाख व्यक्ति दर्ज थे।

(ख) रोजगार कार्यालयों की अधिसूचित रिक्तियों की संख्या और उनके चालू रजिस्टर पर उम्मीदवारों की संख्या के बीच बड़े अन्तराल के कारण विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिनके पास कार्य-अनुभव/व्यावसायिक/तकनीकी योग्यता नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित स्थिति को देखते हुए, यह सम्भव है कि कुछ उम्मीदवार, प्रायोजित किये जाने से पहले या प्रायोजित किये जाने पर भी नियोजनकों द्वारा न चुने जाने पर, आयु सीमा पार कर जाते हैं।

(घ) सातवीं योजना का केन्द्रीय तत्व उत्पादी रोजगार का सृजन करना है। उक्त योजना दस्तावेज में बेरोजगारी कम करने के उपाय दिये गये हैं। केन्द्र सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों और उन उम्मीदवारों को जो सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करने के कारण आयु सीमा पार कर लेते हैं, आयु सीमा में छूट दी जाय।

ढुलाई के दौरान मार्ग में खाद्यान्नों की हानि

758. **श्री नित्यानंद मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान मार्ग में खाद्यान्नों की हानि होने से देश को भारी नुकसान हो रहा है, जिससे खाद्यान्नों का आयात करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में जब से विदेशों से खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है, मार्ग में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का खाद्यान्न नष्ट हुआ;

(ग) इस हानि को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान खाद्यान्नों को चुराने अथवा उसकी हानि, हेराफेरी करने या उसे ढुलाई के दौरान होने वाली हानि के रूप में दर्शाने के लिए कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) यद्यपि इतनी भारी मात्रा और इस प्रकार के संचलन में कुछ मार्गस्थ हानियां अन्तर्निहित हैं, फिर भी, पिछले तीन वर्षों में हानियों की प्रतिशतता में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। मार्गस्थ हानियों के स्तर से आयात करना जरूरी नहीं हुआ है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्नों का कोई वाणिज्यिक आयात नहीं किया गया। 1985-86 के दौरान वियतनाम को जिन्स उधार की वापसी के रूप में प्राप्त 10000 मीटरी टन चावल के बारे में किसी हानि की सूचना नहीं मिली।

(ग) मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए कई पग उठाये गए हैं उनमें से कुछेक महत्वपूर्ण पग इस प्रकार हैं—

(1) लारी तौल सेतुओं में वृद्धि करना।

(2) बोरियों के आकार और टेक्सचर में सुधार करना और प्रति बोरी अनाज के मानक भार में कमी करना।

(3) सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कड़े करना।

(4) स्क्वायडों द्वारा अचानक जांच करना।

(5) नियमित निगरानी और कमियों की समीक्षा करना।

(घ) मार्गस्थ हानियों के कारण किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग का कोई विशिष्ट मामला नहीं है। तथापि, बहुत अधिक संख्या में कर्मचारियों को विभागीय तौर पर सजा दी गई है।

खाद्यान्नों तथा चीनी की क्षति

759. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश को चोरी तथा भण्डारण एवं परिवहन सम्बन्धी खामियों के कारण खाद्यान्नों और चीनी का नुकसान हो रहा है; यदि हां तो कितनी मात्रा तथा मूल्य का नुकसान हो रहा है; और

(ख) इस नुकसान में कमी लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) भारतीय खाद्य निगममें 1985-86 और 1986-87 के वर्षों में खाद्यान्नों की चोरी और उठाईगीरी के कारण कमियां समेत मार्गस्थ और भण्डारण कमियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मात्रा (क्रय+विक्रय)	कमी	क्रय+विक्रय की अपेक्षा कमी की प्रतिशतता
1985-86	368.40	5.95	1.62
1986-87	398.96	6.61	163

भारतीय खाद्य निगम में उपर्युक्त वर्षों के दौरान चीनी की भण्डारण में कमी नाम मात्र थी और चीनी की मार्ग में कमी इस प्रकार थी :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	भेजी गई मात्रा	हानि	प्रतिशतता
1985-86	27.98	0.09	0.32
1986-87	19.81	0.07	0.36

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इन हानियों को कम करने के लिए कई पग उठाये हैं जैसे कि 100 प्रतिशत तोल करने के लिए तौल सेतुओं की व्यवस्था, गुणवत्ता को कड़ाई से लागू करना, बोरियों में कम चीनी भरना जिससे फटने से बचाया जा सके, बोरियों के आकार और टेक्सचर में सुधार, भण्डारण के दौरान कारगर परिरक्षण उपाय करना, यथासम्भव खुले वैगनों में संचलन से बचना, मशीन से सिलाई शुरू करना, सुरक्षा उपायों को कड़ा करना और अधिक हानि वाले डिपुओं का अचानक निरीक्षण करना, नौकान्तरण, आदि ।

नकली दवाओं के प्रयोग के कारण होने वाली मौतें

760. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान नकली दवाओं के प्रयोग के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है; और यदि हां, तो वर्ष-वार और राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दवाओं के उत्पादन के लिए निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करते पाए गए दोषी ऐसे बड़े दवा उत्पादकों के नाम क्या हैं; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या औषधि और प्रसाधन साभग्री अधिनियम, 1940 वैधानिक पुस्तक में सिर्फ चेतावनी के रूप में विद्यमान है और इसके पास नकली दवाओं के व्यापार को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है, और यदि हां, तो इसे वास्तव में कारगर बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल बोरा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1986-87 और 87-88 वर्षों में देश के किसी भाग में नकली दवाओं के इस्तेमाल से मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं मिली थी। वर्ष 1985-86 में फरवरी 1986 में महाराष्ट्र में जे० जे० हॉस्पिटल, बम्बई में मैसर्स अल्पना फार्मापेक, नांदेड, महाराष्ट्र द्वारा फिर से पेक की गई मिलावटी ग्लिसरीन देने के कारण 14 मौतें हुईं ।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री और नियमों के उपबन्धों के अधीन राज्य औषध नियंत्रक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी होते हैं और वे नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए निर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं।

(ग) औषध और प्रसाधन सामग्री 1940 का 1982 में संशोधन किया गया था जिसमें नकली दवाओं की अलग परिभाषा की गई थी।

ऐसी औषधों के मामले में जिनके प्रयोग से मृत्यु और गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना होती है। अधिनियम में यह संशोधन भी किया गया था कि अधिकतम सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास की सजा कर दिया गया था। औषध और सामग्री प्रसाधन अधिनियम का 1986 में भी संशोधन किया गया था जिसमें औषध और प्रसाधन सामग्री के खरीद दार को यह शक्ति दी गई थी कि वह औषध के नमूने की जांच करा सके तथा औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर कर सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर रोगी अनुपात लागू करने के लिये उड़ीसा द्वारा अधिक सहायता की मांग

761. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर-रोगी अनुपात का कोई मानदंड निर्धारित किया गया है और यदि हां तो उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे किस प्रकार लागू किया जा रहा है और यदि इनमें से किसी राज्य में इस अनुपात में कोई कमी है, तो कितनी-कितनी;

(ख) इस मानदंड को लागू करने के लिये इन राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाती है; और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस अनुपात में कमी को पूरा करने के लिए अधिक सहायता की मांग की है और यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई डाक्टर रोगी अनुपात के बारे में मानदंड निश्चित नहीं किए गए हैं। तथापि, सातवी योजना के अंत तक प्रत्येक 30,000 की ग्रामीण आबादी (आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 20,000) पर एक डाक्टर द्वारा संचालित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कार्य राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में आता है। इसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना आयोग द्वारा राज्य योजनाओं के अंतर्गत धनराशि आवंटित की जाती है। इस बारे में कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

"न्यू रैपिड एक्टिंग इन्सुलिन" शीर्षक से समाचार

762. **श्री विष्णु मोदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1988 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "न्यू रैपिड एक्टिंग इन्सुलिन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस इन्सुलिन के प्रभाव का पता लगाने के लिये इसकी जांच करा ली है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार का विचार तेजी से असर करने वाले इस इन्सुलिन का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी अस्पतालों में करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत में इस नई इन्सुलिन पर फार्मेकोकाइनेटिक और औषध प्रभाव विज्ञान (फार्मेकोडाइनेमिक्स) अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं। भारत में फार्मोकोकाइनेटिक और औषध प्रभाव विज्ञान फार्मेकोडाइनेमिक्स के संबंध में आरंम्भिक अध्ययन कर लेने के बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा। तब क्लिनिकल मधुमेह विज्ञानियों और अनुसंधान वैज्ञानिकों के परामर्श से नीति संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर रेलवे के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तदर्थ नियुक्ति

763. **श्री विष्णु मोदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में वर्ष 1981 से चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्ति अब भी तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारी अन्य सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए विचार किये जाने हेतु आयु-सीमा को पार कर चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सेवाओं को अभी तक नियंत्रित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) से (ग) वैमित्तिक श्रमिकों सहित तदर्थ आधार पर चतुर्थ श्रेणी में नियोजित किये गये व्यक्तियों तथा विशिष्ट स्वीकृतियों के तहत आवश्यकता के अनुसार लगाये गये एक्जिमों के सम्बन्ध में सूचना उत्तर रेलवे से इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य तेल की मांग तथा उत्पादन

764. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य के खाद्य तेलों की मांग है; और

(ख) देश में कुल कितनी मात्रा तथा मूल्य के खाद्य तेलों का उत्पादन होता है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) तेल वर्ष 1987-88 देश के लिए देश में खाद्य तेलों की मांग तथा उनका उत्पादन क्रमशः 52 लाख मी० टन व 31 लाख मी० टन होने का अनुमान लगाया गया है। खाद्य तेलों के मूल्यों में व्यापक उतार-चढ़ाव तथा उनकी विभिन्न किस्मों को ध्यान में रखते हुए देश में खाद्य तेलों की अपेक्षित मांग और उनके उत्पादन के मूल्य के बारे में विश्वसनीय आंकड़े तैयार करना सम्भव नहीं हैं।

"फाइव लाख पब्लिकेशन्स अनसोल्ड" समाचार शीर्षक

765. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट (केन्द्रीय सरकार सिविल) में उनके मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग में प्रकाशन विभाग के स्टाक और बिक्री में हुई हानि के बारे में विपरीत टिप्पणी की है, जैसा कि 30 जून, 1988 के "हिन्दुस्तान टाइम्स' में "फाइव लाख पब्लिकेशन्स अनसोल्ड" समाचार शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है कि ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हों?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और उसमें की गई टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

भर्ती एजेंसियों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

166. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्रमिक भर्ती एजेंसियां श्रम कानूनों आदि का उल्लघंन करते पायी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले एक वर्ष के दौरान पकड़ी गई ऐसी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश भर्ती एजेंसियां, श्रमिकों को भर्ती करने के बाद उन्हें वास्तविक कार्य देने के बजाय किन्हीं अन्य देशों में सेना में भर्ती होने के लिए उन पर दबाव डाल रही हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) 1987 के दौरान उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उपबन्धों का उल्लघंन करने पर छह भर्ती एजेंसियों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलम्बित किया गया था और एक एजेन्सी का प्रमाणपत्र रद्द किया गया था।

(ग) और (घ) सरकार को केवल एक भर्ती एजेन्सी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है जो विदेश में पहुंचने पर कर्मकारों को मिलटरी कैम्पों में भेजने में लगी हुई थी। दिल्ली पुलिस द्वारा इस भर्ती एजेन्सी के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस भर्ती एजेन्सी के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है।

नई दिल्ली और झांसी के बीच द्रुतगामी से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस

767. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और झांसी के बीच सबसे तेज चलने वाली गाड़ी चलाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या अत्यधिक तेज गति पर यह रेलगाड़ी किसी विदेशी सहयोग के बिना चलाई गई है;

(ग) क्या अन्य रेल गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली-झांसी मार्ग पर दिल्ली और आगरा के बीच।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वायुदूत सेवा के लिए हवाई जहाजों की खरीद

768. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की ओर से और अधिक शहरों के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने सम्बन्धी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में निकट भविष्य में बेहतर वायुदूत सेवा प्रदान करने के लिए और अधिक हवाई जहाज खरीदने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जनवरी, 1981 में वायुदूत के गठन के समय से ही, विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य एजेन्सियों से देश के अधिक से अधिक शहरों का वायु सेवा से जोड़ने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ग) परिचालन में लगे मौजूदा विमानों के विकास और उनके बदलाव की दृष्टि से उनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यह सतत प्रक्रिया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोयला डिपुओं के लिए प्लाटों का आवंटन

769. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न कालोनियों में दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण कोयला डिपुओं के लिए प्लाटों का आवंटन करता है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कहां-कहां प्लाट आवंटित किए गए हैं;

(ग) क्या उक्त नीति में कोई संशोधन किया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत एक महीने के दौरान कोयला डिपुओं के लिए कितने प्लाटों का आवंटन रद्द किया गया और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन की सिफारिश पर केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण की ही विभिन्न कालोनियों में कोयले के डिपों के लिए प्लाटों के आवंटन के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं है, हालांकि ऐसे अनुरोधों को दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजा जाता है । कोयले के डिपों के लिए भूमि अस्थाई लाइसेन्स फीस के आधार पर प्रत्येक मामले के गुणाव-गुणों की वास्तविकता पर विचार करते हुए दिल्ली प्राधिकरण द्वारा आवंटित की जाती है ।

(ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

न० 8 [न० आठ]

(i) नारायणा में श्री के० सी० सेटी को कोयला डिपो प्लाट, कोयला डिपो सं० जी—I.

(ii) नारायणा में श्री प्रदीप मोहन को कोयला डिपो प्लाट नारायणा डब्लू० एच० एस० नारायणा रिहायशी चरण-II.

(iii) श्री अशोक अहलूवालिया प्लाट सं० 3, विवेक बिहार को कोयला डिपो प्लाट ।

(iv) यूसूफ सराय में श्री सुरेन्द्र नाथ भूतपूर्व कप्तान को कोयला डिपो प्लाट ।

[v] नारायणा में मै० उत्पल कोल कम्पनी को कोयला डिपो प्लाट ।

[vi] नारायणा में मै० सहरावत कोयला कम्पनी, नारायणा को कोयला डिपो प्लाट ।

[vii] होज खास में श्री रमेश चन्द्र शर्मा को कोयला डिपो प्लाट ।

[viii] पश्चिम पुरी, पाकेट-III, प्लाट सं० 3 में श्रीमती रत्ना देवी को कोतला डिपो का प्लाट ।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) एक अनधिकृत निर्माण तथा कोयला डिपो के लिए आवंटित प्लाटों पर 10 दुकानों को किराए पर देने आदि के कारण ।

दिल्ली में कैंसर का पता लगाने वाले केन्द्र

770. **श्री सुभाष यादव :**

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जून, 1988 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि राजधानी में कैंसर का पता लगाने वाले कुछ और केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने और केन्द्र स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशी आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) भारतीय कैंसर सोसाइटी ने दिल्ली में कैंसर का पता लगाने वाले तीन केन्द्र पहले ही खोले हुए हैं और ऐसे दो और केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा कोई भी विनिर्दिष्ट राशि आवंटित नहीं की गई है।

फ्रैंकफर्ट में जम्बो विमान की क्षति

771. **श्री सुभाष यादव :**

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जून, 1988 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि फ्रैंकफर्ट में एयर इण्डिया का एक जम्बो विमान क्षतिग्रस्त होने के बाद उतरा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) सम्पत्ति की कितनी हानि होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ान भरते समय दांयी तरफ की बाडी गियर के दो टायर निष्क्रिय हो गए और उनके टुकड़े तीन नम्बर के इन्जिन में प्रविष्ट कर गए।

(ग) विमान को हुई क्षति की मरम्मत की लागत का अनुमान 15 लाख रुपये लगाया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने इस दुर्घटना की जाँच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

झुग्गी में रहने वालों द्वारा जमीन बेचना

[हिन्दी]

772. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जिन लोगों की झोपड़ियां प्राधिकारियों द्वारा गिरा दी जाती हैं, प्लाट आवंटित किए जाते हैं;

(ख) क्या जिन व्यक्तियों की झुग्गियां गिराई गई हैं उन्हें आवंटित प्लाट अन्य व्यक्ति कम दामों पर खरीद लेते हैं और वास्तविक आवंटी किसी अन्य स्थान पर फिर से झुग्गी डाल देता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्लाटों की बिक्री के बारे में जांच का आदेश देने तथा ऐसे मामलों में जहां वहां रहने वालों को अधिकृत आवंटिती न पाया जाए वहां उन्हें वापस अपने कब्जे में लेने का आदेश देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक की जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्लाट उन व्यक्तियों को आवंटित किए जाते हैं जिनकी झुग्गियां प्राधिकरण द्वारा गिरा दी गई हों तथा जिन्हें झोपड़ी गिराने की स्लिप जारी की गई हो।

(ख) इस प्रकार के मामले ध्यान में आये हैं जहां पर आवंटितियों ने उन्हें आवंटित प्लाटों के भाग का कब्जा बिक्री द्वारा या अन्य किसी प्रकार से अनधिकृत व्यक्तियों को दे दिया है परन्तु इस प्रकार की बिक्री सम्बन्धी सौदेबाजी की जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण को नहीं है। दिल्ली

विकास प्राधिकरण को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि ऐसे आबंटितियों ने दुबारा कुछ अन्य स्थानों पर झुग्गियां पुनः बना ली हैं।

(ग) जहां कहीं भी बिक्री द्वारा या अन्य दूसरे तरीके से आवंटिती द्वारा प्लाटों के एक भाग का कब्जा देने की बात दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में आती है, तो आवंटन की शर्तों के अन्तर्गत आबंटन रद्द कर दिया जाता है। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, कतिपय कालोनियों के सम्बन्ध में 80 वर्ग गज के प्लाटों के अनधिकृत दखलकारों का पहले ही पता लगाया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उतर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित भूमि की बिक्री

773. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में अधिग्रहण की गई भूमि की भी बिक्री कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में अधिग्रहित भूमि की बिक्री की गई है;

(ग) क्या इस सौदे में प्रापर्टी डीलरों का हाथ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि डाबड़ी में इस प्रकार की अर्जित भूमि की गैरकानूनी बिक्री ध्यान में आई है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि की गैरकानूनी बिक्री करने वाले 8 प्रापर्टी डीलरों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है।

केरल में हाथीपांव रोग के मामले

[अनुवाद]

774. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हाथीपांव रोग के कितने मामलों की सूचना मिली; और

(ख) इस रोग पर नियंत्रण के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) केरल सरकारसे प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान श्लीपद (एलीफेंटायसिस) के सूचित किए गए रोगियों की संख्या इस प्रकार है :

1985	2639
1986	2878
1987	3832

(ख) राज्य में 16 राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रक कार्यक्रम यूनिटों और 8 फाइलेरिया क्लिनिकों के माध्यम से फाइलेरिया के रोगियों का पता लगाने और उनका उपचार करने के अतिरिक्त वैक्टर नियंत्रण के लिए बार-बार लारवारोधी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों के पास लार्वानाशक दवाएं तथा औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

ओलवकोड स्टेशन पर यात्री सुविधायें

775. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ओलवकोड स्टेशन पर, जो केरल में महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, न्यूनतम यात्री सुविधाएं तथा अन्य सहूलियतें भी उपलब्ध नहीं हैं, और

(ख) यदि हां, तो ओलवकोड स्टेशन पर यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल इन्जन और रेल पटरियों के आयात के लिए सोवियत संघ के साथ समझौता

776. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ के बीच सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कार्य दलों की स्थापना करने हेतु इन दोनों देशों के बीच कोई समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सहयोग तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का इस समझौते के अन्तर्गत सोवियत संघ से रेल इंजनों और रेल पटरियों का आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) अब तक पता लगाये गये सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों में उपस्कर का आयात, परामर्श, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास में सहयोग, परियोजनाओं के निष्पादन में सहयोग और प्रशिक्षण शामिल है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अन्तर्गत, रेल विद्युतीकरण और रेलपथ प्रौद्योगिकी के कतिपय पहलुओं का पता लगाया गया है।

(ग) और (घ) सोवियत संघ ने भारतीय रेलों को ब० ला० के ए० सी० रेल इंजनों का निर्यात करने में रुचि दिखायी है। स्वीकार्य विशिष्टी प्राप्त हो जाने पर हम इस की जांच के लिए सहमत हो गये हैं। यू० आई० सी० खण्ड की 60 कि० ग्रा० पटरियों की कुछ मात्रा के आयात में दिलचस्पी से भी सोवियत संघ को अवगत करा दिया गया है।

विदेशों से वापस आने वाले व्यक्तियों द्वारा रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना

777. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा केन्द्रीय सरकारी सेवा नियम केन्द्रीय सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर विदेशों में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विदेशों से वापस आने पर अपना नाम सरकारी सेवा के लिए रोजगार कार्यालयों में पुनः दर्ज कराने पर रोक लगाते हैं चाहे वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह विनियम कब लागू किया था; और

(घ) क्या सरकार विदेशी रोजगार से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये नियमों में संशोधन करने पर विचार करेगी ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

[हिन्दी]

778. **श्री राजकुमार राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कब तक गोदाम बनाने का है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम की आजमगढ़ में 19,680 मीटरी टन अपनी ढकी हुई भंडारण क्षमता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

30.6.1988 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास ढकी हुई भण्डारण क्षमता की केन्द्रवार स्थिति :

राज्य का नाम　　　　　　　　**उत्तर प्रदेश**

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

क्र०सं०	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई क्षमता
1.	2	3	4
1.	आगरा	आगरा	57.14
2.	अलीगढ़	अलीगढ़	19.54
		हरदुआगंज	78.80
		हाथरस	17.19
		अतरौली	7.58
		पाला	5.00
		सिकन्दराराव	5.00
		खैर	5.78
3.	एटा	एटा	29.39
		कासगंज	11.66
4.	मैनपुरी	करहल	5.00
		मैनपुरी	12.45
		सिकोहाबाद	26.70
		सिरसागंज	5.00
5.	मथुरा	मथुरा	50.09
		कोसीकलां	82.75
6.	बरेली	बरेली	91.39
7.	पीलीभीत	पीलीभीत	19.23
		बिलासपुर	9.17
8.	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	41.18
		मिरानपुर कटरा	3.40
		खुतार	1.00
		प्रसाद पुर	5.00

1	2	3	4
9.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	25.24
		जोखाबाद	31.20
		देबाई	5.00
		जहागीराबाद	12.00
		खुर्जा	36.10
		गुलौथी	9.60
		भाटी	2.50
		सियाना	3.34
		श्यामनगर	8.79
		शिकारपुर	4.70
10.	फैजाबाद	फैजाबाद	35.86
		मसौधा	4.20
		टांडा	4.10
11.	बाराबंकी	बाराबंकी	72.56
12.	बहराइच	बहराइच	15.30
		मिहिनपुरवा	5.00
		नानपारा	1.60
13.	गोंडा	गोंडा	3.30
		बलरामपुर	2.70
14.	सुलतानपुर	सुल्तानपुर	10.00
15.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	8.20
16.	गोरखपुर	गोरखपुर	31.60
		नौखा	15.50
		पादरी बाजार	5.00
		पुरंदरपुर	2.50
17.	बस्ती	बस्ती	28.74
		डुमरीगंज	10.00
18.	आजमगढ़	आजमगढ़	19.68

1	2	3	4
19.	देवरिया	देवरिया	11.90
20.	गाजियबाद	गाजियाबाद	17.50
		हापुड़	74.48
		दादरी	14.20
21.	मेरठ	मवाना	5.00
		प्रतापुर	47.37
		बड़ौत	9.70
22.	रामपुर	बिलासपुर	19.00
		रामपुर	30.00
23.	नैनीताल	बाजपुर	12.50
		हल्द्वानी	10.40
		काशींपुर	13.00
		किछा	12.00
		रुद्रपुर	55.05
		रामनगर	3.10
		असपुर	11.60
		गदरपुर	15.80
		सितारगंज	6.60
		टनकपुर	0.30
24.	बांदा	अटारा	12.31
		बांदा	20.90
25.	ललितपुर	ललितपुर	8.10
26.	हमीरपुर	कुलपहाड़	2.50
		रथ	3.37
		मोहबा	15.00
27.	झांसी	झांसी	36.82
		मौरानीपुर	5.00
28.	जालौन	कल्पी	3.06

1	2	3	4
		कोंच	6.23
		औरई	29.48
29.	इलाहाबाद	आलोपीबाग	11.40
		नैनी	58.14
30.	इटावा	इटावा	27.94
		जसवंतनगर	9.00
		औरैया	13.40
31.	फरूखाबाद	फरूखाबाद	5.00
		छिबरामाऊ	2.40
		काराचना	5.50
		घुमनगंज	10.44
32.	फतेहपुर	फतेहपुर	30.84
		जोखाबाद	13.60
33.	कानपुर	चंदेरी (कानपुर)	212.37
		पंकी	72.30
		बिंदकी रोड	3.70
		पुखरायां	5.80
34.	लखनऊ	तालकटोरा (लखनऊ)	59.24
		दरोगा खेड़ा	15.00
35.	उन्नाव	उन्नाव	8.20
		बंगरमाऊ	10.80
36.	हरदोई	हरदोई	27.42
		संडीला	14.50
37.	लखीमपुर खीरी	लखीमपुर खीरी	12.24
		गोला	12.70
		भीरा	2.00
		पलिया	11.20
		तिकुनिया	6.30
		मलियागंज	1.10

1	2	3	4
38.	सीतापुर	सीतापुर	39.35
39.	रायबरेली	रायबरेली	49.00
40.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	31.64
		अमरोहा	6.00
		बिलारी	5.00
		चंदौसी	46.40
41.	बदायूं	बदायूं	24.50
		बिसौली	5.00
		उझानी	23.16
42.	बिजनौर	बिजनौर	15.00
		नगीना	5.00
43.	सहारनपुर	सहारनपुर	11.68
		देववंद	7.50
		हरिद्वार	4.40
		ज्वालापुर	3.80
		पिलखनी	55.00
		रुड़की	5.50
		सरसावा	6.67
44.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फनगर	5.00
		बामनहारी	100.00
		खतौली	15.04
		जलालाबाद	7.50
		मंसूरपुर	12.50
		शामली	3.70
45.	वाराणसी	वाराणसी	69.57
		व्यासनगर	25.00
46.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	10.11
		रोवर्स्टगंज	3.00
47.	गाजीपुर	जंगीपुर	2.92
		कुन्देश्वर	5.00

1	2	3	4
48.	जौनपुर	जौनपुर	3.40
		बलिया	5.00
49.	देहरादून	देहरादून	6.86
		विकासनगर	5.30
		कोटद्वार	2.40
		ऋषिकेश	4.10
उत्तर प्रदेश में कुल ढकी हुई क्षमता			2814.25

नोट :—28, 23, 430 मीटरी टन की उक्त क्षमता के अलावा, दिल्ली-यू० पी० बार्डर पर उत्तर प्रदेश में साहिबाबाद में स्थित में 26,220 मीटरी टन और नेवली में 25, 900 मीटरी टन क्षमता संघ शासित प्रदेश दिल्ली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाती है।

मुरादाबाद और रामनगर के बीच बड़ी लाइन

779. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद-रामनगर के बीच बड़ी लाइन बिछाने सम्बन्धी कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो रामनगर को लखनऊ से तथा दिल्ली से जोड़ने के लिए, अलग-अलग रूप से कौन-कौन सी रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं;

(ग) क्या यात्रियों और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए रामनगर और लखनऊ तथा दिल्ली और रामनगर के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) रामनगर-लखनऊ के बीच 65/66 एक्सप्रेस के साथ जोड़कर 65 ए/66 ए गाड़ियां और रामनगर-दिल्ली के बीच 55/56 एक्सप्रेस के साथ जोड़कर 55 ए/56 ए गाड़ी सेवाओं की पहले ही व्यवस्था की गयी है।

सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में मेडीकल कालेज खोलना

780. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई मेडिकल कालेज खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह मेडिकल कालेज कहां और कब खोला जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विलम्ब

781. **श्री हरीश रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान क्षेत्र-वार इन्डियन एयरलाइंस की कितनी उड़ानों में आधे घंटें से अधिक की देरी हुई और कितनी उड़ानें रद्द की गईं;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान विलंब हुई अथवा रद्द की गई उड़ानों की संख्या पहले से कहीं अधिक थी; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे विलंबों के मुख्य क्या कारण थे और इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स लगभग 210 सैक्टरों पर विमान सेवाएं परिचालित करती है । अप्रैल, 1988 से जून, 1988 तक की अवधि में, 30 मिनट से अधिक के विलंब अथवा रद्द की गई उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार थी :

विलंब	8498
रद्द की गई उड़ानें	521
कुल उड़ानें	27694

(ख) जी, हां ।

(ग) रद्द किये गए/विलंब के कुल मामलों में से 80% से अधिक मामले परिणामी कारणों से हुए हैं जो प्रारंभिक विलंबों के फलस्वरूप होते हैं क्योंकि प्रत्येक विमान को एक दिन में काफी संख्या में उड़ानों का परिचालन करना होता है, इसलिये एक उड़ान में देरी के परिणामस्वरूप उन सभी परिवर्ती उड़ानों में देरी हो जाती है जो उस विमान से उस दिन की जा रही होती हैं । परिणामी विलंबों को कम करने की दृष्टि से उड़ानों के बीच पर्याप्त लचीली व्यवस्था की गई है । तथापि, क्षमता की अत्यधिक कमी के कारण फिलहाल पर्याप्त लचीलापन लाना संभव नहीं है । आने वाले महीनों में इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा विमान पट्टे पर/खरीद लेने के बाद स्थिति में सुधार हो जाएगा ।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिक्री स्टालों और ट्रालियों का आबंटन

[अनुवाद]

782. **श्री हरीश रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागीय खानपान व्यवस्था में ऐसी कोई नीति है, जिसके अनुसार कमीशन पर फेरी लगाने वाले विक्रेताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्टाल और ट्राली आदि आबंटित की जाती हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत नई दिल्ली स्टेशन पर कमीशन पर फेरी लगाने वाले विक्रेताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित स्टालों/ट्रालियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस अवधि के दौरान कमीशन पर फेरी लगाने वाले विक्रेताओं के पुत्रों/दत्तक पुत्रों को आबंटित स्टालों/ट्रालियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) छः मामलों में डाक्टरी आधार पर कमीशन वेंडरों का कार्य वेंडरों के पुत्रों के नाम हस्तांतरित किया गया था ।

मंगलूर-मिराज सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

783. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलूर-मिराज सेक्शन को बड़ी लाइन में बदलकर सीधी लाइन द्वारा मिराज होकर मंगलूर को बम्बई से जोड़ने की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद) : (क) और (ख) मिराज-बेंगलूर और संबद्ध शाखा लाइनों के मी० ला० से ब० ला० में आमान परिवर्तन के लिए 1981 और 1984 के बीच सर्वेक्षण पूरे किए गए थे । मंगलौर-हसन-आरसीकेरे मी० ला० (236 कि० मी०) के आमान परिवर्तन की लागत का अनुमान 34.63 करोड़ रुपये लगाया गया था । मिरज-आरसीकेरे-बेंगलूर और बिरुर-शिमोगा मीटर लाइनों (811 कि० मी०) के आमान परिवर्तन की अनुमानित लागत 1984 में अद्यतन की गयी जो 267 करोड़ रुपये थी । यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद आंकी गयी थी ।

शहरी परिवहन प्राधिकरण

784. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में एक स्वायत्त प्राप्त शहरी परिवहन प्राधिकरण की स्थापना करने और महानगरीय रेल परिवहन प्रणाली का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कालीकट हवाई अड्डे पर यात्री यातायात और माल का चढ़ाना

785. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री पी० ए० एन्टनी :

श्री जी० एम० बनातवाला :

श्री सुरेश कुरूप : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे की स्थापना के दो महीने के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स का यात्री यातायात और माल चढ़ाने उतारने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन्डियन एयरलाइन्स अथवा वायुदूत का कालीकट से नये गन्तव्य स्थानों जैसे त्रिवेन्द्रम, मद्रास, बंगलौर, अगाती और मंगलौर के लिए अतिरिक्त अथवा नई उड़ानें आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में मालाबार केनल के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) अप्रैल और मई 1988 के दौरान बम्बई और कालीकट के बीच लाये ले जाये गये यात्रियों/माल की औसत संख्या इस प्रकार है :

अप्रैल		मई	
यात्री संख्या	माल [कि० ग्रा०]	यात्री सं०	माल [कि० ग्रा०]
बम्बई कालीकट-112	3049	116	4960
कालीकट-बम्बई-92	149	116	200

(ख), (ग) और (ङ) जबकि इस समय अतिरिक्त उड़ानों का परिचालन करने या कालीकट से नए स्थानों जैसे त्रिवेन्द्रम/मद्रास/मंगलौर, अगती और मंगलौर के लिए नई उड़ानों को शुरू करने

का इन्डियन एयरलाइन्स का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कालीकट को त्रिवेन्द्रम और मद्रास से विमान सेवा से जोड़ने का वायुदूत का प्रस्ताव है जो पर्याप्त विमानक्षमता और अधिक यातायात की संभावना पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, हां।

रोहणी में प्लाटों पर मकानों का निर्माण करने की समय सीमा

786. श्री रामश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1983-84 में दिल्ली में रोहणी आवासीय योजना के अन्तर्गत काफी संख्या में प्लाटों की बिक्री/आवंटन किया गया था;

(ख) क्या सेक्टर-7, रोहणी के कतिपय पाकेटों में पेयजल, सड़कों पर लाइटों जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है;

(ग) क्या प्लाटधारकों को अपने मकानों का निर्माण कराने हेतु तीन वर्ष का समय दिया गया था और इस अवधि में निर्माण न करने पर जुर्माना किया जायेगा;

(घ) क्या निर्धारित अवधि में मकानों का निर्माण न करने पर कोई जुर्माना न वसूल करने सम्बन्धी कोई निर्णय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या पहले वसूल की गई जुर्माने की राशि को लौटाया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान सभी प्लाटों में कर दिया गया है सिवाय सेक्टर-7 के कुछ पाकेटों के, क्योंकि दिल्ली नगर निगम से स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण सेक्टर-5 तथा सेक्टर-6 (पूर्ण) में पानी के व्यक्तिगत कनैक्शन नहीं दिये जा सके।

(ग) से (ङ) यह सही है कि मकानों के निर्माण के लिये आवन्टियों की कब्जे की तारीख से 3 वर्ष का समय दिया गया था जिसके न होने पर उन्हें जुर्माना देना था। परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, उन प्लाटों पर, जहां पानी के कनैक्शन नहीं दिये गये हैं, निर्माण में विलम्ब के लिये तब तक कोई जुर्माना न लेने का निर्णय लिया जब तक पानी के कनैक्शन मुहैया नहीं कर दिये जाते।

केरल को खाद्यान्नों और तेलों की सप्लाई

787. प्रो० के० वी० थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने खाद्यान्नों और पाम आयल के आवंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी, हां।

(ख) केरल को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन मई, 1988 के 4000 मीटरी टन से बढ़ाकर जून, 1988 में 4900 मीटरी टन और जुलाई, 1988 में 5000 मीटर टन कर दिया गया है। तथापि, चावल के आवंटन में वृद्धि करना संभव नहीं पाया गया है।

कोचीन विमानपत्तन का विस्तार

788. **प्रो० के० वी० थामस :**

श्री तम्पन थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन विमानपत्तन का विस्तार करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

केरल को शहरों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

789. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे और माध्यम दर्जे के नगरों का समेकित विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत शहरों के विकास के लिए केरल को (शहर-वार) कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

केरल के छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार दी गई निधियों का कस्बे-वार विवरण

क्र० सं०	कस्बे का नाम	राशि
		(रुपये लाखों में)
1.	गुरुवायूर	42.89
2.	कोटटायम	44.80
3.	त्रिचुर	47.00
4.	कयमकुलम	34.20
5.	तेल्ली चेरी	46.88
6.	चगंनचेरी	46.36
7.	तिरुर	41.87
8.	बाडागाड़ा	46.45
9.	मल्लापुरम	49.80
10.	थोडुपुजाह	49.50
11.	मंजोरी	45.33
12.	पालघाट	13.50

खाद्यान्न राजसहायता राशि में वृद्धि होना

[हिन्दी]

790. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री राम धन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न के लिये सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही राजसहायता राशि में वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या वर्षों से उपभोक्ताओं को खाद्यान्न के लिये अधिक भुगतान करने के लिये बाध्य किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार सरकार द्वारा कितनी राजसहायता दी गई और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का कितना मूल्य अदा करना पड़ा; और

(घ) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक व्यय कम करने तथा अक्षमता पर अंकुश लगा कर राजसहायता की राशि कम करने के कोई प्रयास किये हैं और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैंठा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई खाद्य सब्सिडी की राशि इस प्रकार है :

वर्ष	सब्सिडी की राशि (करोड़ रुपये में)
1985-86	1650
1986-87	2000
1987-88	2000

खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और केन्द्रीय निर्गम मूल्य के बीच अन्तर की राशि उपभोक्ता सब्सिडी का द्योतक है। खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों और हैण्डलिंग खर्चों में वृद्धि पर विचार कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई थी। 1.4.1985 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में समय-समय पर की गई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं			चावल साधारण	चावल बढ़िया	चावल उत्तम
1.4.85	172	1. 4.85	208	220	235
1.2.86	190	10.10.85	217	229	244
1.5.87	195	1. 2.86	231	243	258
		1.10.86	239	251	266
25.3.88	204	1.10.87	239	264	279

उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों की बिक्री के लिए उपभोक्ता मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने लागत में कटौती करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं जिनके फलस्वरूप 1986-87 में 238.42 करोड़ रुपये और 1987-88 में 276.11 करोड़ रुपये तक की बचत हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के खर्च में कटौती

791. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री राम धन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये जा रहे खर्च में कटौती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान निगम के कई अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उनमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने लागत कम करने के बारे में अनेक उपाय किए हैं जिनके परिणामस्वरूप 1986-87 में 238.42 करोड़ रुपये और 1987-88 में 276.11 करोड़ रुपये तक बचत हुई है।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने 1986 से 1988 (मई, 1988 तक) के दौरान कदाचार/भ्रष्टाचार के लिए अपने 1783 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरु की है।

(घ) भाग (ग) में उल्लिखित मामलों में कुल निहित राशि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1984-85 से 1986-87 के वर्षों के दौरान चोरी/उठाईगीरी के कारण भारतीय खाद्य निगम को लगभग 44 लाख रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

कीटनाशी रोधी मच्छरों को समाप्त करना

[अनुवाद]

792. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छरों को समाप्त करने के लिये, जिनमें परम्परागत रूप में प्रयुक्त कीटनाशकों के प्रतिरोधी क्षमता आ गई है, देश के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने कोई नई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना किन-किन स्थानों पर लागू की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) परम्परागत कीटनाशकों की प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त कर लेने वाले मच्छरों को समाप्त करने की कोई नीति विकसित नहीं की गई है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने रोग वाहक मच्छरों का प्रौद्योगिकी के उपयुक्त सम्मिश्रण के द्वारा नियंत्रण करने के लिए एक संगठित वैक्टर नियंत्रण नीति विकसित की है जिसमें पर्यावर्णिक जैविक नियंत्रण तरीके और स्थानीय स्थितियों में अनुकूल कीटनाशी दवाओं का उपयोग भी शामिल है।

(ग) एक मिशन परियोजना के रूप में इस नीति का प्रायोगिक परियोजना के आधार पर नाडियाड ताल्लुका (गुजरात), हलद्वानी, हरिद्वार, शाहजहांपुर, और शंकरगढ़ (सभी उत्तर प्रदेश में), मांडला (मध्य प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), सोनापुर (असम), राउरकेला (उड़ीसा), और शेरतल्लाई (केरल) में कार्यान्वियन किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वियन

793. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए किसी व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : (क) और (ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने हेतु हमारे पास एक सुपरिभाषित कार्यनीति है। इस कार्यनीति में बनाए गए आधारभूत ढांचे का अभीष्टतम उपयोग करने, स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने, बच्चे को जीवित रखने की संभावना में वृद्धि करने, सूचना, शिक्षा और संचार को सुदृढ करने; अस्थायी गर्भ निरोधक तरीकों को बढ़ावा देने आदि पर जोर दिया गया है। फिलहाल इस कार्यनीति में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा विमान इंधन पर लगाया गया बिक्री कर

794. **डा० दत्ता सामंत** :

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से विमान सेवाएं चलाने वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस कम्पनियों ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा विमान ईंधन पर लगाए गए बिक्री कर के विरुद्ध केन्द्रीय सरकारों को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली जैसे शहरों की तुलना मे विमान ईंधन के मूल्य में कितना अन्तर है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप बम्बई में विमान ईंधन की बिक्री पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों ने बम्बई से अपने सामान्य कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

हज तीर्थयात्रियों के लाने ले जाने में एअर इंडिया का घाटा

[हिन्दी]

795. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भावित घाटे को देखते हुए एअर इण्डिया की हज तीर्थयात्रियों के लिए जद्दाह को विशेष उड़ानें चलाने की कोई योजना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो घाटे को पूरा करने के लिए विमान किराये में 10% वृद्धि करने के एअर इण्डिया के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या एअर इण्डिया को इस वर्ष हज तीर्थयात्रियों को भारत में जद्दाह ले जाने और वहाँ से वापस लाने में घाटा होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने हज तीर्थयात्रियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) एयर इण्डिया ने तीर्थ यात्रियों को लाने हेतु चरण-2 में यानी जेद्दाह से भारत के लिए 53 उड़ानों की व्यवस्था की। चरण-1 भारत/जेद्दाह के दौरान सउदी अरेबिया की राष्ट्रीय विमान कम्पनी ने भारत से सभी तीर्थ यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था की थी। तथापि यात्री सूची के अनुसार दिल्ली से लगभग 1500 तीर्थयात्रियों को उड़ानों में नहीं ले जाया जा सका। एयर इण्डिया ने इन तीर्थयात्रियों को ले जाने की व्यवस्था की।

(ख) किराये में वृद्धि के लिए एयर इण्डिया के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। एयर इण्डिया को हज यात्रियों से सामान्य "आयटा" इकानामी किराये के 85% के किराये वसूलने के निदेश दिए गए।

(ग) जी, हां।

(घ) रियायती किराये वसूल करने के साथ-साथ एयर इण्डिया/इण्डियन एयरलाइन्स निम्नलिखित रियायतें देती हैं :—

(क) 1% विमान क्षमता हज कमेटी के लिए निःशुल्क है।

(ख) जेद्दाह-भारत सैक्टर पर अर्जित अतिरिक्त सामान राजस्व को हज कमेटी को वापिस कर दिया गया है।

(ग) हज कमेटी के 500 किलोग्राम तक के उपस्कर को दोनों ओर से निःशुल्क ढोया गया है।

(घ) 20 किलोग्राम निःशुल्क सामान भत्ते की इकानामी श्रेणी की हकदारी की तुलना में, प्रत्येक तीर्थ यात्री को 35 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है और इसके अतिरिक्त उन्हें 10 किलोग्राम के वजन के पवित्र जम-जम पानी का एक कनस्तर ले जाने की भी अनुमति है।

पालम से एयरबस की उड़ान में विलम्ब

[अनुवाद]

796. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को 13 जून, 1988 की सुबह दिल्ली से एयरबस की उड़ान में 4-5 घंटे के हुए विलम्ब की जानकारी है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण थे; और

(ग) विलम्ब के लिए उतरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। 13 जून, 1988 को दिल्ली हवाई अड्डे पर हैदराबाद और मद्रास को जानेवाली इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई सी 439 में 4 घंटे 30 मिनट का विलम्ब हो गया था।

(ख) एयरबस विमान जी आई सी-439 अनुसूचित उड़ान पर था, में तकनीकी खराबी आ गई थी जिसके लिए बम्बई से जो ए-300 विमान के लिए बेस था, कुशल कार्मिकों और अतिरिक्त पुर्जों की मांग की गई थी। इस कारण से विमान बदला गया और आई सी 440 का परिचालन करने वाले विमान का इस्तेमाल आई सी 439 की उड़ान के लिए किया गया।

(ग) चूंकि विमान में खराबी किसी मानव भूल के कारण नहीं थी इसलिए कोई कारंवाई नहीं की गई।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एअर इण्डिया के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व

797. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि एअर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स के पुन: गठित निदेशक बोर्ड में शामिल हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इससे नेशनल एयरलाइन्स और विमानपत्तन नियन्त्रण प्राधिकरण के बीच समन्वय स्थापित करने में कहां तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या एअर इण्डिया का देश में लंदन में ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन में और न्यूयार्क में "पेनएम" की तरह अपना पृथक एअर टर्मिनल स्थापित करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) न तो वायु निगम अधिनियम और न ही सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि एअर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडलों में भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि अवश्य होने चाहिए । जहां तक राष्ट्रीय एअर लाइनों तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समन्वय का सम्बन्ध है, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों का सहयोग बोर्डों में विचार-विमर्श करते समय लिया जायेगा ।

(ग) जी, नहीं । तथापि, सहार हवाई अड्डा बम्बई में माड्यूल-II बी का प्रयोग विशुद्ध रूप से एअर इण्डिया द्वारा अपनी उड़ानों के लिए किया जा रहा है ।

इण्डियन एयरलाइन्स/एअर इण्डिया का निदेशक बोर्ड

798. **प्रो० के० वी० थामस** :

डा० दत्ता सामंत : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया के निदेशक-बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) बोर्ड के सदस्यों के चयन का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विररण संलग्न है ।

(ग) वायु निगम अधिनियम, 1983 (1953 की संख्या 27) की धारा 4 के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स और एअर इण्डिया के निदेशक मंडल का गठन किया जाता है। बोर्ड का गठन करते समय एयरलाइनों के कार्य कलापों से सम्बन्धित क्षेत्रों से वैज्ञानिकों, शिल्प विज्ञानो, वरिष्ठ और विख्यात उद्योगपतियों तथा व्यावसायिकों को शामिल करके निदेशक मंडल को व्यापक बनाने का प्रयास किया जाता है ।

(घ) और (ङ) इण्डियन एयरलाइन्स के कामगार/कर्मचारी कार्य समितियों और श्रमिक संपर्क समितियों के माध्यम से एयरलाइन्स के प्रबन्ध में सहयोग देते हैं और एयर इण्डिया के प्रबन्ध में उनका सहयोग कर्मचारी सहभागिता की योजना के जरिये होता है। इसे ध्यान में रखते हुए, एयरलाइनों के प्रबन्ध में कामगारों की सहभागिता को देखते हुए, बोर्डों में कामगारों का प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। एयरलाइनों के बोर्डों में उनके प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त समय पर और समुचित तरीके से विचार किया जाएगा ।

विवरण

30 जून, 1988 से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक मंडल

(ख)

एयर इंडिया :	इंडियन एयरलाइन्स :
1. श्री रतन टाटा अध्यक्ष	1. श्री राहुल बजाज अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, इंडियन एयरलाइन्स	2. अध्यक्ष, एयर इंडिया
3. प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया	3. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स
4. प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स	4. प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया
5. महानिदेशक, पर्यटन	5. महानिदेशक, पर्यटन
6. वित्त सिलाहकार नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	6. वित्त सलाहकार नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय
7. संयुक्त सचिव, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय	7. संयुक्त सचिव, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय
8. श्री सी० एल० शर्मा, उप प्रबन्ध निदेशक, एयरइंडिया	8. श्री सी० एल० शर्मा, उप प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया
9. श्री आ० प्रसाद, उप प्रबन्ध निदेशक इंडियन एयरलाइन्स	9. श्री आर० प्रसाद, उप प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स

10. श्री विवेक भरत राम	10. श्री हर्षवर्धन, प्रबन्ध निदेशक, वायुदूत
11. श्री गौतम खन्ना, होटलियर	11. श्री अजीत केरकर, प्रबन्ध निदेशक भारतीय होटल निगम
12. श्री साइरस मजदर, भूतपूर्व अध्यक्ष आई० ए० ए० आई० (यात्रा ट्रेड)	12. श्री सुरेश कृष्ण, उद्योगपति, मद्रास
13. श्री जे० के० मेहरा, अध्यक्ष एन० पी० सी० सी०	13. श्री कृष्ण अमला, अवैतनिक सचिव, पी० ए० टी० ए०
14. श्रीमती बिलखिस लतीफ	14. श्रीमती शोभना भारतीय प्रबन्ध निदेशक, हिन्दुस्तान टाइम्स
15. श्री तरूणदास, डी० जी०, इन्जिनियरी उद्योग, महासंघ	15. श्रीमती शर्मिला टैगोर

मद्रास में तीव्रगामी जन-परिवहन प्रणाली

799. **श्री पी० कुलनवईवेलू** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मद्रास में तीव्रगामी जन-परिवहन प्रणाली की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशी आवंटित की गई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) मद्रास में, इस समय मद्रास बीचलज तीव्रगामी जन-परिवहन परियोजना कार्यान्वियनाधीन है।

(ख) इसकी 105.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में, अब तक वर्ष 1988-89 के निमित्त 9 करोड़ रुपये की राशि सहित 32.75 करोड़ रुपये की राशि मद्रास बीचलज परियोजना हेतु आवंटित की गई है।

(ग) यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

12.00 **मध्याह्न**

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, भोपाल दुर्घटना के बाद, कलकत्ता में एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। कलकत्ता में तोरी के तेल (रेप सीड आयल) में मिलावट करने से एक

हजार लोग प्रभावित हुए है। तीन सौ लोगों को अस्तपताल में दाखिल किया गया है। हम इसकी सी० बी० आई० से जांच करवाना चाहते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई प्रस्ताव है तो मैं इस पर विचार करूंगा।

कुमारी ममता बनर्जी : राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है इसलिए हम सी० बी० आई० जांच करवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं। आपको क्या हो गया है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : अनेक लोगों को लकवा (पक्षाघात) हो गया है। तीन सौ लोगों को लकवा (पक्षाघात) हो गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाईये। हो गया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने 4 जुलाई को आपको एक नोटिस दिया था..............

अध्यक्ष महोदय : किसलिए ?

प्रो० मधु दंडवते : यह बिन चड्ढा, प्रधान मंत्री और श्री कृष्णचन्द्र पंत के बारे में एक विशेषाधिकार का नोटिस है जिन्होंने सदन को गुमराह किया है.............. (व्यवधान)

उसमें क्या हुआ है ? मुझे बताया गया है कि मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

प्रो० मधु दंडवते : बिन चड्ढा का मामला प्रधानमंत्री के मामले से भिन्न है। मुझे बताया गया कि बिन चड्ढा का मामला विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : इसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : बिन चड्ढा ने संयुक्त संसदीय समिति के काम में गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इसकी अनुमति क्यों नहीं दी गई ? मैंने आपको बताया था कि जो कुछ उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष कहा था वह दस्तावेजों का खण्डन करता है। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें कोई खण्डन (विरोध) नहीं है और इससे सदन गुमराह नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, कुछ नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : आपको स्पष्ट करना चाहिए। (**व्यवधान**) बिन चड्ढा का मामला पूर्णतया विशेषाधिकार का उल्लंघन करने वाला मामला है। आपको हमें बताना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। आपने हमें कभी नहीं बताया कि विशेषाधिकार प्रस्ताव रद्द क्यों किया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी किसी मामले को इस तरह से एकदम खारीज नहीं करते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : बिन चड्ढा द्वारा दिए गए वक्तव्य समाचार पत्र को नहीं दिए गए थे। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष वक्तव्य दिये थे जो सदन की समिति थी। संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष दिए गए वक्तव्य गलत और दस्तावेजों से ठीक विपरीत हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1987 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग III—भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1987 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग III—भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6322/88]

शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विषयक क्षेत्रों को अभिहित व्यवसायों के रूप में विनिर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में अधिसूचना, कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1988 तथा कर्मचारी परिवार पेन्शन (संशोधन) योजना, 1988

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 401, जो मई, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा

जिसके द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए विषयक क्षेत्रों को अभिहित व्यवसायों क रूप में विनिर्निष्ट किया गया है, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6323/88]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1988, जो 21 मई, 1988, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 421 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी परिवार पेंशन (संशोधन) योजना 1988, जो 18 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 500 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 6324/88]

चीनी (1987-88 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 1988
खाद्य निगम अधिनियम मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान (10 वां संशोधन)
विनियम, 1988 और चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन)
नियम 1988

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी (1987-88 के उत्पादन के लिए मूल्य अवधारण) संशोधन आदेश, 1988, जो 30 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 762 (अ) में प्रकाशित हुआ था, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6325/88]

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान) (10वां संशोधन) विनियम, 1988, जो 19 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 46/एफ० संख्या ईपी० 39-3/83 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 6326/88]

(3) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत चीनी विकास निधि (तीसरा संशोधन) नियम, 1988, जो 6 मई, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 551 अ, में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/रखी गयी देखिए संख्या एल. टी. 6327/88]

12.04 म. प.

राज्य सभा का संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 28 जुलाई, 1988 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 12 मई, 1988 को सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक के 1987 में किए गए निम्नलिखित संशोधनों से सहमत हुई—

अधिनियम सूत्र

1. पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

'अडतीसवे' **के स्थान पर** "उनतालीसवें" रखे ।

खण्ड—1

2. पृष्ठ 1, पंक्ति 4—

"1987" **के स्थान पर** "1988 रखे" ।

व्यवधान

12.05 म०प०

ज्योत्सना होल्डिग प्राईवेट लिमिटेड को सुमितीमों कारपोरेशन से हुई आय के समाचार के बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, सरकार का ध्यान ज्योत्सना होल्डिग प्राइवेट लिमिटेड के आयकर और कुछ अन्य मामलों के बारे में स्टेट्समैन के शुक्रवार 29 जुलाई, 1988 के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है । इस समाचार में दिए गए बहुत से विवरण गलत हैं ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ज्योत्सना होल्डिग प्रा० लिमिटेड, ने कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में अपनी आय की विवरणी 31 जुलाई, 1987 को दाखिल की थी जिससे कुल आय 5,89,12,251 रुपए दिखाई गई थी । इस विवरणी में, उसने 6.55 करोड़ रु० की वह राशि शामिल की थी जो उसे सुमीतोमो कारपोरेशन से परामर्शदात्री-शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी । उसने स्वतः कर-निर्धारण करके 12 सितम्बर, 1987 को कर के रूप में 3,23,68,834 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया था । क्योंकि वर्ष 1987-88 के सम्बन्ध में दिखाई गई आय का कुछ हिस्सा दो पूर्ववर्ती वर्षों से भी सम्बन्धित था, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139 (5) के अनुसार कम्पनी ने स्वयं ही दो पूर्ववर्ती वर्षों 1985-86 और 1906-07 के लिए संशोधित विवरणियां दाखिल करवाई जैसा कि कानून के अन्तर्गत अनुमत है ।

इन कर-निर्धारणों को, जैसा कि समाचार में आरोप लगाया गया है, बेहद जल्दबाजी में पूरा नहीं किया गया था। वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में पहली सुनवाई 25-11-1987 को आरम्भ हुई थी। 23 मार्च, 1988 को कर-निर्धारण के पूरा होने से पहले भी बहुत सी अनुवर्ती सुनवाइयां हुई थीं। चूंकि सम्बद्ध मुद्दों पर पहले ही विचार किया जा चुका था, इसलिए अनुवर्ती दो वर्षों के कर-निर्धारणों को भी 28 मार्च, 1988 को पूरा कर दिया गया था।

कम्पनी ने दिनांक 18 मार्च, 1988, 28 मार्च, 1988 और 1988 और 28 मार्च, 1988 को धारा 273 के अंतर्गत जुर्माने की और धारा 839 (8) तथा 287 के अन्तर्गत ब्याज की माफी के लिए आयकर आयुक्त के पास एक याचिका दायर की। कर-निर्धारणों के पूरा होने से पहले जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना कोई अनियमित अथवा गैर-कानूनी बात नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 273 क के उपबंधों के अन्तर्गत, कोई कर-निर्धारिती जुर्माने और ब्याज की माफी पाने के लिऐ पात्र है यदि धारा 139 (2) के अन्तर्गत उसको नोटिस जारी करने से पहले ही वह स्वेच्छा से और नेक-नीयती से अपनी आय के बारे में पूर्ण रूप से सच्चाई से घोषणा कर देता है और उस पर कर देता है। क्योंकि इस मौजूदा मामले में सभी कानूनी शर्तें पूरी कर दी गई थीं, इसलिए आयकर आयुक्त ने अपनी सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि निर्धारित है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से पूर्व-अनुमति लेने के पश्चात् दिनांक 24-6-1988 को जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया। यह आरोप गलत है कि धारा 273-क के अन्तर्गत आदेश पारित करने में अनावश्यक जल्दबाजी की गई थी।

मार्च,1988 में, जब इस कंपनी के कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था, तब कर-निर्धारण प्राधिकारी ने यह पाया कि इस कंपनी ने अपनी विवरणी में अपनी विदेशी आय के बारे में पूर्ण रूप से घोषणा कर दी थी जैसा कि सुमीतोमो कारपोरेशन द्वारा जारी किए गए दिनांक 25 अगस्त, 1987 के दोनों प्रमाण-पत्रों से स्पष्ट होता है। इसके अलावा, कंपनी ने स्वप्रेरणा से ही सामान्य बैंक माध्यमों के द्वारा अपनी विदेशी आय प्रत्यावर्तित कर दी थी और अपने कर अदा कर दिए थे। यह उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग में कोई विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कक्ष नहीं है और ऐसे कक्ष और इसके कार्यकलापों के संबंध में इस समाचार में निकाले गए निष्कर्षों का कोई आधार नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निविदा आमंत्रित करने के नोटिस, जिसका कि इस समाचार में हवाला दिया गया है, के उत्तर में सुमीतोमो कारपोरेशन ने सम्बद्ध कॉलम में ऐसा संकेत नहीं दिया था कि इन दो निविदाओं के संबंध में उनका कोई भारतीय एजेंट है। किसी भी समय न तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने और न ही भारतीय गैस प्राधिकरण ने, इन दो निविदाओं के संबंध में न तो किसी भारतीय एजेंट से कोई बातचीत की थी और न ही सुमीतोमो कारपोरेशन के किसी भारतीय एजेंट को कोई अदायगी की थी। तथापि, जैसेकि पहले उल्लेख किया गया है, ज्योत्सना होल्डिंग प्रा० लिमिटेड ने आयकर कार्यवाहियों के दौरान यह घोषणा की कि इन दो निविदाओं के

संबंध में परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए सुमीतोमो कारपोरेशन के साथ उनके दो करार हुए थे। इन दोनों करारों में यह व्यवस्था थी कि ज्योत्सना होल्डिंग प्रा० लिमिटेड को सुमीतोमो कारपोरेशन का एजेंट नहीं समझा जाना चाहिए।

सुमीतोमो कारपोरेशन से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। प्रवर्त्तन निदेशालय भी विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियमन के दृष्टिकोण से इस मामले की जांच कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : माननीय सदस्य चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि चर्चा शुरू की जानी चाहिए। अब हमें चर्चा शुरू करनी चाहिए और इसे समाप्त कर देनी चाहिए और इसके बाद हम हैजे पर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करने के लिए विरोधी पक्ष की मांगे स्वीकार करता हूं। हमें चर्चा अभी शुरू करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मंत्री महोदय ने अभी वक्तव्य दिया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। हमें इसका अध्ययन करना है। आप अभी एकदम चर्चा करने की कैसे आशा करते हैं? **व्यवधान**

श्री एच० के० एल० भगत : प्रो० दंडवते चर्चा शुरू करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह आपको शोभा देता है?

श्री एच० के० एल० भगत : पिछले दिन आप कह रहे थे 'अभी अभी' अभी अभी शुरू करनी है। अतः अब आप चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)** आप चर्चा करना चाहते हैं और अब आप चर्चा करने से पीछे हट रहे हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह आपको अपील करता है? यह एक तकनीकी विषय है। एक वक्तव्य दिया गया है ब्यौरे दिये गये हैं और 'फेरा' उल्लंघनों को नजर अन्दाज किया गया है।

व्यवधान

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : हमें तो वक्तव्य की एक प्रतिलिपि भी नहीं दी गयी है।

व्यवधान

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप कल चर्चा कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : उनमें से कोई एक चर्चा शुरू कर सकता है **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप एक अपराधी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। **(व्यवधान)** हमें वक्तव्य की प्रतियां नहीं दी गई हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बातें करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले में निर्णय करना है। इसके दो रास्ते हैं। इस पुस्तक में नियम हैं, जिसके अनुसार चर्चा करते हैं। मंत्री जी वक्तव्य देते हैं, और मैं भी कहता हूं, आप मुझे एक प्रस्ताव दीजिए तब आपको देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सदन सहमत होता है तो हम तुरन्त ही इस विषय को ले लेते हैं। यह बहुत साधारण सी बात है। इसके केवल दो रास्ते हैं। अपनी ओर से मैं इसे नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपनी ओर से मुझे इसे कार्यमंत्रणा समिति, को देना होगा और वे फिर तारीख निश्चित करेंगे। कभी कभी हम इसे सदन की सिफारिशों पर तुरन्त ले लेते हैं। आप जो कुछ मुझसे कराना चाहते हैं, करा लीजिए मैं आपके हाथों मे हूं। मैं इसे अपने आप नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अभी चर्चा करे। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय ने अभी अभी वक्तव्य दिया है। यह एक तकनीकी विषय है। हमें कई बातों की जांच करनी हैं। हम इस पर कल चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी स्थिति को तो देखें क्योंकि प्रक्रिया के अनुसार मुझे इसे या तो केवल कार्य मंत्रणा समिति को भेजना है·······

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : या फिर मुझे इसे सदन के समक्ष रखना है। मैं नहीं जानता कौन सा तरीका आप पसन्द करते हो।

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : आप इसे कार्य मंत्रणा समिति को दीजिए। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? शुक्रवार को दा स्टेटसमेन समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट पर वे तुरन्त वक्तव्य चाहते हैं। और वे नहीं चाहते कि सरकार

समय पर काम करे। वे सरकार को कोई समय दिये बिना वक्तव्य देने के लिए कहते हैं। कृपया सदन का विचार मान लीजिए और अगर सदन का यह निर्णय है तो तुरन्त चर्चा आरम्भ कीजिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम क्या चर्चा करें ? हमें तो वक्तव्य की प्रति भी नहीं मिली है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कृपया हमारी बात सुनिये । उन्होंने अपने वक्तव्य में विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम, कमीशन और निगम द्वारा दिये गये वक्तव्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है। हमें वक्तव्य का अध्ययन करना है। कृपया इस पर चर्चा कल की जानी चाहिये। यहां तक की वक्तव्य की प्रतिलिपियां भी उपलब्ध नहीं हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वक्तव्य की प्रतियां उपलब्ध नहीं की गई हैं।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : प्रतिलिपियां आपके पास उपलब्ध हैं। उन्होंने वक्तव्य को पढ़ा है। **व्यवधान**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिये। मैं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं ? फैसला मैंने करना है। मैंने आपके सामने दो चीजें रखी थीं। मैंने एक और बात यह कहनी है कि उस दिन आपकी डिमांड अनरिजनेवल थी कि अभी स्टेटमैंट कराओ और आज······

व्यवधान

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप रिकार्ड की जांच कर सकते हैं। हमने केवल यह कहा था कि 'आज शाम तक वे अपनी ओर से वक्तव्य दे सकते हैं ।(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरी बात सुनिये। मैंने यह कहा······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। उस वक्त कहा था लेकिन बाद में आपने कहा था कि शाम को कर देगें, दोनों बातें थीं। मैं ऐसा कर सकता था, आपकी बात रह जाए, इनकी बात रह जाए।······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनते क्यों नहीं आप, बीच में क्यों बोलते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन ली बात । अब ऐसा हो सकता है, आपको टाईम दे देते हैं, आप स्टडी करिये, तीन बजे ले लेते हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : हमें कानून की धाराओं का अध्ययन करना है । हमें यह पता लगाना है कि विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम का उल्लंघन कहां-कहां किया गया है । यह एक तकनीकी विषय है । इसे कल 3. म० प० से आरम्भ कीजिए **व्यवधान**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप इसे कल 12.00 बजे भी आरम्भ कर सकते हैं....(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कर लेते हैं ।

[अनुवाद]

हम इसमें इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर नहीं करो आप, चार्ल्स

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल इतना ही है कि

[अनुवाद]

अब हम 2.00 म. पे. से हैजे पर चर्चा आरम्भ करके उसे 3.00 बजे म० प० तक समाप्त कर सकते हैं और तत्पश्चात 3,00 बजे म० प० से इस चर्चा को आरम्भ कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको शाम तक टाईम दे दिया मैंने ।

[अनुवाद]

मैंने आपको शाम तक टाईम दे दिया है। आप अपने आपको तैयार कर लीजिए। हम 4,00 बजे म० प० के स्थान पर 2,00 बजे म० प० से हैजे पर चर्चा आरम्भ करके उसे 5,00 बजे म० प० तक समाप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो दृष्टिकोणों के मध्य एक समझौता करता हूं। हम 4,00 बजे म० प० के स्थान पर 2,00 बजे म० प० से हैजे पर चर्चा आरम्भ करके उसे 5,00 बजे म० प० तक समाप्त कर सकते हैं। हम आज ही 5,00 बजे म० प० से इस चर्चा को आरम्भ करके इसे समाप्त कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : नहीं, हम इसे कल आरम्भ कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : इसे 5.00 बजे म० प० से पहले समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें इसी विषय पर राज्य सभा में 5.00 बजे म० प० पर एक वक्तव्य देना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप स्टेट मैन्ट करके आइये, सवा पांच बजे कर देंगे।

[अनुवाद]

ये 5.15 म० प० पर आ जाएंगे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम तकनीकी और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करना चाहेंगे (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पांच घण्टे आपको दिए हैं।

[अनुवाद]

आपको पूरे पांच घण्टे दिए गए हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें वक्तव्य देना चाहिए (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : इस प्रकार सदन में धौंस मत जमाइये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे समझौते से सहमत नहीं हैं तो मैं उसे सदन में प्रस्तुत कर दूगां।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वक्तव्य की प्रतिलिपियां उपलब्ध की जानी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम 5.15 म० प० पर इस चर्चा को आरम्भ कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हमें वक्तव्य की प्रतिलिपियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्टेट मैन्ट दो इनको।

आप स्टेट मैन्ट की कापी दो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इसे उचित समझते हैं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने कहा वैसा मैंने कर दिया। आपने उस दिन शाम को बोला, मैंने मान लिया, अब मैं नहीं बोलूंगा। आपने उस दिन कहा शाम को कर देंगे, मैंने कर दिया। पांच घण्टे मैंने आपको दे दिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने 'आज' नहीं कहा है। मैंने कहा है 'कल' (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यस, बहुत दफा हुआ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह उचित नहीं है। क्या सदन में अभी तक ऐसा किया गया है? ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन की सलाह पर हम कई बार ऐसा कर चुके हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : ऐसा उन राजनैतिक मामलों के बारे में ऐसा किया होगा जो कि काफी लम्बे समय से जारी हैं। यह एक वित्तीय मामला है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको 5 घन्टे दे दिये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० चिदम्बरम।

12.19 म० प०

आयुध (संशोधन) विधेयक

कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयुध अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी० चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.19½ म० प०

आयुध (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के बारे में विवरण

कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं आयुध अधिनियम, 1988 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6328/88]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह एक वित्तीय मामला है जिसे लापरवाही से निपटाया गया है⋯(व्यवधान) आप एक बुरा पूर्वोदाहरण स्थापित कर रहे हैं। (व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दे चुका हूं फिर भी आप इस प्रकार कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने कितना समय दिया है ?···**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रश्न यह है कि इस मामले पर अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उस दिन चर्चा करना चाहते थे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझ पर धौंस जमाने का प्रयास मत कीजिए। मुझ पर धौंस नहीं चलती।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्री मधु दण्डवते ने चार दिन पहले इस मामले को उठाया था। उनके पास चार दिन का समय था। इसका अध्ययन करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था···**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उन्हें दो दिन मिले परन्तु आप चाहते हैं कि हम इसे पांच घन्टे में समाप्त कर दें, यद्यपि हमारे पास वक्तव्य की प्रतिलिपी भी नहीं है···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पांच घण्टे दे दिए, फिर भी आप ऐसे कहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको एलाउ भी करूं, पांच घण्टे भी दूं और फिर भी आप····

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो मैं इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये···(**व्यवधान**)

प्रश्न यह है कि मैं केवल दो कार्य कर सकता हूं। परन्तु मैं तीसरे कार्य को भी कर रहा हूं। मैं दोनों पक्षों की बात मान लेना चाहता था और मैं एक समझौता करना चाहता था····

श्री अमल दत्ता : आप दोनों पक्षों की बात मान लेना चाहते हैं या आप अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक इस पर चर्चा समाप्त करना चाहते हैं····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझ पर चिल्लाइये मत। गुस्सा मत कीजिए। कृपया बैठ जाइये। मैं अपनी बात कह रहा हूं और यह व्यक्ति हर समय शोर मचाता रहता है। मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भी कार्य कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप भी कार्य कर सकते हैं···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझसे बहस न करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें···

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आपने विवरण देने के लिए सरकार को तीन दिन का समय दिया···

अध्यक्ष महोदय : आगे दो छुट्टियां थीं, इसलिए अगला कोई कार्यदिवस नहीं था। बात सिर्फ यह थी···

(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : यदि सरकार इसे उसी दिन चाहती है तो इसे उसी दिन निपटाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। मैंने दो बातें कही हैं और वो बिलकुल स्पष्ट हैं···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। अब मेरी बात सुनिए। मेरे सामने केवल दो विकल्प हैं। मुझे इसके लिए दिन निर्धारित करने हेतु कार्य मंत्रणा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना पड़ेगा। दूसरा विकल्प यह है कि मैं इसे सभा के सामने रख दूं तथा सभा निर्णय करें। हमने अनेक बार ऐसा किया है। लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मुझे कहने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शान्त होकर नहीं बैठ सकते ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे एक भी ऐसा उदाहरण दिखाइये जिसमें आर्थिक जटिलताएं, कानून आयकर कानून, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, अन्तर्गत हों रहे हों तथा उन मामलों को सीधे शुरू किया गया हो····**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप इतनी गर्मी करते हैं कि मुझे डर लगने लगता है और आंच आने लगती है और मैं कांपने लगता हूं। मैं ठंडा रहता हूं। मैं हाथ जोड़ कर गुजारा करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं, श्रीमान् ; आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी बात कह रहा हूं । कृपया आप बैठ जाएं । नियमानुसार मैं आप से कहता हूं आप बैठ जाइये । दूसरा तरीका यह है कि यदि सभा चाहती है तो मै उसकी राय के लिए सभा के सामने रख सकता हूं । मैं सभा का सेवक हूं । यदि आपको पसंद हो तो मैं इसे सभा के सुपुर्द कर सकता हूं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, ऐसा कभी नहीं सुना गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सभा में आपने अक्सर ऐसा किया है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : या तो आप इसे सभा की सहमति से करें या अन्यथा इसे कार्य मंत्रणा समिति को सौंप दें अथवा आप हमारी सुविधा का ध्यान रखें । यह एक वित्तीय मामला है तथा इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा कि इनकी बात भी रह जाए और आपकी बात भी रह जाए। ये तो अभी चाहते हैं।

[अनुवाद]

वे इसी समय चर्चा करना चाहते हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सारे क्यों बोल रहे हैं, एक ही बहुत है। आप क्यों बोल रही हैं मैडम। क्या हो रहा है आप को, बैठ जाइए आप। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं आप दोनों की बात रखना चाहता हूं। आप की बात भी रह जाए और इनकी बात भी रह जाए।

श्री अमल दत्ता : महोदय, क्या आप मेरी बात सुनने की कृपा करेंगे ? चूंकि अब आप बैठ गए हैं,···(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, नियम 193 के अधीन चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह चर्चा हैजे के बारे में है अब 4.00 बजे म० प० का समय नियत किया गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त नियम 193 के अधीन इसके प्रस्तावक हैं उन्हें यहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए। वे दो बजे यहां नहीं होंगे। चार बजे का समय नियत करने के बाद आप हैजा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्हें इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित नहीं कर सकते हैं।····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो फिर देर तक बैठिए। कोई कठिनाई नहीं है। हम हैजा पर चर्चा 4.00 बजे म० प० पर शुरू करेंगे। हम इसे शुरू कर सकते हैं, इसे बीच में रोक सकते हैं तथा फिर से आरम्भ कर सकते हैं।...

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक मिनट के लिए मेरे निवेदन को सुनिए। हमने आज ही माननीय मंत्री का वक्तव्य सुना है। यदि आप इसे ध्यान से पढ़े तो इसमें आयकर कानून, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कानून, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कानून अन्तर्ग्रस्त हैं, क्या उन्होंने इसके लिए रिजर्व बैंक से समुचित अनुमति ली है, वह भी इसमें अन्तर्गत है। इन सब पहलुओं पर ध्यान देना है। उन्होंने जो तिथियां दी हैं हमें उनकी जांच करनी है। हमें यह पता लगाना है कि क्या इसमें पर्दा डालने की कोई कोशिश की गई है। इस प्रकार के वित्तीय मामलों के लिए आप हमें कम से कम एक दिन भी नहीं देंगे ?···(व्यवधान) आप एक भी ऐसा उदाहरण दीजिए कि इस प्रकार के मामले सीधे शुरू किए गए हों···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप जरा ध्यान से इस पर निर्णय करें।

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैंने उन्हें प्रस्ताव को तुरन्त आरम्भ करने की अनुमति नहीं दी। मैंने इसलिए अनुमति नहीं दी क्योंकि आपकी मांग उचित थी। इसीलिए मैंने कहा था कि आप को स्थिति का अध्ययन करने के लिए कम से कम पांच घंटे दिए जाने चाहिए तथा यही कारण है कि मैंने समझौते का यह फार्मूला अपनाया। यह बिल्कुल सरल बात है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, एक पहले से ही बज चुका है। हमने कानून की बहुत सी धाराओं का अध्ययन करना है···(**व्यवधान**) महोदय, किसी भी अन्य अध्यक्ष ने ऐसा नहीं किया। 1952 से लेकर अब तक, किसी भी अध्यक्ष ने वित्तीय मामलों में ऐसा नहीं किया···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं इसे सभा के सामने रखता हूं···

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप गर्म होकर बोलते हैं, तभी गड़बड़ हो जाती है।

[अनुवाद]

यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा के समक्ष रख सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इस प्रकार के मुद्दों का निर्णय बहुमत या अल्पमत से नहीं किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : उनका निर्णय सदा सर्वसम्माति से किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं इसे कैसे निपटाऊँ ?

श्री एस०जयपाल रेड्डी : सर्व सम्मति से, महोदय।

प्रो० मधु दंडवते : हमेशा सर्वसम्मति से निपटाया जाना चाहिए···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी साढ़े बारह बजे हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : महोदय, इतनी जल्दबाजी क्यों है ?·········(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इतने जोर से क्यों बोल रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : महोदय; इतनी जल्दी क्या है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप इसे कल 12.00 बजे शुरू कर सकते हैं।

श्री अमल दत्ता : आपने उन्हें 72 घंटे दिए थे, हमें भी आप 24 घंटे का समय दें।···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो कोई चिंता नहीं करता इस बात की····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा जो चर्चा आरम्भ की जानी है, उसमें व्यवधान न डालते हुए हम इसे कल 12.00 बजे शुरू कर सकते हैं। अन्यथा कार्य मंत्रणा समिति में इसका निर्णय किया जाए। इसका निर्णय करने के लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायी जाए···**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी फैसला कर दे कि आज शाम पांच बजे लेना है ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उसमें हम हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। यदि पूरा विपक्ष यह चाहता है कि इसे आज शुरू न किया जाए, तो क्या आप समझते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति इसकी अनुमति दे देगी ?

श्री बसुदेव आचार्य : आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएं।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कृपया कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाएं। इसका सिर्फ यही एक हल है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विवाद में नहीं पडूंगा। मैं 12.45 म० प० पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : 12 बजकर 45 मिनट पर, इसी समय। मैं समझौता करना चाहता था ताकि किसी भी पक्ष को आपत्ति न रहे। मैं आपको या उनको नाराज नहीं करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बिना मतलब गर्म हो जाते हैं। मैं तो वैसे ही आपकी बात सुनता तो हूं।

12.30½ म० प०

धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग को निवारित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला। वे यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग को निवारित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय विधेयक पुरः स्थापित कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

12.31½ म० प०

धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अध्यादेश 1988 के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं, श्री बूटा सिंह की ओर से धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अध्यादेश, 1988 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 6329/88]

12.31½ म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने की बाबत और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का पंजाब राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को लागू होने की बाबत और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.32 म० प०

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं, श्री बूटा सिंह की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1988 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 6330/88]

12.32½ प० म०

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[हिन्दी]

(एक) कलकत्ता-धनबाद-पटना के बीच दैनिक वायुदूत सेवा सुलभ कराना

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, धनबाद के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए वहां की जनता सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती है। उस क्षेत्र की जनता के लिए यह बहुत ही उपयोगी रही है। किन्तु वर्तमान में यह सप्ताह में मात्र तीन दिन मंगल, वृहस्पति तथा शनिवार को उपलब्ध है तथा कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाती है जिसके कारण इस मार्ग पर चलने वाले यात्रियों को बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कलकत्ता-धनबाद-पटना वायुदूत सेवा प्रतिदिन नियमित रूप से चलाई जावे तथा वायुदूत यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जावें।

(दो) समेकित विकास योजना के अंतर्गत उड़ीसा के गंजम जिले के कुछ कस्बों का विकास किया जाना

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उड़ीसा के गंजम जिले में छोटे और मध्यम श्रेणी के कस्बे बहुत अधिक संख्या में हैं तथा अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की संख्या भी बहुत अधिक है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत इस जिले के एक भी कस्बे को नहीं लिया गया तथा ऐसे कस्बों के विकास के लिए कोई भी परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार परियोजना रिपोर्ट भेजकर आस्का, भंजनगर पुरुषोत्तम पुर, पोलसरा, बुगुड़ा, हिनजिलीकाट्ट, खालीकोटे तथा बेलागुंटा कस्बों को इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए तथा इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि परियोजना रिपोर्टों का अनुमोदन करके इन कस्बों के विकास में मदद करे तथा उनके विकास के लिए आवश्यक धन राशि मंजूर करे।

(तीन) जल संसाधनों का पता लगाने के लिए छोटानागपुर क्षेत्र में चट्टानी इलाके का सर्वेक्षण किया जाना

हिंन्दी

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : बिहार में छोटा नागपुर के पठारी इलाकों में जहाँ पेयजल के लिए कठिनाइयाँ हमेशा बनी रहती हैं तथा भौगोलिक कारणों से उद्धवह सिंचाई की योजनायें खेतों की सिंचाई का एकमात्र साधन बन सकती हैं, की ओर भारत सरकार के जल संसाधन विभाग को खोज करनी चाहिए। छोटानागपुर तथा संथाल परगना और गया जिले के पठारी इलाकों में जल संसाधन की खोज का काम बहुत ही कम हुआ है। इन इलाकों में छोटी-बड़ी नदियों, जो गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, किंतु उनके तल में प्रचुर मात्रा में जल मिलने की सम्भावना है, इसकी खोज होनी चाहिए। निलाजन नदी, जो फालगु नदी के नाम से जानी जाती है तथा गया में धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है, अत: सलीला के नाम से विख्यात है। इसके तल में पानी बहुत ही अधिक है। इस नदी के किनारे के खेतों की हाईटेंशन पम्मिग सेट बैठाकर सिंचाई के निमित्त हजारों हैक्टेयर जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है।

अत: निवेदन है कि जल संसाधन विभाग यथोक्त जल स्रोत का पता लगाने का कष्ट करे।

(चार) अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनयिक दर्जा दिया जाना

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : दक्षिण अफ्रीका के जातिवाद शासन के विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष से भारत का गहरा सम्बन्ध है। सरकार तथा जनता ने इस संघर्ष में हमेशा दक्षिण अफ्रीका के लोगों का समर्थन किया है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि नेलशन मंडेला, जो लोगों की स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष करने वाले विश्व के सबसे सम्माननीय सेनानी हैं की 70वीं वर्षगांठ पर अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनयिक दर्जा दिया जाए, यह महान नेता की वर्षगांठ पर हमारे राष्ट्र की तरफ से उपहार होगा। भारत सरकार ने ऐसा ही फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के साथ किया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि ऐसा निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी तथा सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे अविलम्ब किया जाए।

(पाँच) स्टिंगर विमान-भेदी प्रक्षेपास्त्रों के आतंकवादियों के हाथों में जाने को रोका जाना

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : 29 जून 1988 को स्टेटसमैन में प्रकाशित यह समाचार गंभीर चिंता का विषय है कि अमरीका के स्टिंगर विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र काले बाजार में आ गयी हैं। इन्हें अफगान विद्रोही बेच रहे हैं। इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंजाब के आतंकवादी इन्हें स्वयं खरीद सकते हैं अथवा पाकिस्तान के जरिये प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो भारतीय विमानन को इन आतंकवादियों से खतरा बढ़ गया है। इन प्रक्षेपास्त्रों को आसानी से ले जाया जा सकता है जिस विमान पर यह छोड़ा जाए उसका विनाश निश्चित है। यदि विमान निचाई पर उड़ान कर रहा हो तो विमानपत्तनों के निकट नागरिक विमानपत्तनों को भी इससे खतरा हो सकता है। समाचार में बताया गया है कि कुछ देश इस स्टिंगर प्रक्षेपास्त्रों को अफगान के काले बाजार से पहले ही खरीद चुके हैं। सरकार इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के

साथ उठाये तथा देश के विमानों तथा विमान के यात्रियों को इससे होने वाले गम्भीर खतरों से उन्हें अवगत कराये इसके साथ ही अमेरिकी सरकार से कहे कि वे सभी स्टिंगर विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र वापस ले ले जो कि अफगानिस्तान में लगी थीं।

(छः) गोवा में बजरा मालिकों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया जाना और बजरा उद्योग को निर्यातोन्मुख उद्योग घोषित किया जाना

श्री शांताराम नायक (पणजी) : गोवा में बजरा के मालिक वहां से लौह अयस्क के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से 25000 से अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं।

फिर भी हाल ही में गोवा से लौह अयस्क के निर्यात में कमी होने के कारण व्यापार में 50 प्रतिशत की कमी आ गयी है। दूसरे भाड़े की दरें 1985 से नहीं बदली हैं जबकि बजरा के सभी आदानों में 7 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक वृद्धि हो गयी है। इस्पात की प्लेटों जो कि बजरे के ढांचे के रख रखाव के लिए आधारभूत सामग्री है, के मूल्यों में वृद्धि के कारण वार्षिक मरम्मत और अनुरक्षण व्यय में 60 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। 1984-85 के मुकाबले मजदूरों की मजदूरी में लगभग शत प्रतिशत वृद्धि हुई है।

ऐसी स्थिति में जब बजरा व्यापार के सामने वित्तीय संकट है तो बजरा मालिकों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना चाहिए। उन्हें आसान किश्तों पर ऋण दिया जाए तथा ब्याज में रियायत दी जाए। शत प्रतिशत निर्यात उद्योग के लिए उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के लिए बजरा उद्योग को शत प्रतिशत निर्यात उद्योग घोषित किया जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के अलीगंज जिले में और अधिक पैट्रोल और डीजल पम्प स्थापित किये जाना

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : महोदय, अलीगंज जहां कि ब्लाक तथा तहसील मुख्यालय है एटा जिले में पिछड़ा क्षेत्र है। इस समय वहां केवल एक डीजल पम्प है। हाल ही में एक इंडियन ऑयल पैट्रोल पम्प खोला गया है यह उसी डीजल पम्प की पार्टी को दिया गया है।

अलीगंज मैनपुरी, अलीगंज से फर्रूखाबाद तथा अलीगंज से सराय आगत इनके अतिरिक्त अलीगंज से करौली, अलीगंज से कम्पिल तथा अलीगंज से पटियाली आदि नई सड़कें बन जाने के कारण यातायात में वृद्धि हुई है तथा ट्रैक्टरों, पम्प सैटों की संख्या, तथा जनसंख्या में भी आम वृद्धि हुई है। इसलिए अधिक डीजल तथा पैट्रोल पम्प लगाये जाने की जरूरत है।

1986 में सराय आगत, धुमरी, एटा और सहावर पर डीजल पम्प लगाने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे परन्तु इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिला एटा में, विशेषतः अलीगंज में, अधिक संख्या में पैट्रोल तथा डीजल पम्प लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाए।

12.41 म० प०

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 28 जुलाई, 1988 को श्री सुखराम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे। श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक 1987 का समर्थन करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि यह साधारण विधेयक है परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के द्वारा खाद्य निगम को कुछ सुविधायें प्रदान की गयी हैं। जो कि बहुत पहले दी जानी चाहिए थीं। इस प्रकार सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सदन के सामने जो विधेयक रखा है उसमें पहले ही काफी देर हो चुकी है।

भारतीय खाद्य निगम सेवान्मुखी संगठन है परन्तु यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह एक वाणिज्यिक संगठन भी है। यह सरकार की खाद्य नीति को तेजी से लागू करने के लिए एक वाणिज्यिक संगठन है। निजी व्यापारियों को सट्टेबाजी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए इसे 1965 में स्थापित किया गया था। निगम एक सेवान्मुखी संगठन है अतः इसके कार्य का मूल्यांकन इसके उद्देश्यों अर्थात् किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने, कारगार खरीद संबंधी कार्यों तथा भंडारण तथा देश के सभी भागों में खाद्यान्न मुहैया कराने से किया जाना चाहिए। इस संगठन के कार्य का पुनरीक्षण करने पर हमें अनुभव होता है कि इस संगठन के कार्यों में अभी काफी सुधार की जरूरत है। वित्त की कमी भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सबसे बड़ी बाधा है जिसके कारण यह अपने लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त करने में असमर्थ है। उसे अधिक धन की जरूरत है। भारत सरकार तथा बैंकिंग क्षेत्र से जो धन मिलता है उससे आंतरिक संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता है। इस संगठन के विस्तार के लिए कार्यवाहक पूंजी तथा निवेश पूंजी दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार यह एक अच्छा प्रावधान है। अब हम इस संगठन को ऋणपत्रों एवं बन्धपत्रों के माध्यम से धन एकत्र करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस धन का उपयोग इसके क्रियान्वयन व निवेश हेतु किया जाना है और जैसा मैंने कहा है, इस आवश्यकता की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों व शर्तों के आधार पर बन्ध पत्रों एवं ऋणपत्रों को जारी करके तथा केन्द्र व राज्य सरकारों की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान व आम जनता व सहकारी क्षेत्र से भी पूरी की जाती है। इसलिये ऐसा करने के लिये उनके पास पूरी स्वतन्त्रता नहीं है। यह व्यवस्था भी स्वागत योग्य है। वे अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वे अपने मनमाने ढंग से धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। उन्हें सरकार को सूचित करना होता है, उन्हें सरकार की स्वीकृति लेनी होती है; तथा उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर ही यह करना होता है। उनके प्रस्ताव को भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के पश्चात ही वे धन इकट्ठा कर सकते हैं। अतः इस विधेयक में आपत्ति योग्य कोई बात नहीं है। यह स्वागत योग्य कदम है। इस प्रक्रिया के द्वारा, भारतीय खाद्य निगम और अधिक धन इकट्ठा कर सकता है। इसी के साथ-साथ मैं इस संगठन के और बेहतर ढंग से काम करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

महोदय, मैंने संगठन के उद्देश्यों के सम्बन्ध में पहले ही बताया है। 1965 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह संगठन खाद्यान्नों की खरीद और उत्पादकों को समर्थन मूल्य प्रदान करने के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। यह संगठन खाद्यान्नों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में

[श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही]

ले जाने में भी अच्छा काम कर रहा है जो कि कुदरत के खेल को देखते हुए बहुत जरूरी है। कभी-कभी देश में सूखा पड़ जाता है और कभी-कभी करीब-करीब अकाल की सी स्थिति हो जाती है और लोग भारत सरकार पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। कभी-कभी राज्य सरकारों के पास भी राज्य की जनता की उचित मात्रा में आपूर्ति हेतु खाद्य भण्डार नहीं होता है। वे केन्द्र-सरकार पर निर्भर करते हैं अतः पर्याप्त मात्रा में भण्डारण की आवश्यकता है। इसका कम आकलन भी नहीं करना चाहिये और इसको बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं समझना चाहिये। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि देश के कुछ हिस्सों में अनाज की खरीद का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे किया जाता है, जिसको कि विभागीय खरीद कहा जाता है। मैं उड़ीसा का उदाहरण देता हूँ। सारी जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है। परन्तु वे चावल के व्यापारियों को यह कार्य सौंप देते हैं। मैं नहीं जानता कि ऐसा भेदभाव पूर्ण व्यवहार क्यों किया जाता है। महोदय, हम व्यापारियों के स्वभाव से परिचित हैं। वे स्थिति का फायदा उठाते हुये किसानों का शोषण करने से नहीं चूकते हैं। अतः जब फसल बहुत अच्छी हो तो वे जानबूझकर खरीदने की प्रक्रिया में देरी करते हैं। वे खेतों में जाने, वहां से खाद्यान्न लाने और समय से उसकी कीमत का भुगतान करने में देरी करते हैं। ऐसा भी होता है कि जो खाद्यान्न वे उत्पादकों से खरीदते हैं, उसका मूल्य अदा करने में वे बहुत देरी कर देते हैं। उत्पादकों का शोषण किया जाता है तथा उन्हें तंग किया जाता है। अतः मैं यह सलाह देता हूं कि भारतीय खाद्य निगम पंजाब और हरियाणा की तरह उड़ीसा में भी अनाज की सीधी विभागीय खरीद करे। इसको पूर्वोत्तर क्षेत्र के उड़ीसा जैसे अन्य पिछड़े हुये राज्यों तक भी बढ़ा देना चाहिये। (**व्यवधान**) व्यापारी कहते हैं कि उनका शोषण होता है तथा ऐजेन्ट कहते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी उन्हें तंग करते हैं। मैं इसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं समझता। शायद अब तक माननीय मंत्री महोदय को भी इसका पता चल गया होगा। बहुत सी गलत व आपत्तिजनक बातें हो रही हैं। इस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मैंने भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण दिये थे। इसकी कार्य प्रणाली को सुचारू बनाना होगा। अत्यधिक भ्रष्टाचार समाप्त करना होगा। मैं जानता हूं कि इसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता है परन्तु इसको समाप्त करने के उद्देश्य से इसे कम से कम खाद्यान्न की खरीद, व वितरण आदि के क्षेत्र में कम करने के लिये गम्भीर प्रयास करने चाहिये।

जहां तक चीनी के बोरों को तौलने का सवाल है, इसकी मांग करने पर भी इनका वजन नहीं किया जाता है। मांग करने पर भी इन्हें क्यों नहीं तोला जाता है? यह आम बात है कि इनकी तोल कम रहती है। 100 कि० ग्राम के बोरे में वजन हमेशा कुछ कम रहता है। इसकी जांच होनी चाहिये तथा दोषी व्यक्ति को सजा दिलवायी जानी चाहिये।

मैं यह भी कहूंगा कि चीनी के परिवहन प्रभार वास्तविकता से बहुत कम हैं। व्यापारियों से बात करने पर यह बात स्पष्ट रूप से पता चलती है। उनका कहना है कि बिना हेरा फेरी के सन्यासी भी व्यापार नहीं कर पायेगा। अतः इसको युतियुक्त बनाया जाना चाहिये। अन्यथा, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार वे व्यापार नहीं चला पायेंगे। क्या व्यापारियों को अपनी जेब से खर्च करना होगा? हम यह आशा नहीं करते हैं कि व्यापारियों को अपनी जेब से खर्च करना होगा। अतः इस दिशा में व्यवहार परक दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्य कता है।

गोदामों की सुविधा का अभाव है। अतः खरीद में रुकावट आ रही है, और इस प्रक्रिया में उत्पादकों का शोषण हो रहा है।

हीराकुड (उड़ीसा) में भारतीय खाद्य निगम की एक आधुनिक चावल मिल है। परन्तु दुर्भाग्य-वश उसमें काम नहीं हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम की आधुनिक चावल मिलें बन्द पड़ी हैं। उन्हें चालू किया जाना चाहिये।

गोदामों की सुविधा उपलब्ध कराने व अन्य बातों के लिये भारतीय खाद्य निगम को धन की आवश्यकता है। इस प्रकार के विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने में सरकार की ओर से कुछ देरी हुई है। फिर भी, मैं कहूंगा कि कभी नहीं से देर भली। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भारतीय खाद्य निगम के पास अपनी गतिविधियों को संचालित करने तथा उन्हें बढ़ाने के लिये धन इकट्टा करने की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी।

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : महोदय, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 27 में संशोधन के बारे में चर्चा करने से पहले मैं इस संगठन के काम काज पर कुछ प्रकाश डालूंगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्यान्न बाहुल्य राज्यों से चावल व गेहूं की खरीद करके कमी वाले राज्यों में वितरित करने के उद्देश्य से की गयी थी। जहां तक इसकी खरीद व वितरण करने का सवाल है इस उद्देश्य में यह निगम सफल नहीं रहा है। जो कमी वाले राज्य हैं, उनको उनकी आवश्यकता-नुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा है—क्योंकि उन राज्यों में चावल व गेहूं के उत्पादन कम मात्रा में होता है। यदि पश्चिम बंगाल को देखें तो हम पायेंगे कि वहां 1.8 लाख टन चावल व 1.3 लाख टन गेहूं की प्रति माह आवस्यकता है। इन राज्यों में इतनी मात्रा की और आवश्यकता है। करीब 2,80,000 टन अनाज पश्चिम बंगाल को तथा 1.8 लाख टन अनाज केरल को वितरित किया जाना चाहिये अन्य अनेक ऐसे राज्य हैं जिनको कि आवश्यकतानुसार खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा है। यह संगठन इस ढंग से काम कर रहा है कि वह अपना उद्देश्य व उपयोगिता को पूरा नहीं कर सकता है। अधिकतर यह राज्यों को खराब किस्म का खाद्यान्न सप्लाई करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्न का वितरण करना तथा राशनिंग व्यवस्था को अधिक सफल बनाना था।

विशेषकर पश्चिम बंगाल, जोकि कमी वाला राज्य है, में दो प्रकार की राशनिंग व्यवस्था है— एक वैधानिक राशनिंग और दूसरी संशोधित राशनिंग। कई करोड़ लोग इस प्रकार की राशनिंग पर निर्भर करते हैं। इस संगठन का कार्य उन लोगों को खाद्यान्न का वितरण करना है जो कि राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत हैं तथा यह वितरण ऐसी उचित निर्धारित दर पर होता है, जिससे कि लोग उसे खरीद सकें। परन्तु चूंकि यह संगठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली व राशन प्रणाली के लिए खाद्यान्न वितरित नहीं करवाता है करोड़ों लोगों को खुले बाजार से अधिक दामों में खाद्यान्न खरीदना पड़ता है। इससे पता चलता है कि यह संगठन लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। है।

देश की कुल आबादी के आधे लोगों को पेट भर भोजन नहीं मिलता है। कुल आबादी का 1/3 अथवा 1/4 भाग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है।

[अनुवाद]

इसलिए भारतीय खाद्य निगम को इन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना था। परन्तु वह इस कार्य में भी असफल रहा। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य

[श्री रेणुपद दास]

निगम में इस प्रकार से सुधार करना चाहिए जिससे वह अधिक कार्य कुशलता और दक्षता से कार्य कर सके और कमी वाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई कर सके।

भारतीय खाद्य निगम में गुणवत्ता और अकुशलता के प्रश्न को बार-बार उठाया जाता है। सरकार ने लगभग 2000 करोड़ रुपये की धनराशि भारतीय खाद्य निगम को सबसीडी के रूप में दी है और उसने लगभग 1243 करोड़ रुपये की धनराशि संभार आदि पर ही खर्च कर दी है। भारतीय खाद्य निगम में प्रारम्भ से ही चोरी और भ्रष्टाचार की समस्या रही है।

भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों को लम्बी दूरी तक खुले रेलवे वेगनों द्वारा खाद्यान्न भेजता है। वाहनांतरण के दौरान कभी-कभी यह खाद्यान्न वर्षा के पानी में भीग जाता है और गन्तव्य स्थान तक पहुंचते-पहुंचते सड़ जाता है। अतः यह मानव उपभोग के अयोग्य बन जाता है। परन्तु फिर भी इन खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचा जाता है और उसमें चावल गेहूं मिलकर अधि प्राप्ति स्तर पर वह पुनः भारतीय खाद्य निगम में आ जाता है। फिर भारतीय खाद्य निगम इन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति करता है जिन्हें पहले मानव उपभोग के अयोग्य ठहराया गया था। इस प्रकार खाद्यान्न की गुणवत्ता और भी अधिक घटिया हो जाती है।

विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता हैं। पूर्वी राज्यों में लोग सामान्यतः सेला चावल पसन्द करते हैं। हर स्थान पर सेला चावलों की भारी मांग है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम केरल उड़ीसा, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में इस प्रकार के चावल की सप्लाई नहीं कर सका।

1.00 म० प०

भारतीय खाद्य निगम एक कार्य कर सकता है वह उन राज्यों में धान भेज सकता है जो अपनी चावल मिलों से सेला चावल प्राप्त कर सकते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि उन राज्यों में धान भेजा जाना चाहिए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले ही भण्डारण के प्रश्न को उठाया है। श्री एन० टोम्बी सिंह ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भण्डारण की सुविधा बहुत कम है। कमी के मौसम में अधिक सप्लाई न होने से खाद्यान्न को लम्बी दूरस्थ स्थानों तक नही भेजा जा सकता। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्षेत्रीय भण्डारण प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में भी पहाड़ी क्षेत्रों में चावल और गेहूं की सप्लाई करने में असुविधा महसूस की जाती है। अतः उत्तरी बंगाल में भी कुछ भण्डारण सुविधा उत्पन्न की जानी चाहिए।

अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम में संचालन लागत बहुत अधिक है। जो लोग खाद्यान्नों के व्यापार में लगे हुए हैं वे इस वास्तविकता से भली प्रकार अवगत हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूली और वितरण के कार्य को अपने हाथ में लेने से पहले संचालन लागत बहुत कम थी। यह वर्तमान लागत का लगभग आधी थी। अतः संचालन लागत को कम किया जाना चाहिए और चोरी को समाप्त किया जाना चाहिए। ऐसा किये बिना धारा 27 में वर्तमान संशोधन को समर्थन देना व्यर्थ है। इस विधेयक के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम

वित्तीय संशोधनों में विविधता उत्पन्न करना चाहता है। इसका क्या लाभ है ? भारतीय खाद्य निगम पहले ही केन्द्रीय सरकार से बहुत सा धन प्राप्त कर रहा है। यह 1200 करोड़ रुपये का अप व्यय कर रहा है। यह खाद्यान्नों की चोरी को रोकने में भी सक्षम नहीं है। अतः मैं धारा 27 में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

1.03 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.11 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.11 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ रथ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक का आशय भारतीय खाद्य निगम के लिए धन एकत्रित करना है। सूखे के विरुद्ध लड़ाई में अपनी भूमिका के लिए और समय पर खाद्यान्न की सप्लाई और आवागमन में सुधार के लिए भारतीय खाद्य निगम की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रधान मंत्री श्री राजीव गान्धी के नेतृत्व में सरकार शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति से देश की रक्षा करेगी। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय खाद्य निगम को अपनी संचालन लागत में कमी करनी चाहिए और कार्यकुशलता में वृद्धि करनी चाहिए। सरकार भारतीय खाद्य निगम को भारी मात्रा में राजसहायता प्रदान कर रही है। इस बारे में एक योजना तैयार की जानी चाहिए और संचालन लागत में कमी की जानी चाहिए। इसे ईमानदारी पूर्वक गम्भीरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। खाद्यान्नों की संभार और ढुलाई लागत बहुत अधिक है। चूंकि इस वर्ष बेहतर वर्षा हुई है इसलिए सूखे के बाद भरपूर फसल की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम को बड़े पैमाने पर किसानों से सही समय पर उनके उत्पादों को खरीदना चाहिए। उनके उत्पादों की जबरन बिक्री नहीं होनी चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से सूखे के बाद सभी उत्पादक अपने उत्पादों को बेचने के लिए बाजार में आयेंगे। भारतीय खाद्य निगम को उनके पास पहुंचकर उचित मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदना चाहिए और बिचौलियों को किसानों की विपत्तिजनक स्थिति का लाभ उठाकर उनसे सस्ती दर पर खाद्यान्न खरीदने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है जिसका भारतीय खाद्य निगम को सूखे के बाद ध्यान में रखना चाहिए। बेहतर भण्डारण और खाद्यान्न की बरबादी में कमी करने के मुद्दे पर भारतीय खाद्य निगम को ध्यान देना चाहिए।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम ने वसूली का कार्य आरम्भ कर दिया है। उड़ीसा में बहुत-सी सहकारी समितियां तथा सर्वोत्तम चावल मिल है परन्तु उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम मिलिंग और भण्डारण के लिए इन सहकारी चावल मिलों और गोदामों का उपयोग नहीं कर रहा है। इन सहकारी समितियों की अपेक्षा किसी व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और इस कार्य में सहकारी समितियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें अग्रिम रूप से धन राशि उपलब्ध कराई जानी

[श्री सोमनाथ रथ]

चाहिए ताकि वे ठीक समय पर खाद्यान्न की खरीद कर सकें। उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के एजेन्टों के रूप में सहकारी समितियों को वसूली के साथ-साथ भण्डारण के मामले में भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निजी मिल-मालिकों को वसूली का निन्यत्रण करने और वस्तुओं की कीमत पर बेचने और काला बाजारी को प्रोत्साहन देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चूंकि भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में वसूली का कार्य अपने हाथ में ले लिया है इसलिए यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि उस राज्य को पर्याप्त मात्रा में चावल दिया जाए, विशेष रूप से कमी के महीनों में, ताकि वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल लोगों तक पहुंच सके और उपभोक्ताओं को उसका लाभ मिल सके। उड़ीसा के मुख्य मंत्री और संसद सदस्यों ने उड़ीसा राज्य के चावल के कोटे को बढ़ाने का अनुरोध किया है परन्तु उसका कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला है। केवल 5 हजार टन चावल दिया गया है। यह कुछ नहीं है। हम अनुरोध करते हैं और हमारी मांग पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और उड़ीसा राज्य के लिए कमी के इन तीन महीनों के दौरान अधिक चावल आवंटित किया जाना चाहिए। लोगों को चावल की अत्यन्त आवश्यकता है। भारतीय खाद्य निगम को इन तीन महीनों के दौरान प्रत्येक माह 40 से 50 हजार टन चावल देना चाहिए, जैसा कि भारतीय खाद्य निगम इन कमी के महीनों पहले कर रहा था। उड़ीसा ने गत वर्ष भयंकरतम सूखे का सामना किया। जब भारतीय खाद्य निगम ने वसूली का कार्य संभाला है तो यह उनका कर्तव्य है कि विपत्ति में पड़े उस राज्य के लोगों के लिए चावल की पर्याप्त सप्लाई की जाए। भारतीय खाद्य निगम ने गत वर्षों में भी उड़ीसा से चावल की वसूली की है और अन्य राज्यों में उसकी सप्लाई की है। इस वास्तविकता को भुलाया नहीं जा सकता। जब उड़ीसा के लोग विपत्ति में हैं तो मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस बारे में मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें और इन तीनों महीनों के दौरान प्रत्येक महीने उड़ीसा को कम से कम 40 हजार टन चावल की सप्लाई करें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं।

भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की वर्तमान धारा 27 के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के पास पहले ही अग्रिम राशि अथवा ऋण प्राप्त करने की कतिपय शक्तियां हैं और उनमें खाद्यान्नों के भण्डार के आधार पर किसी अनुसूचित बैंक अथवा किसी अन्य बैंक अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने की शक्तियां भी शामिल हैं। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने को ये शक्तियां विद्यमान हैं।

अब इस संशोधनकारी विधेयक में यह प्रावधान किया जा रहा है कि भारतीय खाद्य निगम को किसी प्राधिकरण, संगठन, संस्था अथवा जनता जैसा भी केन्द्र सरकार से स्वीकृत किया जाए, से ऋण लेने की अनुमति देकर, इन शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया जाए। केवल यही नहीं वे संसाधन एकत्रित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को कड़े और डिबेन्चर जारी करने और उनका विक्रय करने की भी शक्ति देना चाहते हैं।

भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में इस प्रयोजन से की गई थी कि वह मूल रूप से प्राइवेट व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मुनाफा खोरी को रोकने के लिए एक प्रति संतुलनकारी

शक्ति के रूप में कार्य करे। अतः इसे कृषकों को समर्थन मूल्य देना सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की भी रक्षा करने का काम मुख्य रूप से दिया गया था। इन कार्यों के साथ इसका यह उत्तरदायित्व भी है कि यह उर्वरकों के आयात, भंडारण और वितरण पर नियंत्रण रखे तथा इनकी मात्रा का रक्षित भंडार बनाए रखना भी इसकी जिम्मेदारी है।

अब भारतीय खाद्य निगम की कार्य निस्पादन रिपोर्ट का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि इसकी ऋण लेने की सीमित शक्तियों के कारण इसकी गतिविधियां सीमित नहीं हैं अथवा इसके कार्यों में इसकी वजह सें कमी नहीं है। 31 मार्च, 1986 के तुलन पत्र से पता चलता है कि उस समय बैंकों से लिए गए ऋणों की राशि 45027³ करोड़ रुपये थी जबकि अगले वर्ष 31 मार्च, 1987 को बैंकों से ऋण घट कर 3521·15 करोड़ रह गया। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम की ऋण लेने की शक्तियों में वृद्धि करने का क्या उद्देश्य है। क्या संसाधनों की किसी कमी की वजह से यह अपने कार्य ठीक तरह से करने में असमर्थ है ? हम समझते हैं कि निगम मुख्यतः एक सेवा उन्मुख संस्था है और इसलिए अन्य सार्वजनिक उद्यमों की तरह यह निर्माण कार्यों में संलग्न नहीं है और इसका राजस्व को कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। अतः इसे अनिवार्य रूप से राज्यों के स्रोतों और ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। बैंकों से ऋणों में कमी होने के इस तथ्य से प्रतीत होता है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के लिए और अधिक ऋण लेना आवश्यक नहीं है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा। इस विधेयक का वास्तव में क्या उद्देश्य है ? आप इस निगम की ऋण मांगने की शक्तियों में वृद्धि क्यों कर रहे हैं जिसकी वजह से यह डिबेंचर जारी करने में समर्थ होगा और यह केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थाओं और संगठनों से भी ऋण ले सके। इस बारे में स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं की गई है। यह आवश्यकता बहुत जरूरी नहीं लगती क्योंकि हमें याद है कि यह विधेयक फरवरी, 1987 में प्रस्तुत किया गया था और ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं आई है कि इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक निगम की ऋण लेने की शक्तियां बढ़ाने का संबंध है, इसकी कोई मौलिक जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पर मैं मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अन्त में मैं उपभोक्ताओं के हितों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य अधिकाधिक बढ़ रहे हैं और जहां तक खाद्यान्न तथा सब्जियों के मूल्यों सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य का संबंध है, उपभोक्ता हर दिन इस वृद्धि से पीड़ित हो रहा है। इस बात को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम को अपना ध्यान उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर केन्द्रित करना चाहिए। इसे उनको आवश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों से बचाकर राहत देनी चाहिए क्योंकि इससे वे बुरी तरह पीड़ित हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल के बारे में मुझे दो-तीन बातें ही कहनी हैं। एक साल पहले इसी सदन में फूड कारपोरेशन पर बहुत विस्तार से हमने बातें की थीं। उस समय के मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। कि फूड कारपोरेशन में जितना भ्रष्टाचार है, उतना गवर्नमेंट की शायद ही किसी कारपोरेशन में होगा और तब से आज तक मैं नहीं समझता कि स्थिति में कोई सुधार हुआ है। यह रिकार्ड की बात है, मंत्री जी इस को देखेंगें।

फूड कारपोरेशन के लिए यह जो बिल लाए हैं, उससे आप बोंड्स एण्ड डिबेन्चर इसू करना चाहते हैं। आप के पास आलरेडी काफी आथेराइज्ड कैपीटल है, सब्सक्राइब्ड कैपीटल है। फिर सरकार हर साल आप को सब्सीडी देती है। मैं लेटेस्ट रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं :

[अनुवाद]

> 31 मार्च, 1987 को निगम की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये थी। सरकार ने गोदाम निर्माण के लिए और 68 करोड़ रुपये इक्वीटी पूंजी के रूप में और दिये। 31 मार्च, 1987 को कुल अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी 795.67 करोड़ रुपये थी। सरकार ने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार की लागत की आंशिक रूप से पूर्ति हेतु भारतीय खाद्य निगम को 1200 करोड़ रुपये का ऋण आसान शर्तों पर दिया।

[हिन्दी]

इसके अलावा आपको कैश क्रैडिट भी काफी मिला हुआ है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि फूड कारपोरेशन की वर्किंग को यदि आप विस्तार से एग्जामिन करवांए, तो देखेंगें कि बिना बोंड्स के, डिबेन्चर्स के लिए हुए आप इसकी एफीशियेन्सी बढ़ा कर काम चला सकते हैं और आपको लोन लेने की जरुरत नहीं होगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि सरकार ने 1975-76 में फूड सब्सीडी 250 करोड़ रुपये दी; 1983-84 में 834 करोड़ रुपये, 1986-87 में 3,000 करोड़ और 1987-88 में 2,000 करोड़ रुपये दी और आजिज आ कर जून 1988 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशियेटिव लिया और फूड एण्ड सिविल सप्लाइज मिनिस्ट्री को कहा कि वह ब्यौरो आफ इन्डस्ट्रियल कास्ट्स एण्ड प्राइसेज से कहे कि कास्ट स्ट्रक्चर जो एफ०सी०आई का है, उस को एग्जामिन करे औरवह एग्जामिन हो रहा होगा और इसकी रिपोर्ट भी समय पर आएगी लेकिन जो सरकार सब्सीडी देती है, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि वह सब्सीडी गलत तरीके से इस्तेमाल होती है। पिछले साल और इस साल भी जब इन्कम टैक्स आथेरिटीज ने फूड कारपोरेशन के बड़े अफसरों के यहां रेड किया, तो बेशुमार दौलत उनके यहां निकली और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि फूड कारपोरेशन के सीनियर आफिसर्स के यहां रेड कराए जांए, तो बेशुमार दौलत मिलेगी। सब्सीडी के नाम पर और घाटे के नाम पर करोड़ों रुपया फूड कारपोरेशन में खाया जाता है और सरकार मूक दर्शक होकर रह जाती है। यह पैसा हमारा और आप का नहीं है, यह पैसा जनता का है और यह पैसा किसी वर्ग का नहीं है। एक आर्गेनाइज्ड माफिया फूड कारपोरेशन में काम करता है। मैं पर्सनल नोलिज से जानता हूं कि कोई अनाज ट्रान्सपोर्ट नहीं होता है एक जगह से दूसरी

जगह और दिखा दिया जाता है कि इस गोदाम में छप्पर में, छत में छेद होने से अनाज सड़ रहा है। इसलिए दूसरे गोदाम में उसे ले जाया गया और ट्रान्सपोर्टेशन कास्ट दुनिया भर का जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि दूसरा गोदाम खराब हालत में है, इसलिए तीसरे गोदाम में ले जाया गया। नीचे के लेविल पर; डिस्ट्रिक्ट लेविल पर कितना करप्शन है, इस को पब्लिक वर्कर जानता है जो इन सब चीजों को आंखों से देखता है। सरकार अभी भी चाहे, तो फूड कारपोरेशन की एफीशियेन्सी बढ़ा कर उसको प्रोफिट में डाल सकती है।

मैं मानता हूं कि प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशू प्राइस में डिफरेंस है, जिसके कारण आपको सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसके आपरेशन में बहुत बड़ा घपला है, आपरेशन में बड़ी चोरी है। मंत्री जी अगर ध्यान दें तो वह चोरी रुक सकती है और यह चोरी जनता की कास्ट पर होती है। आज वक्त आ गया है कि आंख को खोला जाए। इस सदन में मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत बड़ी चोरी है और इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। आज वक्त आ गया है कि फूड कारपोरेशन की वर्किंग के बारे में विस्तार से अध्ययन हो। मैं तो कहूंगा कि आप एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बारे में बना दीजिए या कोई और कमेटी बना दीजिए जो कि फूड कारपोरेशन के वर्किंग का डिटेल में अध्ययन करे। वह जाकर एक-एक गोडाउन में देखे कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस इनअफिसिएंसी की कीमत जनता को चुकानी होती है।

यह ठीक है कि बांड्स और डिबेंचर्स इशू होने चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड भी पावर जेनरेट करने के लिए बांड्स और डिबेंचर्स इशू करता है, यह किसी प्रोडक्टिव के वर्क के लिए हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, देश और देश की जनता इसका स्वागत करती है, लेकिन अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए ये उचित नहीं है। बांड्स और डिबेंचर्स इशू करके आप क्या रेसोर्सेस पैदा करेंगे, आपके आफिसर्स सब खा जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप कहां इनवेस्ट करेंगे, फूड ग्रेन खरीदेंगे, उसमें इनवेस्ट करेंगे तो वहां तो पहले ही गोडाउंस में पड़ा सड़ रहा है। आज मैं आपको बताऊं कि नार्थ-बिहार में फ्लड की सिचुएशन है। मंत्री जी पता लगाएं कि वहां पर क्या पोजीशन है एफ सी आई के गोडाउंस की। सब खाली हैं, मैंने खुद जाकर देखा है, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिले में एफ सी आई के गोडाउन खाली हैं; कोई कलेक्टर की बात नहीं मानता। मैंने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसको फूड कारपोरेशन के साथ टेकअप करूंगा। इस तरह से एक तरह की दादागिरि फूड-कारपोरेशन में चल रही है, कोई इसको देखने वाला नहीं है।

आखिर आपने 1965 में फूड कारपोरेशन बनाया था कि जनता को सस्ती दर पर अनाज मिल सके, जनता को राहत मिले, लेकिन जनता पिस रही है और आफिसर्स मोटे हो रहे हैं। आज वक्त आ गया है कि फूड कारपोरेशन के वर्किंग की डिसपेंसीनेटली तरीके से जांच की जाए और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी सजा दी जाए।

बांड्स और डिबेंचर्स किसी प्रोडक्टिव काम के लिए जाएं तो ठीक है, लेकिन अनप्रोडक्टिव काम के लिए बांड्स और डिबेंचर्स लेने का कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। वैसे मैं इसका समर्थन करता हूं, जनता भी बांड्स और डिबेंचर्स लेगी, लेकिन जनता को इससे क्या मिलेगा, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दिनों-दिन एफ सी आई का लास बढ़ता जाएगा और जनता की तबाही भी

बढती जाएगी। इसलिए मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के सारे वर्किंग की डिसपेंसोनेटली तरीके से जांच की जाए, तभी जन-कल्याण होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, फूड कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल 1987 जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें सेक्शन 27/2 कारपोरेशन एक्ट की धारा 64 में अमेंडमैंट प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

अगर फूड कारपोरेशन आफ इंडिया डिबेचर्स और बांड्स इशू करके अपनी फाइनांशियल पोजीशन को मजबूत करता है तो यह कदम वास्तव में एक ठोस कदम है। अगर डिबेंचर्स और बांड्स इशू करके अपनी फाइनांशियल पोजिशन सुदृढ़ करके जो सबसिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से 1987-88 में 2000 करोड़ रुपये दी गई है और इससे पहले 3000 करोड़ रुपये दी गई थी, उस सबसिडी में अगर कमी हो जाती है और उसमें कमी करने के प्रयास में अगर सफलीभूत हो जाता हैं तो बांड्स और डिबेंचर्स इशू करने का यह कदम प्रशंसनीय माना जाएगा; इसको मैं अप्रेशिएट करूंगा।

फूड कारपोरेन का हमारी राष्ट्रीय फूड इकोनोमी में बड़ा ही महत्व है। हमारे राजस्थान में खासतौर से मेरे क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर में फूड कारपोरेशन आफ इंडिया ने जिस प्रकार सेवा की है, वह वास्तव में सराहनीय है। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा सेवा किए जाने पर हमारे क्षेत्र में भूख से मरने की स्थिति नहीं आई और फूड कारपोरेशन ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें भी गेहूं की उपलब्धि करके किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया है जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के इस प्रशंसनीय कदम की मैं प्रशंसा करता हूं। हमारे बफर स्टाक की पोजीशन को भी फूड कारपोरेशन द्वारा देखना चाहिए कि पोजीशन साउंड है या नहीं। फर्स्ट जनवरी 1981 को फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के पास बफर स्टाक 2.3 मिलियन टन था परन्तु अब ऐसी स्थिति है कि एक करोड़ मीट्रिक टन हो गया है। इसके बावजूद भी हमको दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ऐसी स्थिति न आने दें इसके लिए इर्रीगेशन, एग्रीकल्चर व अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी है। हमारे देश का सत्तर परसेंट किसान खेती पर निर्भर करता है, इसलिए स्थिति में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जो आई.टी.डी.पी. एरीयाज हैं उनके लिए सन् 85 से लेकर अभी तक सबसीडाइज्ड रेट्स पर व्हीट और चावल का वितरण किया जा रहा है। प्रधान मंत्री जी की राय पर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों को अलग से फेमीन घोषित करके मदद पहुंचायी गई थी। वे क्षेत्र अकाल से प्रभावित होते रहते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम के अतर्गत दो रुपए 59 पैसे के हिसाब से गेहूं दिया जा रहा है। अगर कंसेशनल रेट्स पर डेजर्ट एरियाज को गेहूं मिले तो एक बड़ी भारी मदद होगी। अब ट्राइबल एरियाज में इस प्रकार की मदद दे रहे हैं तो उन एरियाज की भी मदद की जानी चाहिए जिनकी हालत और भी बदतर है। उन एरियाज के ग्रामीण क्षेत्रों की मदद करें तो एक बड़ी भारी सेवा होगी। इस संबंध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम के द्वारा व्हीट का जो वितरण हुआ, हमारे मित्र ने कहा कि उसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है।

क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है, हम हर समय यह कहते रहें कि क्वालिटी खराब है, सही नहीं है। मैंने कहीं पर भी ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष क्वालिटी में कोई खराबी या शिकायत नहीं पाई। यह एक प्रोग्रेसिव कदम है और मैं इसके लिए फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की प्रशंसा करता हूं। मैं चाहता हूं इस समय जिस प्रकार का गेहूं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जनता को मिल रहा है वह स्थिति भविष्य में भी बनी रहे। यह प्रशंसनीय कदम है। जब हम प्रोक्योर करते हैं तो प्रोक्योरमेंट की पालिसी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उसमें बिचौलियों की सेवाओं का उपयोग न हो। जैसा कि हम करते हैं। जो अधिकारी मिडिलमैन का, बिजनेसमैन का उपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। हमारी समाजवाद की नीति है इसलिए हमें यह मिडिलमैन की सेवाओं को खत्म करना चाहिए और सीधे पर्चेजिंग करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने चाहिए। गेहूं एक रुपया साठ नये पैसे के हिसाब से प्रति किलो का भाव है। हमारी दो रुपये पन्द्रह नये पैसे के हिसाब से पर्चेजिंग है तो यह जो उनचास पैसे का अन्तर है यह बड़ा अन्तर है। हमारी जो आपरेशनल कोस्ट है उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए कि कैसे इसको कम कर सकते हैं। इसको कम करने मे जो हम दो रुपये पन्द्रह पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं उपभोक्ताओं को, यह हम दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच सकेंगे। इसलिए जो आपरेशनल कोस्ट है इसको कम करने के बारे में प्रयास करना चाहिए। भण्डारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। बरसात के दिनों में हम स्टोर करते हैं, लेकिन कवर करने का इन्तजाम न होने के कारण बहुत गेहूं खराब हो जाता है इसको कवर करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसंकुरा) : जहां तक विधेयक का संबंध है इसमें विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस विधेयक पर बोलते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा विचार करने के लिए कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगी और अपने राज्य की कुछ कठिनाईयों और आवश्यकताओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगी और मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि इन बातों पर गौर करें।

अपने राज्य के बारे में मेरे माननीय साथी श्री आर० पी० दास इस बारे में पहले कुछ आंकड़े दे चुके हैं जो दर्शाते हैं कि आवंटन और सप्लाई दोनों में कमी आई है। मैं इसे नहीं दोहराऊंगी; मैं तो इसका अत्यधिक समर्थन करती हूं। यह सर्वविदित है कि 1.25 लाख टन का आबंटन जून में कम होकर 80,000 टन रह गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आबंटन की तुलना में हमारे पास बहुत कम मात्रा है। लेकिन इस सप्लाई में भी आ रही कठिनाईयों के बारे में कुछ तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहती हूं। आपके आबंटन के बावजूद क्या हो रहा है? उदाहरणतः अप्रैल के महीने में 66 रेक्स भेजने की हिदायतें दी गई थीं जबकि 82000 मीट्रिक टन गेहूं की 41 रेक्स ही राज्य को प्राप्त हुई थीं। आपकी हिदायतें 66 रेक्स के लिए थी। लेकिन वास्तव में वहां कितनी रेक्स गईं। इकतालिस। रेलवे के साथ समन्वय न होने के कारण आपकी प्रेषण हिदायतें

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

भी पूरी नहीं की जा रही हैं। भारतीय खाद्य निगम रेलवे को उन रेक्स को लेने के लिए कह रहा है और रेलवे एक अलग ही तरह का समन्वय दे रहा है। यहां चाहे आप यह कहें कि आपने पहले ही प्रेषण आदेश दे दिया है लेकिन खाद्य विभाग और रेल विभाग के बीच हम गरीब लोगों को इनकी प्राप्ति नहीं होती है। यह स्थिति अप्रैल में थी।

मई में वितरण योग्य गेहूं की आरम्भिक मात्रा 52,131 मीट्रिक टन थी। 14 मई तक आए रेक्स केवल 17 थे और सात रास्ते में थे। यह स्थिति 72 रेक्स भेजने के आदेशों की तुलना में थी अतः यह क्या हो रहा है ? ऐसा क्यों हो रहा है ? इससे विशेष रूप से उत्तरी बगांल को कठिनाई हो रही है जैसा कि आप जानते हैं यह क्षेत्र, अत्यधिक पिछड़ा हुआ और संवेदनशील क्षेत्र है। अब, क्या हो रहा है ? पूर्वी रेलवे से दक्षिण-पूर्वी रेलवे और इसके विपरीत भागों में तथा पूर्वी रेलवे से उत्तरपूर्वी सीमान्त रेलवे के लिए रेक्स पुनः आरक्षित करने की भारतीय खाद्य निगम के प्रस्ताव को रेलवे अधिकारी इसलिए स्वीकार करने से इन्कार करते हैं कि रेक्स को फरक्का बैराज के ऊपर से ले जाने के लिए रेलवे बोर्ड को विशेष पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जो खाद्यान्न के रेक्स दक्षिण बंगाल के स्थानों के लिए थे वे उत्तर बगांल में नहीं भेजे जा सके यद्यपि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इनकी अत्यधिक आवश्यकता थी।

आप इस बात से अवश्य ही सहमत होंगे कि रेलवे और खाद्य विभाग में समन्वय की ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिए अन्यथा इसकी वजह से मेरे राज्य जैसे राज्यों के गरीब लोगों को कष्ट होगा। मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर गौर करें और तत्काल रेलवे से बातचीत करें कि जो कुछ आप देते हैं कम से कम वह तो हमारे पास पहुंचना ही चाहिए, इसके साथ ही मेरा इसपर भी विरोध है कि हमारे कोटे में आमतौर पर कमी की गई है और यह हमारी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार एक बात तो यह थी।

दूसरा मुद्दा चीनी के बारे में हैं। हर व्यक्ति जानता है कि चीनी के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। हमारे राज्य में यह वृद्धि बहुत ही अधिक है। वास्तव में हमारी मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने का यह भी एक कारण है। दिल्ली में यह वृद्धि इतनी नहीं है; लेकिन ऐसा शीघ्र ही हो सकता है। मेरी तो यही कामना है कि ऐसा न हो।

अब यहां क्या स्थिति है ? लेवी की चीनी के स्टॉक की स्थिति अच्छी है। फिलहाल कुल मिलाकर यह संतोषजनक है। लेकिन कठिनाई तो यह है कि जब भारतीय खाद्य निगम लेवी की चीनी पहले सप्लाई नहीं कर सका तो यह गैर-लेवी-चीनी देने लगा। लेकिन अब लेवी चीनी न दे सकने वाले उपबन्ध को वापस ले लिया गया है। उन्हें गैर-लेवी चीनी देने की अनुमति नहीं है। इसलिए चीनी की कमी होती है और परिणाम स्वरूप मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होती है। अतः मेरे विचार से पहले वाली व्यवस्था पुनः चालू कर देनी चाहिए। यदि आप किसी कारण लेवी चीनी देने में असमर्थ हैं तो आप कृपया गैर-लेवी चीनी राज्यों को सप्लाई करें और इसका भार अन्यों पर डालने की बजाय स्वयं वहन कीजिए।

ये दो तो हमारे राज्य में व्यावहारिक कठिनाईयां हैं, इन पर गौर करें और तीसरी बात यह है कि आप हमारा कोटा बढा दें यह हमारी आवश्यकताओं की तुलना में बहुत ही कम है। मैं एक और मुद्दा विशेष रूप से उठाना चाहती हूं।

अब आप अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों में राज सहायता युक्त राशन प्रदान कर रहे हैं। आप मुझ से इस बात पर सहमत होगें कि देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अन्य समुदायों के ऐसे कृषि-मजदूर हैं जो अत्यधिक गरीब हैं। मैं ग्रामीण श्रम के लिए राष्ट्रीय आयोग की एक सदस्या हूं और जो सूचना आयोग को मिल रही है यह भयावह है। इसलिए राजसहायता वाली इस राशन व्यवस्था को सभी कृषि मजदूरों पर लागू कर दें। मुझे आशा है कि आप इस पर कार्यवाही करेंगे। अगर मुझे विश्वास नहीं तो कम से कम उम्मीद तो होनी ही चाहिए और आप द्वारा आश्वासन से इस विश्वास की खुशी तो मिलनी ही चाहिए कि आप इसे सभी कृषी मजदूरों पर लागू कर देगें। **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : इसे बीस सूत्रीय कार्यक्रम बना दीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अपनी इच्छानुसार आप कोई भी नाम दीजिए। मुझे तो केवल यही डर है कि 21वीं सदी के नाम पर कही आप हमें 19वीं सदी में न ले जाएं। कृपया इससे बचें।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पंसकुरा के बारे में एक बात कहना चाहूंगी। अगर ईमानदारी से कहूँ तो इस विधेयक पर मेरे बोलने का यह एक कारण है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक ग्रामीण क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी रेलवे इसमें से गुजरती है। हावड़ा-खड़गपुर रेल लाईन पर कई क्षेत्र हैं। बालीचक नाम का स्टेशन है जहां बहुत अधिक संख्या में चालल की मिले हैं तथा भारतीय खाद्य निगम का भी कार्यालय है। वहां पर सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये भण्डारण सुविधा पर्याप्त नहीं है जिससे वहां से अपेक्षित मात्रा में चावल बाहर नहीं भेजा जा पाता है। इसके अलावा, ये सभी चावल मिलें इन गोदामों का लाभ उठाना चाहती हैं। बालीचक सभी स्थानों से जुड़ा हुआ है। वहां से हावड़ा, मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया जाया जा सकता है इन जिलों में यहां से भली भांति आपूर्ति की जा सकती है। अतः मैं आप से अनुरोध करती हूं कि बालीचक स्टेशन में भारतीय खाद्य निगम का मुख्य गोदाम बनाने की सम्भावना की जांच करें इससे श्रमिकों को मदद मिलेगी तथा इन क्षेत्रों को खाद्यान की आपूर्ति की जा सकेगी।

मैं आशा करती हूं कि बालीचक में मुख्य गोदाम बनाने के मेरे अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। एफ० सी० आई० अपने कुछ रिसोर्सेस पैदा करे और बजट के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो, यह एक अच्छी बात है।

पिछले कुछ सालों में एफ० सी० आई० की वर्किंग में निश्चित तौर पर सुधार हुआ है और इधर भी माननीय मंत्री जी ने बहुत सारे सुधार के प्रयास किए हैं। मैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं इस आग्रह के साथ कि एफ० सी० आई० का व्यवहार अपने मजदूरों के साथ भी अच्छा होना

[श्री हरीश रावत]

चाहिए। इस समय एफ़० सी० आई० कांट्रेक्टर से काम करवाती है। कांट्रेक्टर लोग लेबर रख कर उससे काम लेते हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि कांट्रेक्टर पर जितना रुपया हम खर्च करते हैं, उससे कम में हम डिपार्टमेंटल लेबर से काम करवा सकते हैं। आज हम कांट्रेक्टर पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, यदि हम डिपार्टमेंटल लेबर से काम करवाएं तो इससे कम में हम काम करवा सकते हैं। और जो कांट्रेक्टर की वर्किंग है, उसमें भी कई प्रकार के डिफेक्ट्स सामने आए हैं और खुद आपके विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि कई प्रकार की मैन-प्रैक्टिसेज, गलत परम्पराएं हैं, जिस प्रकार गेहूं के बोरे में सड़ा हुआ गेहूं भर देना, अच्छे गेहूं को मार्केट में बेच देना। ये सारी प्रैक्टिसेज कांट्रैक्टर करते हैं और एफ० सी० आई० बदनाम होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो लेबर मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनाई थी उसने कहा है कि को-आपरेटिव लेबर फार्म कर रहे हैं और को-आपरेटिव के जरिए से काम करेंगे। लिहाजा फूड कार्पोरेशन में जो लेबर काम में लगी हुई है, उसके जरिए से काम करवाएं। वह लेबर पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, वह को-अपरेटिव नहीं बना सकती है। यहां माननीय श्रम मंत्री जी मौजूद हैं, मेरा उनसे और आपसे दोनों से आग्रह है कि जितना पैसा आप कन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं उससे कम पैसे में जब आप डिपार्टमेंटली लेबर से काम करवा सकते हैं तो इस कौन्ट्रैक्टर की लेबर को जो बरसों से काम कर रही है, उसे आप डिपार्टमेंटली लेबर का दर्जा क्यों नहीं देते हैं। उसके विषय में उनकी यूनियन ने भी आपके सामने सुझाव रखे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उन पर विचार करें।

दो बातें अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक तो आग्रह यह है कि माननीय मंत्री श्री सुखराम जी स्वयं पहाड़ की स्थिति को समझते हैं, पहाड़ में डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर एफ० सी० आई० के बड़े गोदाम नहीं पहुंच रहे हैं जब कि सिद्धान्त रूप से एफ० सी० आई० ने इसे स्वीकार भी किया है मगर अभी भी पहाड़ों में बहुत कम जिलों में आपने गोदाम बनाए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम-से-कम एक हजार टन से 5 हजार टन की कैपेसिटी के गोदाम पहाड़ों में हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर में बनाएं और अगर तहसील हैडक्वार्टर तक बना सकें तो बहुत अच्छा होगा। इससे राज्य सरकार को जो एडवांस्ड एरिया में ट्रांस्पोर्टेशन के लिए आप सबसीडी देते हैं, वह बर्डन कम होगा। अगर राज्य सरकार भी को-आपरेट करे उन एरियाज के लोगों को जो दूरदराज के हैं जहां इस समय रोड्ज नहीं पहुंचे हैं उनको सस्ते दाम पर अनाज पहुंचे जहां भारत सरकार उपलब्ध कराना चाहती है तो उनको अनाज मिल सकेगा।

आपने एक स्कीम स्टार्ट की है ट्राइबल एरियाज के लिए। जहां ट्राइबल पोपूलेशन है, उनको आप सस्ते दाम पर गेहूं देना चाहते हैं। एक गांव में जनजाति भी रहती है और दूसरी जाति के लोग भी रहते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जगह भी आप यह स्कीम लागू करते हैं वहां ब्लाक में हर व्यक्ति को यह लाभ मिलना चाहिए। ऐसा न होने से ट्राइब्लस में झगड़े पैदा हो रहे हैं। हमारे पिथौरागढ़ जिले में, जब आप राज्य सरकार के अधिकारियों से बात करें तो आपको जानकारी होगी कि वहां के दो जगहों एक मुनस्यारी और धारचूला के ब्लाक में ट्राइबल विलेजेज में अन्तर आ रहा है। उस ब्लाक में ट्राइबल और नान-ट्राइबल जो दोनों साथ-साथ रहते थे, जिनके आपस में

रिलेशन बहुत अच्छे थे वह रिलेशन स्ट्रैंड होने शुरू हो गए हैं, इससे गवर्नमेंट को बुरा नाम मिल रहा है। आप इस पर जरूर विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सैयद मसूदल्ल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस बिल को अमैंड करना चाहते हैं और इससे कुछ पैसा बाहर से बौरो करना चाहते हैं, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जो पैसा बाहर से बौरो करेंगे इसका जो इंट्रैस्ट होगा, उसका नतीजा यह होगा कि आप फिर से गल्ले के दाम बढ़ाऐंगे। आपके 20-सूत्री कार्यक्रम में यह है कि गांव-गांव में सस्ते गल्ले की दुकान हो और हर साल आप जो गल्ले की कीमत बढ़ा रहे हैं और इस इन्ट्रेस्ट को पूरा करने के लिए फिर से आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको 2 हजार करोड़ रुपए की सब्सीडी इस काम के लिए मिल रही है और आप कहते हैं कि यह रकम लोगों को दी जा रही है जो कि आप उपभोक्ताओं को देना चाहते हैं कि उन्हें सस्ता गल्ला मिले।

एफ० सी० आई० में जो शार्टेज हो रहा है और मिडिल मैन जो भी पैसा पा रहे हैं, यह सब्सीडी उसमें ही खर्च हो जाती है। तो मिडिलमैन के सिस्टम को अगर नहीं हटाया और एफ० सी० आई० में जो लास आप कैरी कर रहे हैं, इसको नहीं घटाया तो इससे कोई फायदा नहीं होगा।

हमारे श्री सो० पी० दास और श्रीमती गीता मुकर्जी सारी बातें बोल चुके हैं।

3.00 म० प०

मैं आपका ध्यान इस ओर ही दिलाना चाहूंगा कि दो फरवरी के महीने से आपने वैस्ट-बंगाल का कोटा 50 परसेंट कोटा किस कारण से घटा दिया है। मैंने कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग में भी इस ओर आपका ध्यान दिलाया था लेकिन इसका कोई भी स्पैसिफिक रिप्लाई मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही रेलवे की तरफ से वैस्ट-बंगाल में फूड मूवमेंट के बारे में जिस रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया था, उसके बारे में आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था। 20 मई को इससे सम्बन्धित एक लैटर भी मैंने आपको लिखा था। आपने उक्त पत्र की प्राप्ति की सूचना तो दे दी थी, लेकिन उसकी पूरी डिटेल्स मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। आपने वैस्ट-बंगाल का जो 50 परसेंट कोटा घटा दिया है उसके कारण वहाँ का राशनिंग सिस्टम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं आपसे यही रिक्वैस्ट करूंगा कि आप इस पर उचित ध्यान दें। आप कहीं पोलिटिकल मोटिवेशन से तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। खाने की चीजों में आप पॉलटिक्स बीच में मत लाइए, यह मैं खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा। आप तो जानते ही हैं कि वैस्ट-बंगाल में 70 परसेंट लोग लैफ्ट गवर्नमेंट की तरफ हैं और बाकी के 30 परसेंट आपकी पार्टी की तरफ हैं। अतः आप कम से कम उन 20 परसेंट लोगों की तरफ तो ध्यान दीजिए। अगर सैक्शन 27 में और अमेंडमेंट करने की आवश्यकता हो तो उसमें अमेंडमेंड करिए। अगर आप कोई पैसा इसके लिये इकट्ठा करना चाहेंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव यह है कि आप "सुखभोजन विकास पत्र' इशू कीजिए। अगर आप इसे इशू करेंगे तो उसका पहला खरीददार मैं ही होऊंगा।

अन्त में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप केरल, वैस्ट-बंगाल और जितने भी गैर कांग्रेस शासित प्रदेश हैं और जहां-जहां आपने कोटा घटाया है, उनका कोटा तुरन्त बढ़ाने की कोशिश करें।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय दिया है, उसके लिये सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । अब मैं आपके समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहूंगा । भारतीय खाद्य निगम भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य निगम है और यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है । भारतीय खाद्य निगम बड़े पैमाने में खाद्यान्नों का भंडार और वितरण करता है । लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारतीय खाद्य निगम भंडारण की क्षमता बहुत कम है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम बड़े पैमाने में खाद्यान्नों के गोदाम बनायें । गोदाम न होने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में हमारा खाद्यान्न नष्ट हो जाता है ।

हमारे मिर्जापुर जिले में एक बहुत बड़ा गोदाम बनाने का प्रस्ताव था । इसके लिये जब जमीन की मांग की गई थी तो उस समय उसके लिये जमीन की व्यवस्था कर दी गई थी । लेकिन चार साल से यह मामला विचाराधीन पड़ा हुआ है और वहां गोदाम बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि मिर्जापुर जिले में अतिशीघ्र गोदाम का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये ।

आप तो जानते ही हैं कि भारतीय खाद्य निगम किसानों से गल्ले की खरीद करता है । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का गल्ला उचित दाम पर खरीदा नहीं जाता है । बनिये लोग, बिचौलिये लोग कम दामों पर गल्ला खरीद लेते हैं । सरकार जो समर्थन मूल्य तय करती है गेहूं और धान का वह समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पाता । जब फसल आती है तो छोटे किसान, मझले किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है····

3.06 म० प०

[**श्री जैनुल बशर सभापति पीठासीन हुए**]

आप तो जानते हैं, आप पूर्वांचल के हैं और वहां छोटे किसान ज्यादा हैं । (**व्यवधान**) मैं निवेदन कर रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे और मझौले किसान हैं, जब फसल आती है, उनका गल्ला तैयार होता है तो वे फौरन उसको बेचना चाहते हैं क्योंकि उनको कपड़े की जरूरत है, नमक की जरूरत है, तेल की जरूरत है, शादी—ब्याह की जरूरत है, कर्जा देने की जरूरत है इसलिए वे फौरन बेचना चाहते हैं । ऐसे समय बनिये और बिचौलिये लोग सस्ते दाम पर गल्ला खरीद लेते हैं और जो समर्थन मूल्य आपने तय किया है वह भी उनको नहीं मिलता है । आज चारों तरफ किसानों में जो क्षोभ और असंतोष है और बड़े—बड़े किसान आन्दोलन उठा रहे हैं उनका मुख्य कारण यह है कि जितनी नशक्कत किसान करता है, जितनी मेहनत करता है, जितना परिश्रम करता है और परिश्रम करके जो उत्पादन पैदा करता है, उत्पाद पैदा करता है उसका उचित दाम उसको नहीं मिल पाता और वह गरीब का गरीब रह जाता है । कम से कम जो समर्थन मूल्य आपने तय किया है, गेहूं और धान का, उतना मूल्य तो उसको मिले । उतना मूल्य मिलने में बाधा यह है कि भारतीय खाद्य निगम जो खरीद के केन्द्र खोलता है वह ब्लाकों में नहीं हैं इसलिए किसान जल्दी में, अपनी आवश्यकताओं से बाध्य होकर बनियों को, बिचौलियो को सस्ते दाम पर अपना गल्ला बेच देता है और किसान को उचित दाम नहीं मिल पाता ।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को यह सुझाव है कि भारतीय खाद्य निगम किसानों की बड़ी भारी सेवा करेगा अगर वह प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक न्यायपंचायत स्तर पर खरीद केन्द्र खोले। वहां सीधे भारतीय खाद्य निगम का खरीद केन्द्र खोला जाय और जैसे ही फसल तैयार हो वहाँ पर खरीद शुरू हो जाय तो दाम से कम सरकार जो समर्थन मूल्य तय करती है उस मूल्य पर किसान का गल्ला बिक जायेगा, उसको उचित दाम मिल जायेगा, यह मेरा सुझाव है और इस सुझाव पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं और बहुत जोर देकर अपनी बात कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र स्तर पर भारतीय खाद्य निगम खरीद केन्द्र खोले ताकि किसानों को उत्पादन का, उनके गल्ले का कम से कम समर्थन मूल्य मिल सके।

भ्रष्टाचार के बारे में डा० राजहंस जी ने बताया, उसको कम करने की कोशिश की जाय। आप कम करने की कोशिश कर भी रहे हैं और कम करने की कोशिश होनी चाहिए। हम जब स्टेशन पर आते हैं तो देखते हैं कि हजारों-सैकड़ों बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, सड़ा है, उसको सूअर खा रहे हैं, लोग बोरी में भरकर अपने घर पर ले जा रहे हैं। हजारों मन गल्ला स्टेशनों पर नष्ट होता है, इसका उपाय किया जाय। हम लोगों के यहां कहावत है जिस देश में, जिस समाज में गल्ले का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी भाग जाती है। गल्ले का जो अपमान हो रहा है, असम्मान हो रहा है उसको कम करने का उपाय किया जाय। गल्ले की वेस्टेज को कम किया जाय और प्रत्येक जिले में भण्डारण गृह बनाये जायें। मिर्जापुर जिले का भण्डारण गृह जो प्रस्तावित है उसको शीघ्र से शीघ्र बनाया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, जिस रूप में यह विधेयक आया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

चर्चा के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के निर्माण का उद्देश्य दो तरह का था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। पहला यह था कि आज हमारे देश में किसानों का उपजाया हुआ अन्न, जो फसल कटने के बाद प्राईवेट बिचौलिए लोग सस्ते दर पर खरीद लाते हैं, भण्डार में जमा करते हैं, वह लोग अन्न को सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं, उससे लूट से उनको बचाना चाहिए और यह सब रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम बनाया गया था जिससे हम किसानों की फसल को लुटने नहीं दें। किसानों की जो आर्थिक लूट होती है उसको हम इस माध्यम से बचा लें लेकिन कहीं भी यह नहीं देखा गया कि फसल के समय निगम की तरफ से अंचल स्तर पर कोई खरीद की व्यवस्था की गई हो। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाती तो सचमुच किसानों की पैदावार का जो मूल्य निर्धारित होता है, उस मूल्य पर वह अनाज बिकता और किसानों को लाभ होता। लेकिन ऐसा न होकर यह सेवा पूंजीपतियों की सेवा हो जाती है। यह जो पूंजीपति वर्ग है, यह गल्ले को स्टोर भी करता है और फिर निगम उन्हीं से गल्ला खरीदकर अपने भंडार भरता है। ऐसी स्थिति में सेवा किसकी हुई पूंजीपतियों की हुई या गरीब किसान की हुई? बड़ी-बड़ी प्राइवेट एजेंसियां गल्ले को स्टोर करती हैं और इसको दूर करने में आप सफल नहीं हुए हैं।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

दूसरी बात मैं आपके प्रबन्ध के बारे में कहना चाहता हूं। आपका प्रबन्ध बहुत ही घटिया किस्म का प्रबन्ध है। स्टाक में गल्ला पड़ा-पड़ा सड़ जाता है और फिर वही गल्ला जन-वितरण-प्रणाली द्वारा बेचने के लिए दुकानों पर भेज दिया जाता है। उनको यह गल्ला जबरन लेना पड़ता है। वे कैरोसिन तेल के नाम पर कहते हैं कि यह भी मिलेगा, जब आप यह गल्ला लेंगे। उनको वह गल्ला लेना पड़ता है, जो गल्ला जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता है। इस कुप्रबन्ध के चलते लाखों-करोड़ों का गल्ला आपका बर्बाद हो जाता है और फिर वह गरीबों के पेट में जाता है, तो गरीब लोगों को तरह–तरह की बीमारियां हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यह स्थिति भी कहीं–कहीं पर गांवों में देखी गई है। उस गल्ले को कहीं–कहीं विधानसभाओं में भी रखा गया है, जिस गल्ले को आप जन–वितरण–प्रणाली के माध्यम से बेच रहे हैं; इस कुप्रबन्ध को भी आपको ठीक करना चाहिए और अच्छे प्रबन्ध में इसको बदलना चाहिए।

इसी सदन में परमल चावल के बारे में सवाल उठाया गया था। परमल चावल लाखों रुपयों का खरीदा गया था, लेकिन वह कुछ ही दिनों में खराब हो गया था और फिर उस चावल को फिकवाने के लिए लाखों रुपया खर्च करना पड़ा था। इसलिए यह भी सोचने की बात है कि यह सही प्रबन्ध है या गलत प्रबन्ध है। इसकी कोई छानबीन भी नहीं की गई और किसी व्यक्ति को दोषी भी नहीं ठहराया गया है। मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी किसको जिम्मेदारी दी गई थी? कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जो अलग–अलग होकर काम करता है। इसकी कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई है। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में मसौढी एक जगह है। वहां पर निगम का गोदाम था और काफी संख्या में मजदूर लोग वहां काम करते थे। निगम ने एक साल के अन्दर उस गोदाम को हटा दिया। इस गोदाम के हटा लेने के बाद मजदूर मारे–मारे फिर रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि गल्ला वहां नहीं आकर फुलवाड़ी से लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० आदि, इस प्रकार के जितने भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, उस में गल्ला देने की व्यवस्था है और कुछ नकद भी दिया जाता है। जब गोदाम मसौढी में था तो ठीक था, लेकिन इस स्थिति में लोगों को गल्ला मंहगा पड़ता है। गोदाम हटा लेने से गल्ला मंहगा पड़ता है और गरीबों का शोषण होता है। यह सरकार जो हरिजनों और गरीबों की हिमायती सरकार बनी हुई है, समाजवाद की बात करती है, लेकिन वह छिप–छिप कर इस प्रकार पूंजीपतियों की सेवा करती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, मसौढ़ी में गोदाम के लिए एक व्यक्ति ने इनके नक्शे के मुताबिक मकान बनाया था। यहां से गोदाम हटा लेने से वह आदमी आर्थिक संकट में है और काफी संख्या में मजदूर भी बेकार हो गए और गल्ले की कीमत भी लोगों को ज्यादा देनी पड़ रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से और निगम के अधिकारियों से कहूंगा कि जो भण्डार पहले मसौढ़ी में था, उसको वहीं पर रहने दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप गरीबों की सेवा नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो गरीबों की लूट होती है।

तीसरी बात आपके गल्ले का जितना भाव होता है, उस भाव से कम भाव पर फ्री-सेल पर गल्ला मिलता है। ऐसी स्थिति में गल्ला वहां पर भी नहीं बिक पाता है। कारण क्या है? आपकी

स्कीम को प्राइवेट बिजनेस वाले फेल करने की कोशिश करते हैं और इसमें जो आपके अधिकारी होते हैं, वे उनसे मिल जाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीयकरण है, उसका फैल्योर आप के अधिकारी मिल कर करते हैं उन विचौलियों के फायदे के लिए। इसलिए हम यह कहेंगे मंत्री जी से कि इसके प्रबन्ध में जो गड़बड़ी है, उसका पूरी तरह से ठीक किया जाए। यह चीज बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भंडार भरे न होते, तो हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता। दूसरे देशों से अनाज मांग कर जो हम जानें बचाते थे, उससे हम मुक्ति पा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि प्रबन्ध को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए।

इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, मैं विधेयक का स्वागत एवं समर्थन करता हूं। भारतीय खाद्य निगम किसानों, जो खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं एवं उपभोक्ता, जो इसका उपयोग करते हैं दोनों की ही सेवा कर रहा है। लेकिन अभी भी काफी काम किये जाने की आवश्यकता है तथा भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार, वेयर हाऊसिंग अर्थात् केन्द्रीय वेयरहाऊसिंग नियम की सेवाओं को ले रही है। गावों में 200 टन क्षमता, 500 टन एवं 1000 टन क्षमता के गोदामों का प्रावधान करने की योजना है जो कि भारतीय खाद्य निगम के भण्डारण गोदामों की पूर्ति करेंगे। परन्तु गांवों में छोटे गोदाम बनाने से काम नहीं चलेगा। इसलिये एक लाख रुपये की राज सहायता भी पर्याप्त नहीं है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए।

महोदय, बहुत से स्थान हैं जहां पर भविष्य में सिंचाई बांधों के बन जाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के अधिक से अधिक खाद्यान्न उत्पन्न किये जायेंगे। उदाहरण के लिए, औरंगाबाद में जयखावड़ी बांध के पूरी तरह उपयोग में लाये जाने के बाद लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत आ जायेगी। भारतीय खाद्य निगम को अभी से ही योजना बनानी है कि उस क्षेत्र में उसे कितने गोदाम बनाने हैं ताकि खाद्यान्न की आपूर्ति किये जाने के समय तक वहां खाद्यान्नों का भण्डार किया जा सके।

महाराष्ट्र में भी, धूले नामक शहर है जहां से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं कलकत्ता-बम्बई दिल्ली-आगरा-बम्बई तथा बड़ौदा-धूले, औरंगाबाद-हैदराबाद। अतः इन शहरों में यदि ज्यादा संख्या में गोदाम बनाये जायें तो खाद्यान्न की आपूर्ति करना आसान होगा जिससे विभिन्न राज्यों में आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जा सके।

महोदय, मैं यह भी सुझाव दूंगा कि भारतीय खाद्य निगम में अधिकारियों के पद पर ज्यादा संख्या में कृषि स्नातकों की भर्ती की जानी चाहिए क्योंकि वे फसलों, खाद्यान्नों, उनकी भण्डारण आवश्यकताओं तथा मुश्किलों आदि को भली भांति समझ सकते हैं। तकनीकी व्यक्ति विशेष तौर पर कृषि स्नातकों की ज्यादा संख्या में भर्ती की जानी चाहिए। इसी प्रकार से क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्य क्रम में भी सुधार करना होगा। मुझे कुछ कार्यालयों में जाने का अवसर मिला था जहां आप व्यक्ति से ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता। भारतीय खाद्य निगम कोई रक्षा संस्थान या गुप्त टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है जहां बाहर के व्यक्तियों का जाना निषेध हो। लेकिन जब आम व्यक्ति कार्यालय

[श्री विजय एन० पाटिल]

में जाता है तो उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया जाता। हमें उन्हें उचित चेतावनी देनी चाहिये और उन्हें बताया जाना चाहिए, "मैं संसद सदस्य हूं; मैं आपको यह बात बता रहा हूं; आपने इन लोगों को इन्टरव्यू नहीं दिया है।" इस निगम को आम व्यक्ति से लेन-देन करना होता है। अतः मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि कुछ स्तरों के कार्यकरण में सुधार लाना चाहिए।

जहां तक खाद्यान्नों की बर्बादी का संबंध है, कभी-कभी हम पाते हैं कि बहुत अच्छी किस्म का गेहूं या ज्वार या बाजरे की बोरियों को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है ऐसा स्थानीय अधिकारियों एवं व्यापारियों की मिली भगत से किया जाता है और फिर इस माल को नीलामी द्वारा कचरे के भाव या बहुत ही कम कीमत पर बेच दिया जाता है। और फिर इसके बाद यही अनाज दुबारा बाजार में उपभोक्ता के लिए उपयुक्त बनकर आ जाता है। इस तरह से भारतीय खाद्य निगम को काफी घाटा होता है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, परन्तु बहुत बार ऐसा होता है। जब किसान भारतीय खाद्य निगम या उसके एजेन्ट को खाद्यान्न बेचने जाता है तो 'मिट्टी या 'छोटे कंकड़' के नाम पर उसके खाद्यान्न में से प्रति क्विटंल 5 किलो अनाज कम कर दिया जाता है और इस तरह से उन्हें इसके कम पैसे दिये जाते हैं। बाद में कटौती किए गए अनाज को समायोजित कर लेते हैं। इसको रोका जाना चाहिये। यदि अनाज अच्छी किस्म का नहीं है, यदि मिट्टी या कंकड़ ज्यादा हैं तो किसान से उस अनाज को साफ करके लाने को कहा जाना चाहियें, उसके बाद पूरे माल के भार का भुगतान किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्विंटल के स्थान पर किसान को 95 किलो का पैसा मिले। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा हो रहा है तथा मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर भी दिलाना चाहूंगा।

इन सुझावों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, खाद्य निगम के बारे में माननीय मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि मंत्री जी के नेतृत्व में यह विभाग तरक्की करेगा।

दो-चार बातें जो अभी यहां पर उठायी गयी हैं मैं भी उनको दुबारा से कहना चाहता हूं। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं कि फूड कारपोरेशन के केन्द्रों पर फसल के आने के वक्त पर कर्मचारियों द्वारा किसानों को परेशान किया जाता है। पहले तो उनका माल रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट करके माल को इधर-उधर कर दिया जाता है। किसान के माल के पैसे कम दिए जाते हैं। माल के तोलने में गड़बड़ी की जाती है। इन सब बातों के बावजूद जब हम जन-प्रतिनिधि भी, मान लीजिए कहीं पर शिकायत करते हैं तो उस पर अविलम्ब कोई कार्यवाही नहीं होती। उसका नतीजा यह होता है कि किसान जब अपना गांव छोड़कर शहर में जहां पर कि इसके केन्द्र होते हैं जाता है तो वहां पर तीन-तीन, चार-चार रोज पड़ा रहता है। अंत में वह यही सोचता है कि माल का जो पैसा मिल रहा है वही ले लाकर चलो, क्योंकि कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। खास बात यह है कि केन्द्रों पर किसानों को परेशान किया जाता है और उसके माल का जो मूल्य उसको मिलना चाहिए

वह नहीं मिलता। जबर्दस्ती किसानों का माल रिजेक्ट किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की जो शिकायतें हों उन पर अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। इस प्रकार का कोई सेल बनाया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

दूसरा मेरा निवेदन बिचौलियों की बाबत है। इन बिचौलियों को कम्पलीटली दूर कर देना चाहिए। फूड कारपोरेशन और किसानों के बीच सीधा रिश्ता रहना चाहिए। समर्थन मूल्य के बारे में कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, समर्थन मूल्य ज्यादा होना चाहिए। जिस तरीके से अनाज की उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी हो रही है, उसी तरह से उपज का मूल्य भी किसानों को अधिक मिलना चाहिए।

गोदाम खासकर उन क्षेत्रों में बनाए जानें चाहिए जो कमांड एरिया हो, जहां सिंचाई ज्यादा होती हो। मेरे लोक सभा क्षेत्र में करीब 80 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है, लेकिन गोदाम वहां पर सब से कम देखने को मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गोदाम ऐसे क्षेत्रों में अधिक बनाए जाएं, जहाँ पर पैदावार अधिक होती हो।

ट्रांस्पोर्टेशन के बारे में भी शिकायत रहती है कि रेप्यूटेड कंपनीज के जरिए ट्रांस्पोर्टेशन नहीं कराया जाता, बल्कि यह काम छोटे आफिसर्स और मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि अच्छी कंपनीज के जरिए ट्रांस्पोर्टेशन कराया जाना चाहिए, ताकि बीच में जो चोरी या डिले होता है, उसको रोका जा सके।

भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे चूहे तो अनाज खाते हैं, लेकिन बड़े चूहे जो सब कुछ खा जाते हैं, उनके खिलाफ कोई न कोई ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए मंत्रालय की तरफ से कि एफ० सी० आई० का नाम रोशन हो। कई जगह एफ० सी० आई० ने अच्छा काम किया है, जैसे हमारे राजस्थान में इस वर्ष भयंकर अकाल के समय एफ० सी० आई० ने हमारी बहुत मदद की और उस मदद से ही हम पशुओं और आदमियों को जिन्दा रख सके, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन जितना अच्छा काम एफ० सी० आई० द्वारा किया गया है, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एफ० सी० आई० का नाम बदनाम करते हैं, उन पर विशेष निगाह रखकर उनको चैक किया जाना चाहिए और उनको पकड़ा जाना चाहिए।

फिलफ्रेमेज की बात है, अनाज की चोरी होती है, ओपन बैग्स में अनाज भेजा जाता है, इनको सील क्यों नहीं किया जाता, इनको सील किया जाना चाहिए। इसी तरह से ओपन वैगन्स में अनाज भेजा जाता है जो कि फूल जाता है और जब अनाज वहां पहुंचता है तो उसका वजन कम निकलता है। इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं, जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों पर मंत्रालय अविलंब ध्यान देकर सुधार करे तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आशा है कि हमारे योग्य मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर सुधार करेंगे और जहां जहां लीकेज है, उसको दूर करेंगे तथा एफ० सी० आई० का नाम रोशन करेंगे।

[श्री शांति धारीवाल]

[अनुवाद]

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय खाद्य निगम के बारे में कई सुझाव तथा कुछ आलोचनाऐं भी कही गई हैं। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को मैंने नोट किया है तथा उनके द्वारा की गई रचनात्मक आलोचना का मैं स्वागत करता हूं।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण के बारे में मुझसे बहुत से लोग सम्पर्क कर रहे हैं। उनमें से काफी लोगों की इसके प्रति शिकायतें हैं। कुछ सुझाव भी हैं। इन सभी बातों को मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ तथा मैं भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों से कहूंगा कि वह इस पर उचित कार्यवाही करें।

प्रारम्भ में, मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय खाद्य निगम में सुधार किए जाने की गुन्जाईस है। कतिपय स्तरों पर भ्रष्टाचार, उपेक्षा और गलतियों के मामले हो सकते हैं। आखिरकार भारतीय खाद्य निगम एक बहुत बड़ा संगठन है, इसकी गतिविधियां पूरे देश में हैं तथा देश-भर में इसके 2000 से ज्यादा गोदाम हैं।

भारतीय खाद्य निगम को गठित करने का उद्देश्य व्यापार में बेईमान तत्वों द्वारा किसानों का शोषण न होने देने तथा खेत पर ही अनाज की कीमत निर्धारित करना तथा वह कीमत किसान को दिया जाना है। भारतीय खाद्य निगम जो कुछ भी खरीद करता है वह रियायती दरों पर कम अनाज उत्पन्न होने वाले राज्यों को भेजा जा रहा है। मैं आलोचना का स्वागत करता हूं परन्तु सदन में संतुलित विचार होने चाहिए। निःसंदेह ही कमियाँ हैं परन्तु उपलब्धियां भी हुई हैं जिन्हें हम अन्देखा नहीं कर सकते।

यह बड़ा संस्थान जो कि भारत सरकार के सामाजिक उद्देश्य को क्रियान्वित करने में देश में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है, किसानों के हितों का संरक्षण कर रहा है तथा देश के प्रत्येक कोने में खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है। मोटे तौर पर खरीद 15 से 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष होती है। इस निगम का कर्त्तव्य रक्षित भण्डार (बफर स्टाक) तथा चालू भण्डार (आपरेशनल स्टाक) को बनाये रखना है। हमारे देश में भयंकर सूखा पड़ा था सबसे भयंकर प्राकृतिक आपदा लेकिन हमारे पास पर्याप्त भण्डार था तथा सभी राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार अनाज की पर्याप्त आपूर्ति की गई थी। कुल 210 लाख टन अनाज की आपूर्ति की गई जिसमें खुले बाजार में बेचने को दिया जाने वाला अनाज भी शामिल है। यह अभी तक सबसे ज्यादा आपूर्ति है। यदि ऐसी आपदा हम पर 8-10 वर्ष की आई होती तो हमें विकसित देशों से लाखों भारतवासियों की ओर से भीख मांगनी पड़ती। परन्तु यह न सिर्फ सन्तुष्टी की बात है लेकिन यह गर्व की भी बात है न सिर्फ सरकार के लिये ही अपितु प्रत्येक भारतीय के लिये हमने इस आपदा को अपने ही संसाधनों से निपटाया हम सहायता के लिये किसी भी देश के पास नहीं गये।

कुछ महीने पूर्व मैंने निकोटिया में विश्व खाद्य सम्मेलन में भाग लिया और यह सुनना मेरे लिये गर्व की बात थी कि अधिकतर सभी देश विकसित और विकासशील-भारत सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे थे। इसका श्रेय किसानों, वैज्ञानिकों तथा सरकार की नीतियों को जाता है कि 30-35 वर्षों के दौरान हम आत्म-निर्भर हो गये हैं तथा किसी भी देश से सहायता नहीं मांगी।

आज समस्या यह है कि विश्व में बहुत से देश, लेटिन अमरीका, अफ्रीका तथा एशिया में खाद्यान्न के बारे में आत्म-निर्भर नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में खाद्यान्न खरीदने के लिए उनके पास आवश्यक विदेशी मुद्रा नहीं है। भारत हमेशा ही समृद्ध देशों से इन देशों को मदद करने की याचना करता रहा है। परन्तु हमने कभी भी कोई मदद नही मांगी। सिर्फ अब ही अपने रक्षित भण्डार को पूरा करने के लिए हमें कुछ खाद्यान्नों की खरीद करनी पड़ी। हमें इस पर शर्म नहीं आती है। सिर्फ हमारा ही देश नहीं बल्कि रूस और जापान जैसे विकसित देश भी आयात करते हैं और हमें प्राकृतिक आपदा के कारण खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। ये देश भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से खाद्यान्न खरीद रहे हैं। यह शर्म और आलोचना का मामला नहीं होना चाहिए। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में हमारी जरूरतों अथवा भारत सरकार की वचन बद्धता का संबंध है, हम अपने देश में खरीद करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। किन्तु पिछले साल के सूखे की भांति हमें भविष्य में भी किसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है कि जिसके लिए हमको रक्षित भण्डार रखने की जरूरत है। इसलिए, यह प्रशंसनीय है। पिछले वर्ष जब कि देश में भयंकरतम सूखा पड़ा था, भारतीय खाद्य निगम ने देश के हर कोने में खाद्यान्न पहुंचा कर बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया। यही कारण था कि देश में इतने भयंकर सूखे के बावजूद कहीं भूख से कोई नहीं मरा। यह एक प्रशंसनीय कार्य है जो भारतीय खाद्य निगम ने किया। जब पूर्ण सामान्यीकरण किया जायेगा तो हम इस स्थिति से संतोष नहीं करेंगे। जो आलोचना की जा रही है मैं उसका स्वागत करता हूं। और मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला मेरे सामने आया, तो यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इसमें अन्तर्ग्रस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। परन्तु हमारे यहां कानून का शासन है। प्रत्येक बात को सिद्ध करना पड़ता है। इस प्रकार, यदि भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आती है और सिद्ध हो जाता है तो निश्चित ही कार्यवाही की जायेगी। कार्यवाहियां की भी गई हैं। काफी संख्या में अधिकारियों को हटाया गया है। काफी संख्या में अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। और कई दूसरे अधिकारी/कर्मचारी जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब कोई शिकायत की जाती है तो कार्यवाही नहीं की जाती। दोनों सदनों के सदस्य और प्रैस और कोई भी व्यक्ति भारतीय खाद्य निगम की प्रत्येक कार्यवाही की छानबीन कर सकता है। इसलिए भ्रष्टाचार के कुछ मामले हो सकते हैं। जब इनकी पोल खुल जाती है तो इसका आयाम बहुत अधिक लगता है। परन्तु भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी वास्तविक सेवाओं को नजर अन्दाज कर दिया जाता है; मैं समझता हूं कि इसमें एक संतुलित धारणा अपनायी जानी चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री ने देश के जनजातीय लोगों के लिए 1985 में एक योजना आरम्भ की थी। लगभग 570 लाख लोग जनजातीय खंडों में रहते हैं। इन खंडों में हम बहुत ही सस्ती दरों पर गेहूं तथा चावल सप्लाई कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना को आरंभ करने से पहले

[श्री सुखराम]

इन खण्डों को मुश्किल से दो लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन होता था। लेकिन अब हम 20 लाख टन खाद्यान्नों से भी अधिक आवंटन कर रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी एक प्रश्न उठाया है कि गैर-जन जातीय लोगों को उसी हिसाब से अधिक सस्ती दरों पर गेहूं और चावल नहीं दिया जा रहा है। मुझे ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है। जिस किसी भी खण्ड को 'जन जातीय खंड' घोषित किया गया है, चाहे वह जनजातीय अथवा गैर जन जातीय हो, उसको एक समान दर से खाद्यान्नों की सप्लाई की जाती है। इन सभी खंडों को एक समान माना जाता है। यदि कोई शिकायत है तो वह की जानी चाहिए और मैं निश्चित ही राज्य सरकार को लिखूंगा क्योंकि राज्य सरकार कार्यन्वयन एंजेसी हैं।

कुछ सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं और कुछ ने शिकायतें भी की हैं। मैं इनको निपटने का प्रयास करूंगा : माननीय सदस्य श्री तम्पन थामस ने शिकायत की है कि केरल में घटिया किस्म का चावल बेचा गया। मैं समझता हूं कि ऐसा चावल जो डी० एफ० ए० मापदण्डों के अनुसार है, लोगों को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये पकने के लिए काफी समय लेता है। इसलिए, 14620 टन चावल का स्टाक, खुली निविदाओं के माध्यम से बेचा गया। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नहीं किया गया था। यदि यह इस प्रणाली के माध्यम से बेचा भी गया तो वहां की राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि लोगों को घटिया किस्म के खाद्यान्न न दिये जायें। हमने भारतीय खाद्य निगम को यह निदेश दिये हैं कि यदि उनकी जानकारी में घटिया किस्म के अनाज के संबंध में कोई शिकायत आती है, तो जिस राज्य सरकार अथवा एजेंसी को वह घटिया अनाज मिला है वह उस को बदलवा सकती है और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि किसी अधिकारी द्वारा गड़बड़ी किये जाने के फलस्वरूप ऐसा हुआ तो हम ऐसे मामले में कार्यवाही करेंगे। ऐसी शिकायत मिली है कि विशेष-कर केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के संबंध में हमने उनके खाद्यान्न के कोटे को कम कर दिया है। मैं इससे सहमत हूं कि अब आवंटन को युक्ति युक्त कर दिया गया हैं। पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण लीजिए। पिछले वर्ष चावल और गेहूं का क्रमशः 15 लाख टन और 15.12 लाख टन आवंटन करने के बजाए चावल और गेहूं क्रमशः 8.07 लाख टन और 7.74 लाख टन लिया गया।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपके गोदाम में भी खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है।

श्री सुखराम : ऐसा विचार आपने बाद में किया है। जब हमने खाद्य तेल के आवंटन में कटौती की तो मुझे मुख्य मंत्री, संबंधित मंत्री से पत्र मिला और इस बारे में मुझे एक शिकायत भी मिली थी। मैं इससे इन्कार नहीं करता परन्तु इस मामले में, पिछले वर्ष के दौरान मेरे मंत्रालय को एक भी शिकायत नहीं मिली। मैंने स्वयं इसकी जांच की थी।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : पिछले साल, मैंने आपके विभाग को कई टेलीग्राम भेजे थे कि आपके गोदामों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हैं।

श्री सुखराम : प्रत्येक बात सिद्ध करनी पड़ती है। मैं आपको एक बात बताता हूं। जब यह तथ्य मेरे सामने आया कि खाद्यान्न······

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री आये थे और आप से मिले थे।

श्री सुखराम : हां, वह मुझसे मिले थे। मैंने उनके तथा संपूर्ण प्रतिनिधि मंडल के सामने यह बात स्पष्ट कर दी थी और उस समय, मुझे स्वयं संदेह था कि किसी समय, किसी अवस्था में कमियां हो सकती हैं। इसके बाद रिकोर्ड से मैंने इसकी पड़ताल की। पश्चिम बंगाल में किसी भी समय खाद्यान्न अपेक्षित स्तर से कम नहीं था। यह पहले से ही वहां पर पर्याप्त मात्रा में था, परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको नहीं उठाया। इसी वजह से उठाव और हमारी भण्डारण स्थिति को ध्यान में रखते हुये, इसी वर्ष सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं बल्कि सभी राज्यों के लिए आवंटन को युक्ति-युक्त बनाया गया है। हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा और उस वजह से हम उतना खाद्यान्न नहीं खरीद सके जितना लक्ष्य रखा गया था। परन्तु हम सभी राज्य सरकारों की न्यूनतम जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। पी० डी० एस०, आई० टी० डी० पी० के निर्गम मूल्य और खुले बाजार के मूल्य के बीच काफी अन्तर है। इस तरह इन खाद्यान्नों का दुरुपयोग हो सकता है। मैं सभी राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि अनाज जो बहुत रियायती दर पर दिया जा रहा है, समाज के गरीब तबकों तक पहुंचे। कई राज्यों ने कार्यवाही की है, कुछ गिरफ्तारियां की गयी हैं और कुछ जमा खोरों को सजा दी गयी है। मैं इससे सहमत हूं, परन्तु जनता के लिए खाद्यान्न की सप्लाई सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कार्य है।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : आप केरल को 1.45 लाख टन चावल दे रहे थे। यह कमी वाला राज्य है। आपने इसे कम करके 1.25 लाख टन कर दिया है। इसकी वजह से चावल का मूल्य 7 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। राज्य सरकार के लिए और कोई उपाय करने की संभावना नहीं है। इस राज्य के लिए और कोई उपाय करने की संभावना नहीं है। इस राज्य के लिए पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

श्री सुखराम : माननीय सदस्यों को एक बात याद करनी चाहिए कि यह राज्य का विषय है। हम केवल सामाजिक उद्देश्य की ही पूर्ति कर रहे हैं तथा कमी वाले राज्यों को अनाज का वितरण कर रहे हैं। यह राज्यों का दायित्व है कि वे कीमतें बनायें रखें। हम उनके कार्यों में सहायता कर रहे हैं। मूल्य स्तर को बनाये रखने के लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं, परन्तु वे अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते। यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि जब एक माननीय सदस्य विरोध पक्ष की ओर से बोल रहे थे तो वह ऐसा कह रहे थे जैसा कि हम राजनैतिक आधार पर अनाज का नियतन कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। आप केरल के बारे में बातें कर रहे हैं। देश में, केरल को सबसे अधिक चावल दिया जाता है। हम केरल को 125 हजार मीट्रिक टन चावल दे रहे हैं। इतना अधिक चावल सिर्फ इस राज्य को ही मिलता है। यदि आप सभी राज्यों के आवंटन को लेते हैं तो प्रतिशत के हिसाब से केरल सबसे नीचे है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल देश में चावल और गेहूं सबसे अधिक मात्रा में लेने वाले राज्यों में आता है और प्रतिशत के हिसाब से यह भी नीचे ही आता है। जहां तक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संबंध है, हमने आवंटन में काफी कटौती की है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है, हमारी तरफ से इसमें कोई भी राजनीति नहीं अपनायी जाती है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने एक ठोस प्रश्न उठाया था। आपने कहा था कि आप इतने रेक भेज रहे हैं परन्तु इतने रेक आए। इसका क्या उत्तर है ?

श्री सुखराम : मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को सप्लाई करने के बारे में कोई समस्या नहीं है। वहां विभिन्न स्थानों पर गोदाम हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है पिछले एक साल 11 महीने से जो समस्या कहर ढा रही थी, उसको पश्चिम बंगाल सरकार ने अब सुलझा दिया है और इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। आपसे मेरा एक मात्र अनुरोध यह है कि अब आपको पश्चिम बंगाल सरकार और अपने लोगों को आंदोलन न करने के लिए मनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 'रेल रोको' और कई दूसरे 'आन्दोलन' हुये हैं। इन कार्यों से सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों के लोगों को भी नुकसान होता है। पश्चिम बंगाल के लिए खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है। वहां पर डिपों की कोई कमी नहीं है। केवल समस्या यह है कि हमने राज्य के लिए अनाज का नियतन कम किया है। मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल को चालू वर्ष के पहले पांच महीनों में 5.12 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया, जिसमें से राज्य ने 3.76 लाख टन गेहूं उठाया इसी प्रकार 5.05 लाख टन चावल आवंटित किया गया, जिसमें से 3.80 लाख टन चावल उठाया गया। अतः समस्या कहां है ? हम पश्चिम बंगाल सरकार को किसी भी कठिनाई में नहीं डाल रहे हैं। आप कृपया इस मामले को अपनी सरकार के साथ उठायें और यदि वे यह कहते हैं कि स्टाक उपलब्ध नहीं थे तो इसको ठीक कर दिया जायेगा। आप इस बारे में मुझे लिख सकते हैं, अथवा मेरे कार्यालय में आ सकते हैं और बता सकते हैं। परन्तु मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि स्टाक उपलब्ध था। कुछ राज्य सरकारें यह कहकर केन्द्र सरकार को बदनाम कर रही हैं कि चूंकि आवंटन कम हुआ है इसलिए लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि यह कुछ राज्य सरकारों की राजनैतिक चाल है।

श्री तम्पन थामस : चूंकि यह कल-परसों के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने केरल सरकार से कुछ वायदा किया है।

श्री सुखराम : सरकार से निवेदन किया गया है और मैं सही समय आने पर निर्णय लूंगा।

श्री तम्पन थामस : क्या आपने कोई वायदा किया है या नहीं ? **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कुछ किया है ? **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : मैं पूरे मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लूंगा। अतः जब समय आएगा, तो संबंधित राज्य सरकार की न्यायोचित मांग को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यह आवंटन कभी राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जाता। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी राज्य सरकार से यह निवेदन करें कि वह इस तरह का प्रचार न करे कि केन्द्र सरकार उन्हें पर्याप्त खाद्यान्न नहीं दे रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किन्तु आपने मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस : महोदय, काफी लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वे गाड़ियों के चलने में बाधा डाल रहे थे। आप उन्हें यह सलाह दें कि वे वैसा न करें।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, जब 23 विधायक और 3 संसद सदस्य मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्वक वहां गए थे तो उन्हें उनसे भेंट करने की अनुमति नहीं दी गई। अतः इस राज्य में अब कोई लोकतंत्र नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री सुखराम : मैं जानता हूं कि खाद्यान्नों की आपूर्ति के बारे में सभी सदस्य बहुत चिंतित हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य को जुलाई माह के लिए 80.000 टन गेहूं आवंटित किया गया था। अक्तूबर के लिए 213.000 टन चावल और 1,90,000 गेहूं आवंटित किया गया था। अतः वहां खाद्यान्नों की कमी नहीं है। हम राज्यों को खाद्यान्न आवंटित कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार को अपने राज्य में उसे आगे आवंटित करना होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आप मेरी बात बिलकुल गलत समझे हैं। मैंने दो विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं जिनका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। पहला प्रश्न मैंने रैक्स के बारे में पूछा था। और फिर मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रमुख गोदाम का निर्माण किए जाने के बारे में पूछा था।

श्री सुखराम : मेरे विचार से मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं, यदि आपको अब भी कोई शिकायत है तो आप कृपया मुझे लिख कर दीजिए या मुझसे बात कीजिए। मैं देखूंगा कि आपकी शिकायत दूर हो। यदि कार्यवाही राज्य सरकार को करनी है तो हम उन्हें लिखेंगे।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख गोदाम का निर्माण करने का संबंध केवल आप से है, राज्य सरकार से नहीं।

श्री सुखराम : आपकी बात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : धन्यवाद महोदय।

श्री सुखराम : इसी भांति, जहां तक उड़ीसा का संबंध है, सदन की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष उड़ीसा में प्रतिमाह 10.000 टन चावल सप्लाई किया गया था। उस राज्य के एक माननीय सदस्य ने इस बारे में शिकायत की थी। उड़ीसा को वर्ष 1987 में कुल 2.55 लाख टन चावल आवंटित किया गया था। उठाए गए चावल की कुल मात्रा केवल 1.63 लाख टन थी। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मेरी बात ठीक कर सकते हैं। माननीय सदस्य राज्य सरकार से इस बारे में जांच/पूछ सकते हैं और यदि मेरे आंकड़े गलत हैं तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य मंत्री ने अनुरोध किया था और उस पर विचार किया गया तथा कुछ अतिरिक्त आवंटन किया गया था। लेकिन माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें अब अपना सहयोग देना होगा क्योंकि सूखे का वास्तविक असर इस वर्ष ही अनुभव किया जा रहा है। भंडार तथा सभी राज्यों में इसकी मांग की न्यूनतम मांगें पूरी करनी हैं। लेकिन मैं आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे पास पर्याप्त भंडार है। हमारी स्थिति काफी मजबूत है और हम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों की मांगों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन इनके कार्यान्वयन का काम राज्य सरकारों का है। यदि वे इन कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करें तो मैं सोचता हूं कि आपको उस समस्या का सामना करना

श्री सुखराम

पड़ेगा जिसका सामना अब आप कर रहे हैं। मैं राज्य सरकारों से यह कहता रहा हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हमारी खाद्य व्यवस्था का स्थायी तत्व है और हमें इसे मजबूत बनाना होगा तथा इसमें सुधार करना होगा। यह काम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और जो भी सहायता की जरूरत हो हम उसके लिए तैयार हैं। हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं।

इस संशोधन का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित होगा। लेकिन इससे सदस्यों को समूचे भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर चर्चा करने का अवसर मिल जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मैं इस बारे में कहूंगा। कुछ माननीय सदयों ने एक आपत्ति उठाई और पूछा कि यह संशोधन क्यों लाया जा रहा है। उन्हें आश्चर्य है कि क्या यह संशोधन आवश्यक भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय खाद्य निगम अपने संसाधनों का सृजन नहीं करता है, वह समर्थन मूल्य के बारे में निर्णय नहीं लेता; और न ही भारतीय खाद्य निगम निर्गम मूल्य के बारे में निर्णय लेता है। ये सब निर्णय भारत सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, खाद्यान्नों की कुल बिक्री 150 लाख टन से 200 लाख टन के बीच हुई थी और इससे करीब 11.000 करोड़ रुपए मिले थे।

4.00 म० प०

अतः भारतीय खाद्य निगम को यह पैसा सरकार से या तो ऋण के रूप में मिलता है या इक्विटी अनुदान के रूप में या फिर सरकारी क्षेत्र से। यह संशोधन मात्र यह उपबन्ध करने के लिए है कि भारतीय खाद्य निगम बन्धपत्र या ऋण पत्र जारी करके······

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में आंत्र शोथ। हैजे के प्रकोप के संबंध में नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे। श्री इंद्रजीत गुप्त।

4·01 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आंत्रशोथ/हैजे का प्रकोप

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, इस सभा में यह विषय उठाते हुए मुझे कुछ अधिक ही निराशा हो रही है। महोदय, पहले जब भी इस सभा में कुछ विशिष्ट घटनाओं के आधार पर चाहे वह रेलवे दुर्घटना या लोगों के मरने या आतंकवादियों द्वारा सामूहिक हत्या करने या बिहार के गांवों में हुई हरिजनों की हत्याओं या भोपाल गैस त्रासदीकांड से हुए विनाश जैसी आपदा हो, सभी मामलों में जो भी चर्चाएं की गई थीं, उन कारणों का पता लगाने के लिए अर्थात

उन दुर्घटनाओं में कई लोगों के मारे जाने के बाद की गई थीं। उसके बाद, जनता के सचेत हो जाने पर ही, उस मामले को सभा में उठाया गया था और उस पर चर्चाएं की गई थीं। लेकिन दुर्भाग्य से, दिल्ली में फैले हैजा के प्रकोप जैसे मामले में मैं इतना निराश इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस समय इसके कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हैजे से अभी भी लोगों की मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं है कि हैजे का खतरा खत्म हो गया है। अब भी, जबकि हम सभा में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, प्रभावित क्षेत्रों अर्थात यमुना पार की पुनर्वास कालोनियों में हैजे से कई लोग मर रहे हैं।

4·02 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

राष्ट्र के स्वास्थ्य के प्रभारी माननीय मंत्री अच्छी तरह यह तथ्य जानते हैं कि यमुना नदी इस प्रभावित क्षेत्र को शहर के शेष हिस्से से अलग कर देती है। लेकिन इससे किसी को राहत नहीं मिलती। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह नदी राजधानी के अन्य भागों में इस महामारी के फैलने पर रोक लगाने का काम करती है। शहर के पूर्वी भागों में जो भीड़ भाड़ वाली गन्दी बस्तियां हैं, वैसी बस्तियां शहर के अन्य भागों, पश्चिम भाग, उत्तरी भागों तथा अन्य सब स्थानों पर भी हैं। वहां की हालत पूर्वी दिल्ली में शुरू हुए हैजे के प्रकोप वाले इलाकों से अच्छी नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस समय, इतने अधिक प्रचार, इतने विक्षोभ और इस तथ्य के बाद कि अन्ततः प्रधानमंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा किया, उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की तथा यह तथ्य कि उप-राज्यपाल मुझे खुशी है कि उन्होंने इसे महसूस किया, भले ही बहुत देर से अपना त्यागपत्र दिया, और कई उच्चाधिकारियों को नौकरी से निकाला गया है या उनका स्थानांतरण किया गया है अथवा उन्हें निलम्बित किया गया है—से भी वहां की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। इससे सर्वप्रथम तो उन लोगों का कुछ भला होने वाला नहीं है जो मर चुके हैं और इससे उन लोगों को भी कुछ राहत नहीं मिल रही जो इस प्रकोप से प्रभावित हैं क्योंकि हैजे से होने वाली मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। संदिग्ध रोगियों के अस्पताल में भरती होने के मामले निरन्तर जारी हैं। आज के समाचार पत्रों में स्पष्टतया आधिकारिक तौर पर खबरें आई हैं कि नये रोगियों की संख्या में कमी हुई है। नये रोगियों की जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है संख्या में कमी हो रही है। यह इस बात के अतिरिक्त है कि अब तक 17,000 से अधिक रोगी अस्पताल में दाखिल किए गए हैं।

क्या वास्तव में नये रोगियों की संख्या में कमी हुई है? आज भी, समाचार पत्रों में खबरें छपी हैं—मैं समाचार पत्रों पर विश्वास करता हूं, अगर वे गलत हैं तो आपको उनका खंडन करना चाहिए। कल भी ग्यारह मौतें हुई थीं। अब तक 212 मौत हो चुकी है। लेकिन क्या यह सच है कि नये रोगियों की संख्या में कमी हुई है। जो हमें संतोष दे सकती है। मैं फिर कहता हूं यह समाचार पत्र रोज आकड़ें इकट्ठे कर रहे हैं और उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। 'टाइम्स आफ इंडिया' के अनुसार, मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं—तीन मुख्य अस्पतालों—गुरु तेग बहादुर, कलावती सरन और सफदरजंग अस्पतालों में कल आंकड़े दिखाये गये हैं—बीते हुए कल का अर्थ है परसों

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

क्योंकि यह समाचार एक दिन पुराना है—परसों, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 186 नये रोगी थे; अगले दिन कल वे कम होकर 141 हो गये थे। कलावती सरन में दो दिन पहले 170 रोगी थे और कल उनकी संख्या कम होकर 136 रह गई। सफदरजंग अस्पताल में परसों 24 रोगी थे और एक दिन बाद यह संख्या बढ़कर 135 हो गई। अगर आप इन तीन अस्पतालों के दो दिन के आकड़ें जोड़े तो आप पायेंगे कि दो दिन पहले नये रोगी 380 बताये गए थे, और एक दिन बाद वे कम हो गए लेकिन वे बढ़कर 382 हो गए। अतः इस प्रकार का संतोष करने का कोई कारण नहीं है।

हम जानते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हैजे के क्या कारण हैं अर्थात् दूषित जल, स्वच्छ पीने के पानी की कमी के कारण यह रोग फैला है सच तो यह है कि कूड़ा नहीं हटाया गया, सीवर साफ नहीं किये गये जो रुके पड़े थे और सच तो यह है कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों द्वारा हैंडपम्पों का पानी पीना। ये हैंडपम्प केवल दस फुट की गहराई तक खोदे गए थे जबकि उन्हें 40 फुट से 45 फुट गहरे खोदा जाना चाहिए था तब उन्हें दस फुट तक खोदा गया। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यह एक आपराधिक बात है। अगर यह बीमारी यहां न फैलती तो कहाँ जाकर फैलती?

अतः मैं कहना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों के निलम्बन और स्थानान्तरण, आदि जो हुए या, उपराज्यपाल के त्यागपत्र, का इन बस्तियों की घोर उपेक्षा, जिसके कारण यह बीमारी फैली है कोई सम्बन्ध नहीं है। ये कार्यवाहियां तो बाद में इसलिए की गई क्योंकि यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्देश देने पर अन्तिम तिथि तक भी ये कूड़ा हटाने में समर्थ नहीं हुए और उन्होंने कहा है कि ये सब उपाय करने के लिए उन्होंने प्रशासन को कहा था। वे यह भी न कर सके। उस समय कुछ कदम उठाए गए थे। इतने महीनों और वर्षों की घोर उपेक्षा पर किसी व्यक्ति ने इसकी जांच नहीं की जिससे वहां यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और आप दिल्ली की दूसरी गन्दी बस्तियों में यह बीमारी न फैले इसे कैसे रोकेंगे? यह ऐसी बात नहीं है जिसे एक स्थान पर सीमित रखा जा सके। हैजे के कीटाणु शहर के एक भाग तक ही निश्चित रूप से उन उपायों से भी जो किए जा रहे हैं सीमित नहीं रखे जा सकते।

दिल्ली के पश्चिम भाग में भी, रोहिणी नाम की एक कालोनी है—मुझे विश्वास है; कि यह एशिया की सबसे बड़ी कालोनी कही जाती है—जहां लगभग 30,000 प्लाट डी० डी० ए द्वारा आवंटित किये गये हैं; और 20,000 बहु मंजिले फ्लैट बनाये गए हैं।

परन्तु पिछले दो वर्षों से यहां पानी के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप यहां के निवासियों को हैंडपम्प का पानी पीना पड़ रहा है। वहां ठेकेदारों और ऐसे लोगों की सांठ-गांठ से हैंडपम्प केवल 10 फुट या 12 फुट की गहराई के खोदे गए हैं जैसा यमुनापार क्षेत्र में किया गया। सभी जानते हैं, एक साधारण व्यक्ति भी जानता है कि वर्षा के दौरान, इस वर्षा के मौसम

के दौरान भारी वर्षा होती है तो जल दूषित हो सकता है और यह बीमारी फैल सकती है क्योंकि लोगों के पास इस दूषित जल को पीने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

अगर इन नई कालोनियों में डी० डी० ए० प्लाट देने और बेचने में इतना सक्रिय हो सकता है तो क्या डी० डी० ए० को इन कालोनियों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या यह उनके लिए चिन्ता की बात नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या यह उनके लिए चिंता की बात है या नहीं, क्योंकि डी० डी० ए० और डी० एम० सी० के बीच एक बहुत अशोभनीय सार्व-जनिक विवाद चलता रहा है ये दोनों निकाय आपस में स्पष्ट रूप से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह सब समाचार पत्रों में छपा है। 1 जून, को ऐसा लगता है, कि इन यमुना पार कालोनियों के विकास और प्रबंध व्यवस्था की जिम्मेदारी डी० डी० ए० से नगर निगम को सौंप दी गई थी। लेकिन नगर निगम का कहना है कि हां केवल जिम्मेदारी दी गई थी, कर्मचारियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया था जो सफाई के लिए जिम्मेदार हैं—लगभग 75,000 सफाई कर्मचारी स्थानांतरित नहीं किये गये न तो धन और न ही उपकरण स्थानान्तरित किए गए थे। केवल जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है या झूठ लेकिन अगर यह सच है, तो नगर निगम और आयुक्त को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी बिना सफाई कर्मचारियों के और बिना धन और बिना उपकरणों के लेने के लिए सहमत क्यों हो गया। आप इस प्रकार के कार्य की आशा कैसे करते हो? कोई नहीं जानता है। लेकिन वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यह उस तरह की स्थिति नहीं है जो लोगों को रोज मृत्यु का सामना करना पड़े क्योंकि ये सरकारी निकाय जो इस देश की राजधानी में स्थित है; इस प्रकार एक दूसरे पर अशोभनीय सार्वजनिक तौर पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं इस तरह से मामला कैसे सुलझ सकता है। इसलिए हम हमेशा कहते आये हैं कि राजधानी है ऐसी कई एजेन्सियां हैं। इस राजधानी में इन बहुत सी एजेन्सियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका काम केवल एक दूसरे पर आरोप लगाना है। बहु एजेन्सी प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए।

यह डी० डी० ए०, यह दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली प्रशासन कोई नहीं जानता है कि अन्ततः इसका जिम्मेदार कौन है और किसे पकड़ा जाये। उन्होंने समुचित रूप से चुने हुए प्रशासन और सरकार से युक्त दिल्ली को राज्य का दर्जा देने से इन्कार कर दिया। ये सब लोग अपने कार्यालयों, विभिन्न एजेंसियों में बैठे हुए हैं। और अब जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और दिल्ली के नागरिकों को अब महामारी का सामना करना पड़ा है और बहुत से लोग मर रहे हैं और कई लोगों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं; केवल यही काम करना रह गया है। अतः मैं इस वर्तमान मामले में यह कहना चाहूंगा कि यह सब उपेक्षा के कारण हुआ है। इस कार्य को गंभीरता से नहीं किया गया है यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी यह सब कहा है। मैं इस प्रश्न पर प्रधानमंत्री की बात उद्धृत करना चाहूंगा। जब उन्होंने क्षेत्रों का दौरा किया—समाचार पत्रों में कहा गया है उन्होंने जो कुछ देखा उससे वह नाराज हुए और उन्होंने कुछ अधिकारियों पर आरोप

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

लगाया जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार पूरा नहीं किया था। क्या इन लोगों के अपराध, दोष का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं। नगर निगम आयुक्त या चार उच्च अधिकारियों को हटाने या उपराज्यपाल के त्यागपत्र और प्रधानमंत्री के निर्देश देने के बाद भी वे अपने कार्य में असफल हो गए लेकिन इन सब महीनों और वर्षों क्या होता रहा है ?

और, सारी समस्या यह है कि किसी को उन लोगों की चिंता नहीं है जो गन्दी बस्तियों में रहते हैं जो कूड़े के ढेर हैं और कुछ नहीं। नई दिल्ली एक "शो पीस" है, नई दिल्ली इस देश का "शो पीस" है जो अपनी सुन्दर चौड़े मार्गों और भवनों और बहु मंजिली इमारतों, फ्लैटों और पांच सितारा होटलों और बड़े सभागारों और इन सब चीजों का शो पीस है। जो विशेषतया विदेशियों को आकर्षित करने के लिए बना है जो हर साल काफी संख्या में यहां आते हैं। उन लाखों लोगों की परवाह कौन करता है जो करोड़ों की संख्या में ऐसी हालत में रह रहे हैं जो मनुष्य के रहने के लिए उचित नहीं है। किसी को इसकी परवाह नहीं है। इस शहर के आगन्तुकों को नहीं बताया जाता है। वे नहीं जानते हैं कि यहां ऐसी भी चीजें दिखायी देती हैं। और क्योंकि वे गरीब लोग हैं और क्योंकि वे भीड़ भाड़ की स्थिति में रह रहे हैं क्या हम यह पूछने के हकदार नहीं हैं किसने इस प्रकार की खतरनाक और अनियोजित विकास की कालोनियों की अनुमति दी है जो कोई सुख सुविधा और स्वास्थ्य सुविधाओं से रहित बनाई गई हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मुझे कहना चाहिए कि इसमें केवल अधिकारियों का दोष नहीं है लेकिन इसमें दिल्ली के अधिकांश राजनीतिज्ञों का भी दोष है, जो लोगों को प्रोत्साहन देते हैं और लोगों से वायदे करते हैं कि "हम देखेंगे आप वहां बस जाइये और यहां रहिये, हम आपको स्थान देंगे।" हमने दिल्ली के मास्टर प्लान के बारे में बहुत सी घोषणाएं सुनी हैं। उसका क्या हुआ ? क्या ये लोग उस मास्टर प्लान में शामिल नहीं हैं। क्या मास्टर प्लान केवल दिल्ली क्लाथ मिल के मालिकों को अपनी मिलें बन्द करने और श्रमिकों की छटनी करने के लिए बनी है ? क्या यह मास्टर प्लान केवल उनके लिए है। यह सब हरित पट्टी और मास्टर प्लान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और ये सब ऊंची ऊंची बातों का क्या उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी में कोई महत्व है। क्या उन करोड़ों गरीब लोगों के अस्तित्व पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। आप कहेंगे कि प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक संख्या में लोग राजधानी आ रहे हैं, "हम क्या करें। हम इस भीड़ भाड़ को कैसे रोक सकते हैं।" यह दिल्ली के लिए कोई विशेष बात नहीं है। यहां ऐसे कई सदस्य बैठे हुए हैं जो इस देश के महत्वपूर्ण शहरों से आये हैं। हम भी हैं। हम जानते हैं कि अधिक गहन समाजिक आर्थिक कारणों की वजह से हमारे देश में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आजीविका के लिए नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं वे क्या करें ?

कुछ लोग उनकी ओर से नजरें घुमा लेते हैं, और भेदभाव पूर्ण रवैये का अख्तियार करते हुये कहते हैं कि उनको शहर से बाहर रखना चाहिये। "उनको शहरों में मत आने दो क्यों कि वे जगह को गन्दा कर देते हैं। वे सम्मानित व्यक्ति की तरह रहना नहीं जानते हैं।" अतः बम्बई में ऐसे लोगों को शहर से बाहर निकालने का अभियान कुछ लोगों द्वारा शुरू किया गया है। "उनको यहां पर आने की अनुमति मत दो।"

वे भिखारी नहीं हैं वे काम चाहते हैं, वे काम करने के लिये आते हैं और वे सब काम कर रहे हैं। वे सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। परन्तु आप उन्हें यहाँ लाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ बसाना चाहते हैं, नई झोपड़ पट्टी को बढ़ाना व बनाना चाहते हैं, और इस प्रकार चुनाव क्षेत्र बनाकर अपने लिये वोट तैयार करना चाहते हैं, परन्तु उन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान नहीं करना चाहते हैं।

अतः मैं कहना चाहूंगा कि यह समस्या केवल इसी रूप में नहीं देखी जानी चाहिये। मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय जो इस वाद विवाद का उत्तर देंगे इसे संकुचित दायरे में नहीं देखेंगे कि यमुना पार इलाके में कितने लोग प्रभावित हुये, कितने अस्पतालों में आये व कितनों को टीके लगाये गये। बल्कि हमें यह भी देखना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि टीके लगवाने की जरूरत है। कितनों को अब तक लग चुके हैं? क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्र में प्रकाशित इस खबर की ओर गया है कि हैजे के टीकों की जबर्दस्त कमी है, जिसका कि अभी तक खण्डन नहीं किया गया है। इसके बारे में केमिस्ट, फारमासिस्ट व वितरक जोकि खुले विक्रेताओं को दवाई वितरित करते हैं सभी शिकायत कर रहे हैं वास्तविक स्थिति क्या है?

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक प्राधिकारी डा० बी० एन० टण्डन ने अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि हैजे के टीके जो इस देश में उपलब्ध हैं वे बिल्कुल बेकार हैं और उनका कोई असर नहीं होता है। और हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन से ऐसे टीकों को प्राप्त करना चाहिये जोकि हैजे की रोकथाम करने में प्रभावशाली हों और उन देशों में प्रयोग में लाये जाते हों जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है।

इन सब बातों के लिये क्या किया जा रहा है। कल को यह स्थिति कहीं और भी उत्पन्न हो सकती है। समाचार-पत्रों में दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हैजा फैलने की खबर है, वास्तव में जब हैजा फैलेगा तो सरकार इसका खण्डन करते हुये कहेगी कि यह हैजा नहीं बल्कि आन्त्र शोथ है जो कि दिल्ली में फैला था। परन्तु हम जानते हैं कि हैजा व आन्त्रशोथ में बहुत कम फर्क है।

महोदया, मुझे नहीं पता कि आपको आन्त्रशोथ हुआ है अथवा नहीं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप भाग्यशाली हैं। आपका भाग्य अच्छा है। **(व्यवधान)**

कु० सरोज खापर्डे : क्या आप चाहते हैं, कि मुझे यह रोग हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप को यह रोग हो परन्तु यदि आपको होता है तो आपको इसका तजुर्बा हो जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री तम्पन थामस (मवेलिकारा) : सरकार को डायरिया हो गया है। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि नन्द नगरी सहित कुल कालोनियों में गंगा का पानी पाइपों द्वारा सप्लाई करने की योजना है। इसके लिये बहुत से निवासियों से धन इकट्ठा किया गया है, जिससे कि पाईपों द्वारा गंगा का पानी सप्लाई किया जा सके। इस योजना का क्या हुआ ?

जहाँ तक मेरी जानकारी है धन लेकर भी पानी की सप्लाई नहीं की गयी।

सर्वाधिक आपराधिक बात तो यह है कि यह महामारी फैलने से कुछ हफ्ते व महीने पहले दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुये और राजनीतिक दलों व समाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण व दिल्ली नगर निगम को इस समस्या से अवगत कराते हुये समय से ही उचित कार्यवाही करने की माँग की। आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह अचानक हो गया है। मेरे पास सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा दिए गए ज्ञापनों की प्रतियाँ मौजूद हैं। मेरे पास पर्चों की ऐसी प्रति है जिसमें 4 फरवरी को हुए प्रदर्शन का हवाला दिया गया है इसके शीर्षक में लिखा है :

[हिन्दी]

"पहले 84 मरे थे; अब कितने मरेंगे, भ्रष्ट नेताओं और अफसरों को तुम्हीं बताओ।"

[अनुवाद]

यह प्रदर्शन नगर निगम के सामने हुआ था जिसमें यह बताया गया था :

> "कि झोपड़ पट्टियों में मूलभूत न्यूनतम नागरिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। मैं निवेदन करता हूं कि बेघरों को घर प्रदान करने वाले वर्ष में पेयजल के लिए सार्वजनिक नल सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, सफाई व्यवस्था व स्वास्थ्य रक्षा हेतु औषधालयों व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह न्यूनतम और तत्काल प्रदत्त की जाने वाली आवश्यक्तायें हैं जोकि उत्पीड़ित व लापरवाही के शिकार लोगों को चाहिये तथा वे पुनर्आवास प्रदान करने तथा सामान्य पर्यावरण के आधारभूत कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने तक नहीं रुक सकते हैं। इन दोनों को टाला नहीं जा सकता है।"

यह मैंने उस ज्ञापन का हवाला दिया है जो कि मेरे दल की दिल्ली समिति ने फरवरी में दिया था। मुझे पता है कि अन्य दल व संगठन भी इस मामले को उठा रहे हैं। परन्तु किसी को परवाह नहीं है वे मामले को सुनी अनसुनी कर देते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि यह मामला घोर व अपराध पूर्व आपराध्य लापरवाही का है क्योंकि प्रभावित लोग गरीब हैं। बस यही काफी है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। वोटों के लिये तथा चुनावों में इनकी उपयोगिता है। इसके बाद ये जी रहे हैं या मर रहे हैं या किस तरह की बदतर अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं इसकी किसी को परवाह नहीं है। यह मामला ऐसा नहीं है जिसे दलगत राजनीति का विषय बनाया जाये। यह गम्भीर मामला है। कई माननीय सदस्य जोकि दिल्ली से चुने गये हैं वे यहाँ मौजूद हैं। श्री भगत ही अकेसे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जोकि इस मामले से सम्बन्धित हैं·····

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप भी हैं, आप बाद में बोलिये। आपके इलाके में हो जाये तो क्या होगा, सोचिये।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : हमें भी थोड़ा समय दो। आप बंगाल से आये हैं। मुझे भी बोलने का समय दो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उनको कहें, मुझे क्या कह रहे हैं आपका नाम बैलेट में नहीं आता है तो मैं क्या करूं आप मोशन दें।

श्री भरत सिंह : मैंने आपसे पहले नाम दे रखा है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे मेरे पुराने मित्र हैं। वे कलकत्ता में मेरे मेहमान थे। अतः महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अब इस बात से कोई फायदा नहीं है। परन्तु लोग अभी भी मर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार अब क्या कदम उठा रही है। जिससे सारी स्थिति नियन्त्रण में आ जाये। प्रेस के अनुसार जगह की सफाई करने का प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आदेश पूरी तरह से निष्फल रहा है। कुछ आंकड़े दिये गये हैं जैसे कितनी कूड़ा फेंकने वाली गाड़ियाँ काम कर रही हैं। कितने लोग कूड़ा उठाने व नालियों को सफाई के लिये लगाये गये हैं। परन्तु कुल उपलब्धि क्या है। उसका परिणाम क्या निकला है ?

श्री तम्पन थामस : कुछ नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह नहीं पता कि कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। परन्तु लोग अब भी मर रहे हैं। यह मैं जानता हूं कि लोग अब भी मर रहे हैं और अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। और इसका मतलब यह है कि न केवल दिल्ली की सार्वजनिक संस्थायें बल्कि भारत सरकार जिसके अधीन दिल्ली प्रशासन कार्य करता है, मंत्रालय तथा वो लोग जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब चिन्तित होंगे। कम से कम उन्हें इस मामले को सार्वजनिक संस्थाओं के साथ काफी पहले उठाना चाहिए था।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० एल० भगत) : यह सही है कि हम चिन्तित हैं और हमने वो सारे कदम उठाये हैं जोकि आपने बताये हैं। हमने और अधिक चिन्ता व्यक्त की है, और अधिक प्रयास किये हैं, तथा और अधिक ध्यान दिया है तथा आप लोगों से अधिक काम किया है। दुर्भाग्यवश एक साल तक हम कुछ काम नहीं कर पाये जोकि हमें करना चाहिये था, और स्थिति बिगड़ती चली गयी। मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भगत जी, विपक्ष के किसी भी सदस्य से अधिक रुचि यदि आपको है तो यह बहुत खुशी की बात होगी। मैं इस बात को स्पर्धा का विषय नहीं बनाना चाहता हूं कि किसे अधिक रुचि है तथा किसे कम रुचि है।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा यह मतलब नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यही कह रहे हैं । आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप सबसे अधिक काम कर रहे हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा कहना यह है कि कुछ हुआ है । हम उसके कारण सबसे अधिक दुःखी हैं और हमारे कड़े प्रयासों, चेतावनी, बार-बार दी गई चेतावनी, बार-बार लिखे गए पत्रों, शिष्टमंडल सब कुछ होने के बावजूद·······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात के बीच में टोकते क्यों हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा मतलब आपको टोकना नहीं था । मैं तो आपकी इजाजत से बोल रहा था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपके साथ सहानुभूति भी व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि वह आपका निर्वाचन क्षेत्र है । जो कुछ हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसके बाद आप चिंतित हैं और आपको अपनी चिंता और विनम्रता व्यक्त भी करनी चाहिए । किंतु मेरे ऊपर चिल्लाने और मुझे धमकाने से क्या लाभ होगा इससे लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा । आपको वहां कुछ करना है । आप एक मंत्री भी हैं ।

श्री एच० के० एल० भगत : अगर आपने ऐसा महसूस किया है तो इसके लिए मुझे खेद है। आप पर चिल्लाने का मेरा कतई इरादा न था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर महोदय, मैंने इस महामारी के उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों के बारे में विशिष्ट प्रश्न उठाये हैं और अब इसे प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण में लाने के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए और मैं इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं एक यह सामान्य उत्तर नहीं "हम अब यह या वह कर रहे हैं ।" हम इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर चाहते हैं । कोई घटना घटी है और चूंकि यह घटना राजधानी दिल्ली में घटी है, यह कहीं भी हो सकती है, मैं जानता हूं । यह किसी भी बड़े शहर में हो सकता है ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : ऐसा पहले हो चुका है (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीद गुप्त : जी हां, किंतु चूंकि यह दिल्ली है इसलिए इस पर अधिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान जाता है और इससे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों पर भी प्रभाव पड़ेगा— कृपया यह याद रखें । आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों के लोग इन सब बातों, विकासशील देशों में संक्रामक रोगों के प्रति बहुत संवेदन शील हैं और वे हैजा जैसी बीमारियों से भयभीत होते हैं । अत: इसके अलावा कि यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति का बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाला विज्ञापन है, यह उन सभी लोगों को भयभीत करके यहां से भगा देगा, जिन्हें आप अन्य कार्यों के लिए यहां लाने को अत्यंत उत्सुक हैं । अतः कृपया इसे गंभीरता से लें । इसे हल्के तौर पर न लें कि यह मानवीय नियंत्रण से बाहर हो । यह मानवीय चूक एवं मानवीय संवेदनहीनता के कारण है । अतः महोदय, मैं आशा करता हूं कि सदन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों एवं

अभिकरणों की जिम्मेदारी निर्धारित करने में हमारा साथ देगा और उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए, इस पूरे मामले में उपयुक्त ढंग से जांच की जानी चाहिए। यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आधा दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है अथवा उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। कुछ जांच की जानी चाहिए क्योंकि इससे दिल्ली का भविष्य उसका विकास, विस्तार एवं विभिन्न कालोनियों में पुनर्वास भी प्रभावित होता है। कलकत्ता में भी गंदी बस्तियां हैं दिल्ली की बस्तियों से भी अधिक गंदी—किंतु पिछले 10-12 या 25 वर्षों में निगम द्वारा कुछ बस्ती सुधार योजनाएं बनाई गई हैं। कृपया आप कलकत्ता आकर देखें कि किस प्रकार इन बस्तियों में शौचालयों, स्वच्छ शौचालयों और पीने के पानी, बिजली की व्यवस्था की गई है और बस्तियों के भीतर पक्की सड़कें हैं क्योंकि उन्होंने पाया कि इन बस्तियों को बिल्कुल समाप्त करके नए घर बनाना असंभव है किंतु विद्यमान बस्तियों में सुधार एवं सफाई की जानी चाहिए। काफी कुछ किया गया है। मैं यह नहीं कहता कि सभी कुछ कर लिया गया है, इतना अधिक संतुष्ट होने की कोई बात नहीं। किंतु यहां जो कुछ हमें यमुना पार के क्षेत्रों के बारे में पता लगा है उससे वे सैकड़ों गुना बेहतर हैं और यह निश्चित है कि वहां केवल 10 फुट गहरे हैंड पम्प नहीं हैं, किसी ने इस काम में से पैसा बनाया है। 40-45 फुट तक गहरा करने की योजना बनाए जाने के बाद पाया जाता है कि यह केवल 10 फुट ही गहरा है ठेकेदार और उनसे सम्बन्धित अन्य व्यक्ति होते हैं। क्या इन सब मामलों में कोई जांच नहीं की जाएगी और क्या वास्तव में जो लोग दोषी हैं, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी? उन्हें सजा दी जानी चाहिए। मेरी यही मांग है और मैं आशा करता हूं कि पूरा सदन इस शहर के गरीबों के प्रति अपने सामूहिक उत्तरदायित्व पर विचार करेगा और इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

4.33 म० प०

ज्योत्सना होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को सुमितोमो कारपोरेशन से हुई आय के समाचार पर चर्चा के बारे में

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री द्वारा आज सदन में ज्योत्सना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को सुमितोमो कारपोरेशन से प्राप्त कथित आय के संबंध में दिए गए वक्तव्य पर नियम 193 के अधीन चर्चा का दिन एवं समय निर्धारित करने के लिए आज कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक दोपहर दो बजे हुई है। इस संबंध में समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सभापति महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। समिति इस संबंध में किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है कि वाद-विदाद आज करवाया जाए अथवा कल तक के लिए स्थगित किया जाए।

हमने विपक्षी दलों के सदस्यों की राय पर विचार किया है। उन्होंने काफी जोर दिया है कि चर्चा कल हो। हम इस बात से सहमत हैं कि नियम 193 के अधीन चर्चा कल 12 बजे हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : दूसरी चर्चा का क्या होगा ? उस मामले में आप बिहार में जहानाबाद में हुई हत्याओं के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो चर्चा कल के लिए निर्धारित की गई थी क्या करेंगे ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह हम कल चार बजे करेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : हम उसे चार बजे ले सकते हैं।

चूंकि आप सभी अत्यंत इच्छुक थे हमने उस मामले पर विचार किया और हम आपकी इच्छा के अनुरूप उसे कल 12 बजे के लिए निर्धारित करने को सहमत हैं—यद्यपि हमारा विचार यह था कि आज उस पर चर्चा किया जाना उचित था।

सभापति महोदय : अब श्री वृद्धि चन्द्र जैन बोलेंगे।

4.35 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा—जारी

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आन्त्रशोथ/हैजे का प्रकोप

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उनके विचारों से सहमत होते हुए बहुत दुखी हूं। अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके मुताबिक हैजे एवं आन्त्रशोथ से 212 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और रोजाना 12 से 20 लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं और आज भी जो सूचना मिली है, अखबारों से पता लगा है, उसके अनुसार 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

प्रश्न यह है कि हैजे और आन्त्रशोथ से दिल्ली नगर में पुनर्वास बस्तियों में, पूर्वी दिल्ली में यमुना-पार बस्तियों में नन्द नगरी और सुन्दर नगरी में जो स्थिति हो रही है, लोगों की हस्पतालों में भर्ती हो रही है, वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उन गरीबों के लिए वह व्यवस्था नहीं है। सबसे आवश्यक यह है कि इन बीमारियों से प्रभावित लोगों के लिए जो हस्पतालों में भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था हो।

इन-औकुलेशन के बारे में यह सूचना प्राप्त हुई है कि 11 लाख 47 हजार व्यक्तियों को टीके लगा दिए गए हैं। टीके लगाने का कार्यक्रम बहुत ही फुर्ती के साथ होना चाहिए। इस प्रकार

की भी रिपोर्ट है, श्री टंडन ने जो इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया है कि इन-औकुलेशन का भी बहुत कम प्रभाव होता है तो वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन या दूसरी आर्गेनाजेशन्स से इस तरह के इन-औकुलेशन के टीके मंगाए जाएं जो इन बीमारियों में ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करें।

ऐसी सूचना मिली है कि 2 महीने से इस प्रकार की स्थिति चल रही है और वर्षा ने इसको और गंभीर बना दिया है। अभी जिस प्रकार से श्री इन्द्रजीत गुप्त कह रहे थे, यह जांच करने का विषय है कि जो हैंड-पम्प बने हैं वह 10, 12 फुट गहरे क्यों बने हैं। इन हैंड पम्पों को कितना गहरा बनाने की आवश्यकता थी। 10-12 फुट गहरे बनने से तो यह क्लीअर-कट स्पष्ट हो जाता है कि वहां जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, नालों का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे इनका पानी दूषित हो जाता है। इसके पीने से आन्त्रशोथ और हैजे की बीमारी हो जाती है। इसके लिए पर्मानेंट व्यवस्था आप किस प्रकार कर रहे हैं? भविष्य में लोगों को पोटेबल वाटर मिले स्वस्थ पानी मिले इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी आप प्रस्तुत करें।

जिस प्रकार से वहां पर कूड़े और करकट के ढेर इकट्ठे किये गये हैं उनको जो अब हटाया जा रहा है, मुझे यह जानकारी मिली है कि उसे फिर से दूसरी जगह नजदीक ही इकट्ठा किया जा रहा है। इस तरह से तो वह कूड़ा-करकट के ढेर फिर दूसरी जगह बीमारियां पैदा कर देंगे और उससे और भी भयंकर स्थिति पैदा होगी। मेरा कहना यह है कि कूड़े-करकट को जो हटाया जा रहा है उसे इतनी दूरी पर फेंका जाए जिससे कोई नुकसान न हो। जब हमारे प्रधान मंत्री जी 22.7.88 की शाम को वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां स्थिति काफी भयंकर देखी। स्थिति का जायजा लेने के बाद ही उन्होंने यह आदेश दिये कि 72 घंटे के अन्दर सारी सफाई और सेनेटरी वर्क हो जाने चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन सफाई कर्मचारियों ने 72 घंटे के अन्दर कूड़ा-करकट को किस प्रकार साफ किया और इसके साथ ही हैंड-पंप किस प्रकार से ठीक किये जिससे कि लोगों को साफ पानी मिल सके।

मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में एक बात यह लाना चाहता हूं कि सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति काफी खराब है और वे काफी गंदे रहते हैं। वहां लैट्रिन जाने की ठीक व्यवस्था नहीं है। कोई भी सभ्य आदमी वहां जा नहीं सकता है। अतः मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप इस ओर भी कोई कदम उठायें। इसके साथ ही बच्चों के खेल-कूद के मैदान भी काफी खराब हालत में हैं। वहां पानी इकट्ठा रहता है जिससे कि बच्चे वहां खेल नहीं पाते हैं। अतः इनकी भी सफाई करवाने की आप व्यवस्था करवायें।

हैजे और आंत्रशोथ की बीमारी केवल दिल्ली में ही नहीं अपितु पंजाब, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में भी फैल गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को किस प्रकार की मदद दे रही है? वैसे तो आपने बहुत से अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया है। लेकिन देखने में यह आया है कि जोश में आकर ऐसे समय अधिकारियों को सस्पैंड कर दिया जाता है लेकिन बाद में उन्हें ड्यूटी में बहाल कर दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस मामले

[श्री वृद्धि चन्द जैन]

की पूरी तरह जांच हो और जांच करने के बाद जो दोषी पाये जायें उन्हे नौकरी से निकाल दिया जाये। आप जो भी ऐक्शन लें वह शीघ्र से शीघ्र लें।

अभी तो सुनने में यह आ रहा है कि निगम वाले कहते हैं कि यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है और डी० डी० ए० कहता है कि यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आखिर यह किस की जिम्मेदारी है ?

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा क्या अधिकारीगण-समय-समय पर इन इलाकों का दौरा करते थे और क्या दौरा करने के बाद उन्होंने कोई निरीक्षण रिपोर्ट दी थी या नहीं ? मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी अधिकारी इन इलाकों में विजिट नहीं करता था।

देखने में यह भी आया है कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी सफाई आदि कामों में पूरा हरिजन स्टाफ नहीं लगाया जाता है। मेरे ख्याल में नौकरी पर प्रतिबन्ध लगने के कारण हरिजन स्टाफ काम पर नहीं लगाया जाता है। यही वजह है कि वहां यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपने सफाई और दूसरे ऐसे कामों के लिये जो बजट का प्रावधान किया था क्या वह पूरा उस पर खर्च किया गया या नहीं यह मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा।

जो कालोनियां डी० डी० ए० के द्वारा बनायी जाती हैं, वह योजनाबद्ध ढंग से बनती हैं या नहीं ऐसी जानकारी भी मैं मंत्री से लेना चाहूंगा। आज दिल्ली में गन्दगी के कारण ही यह बीमारी फैली है। दूसरों क्षेत्रों में भी इस प्रकार की गंदगी बहुत ही फैली हुई है। अन्य शहरों में, जैसे जयपुर शहर में क्या, दूसरे शहरों में क्या, सभी शहरों के अन्दर इस प्रकार की रोड्स और गलियां हैं जिनमें गंदगी फैली हुई होती है और नगरपालिकाऐं अपने कर्तव्यों को अदा नहीं करतीं और उनका उनकी तरफ कोई कदम नहीं होता। यह ठीक है कि दिल्ली की यह बात प्रधान मंत्री जी के नोटिस में आई और उन्होंने स्थिति को देखा तब इस मामले को कुछ बल मिला, शक्ति मिली। कहने का अर्थ यह है कि ईमानदारी के साथ काम करें, पूरी तरह से सच्चाई के साथ काम करें, अपने कर्तव्य का पालन करें, सैनीटरी स्टाफ, म्यूनिसिपैलिटीज और नगर निगम यह कार्य करते नहीं हैं और इस कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इनके विरुद्ध जब तक ठोस कदम नहीं उठाये जाते जब तक क्रिमिनल रैस्पोंसिबिलिटी तय करके उनके खिलाफ कदम नहीं उठाये जाते जब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती तो मेरा यह दृढ निश्चय है, दृढ़ मत है, यह राय है कि इस सम्बन्ध में सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जितने भी नगर निगम हैं, जितने भी कैपीटल सिटीज हैं, जितने नगर और शहर हैं उन सब में इस प्रकार की व्यवस्थाऐं रहती हैं और गदगी रहती है। गंदगी के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं इसलिए इस सम्बन्ध में सारे देश के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिन नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे व्यवस्था को ठीक नहीं करती हैं तो राज्य सरकार को पूरी तरह से ऐसी नगरपालिकाओं की मदद देकर सेनीटेशन के परपजेज के लिए प्रायोरिटी देकर इस प्रकार की गंदगी न हो और इस प्रकार की बीमारी न फैले। बरसात के दिनों में इस प्रकार की स्थिति हर साल होती है क्योंकि बरसात होती है तो गंदगी हो जाती है जिससे गंदगी और कीचड़ होकर उनसे इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं

इसलिए इसको रोकने की आवश्यकता है और हमारी सरकार का यह परम कर्तव्य है कि इस बीमारी पर रोक लगाये। अभी दिल्ली में जिस प्रकार की घटनाएँ चल रही हैं इसके लिए ऐसे कदम उठायें जिससे हैजे और आंत्रशोथ से मृत्यु न हों। इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं, मैं यह जानकारी चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से ठोस कदम उठायेगी और ठोस और सख्त कदम उठाकर यह व्यवस्था करेगी जिससे कि हैजे और आंत्रशोथ से दिल्ली में इस प्रकार की दुर्घटना न हो और भविष्य में इससे लोगों की मृत्यु न हो। सरकार इस प्रकार की परमानैन्ट व्यवस्था करेगी जिससे कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में न हों।

[हिन्दी]

डा० टी० कल्पना देवी (वारंगल) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में आन्त्रशोथ और हैजे के फैलने से हजारों बच्चों एवं वयस्कों के प्रभावित होने की मानवीय दुःखद घटना पर सम्मानित सदन में चर्चा उठाना एक अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण और दुःखद बात है। ऐसा निरंतर होता है। प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान ये बीमारियां फैलती हैं। दुर्भाग्यवश सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई निरोधक उपाय नहीं किए हैं। इससे देश के बीमारी-प्रवण क्षेत्रों की समस्या हल करने में सरकार की असफलता प्रदर्शित होती है।

यह सच है कि जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। प्रधान मंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारी और मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा करते हैं। किंतु उसके बाद सभी इसके बारे में भूल जाऐंगे और इस महामारी के मूल कारणों का पता लगाना भी भूल जाएंगे। हम इस सभा में जो भी चर्चा करते हैं उन्हें उसे याद रखना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश सदन से बाहर आते ही वे इसके बारे में भूल जाते हैं और किसी बात पर अमल नहीं करते। इसलिए, प्रतिवर्ष यह महामारी फैलती है और इस सदन में चर्चा भी की जाती है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि शहर में यह बीमारी हैजे के कारण नहीं थी; बल्कि यह गंभीर किस्म का आन्त्रशोथ है। यह हैजा है या आन्त्रशोथ हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम तो मनुष्यों की मृत्यु से चिंतित हैं जिसकी प्रतिपूर्ति धन अथवा किसी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस लापरवाही और कार्य के गिरते हुए स्तर की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।

यह सच है और मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मोतीलाल वोरा द्वारा दिए गए वक्तव्य से पूर्णतया सहमत हूं कि सरकार टीके लगाना, टीकों की आपूर्ति करना, सैंकड़ों ट्रक कूड़ा हटाना, नालियों की सफाई, कम गहरे हैंड पम्पों को गहरा करना आदि कार्यक्रमों की निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सभी सर्वोच्च अधिकारी और सरकारी तंत्र इन कार्यों को समन्वित करने में लगाए गए हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि इस महामारी के फैलने से पूर्व इन गंदी बस्तियों में यह समन्वय सहयोग और निगरानी क्यों नहीं थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग की कमी अथवा इन अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण यह महामारी फैली है।

[डा० टी० कल्पना देवी]

इसमें संदेह नहीं है कि यदि कोई महामारी फैलती है अथवा संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तो सरकार आम जनता को यह दिखाने का प्रयत्न करती है कि कितनी शीघ्र स्थिति पर ध्यान दिया गया और कैसे सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से स्थिति से निपटने के लिए अविलम्ब कार्य किया जा रहा है। किंतु, साथ ही साथ, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह जन संचार माध्यमों के जरिए लोगों में ऐसी स्थिति के प्रति जागरुकता उत्पन्न करें कि इससे कैसे निपटना है।

यह कोई खुश होने की बात नहीं है बल्कि सभी को उत्तरदायित्व का अहसास होना चाहिए और सरकार को ऐसी महामारी रोकने के लिए स्थाई उपाय करने के बारे में सोचना चाहिए। मानसून ऋतु के शुरू होने से पहले ही टीके लगाने आदि जैसे रोकथाम के उपाय किए जाने चाहिएं। तब हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मैं सुझाव देना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा कूड़े को सही ढंग से हटाने की योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुनर्वास कालोनियों तथा गंदी बस्तियों से एक वर्ष से कूड़ा नहीं उठाया गया। अब वे कूड़ा उठा रहे हैं। किंतु वे उसे दोबारा कहां फेंकते हैं? इसका हल क्या है? आप इस कूड़े का क्या करेंगे? आप इस कूड़े को जलाने के लिए कोई यंत्र क्यों नहीं लगाते और इसे हटाने के लिए कोई स्थायी हल क्यों नहीं ढूढ़ते?

उन नगर निगम के कर्मचारियों की निगरानी की जानी चाहिए जो यह देखते हैं कि आवासीय क्षेत्रों में सब जगह कूड़ा करकट न फैंका जाए। इसके लिए उस क्षेत्र के निवासियों में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगी। हमारी एक साथी, संसद सदस्या, श्रीमती झांसी लक्ष्मी ने नगर निगम को अनेक बार मीना बाग फलेटों से कूड़ा हटाने के लिए कहा। महीनों तक इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अन्ततः उन्होंने स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती सरोज खापर्डे का ध्यान भी इस ओर दिलाया। लेकिन यदि आज भी आप वे फलेट देखें तो, कूड़ा अभी तक वहां पड़ा है।

श्री डी० एन० रेड्डी (कुड़प्पा) : यह वहां का हाल है जहां हमारे संसद सदस्य रहते हैं। नार्थ एवेन्यू कर्वाटरों का भी यही हाल है। जब संसद सदस्यों के कवार्टरों का यह हाल है तो आप बाकी की दिल्ली की खराब हालत का अन्दाजा लगा सकते हैं—कैसे वे लोग सफाई कर रहे हैं। तथा वहां सफाई की स्थिति कैसी है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं भी विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ सहमत हूं लेकिन यह हमारे अधीन नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कुछ यहां उल्लेख किया है निस्संदेह मैं उसे सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचा दूंगी लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इस देश का नागरिक होने के नाते इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए हम सब समान रूप से जिम्मेवार हैं।

डा० टी० कल्पना देवी : हम आपको कूड़ा हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन विभिन्न विभागों में आपस में अधिक समन्वयन होना चाहिए ।

सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में स्वच्छ जल पहुंचाया जाना चाहिए । गहरा या कम गहरा हैंड पम्प लगाने से पहले डी० डी० ए० को तकनीकी विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए । झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में थोड़े से ही सेप्टिक शोचालय हैं आपको उन झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के हिसाब से सेप्टिक शोचालय बनाने चाहिए । इन क्षेत्रों में, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दौरा करके स्वास्थ्य तथा सफाई को बरकरार रखना चाहिए तथा कूड़ा उठाने व सफाई के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए ।

झुग्गी झोंपड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा की कमी है । उपलब्ध माध्यमों के जरिए हमें इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी चाहिए । उच्चाधिकारियों के स्थानान्तरण तथा उपराज्यपाल के इस्तीफे से महामारी को रोकने में सहायता नहीं मिलेगी । यह तभी संभव होगा जब अधिकारी वर्ग अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेगा, तथा अपने काम को अच्छी तरह से करेगा तभी देश प्रगति कर सकता है । डी० डी० ए० के अधिकारियों ने पुनर्वास कालोनियों को दिल्ली नगर निगम को सौंपने से पहले ट्यूबवैलों के पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं की थी । भविष्य में इस प्रकार की बातें दोबारा नहीं होनी चाहिए ।

ऐसा लगता है डो० डी० ए० द्वारा लगाए गए 1000 सेप्टिक टैंक भारी वर्षा के कारण बन्द हो गए । उन्होंने कुछ भी करने से पहले तकनीकी सलाह क्यों नहीं ली ? यह आन्त्रशोथ तथा हैजा फैलने के मूल कारण हैं, जिन्हें सरकार को स्थायी रूप से दूर करना चाहिए ।

अन्त में, मैं सरकार से जोर देकर कहना चाहूंगा कि इन क्षेत्रों में इस प्रकार की मानवीय दुःखदायी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी उपाय किए जाएं । वर्षा ऋतु समाप्त होने तक रेलवे स्टेशनों आदि पर बना बनाया भोजन बेचने पर रोक लगाई जानी चाहिए । मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि केवल हैजा अपितु टाईफाइड तथा संक्रामक यकृत शोथ के लिए भी पहले से ही निरोधक टीके लगाए जाएं ।

5.00 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : उपाध्यक्ष महोदय, मै सिर्फ ऊपरी तौर से नहीं कह रहा हूं । मैं पीड़ा तथा दुःख के साथ कह रहा हूं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कृपया यह समझें कि मैं आज एक मंत्री की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं । उसके लिए सम्बन्धित मंत्री बोलेंगे । मैं प्रभावित क्षेत्र की तरफ से तथा दिल्ली के संसद सदस्य की हैसियत से ज्यादा कह रहा हूं । मैं किसी बात को मनवाने अथवा न मनवाने के लिए कोई राजनैतिक भाषण नहीं दे रहा हूं । मैं अपने हृदय की बात करना चाहता हूं ।

[श्री एच० के० एल० भगत]

मैं उन सदस्यों का जो मुझसे पहले बोल चुके हैं—श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा माननीय सदस्या को, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कुछ बहुत ही सार्थक तथा विशिष्ट प्रश्न रखें। उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की तथा जो प्रश्न उन्होंने उठाए उसकी मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसे सिर्फ राजनैतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। बहुत से लोग मृत्यु का शिकार हुए। उनमें से अधिकतर लोग गरीब हैं। उन्होंने कष्ट उठाया है तथा देर से चली आ रही उपेक्षा के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं मैंने कहा था यह उपेक्षा के कारण हुआ है। मैं भी इस बात को जानता हूं। देर से चली आ रही उपेक्षा के कारण उन्हें इसका सामना करना पड़ा।

1975 से 1976 के बीच यह 44 कालोनियां बनाई गई। इन कालोनियों में 15 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं। 1975-76 से लेकर 1986 तक इन कालोनियों का रख रखाव किया गया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वह इसका एक बहुत अच्छा हल था। लेकिन वे सब लोग फुटपाथों पर तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्कों तथा अन्य अनेक स्थानों पर रह रहे थे। आपात स्थिति के दौरान उन्हें वहां स्थानान्तरित किया गया था। तथा उन्हें कुछ न्यूनतम सुविधाएं दी गई थीं। मैं अभी कुछ समय में इस मुख्य बात पर आऊंगा।

भारी संख्या में लोग मृत्यु का शिकार हुए हैं। बहुत भारी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करने, उल्लेख करने तथा जांच करने में प्रेस ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है इसके लिए भी मैं सभी सार्वजनिक संगठनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बिना किसी राजनैतिक समानता तथा भेदभाव के मैं ऐसे हर व्यक्ति की प्रशंसा करना चाहूंगा जिसने इस उत्पन्न स्थिति पर संवेदना व्यक्त की है।

अब, प्रधान मंत्री जी ने इसे महसूस किया है। मुझे आशा है हम इसकी प्रशंसा करेंगे। स्वयं भारत के प्रधान मंत्री जी को वहां देखने के लिए जाना पड़ा इससे पता चलता है कि स्थिति बहुत खराब थी। वास्तविकता यह है कि स्वयं प्रधान मंत्री जी ने वहां जाकर स्थिति का पता लगाया। उन्होंने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनका अपना था। वे अपनी पत्नी के साथ स्थिति का जायजा लेने गए। मैं उनके साथ था। मैं जानता हूं कि वे अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर नहीं गये जिन्हें वे उनको दिखाना चाहते थे। वे गलियों में गए। उन्होंने पानी की निकासी को देखा। शौचालय देखे। वे सब स्थानों पर गए तथा स्वयं सब कुछ देखा। उन्होंने बहुत से लोगों से बात चीत की। हजारों लोग वहां थे। उन्होंने स्वयं वहां बहुत से लोगों से बात की तथा स्वयं स्थिति का जायजा लिया।

उसके बाद उन्होंने एक बैठक की। वे स्थिति को संभालने के लिए उन कार्यकारी अधिकारियों को तथा सम्बन्धित लोगों को जो उस समय काम कर रहे थे, उनको एक अवसर देना चाहते थे। प्रधान मंत्री जी की पहली तथा तत्काल इच्छा यह थी कि सब ठीक हो जाए। स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। उन्होंने ऐसा किया। यही कारण है कि लोगों ने तथा प्रत्येक व्यक्ति ने प्रधान मंत्री के

दौरे की तथा उनके द्वारा तैयार की गई कार्यवाही योजना की प्रशंसा की। प्रधान मंत्री की कार्यवाही योजना में सामान्य निर्देश नहीं दिए गए थे। कार्यवाही योजना का अर्थ था कि इकट्ठे हुए कूड़ा करकट, जो कि करीब सैंकड़ों ट्रक में आएगा, को साफ किया जाएगा। कार्यवाही योजना में कहा गया कि नालियों को साफ किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि पेय जल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कार्यवाही योजना में कहा गया है कि नालियों में से गाद को बाहर निकाला जाना चाहिए। सेप्टिक टैंक साफ कराए जाने चाहिए। बहुत से विशिष्ट निर्णय लिए गए थे। अन्ततः कुछ लक्ष्य उनकी सहमति से निर्धारित किए गए थे। वे बहुत से लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ रहे थे। प्रधान मंत्री सब कुछ ठीक करना चाहते थे। यही कारण है कि वे चाहते थे कि वे लोग काम को तथा इन कार्यों को पूरा करें। वे लक्ष्य पूरे नहीं किए गए तथा प्रधान मंत्री जी ने कार्यवाही की मेरा विचार है खराब काम के लिए अब तक जो कार्यवाही की गई है उनमें ली गई यह सबसे सख्त कार्यवाहियों में से एक थी। मुझे शर्म महसूस हो रही है कि प्रधान मंत्री जी ने इतनी सख्त कार्यवाही की। इस कार्यवाही को सराहा गया है। इस सम्बन्ध में जो कुछ और अधिक करना है ताकि उनकी स्थिति स्थायी तौर पर बेहतर हो। अब एक या दो प्रश्न उठाए गए हैं। मेरा इन कालोनियों के साथ एक अरसे से सम्बन्ध रहा है। कुछ माननीय सदस्य वहां गए थे कुछ समय उन्होंने इन कालोनियां में बिताया वे उनके लिए चिन्तित हैं। उनके दलों को भी चिन्ता है। मैं जानता हूं करीब सब विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता वहां थे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं वहां कई बार गया हूं, न केवल पिछले समय में अपितु चुनावों के बाद मैं सैंकड़ों बार इन कालोनियों में गया हूं। मैं इस बीमारी से पहले भी वहां गया था। मैं अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा हूं। मैं यूगोस्लावियां में था। जैसे ही मैं वापिस आया उसी दिन मैं वहां गया था। ससम्मान, मैं श्री इंद्रजीत गुप्त को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इन कालोनियों में किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जब उन्हें वहां बसाया गया था तो हर सड़क को पक्का किया गया था। हर गली को पक्का किया गया था। शुरू में सैंकड़ों बिजली के खम्भे लगाए गए थे तथा उन्हें बिजली सप्लाई की गई थी। उन्हें अपने एक या दो कमरे वाले छोटे घर बनाने के लिए ऋण दिए गए थे। उन्हें 25 गज जमीन दी गई थी। नालियां बनाई गई थी। शुरू में, सब कालोनियों में हैंड पम्प का पानी सप्लाई किया गया था। सेप्टिक टैंकों वाले शुष्क शौचालय बनाए गए थे। उनके लिए यह सब प्रबन्ध किए गए थे।

इस बारे में एक निश्चित योजना थी और सरकार ने इन पुनर्वास बस्तियों की दशा को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। 1980 में जब हम सत्ता में वापस आए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, तो हमने कहा कि हम प्रत्येक घर को बिजली का कनेक्शन देंगे। इन सभी घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गए। अब श्री इन्द्रजीत गुप्त यह कह रहे हैं और हमने कहा और श्रीमती गांधी ने कहा और वायदा पूरा किया गया। तब हमने उन्हें नल का पानी सप्लाई करने का निर्णय लिया। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक बहुत जायज प्रश्न उठाया। बात नल का पानी सप्लाई करने के बारे में हुई थी। पानी के पाईप दिए गए। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि 44 बस्तियाँ जो अस्तित्व में आयीं; यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मंत्री महोदय मेरी बात सुधार सकते हैं, उनमें से लगभग 35 को नल द्वारा पीने का पानी सप्लाई किया गया। मुझे बड़ा अफसोस

[श्री एच० के० एल० भगत]

होता है कि इन बस्तियों में जहां हैजे का प्रकोप है, जहां लोग भरे हैं अर्थात नन्दनगरी, गोकुलपुरी और सीमापुरी, वहां पर भी पाईप का पानी उपलब्ध कराया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार की गई। कुछ लोगों ने पैसा जमा करवाया। बहुत से अभ्यावेदन दिए गए। मैंने दर्जनों अभ्यावेदन दिए हैं। मैंने स्वयं लिखा है, फोन पर बात की है दर्जनों संबंधित लोगों से मिला हूं............(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : किससे ?

श्री एच० के० एल० भगत : दिल्ली विकास प्राधिकरण से, उपराज्यपाल से और प्रत्येक संबंधित व्यक्ति से ....(व्यवधान) पानी के व्यक्तिगत कनैक्शन यह सही है कि वहाँ पाइप लाईन थी। यह सही है कि गंगा का पानी वहां उपलब्ध था। अब उन्होंने बताया है कि यह पाईप ठीक तरह से नहीं डाले गए। अब वह इनकी मरम्मत कर रहे हैं और उन्हें कनेक्शन दे रहे हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यह कनेक्शन पहले दिए जा सकते थे और यह उन्हीं का काम था जिन्होंने इसे करना था। सभी दलों, सभी निवासियों और सभी लोगों ने अपने प्रतिनिधि मण्डल भेजे और लोगों से बातचीत की तथा नल के पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई। मैं तुलना करना नहीं चाहता। आपका दल भी कार्य कर रहा है। वे आपसे सम्पर्क बनाए हुए हैं। वे मुझसे भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को नाम से जानता हूं तथा वहां काम करने वाले सभी पक्षों को जानता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक बार कलकत्ता की गन्दी बस्तियां देखी। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया था। मैं उस समय निर्माण और आवास मंत्री था। यहां भी हमने दो पक्षी नीति अपनाई है। यह बात नहीं है कि हमने मौजूदा गन्दी बस्तियों में सुधार नहीं किया है। हमने कई गन्दी बस्तियों में सुधार कार्य किए हैं। हमने वहां पानी और बिजली दी है। हमनें उन्हें सड़कें और नालियां दी हैं। हमने दिल्ली में बीसियों गन्दी वस्तियों में ऐसा किया है जैसा कि आपने कलकत्ता में किया है। अब उन लोगों के पुनर्वास के बारे में जिन्हें विभिन्न स्थानों से हटाया गया है—आपने कहा कि नई दिल्ली एक 'शो पीस' और 'शो रूम' है। दिल्ली भर से कई झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया और उन्हें दूसरे स्थानों पर बसाया गया। इन्द्रजीत गुप्त ऐसा अनुभव करते हैं जैसे हम इन लोगों को यहां लाए हैं। नहीं, हम इन लोगों को यहां नहीं लाए और मैं आपको बता दूं कि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। उन्होंने स्वयं कहा है कि यह देश भर में है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली तथा कुछ हद तक मद्रास जैसे शहरी केन्द्रों को जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं चाहे वे जहां से भी आए हों, मैं दिल्ली की स्थिति इसके चरित्र और इसकी रचना से वाकिफ हूं। आज दिल्ली लोगों की रचना के लिहाज से लघु भारत बन गया है। सभी राज्यों से काफी बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के हजारों लोग यहां हैं और यह संख्या बढ़ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर तथा समस्त भारत के लोग यहां है। आंतरिक जनसंख्या वृद्धि के अलावा प्रति वर्ष तीन से चार लाख लोग बाहर से आते हैं। दिल्ली पर काफी दबाव पड़ता है। कुछ लोग झुग्गी-झोपड़ियों के समूहों में चले जाते हैं कुछ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले पुनर्वास वस्तियों में चले जाते हैं। झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक पृथक

योजना है और उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ मामलों में उन्हें कुछ सुविधाएं दी गई हैं। यही कुछ किया जा रहा था।

दुर्भाग्य से हस्तांतरण की प्रक्रिया में दिल्ली विकास प्राधिकरण इसे आर्थिक तंगी के कारण हस्तांतरित करना चाहता था और निगम इसे आर्थिक तंगी के कारण लेने को तैयार नहीं था। उप-राज्यपाल ने निर्णय किया कि उन्हें 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुछ पैसा उन्हें दिया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण को काम करना था। काम ठप्प पड़ गया। निगम ने इसे अपने हाथ में नहीं लिया। काम जिस तरह से आगे बढ़ा। कुछ सुस्ती थी कुछ उदासीनता पूर्ण रवैया रहा और उसी का परिणाम हम आज भुगत रहे हैं।

मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता। स्थिति को सुधारने के लिए हम सभी को काम करना है। लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं। इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा कि वह संतुष्ट नहीं हैं। प्रधान मंत्री संतुष्ट नहीं हैं। मैं इन बस्तियों का नियमित रूप से दौरा कर रहा हूं, अब से नहीं बल्कि जब से मैं चुना गया हूं। मैं सैकड़ों बार वहां गया हूं। मैं अधिकांश परिवारों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। दुर्भाग्य से यह सब कुछ हुआ। मैं एक बहुत दुखी और व्यथित व्यक्ति हूं। स्थिति को सुधारने के लिए हमें आपस में सहयोग करना चाहिए। कई काम करने हैं। उदाहरण के लिए सैप्टिक टैंक, मेरी बहन, महिला सदस्य ने ठीक कहा। कई बार हमने उनसे सेप्टिक टैंक साफ करने को कहा है। जब वे टैंक साफ करते हैं तो ठेकेदार उसे नाली के किनारे डाल देता है। यह फिर से दूषित हो जाएगा। हमने उनसे कुछ मशीनें प्राप्त करने के लिए कहा जिससे वह इसे बन्द ट्रक में डाल सकें। स्थिति की मांग यही है कि सभी लोग सूझ-बूझ सहयोग और मेहनत से काम करें। कई स्वयं सेवी संस्थाएं भी काम में लगी हुई हैं। केवल राजनैतिक दल ही नहीं गैर-राजनैतिक दल और संगठन भी इस काम में लगे हैं। यह हम सभी के लिए चुनौती है और हम सबने मिलकर इसका सामना करना है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस काम में हम सब एक हैं। हम इसे दलगत राजनीति का मामला बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम जिम्मेदारी लेने, काम करने और लोगों की सहायता करने से बिल्कुल नही भागेंगे। मैं भी आप सबकी तरह से दुखी हूं। हम जानते हैं कि वे सब गरीब लोग हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मानते हैं कि मुख्य दोषी दिल्ली विकास प्राधिकरण था, दिल्ली नगर निगम नहीं जिसे पहली जून से उत्तरदायित्व अन्तरित किया गया और वह कहते हैं कि उनके पास धन या उपस्कर या श्रमिक नहीं हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक मेरा सम्बन्ध है, और जैसा कि आपने कहा कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना सम्बन्धित मंत्रालय का काम है। मेरा यह निश्चित मत है कि जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। किन्तु वास्तविकता यह है कि मई-जून से पहले यह कालोनियां डी० डी० ए के अधीन थीं और मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं यह कूड़ा 2-3 महीने में इकट्ठा हो गया है। यह काफी लम्बे समय से जमा है। सैकड़ों ट्रक एक या दो महीने में नहीं आ जाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब आप सैकड़ों बार वहां गए तो क्या आपने उसे नहीं देखा ?

श्री एच० एल० के० भगत : मैं वहां सैंकड़ों बार गया हूं और सैंकड़ों बार उनका ध्यान इस ओर दिलाया है............(व्यवधान)

उन्होंने कुछ कार्यवाही की। किन्तु पूरा काम नहीं हुआ। वे आशा कर रहे थे कि यह काम उनसे ले लिया जाएगा। जब निगम ने इसे लिया, तो पैसे का कोई सवाल ही नहीं था। और उन्होंने कहा............(व्यवधान)

मैं इस बारे में औपचारिक रूप से कोई फैसला नहीं कर सकता। उत्तरदायित्व निर्धारित करना अधिकारिक और औपचारिक एजेन्सी का काम है। कुछ कार्यवाही की गई है तथा कुछ और कार्यवाही आवश्यक है। मैंने सोचा मैं इस बारे में कुछ स्पष्टीकरण दे दूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर): महोदय सरकारी तौर पर दिल्ली में हैजा महामारी जुलाई के महीने में फैली। यह जुलाई के महीने से पहले नहीं फैली क्योंकि प्रधान मंत्री द्वारा कुछ पुनर्वास कालोनियों का दौरा करने से पहले अधिकारियों को हैजा या आंत्रशोथ का ज्ञान नही हुआ। प्रधान मंत्री के दौरे के बाद ही जो लोग दिल्ली में हैजे की बीमारी के अस्तित्व से इन्कार कर रहे थे, उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। किन्तु उससे पहले भी हैंजे और आंत्रशोथ के कई मामले जानकारी में आए किन्तु अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देने से इंकार कर दिया। मैं सरकारी स्रोतों पर निर्भर नहीं कर सकता। अखबारों ने कहा है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में भी जय प्रकाश नारायण अस्पताल में हैंजे के मरीज दाखिल किए गए। इन तीन महीनों में 60 मरीज दाखिल किए गए। बाल चिकित्सा विभाग के प्रभारी चिकित्सक ने अधीक्षक को लिखा कि हैंजे के कुछ मामले पाए गए हैं। तब से तीन मास बीत गए किन्तु इसकी पुष्टि के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई ताकि तदनुसार सम्बद्ध अधिकारियों को चेतावनी दी जा सके जिसे वह पानी की सप्लाई की स्थिति में सुधार को और हैजे के टीके लगाने जैसे अन्य कदम उठाएं। सम्बद्ध अधिकारियों के दफ्तरशाही रवैये के कारण हमने यह तीन मूल्यवान मास खो दिए। इस तथ्य के बावजूद कि श्री भगत वहां गए उन्होंने यह जानकारी नहीं दी। दिनांक 27 जुलाई, 1988 के टाइम्स ऑफ इंडिया में आंत्र शोथ के मामलों की एक तालिका दी गई है जिसमें अप्रैल, मई और जून के महीनों का तुलनात्मक विवरण है।

वर्ष	मास	मामलों की संख्या
1987	अप्रैल	2378
1988	,,	4785
1987	मई	230
1988	,,	3954
1987	जून	1658
1988	,,	4609

जुलाई के महीने के पूरे आंकड़े, नहीं दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो दिल्ली की स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रख रहा है, बड़ी आसानी से यह समझ सकता है कि यह बड़े भारी पैमाने पर

आया है। पिछले वर्ष के आकड़ों से इसकी पुष्टि हो सकती है। दूसरे शब्दों में पीने के पानी की सप्लाई, कूड़ा हटाने, सेप्टिक टैंकों की सप्लाई, टीका लगाने जैसे अल्पावधिक एहतियाती उपाय अप्रैल के महीनें से ही ईमानदारी पूर्वक आरम्भ किए जा सकते थे। हैज़ा और आंत्रशोथ का ईलाज अलग नहीं है और निवारक उपाय भी एक जैसे ही हैं। हमें तो पेय जल चाहिए।

मैं ऐसी कुछ कालोनियों के दौरे पर गया। अब वहां की स्थिति सचमुच भयंकर है। दिल्ली में रहते हुए जैसे मैं संसद सदस्य क्वार्टरों में रहता हूं, मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सका कि ऐसी हालत मेरे निवास से केवल 10 किलो मीटर के अन्दर हो सकती है। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सफाई की ऐसी भयंकर स्थिति नई दिल्ली की अलीशान कॉलोनियों की भी हो सकती है जहां हम रहते हैं। हम मानते हैं कि कलकत्ता में कुछ गंदी बस्तियां हैं। किंतु जितनी बुरी हालत यहां की है वैसी कहीं पर भी नहीं है। हमें कहा गया है कि ऐसा बहुत साल की लापरवाही के कारण है। श्री भगत ठीक कहते हैं। वह इन कॉलोनियों में सैकड़ों बार गए हैं और वह मुझ से अधिक जानते हैं। क्या कहूं, गत चार से पांच वर्षों से कूड़े हटाने का काम रुका हुआ है। इस सफाई कार्य से सम्बद्ध लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। जब इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने दि० वि० प्रा० तथा अन्य कालोनियों के सामने प्रदर्शन किए तो अधिकारी यह देखते कि किन इलाकों से अन्दोलन करने वाले आये थे जहां सफाई नहीं होती थी। यदि सफाई समिति सफाई का काम हाथ में लेती भी तो उन्हें दूसरे ब्लॉकों में भेजा जाता था और उन्हें विशेष रूप से कहा जाता था कि उन ब्लॉकों की सफाई न करें जहां से ये आन्दोलनकारी आये हैं। मैं समझता हूं कि श्री भगत के विरोध से केवल यह होता है कि जिन कालोनियों का नाम लिया जाता है उनकी न सफाई होती है और न उनकी ओर ध्यान दिया जाता है। यह उसीका प्रभाव हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक सार्वजनिक व्यक्ति के रूप में उन्होंने इस बात को महसूस नहीं किया क्योंकि उनको अधिकांश मत वहीं से प्राप्त होते हैं और लोगों को प्रसन्न करना होता है। उन्होंने ईमानदारी से प्रयास किया होगा किंतु असफल हो गए। किंतु मेरे लिए यह रहस्य की बात है कि वह अपने प्रयासों में असफल होकर प्रधान मंत्री के पास क्यों नहीं गए। किंतु यदि ऐसे चमत्कार अब प्रधान मंत्री के एक दौरे से होते हैं। और यदि उन्होंने प्रधान मंत्री को दो या तीन वर्ष पूर्व स्थिति की जानकारी दी होती तो लोगों को आज की भांति दुःख न उठाना पड़ता और उनकी मृत्यु भी नहीं होती।

महोदय, मैंने देखा है कि स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति जैसे कम अवधि के उपाय पर्याप्त रूप से नहीं किए गए हैं। हमें कहा गया है·······

श्री एच० के० एल० भगत : क्या आप कृपा करके एक मिनट के लिए चुप रहेंगे। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। ये कालोनियां 1975-76 में बनीं। मुझे याद है कि 1986 तक पहले यह अच्छी तरह साफ रखी गई और बाद में काम चलाऊ ढंग से साफ रखी गई। स्थिति का बिगाड़ना तो 1987 में आरंभ हुआ और 1988 में यह स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गयी। और भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन कालोनियों में बार-बार जाते रहे हैं। जब भी मैंने यह पूर्वानुमान लगाया कि स्थिति वास्तव में इतनी बिगड़ जाएगी, तो मैं यह बात सम्बद्ध व्यक्तियों के ध्यान में लाता था। जब यह बात प्रधान मंत्री के ध्यान में लाई गई कि स्थिति खराब है, तो वह वहां गए। यह केवल मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। इस पर किसी तर्क-वितर्क की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमल दत्ता : मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ है कि स्थिति एक वर्ष पूर्व बिगड़नी आरम्भ हुई। जब हम लोगों से पूछते हैं – एक से नहीं दर्जनों से—तो उन सभी ने कहा कि स्थिति पांच या छः वर्ष पूर्व बिगड़नी आरम्भ हुई थी।

हां, कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। पहले मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा। हमने देखा है कि वहां पेयजल भी नहीं है। जनता से विशेष रूप से कहा गया है कि हैंडपम्पों का पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह दूषित और अपवित्र है। पाइपों के द्वारा भी पानी की सप्लाई हो रही है यद्यपि मकानों को नहीं किंतु सड़कों में। हमें बताया गया कि इन पाइपों द्वारा सप्लाई किए गए पानी में कुछ कीड़े पाए गए हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि इन पाइपों द्वारा आने वाले पानी में कीड़े कहां से आ गए। सम्भवतः श्री भगत अथवा स्वास्थ्य मंत्री ही इस बात को भी बाद में स्पष्ट कर सकते हैं।

महोदय, फिर जनता से भी कहा गया है कि उन्हें टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई किया जाएगा। कितने टैंकरों के द्वारा? अब स्वास्थ्य मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने किए जा रहे अनेक उपायों का उल्लेख किया है। वह कह रहे हैं कि पानी टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। क्या वह जानते हैं कि एक ब्लाक को केवल एक टैंकर दिया जाता है? एक टैंकर में एक हजार लीटर पानी होता है। एक ब्लॉक में 5 हजार लोग रहते हैं। अतः ये लोग एक टैंकर पानी पर कैसे जीवित रह सकते हैं? स्वाभाविक है कि वे लोग इन हैंडपम्पों से ही पानी लेंगे जो उन्हें मालूम है कि दूषित है। उन्हें उन पाइपों से पानी लेना है जिनमें कीड़े हैं। वह भी दूषित है। मैं मानता हूं कि पाइपों में से पानी रिस रहा है। अतः उन्हें जैसे-तैसे वही पानी लेना पड़ता है जो कि वे जानते हैं कि गंदा है। यह आश्चर्य की बात है कि अधिक लोग इससे प्रभावित नहीं हुए क्योंकि हम भारतीय लोगों को रोगों से मुकाबला करने की निहित शक्ति है·········

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्मुक्ति।

श्री अमल दत्ता : हां, उन्मुक्ति।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए उन्हें आंत्रशोथ नहीं हुआ।

श्री अमल दत्ता : मैं अत्यन्त नम्रता पूर्वक माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं जिन्होंने हमें एक विवरण दिया है—ठीक है एक विवरण आया है, किंतु इस विवरण में मात्रा का जिक्र नहीं है। इसमें कम से कम इतना बताया जाता कि इतने टैंकर दिए गए हैं और एक टैंकर इतने लोगों के लिए है, जब हमने यह समझ लिया होता कि सरकार का कौन से प्रयास करने का विचार है। हो सकता है आप पांच हजार लिटर के लिए पैसे देते किंतु हमें नहीं मालूम, किंतु केवल इन 50 कालोनियों में पहुंचते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि सरकार कूड़ा हटाने के लिए सैकड़ों ट्रकों के लिए पैसे देती हैं किंतु इनमें से अधिकांश पुनर्वास कालोनियों में नहीं पहुंच पाते हैं। वे केवल बिल दे देते हैं और पैसा ले लेते हैं। इस प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति उन लोगों के लिए अच्छी है जो संकट की स्थिति से लाभ उठाना चाहते हैं। अतः लोग कूड़ा हटाने के लिए दिल्ली प्रशासन अथवा किसी भी प्रशासन से टैंकर भाड़े पर लेने के संबंध में कहते हैं किंतु वास्तव में वे ऐसा नहीं करते हैं। क्या होता है कि कूड़े को

ट्रकों में हटाने की बजाय कुछ ट्रक अधिक समय तक कूड़ा हटाते हैं और सड़कों पर फैला कर रखते हैं। जब जनता विरोध करती है तो वे कहते हैं, "हम कुछ रसायन अथवा कोई रोगाणुरोधक इन पर डालकर कुछ कीचड़ इस पर डाल देंगे और आप सुरक्षित रहेंगे" इस प्रकार का काम वे कर रहे हैं। जब वे बन्द नालियों को साफ करते हैं, तो वे क्या करते हैं ? वे ठोस चीज को बाहर नहीं निकालते हैं। वे इन्हें उठाकर नहीं ले जाते हैं। वे इनको बाहर निकाल कर सड़कों पर इनके ढेर लगा देते हैं और सड़कों पर चलना मुश्किल होता है। अतः यह और अधिक बीमारी फैलने का कारण बन जाता है। मैंने यह देखा है।

व्यक्तिगत शौचालय नहीं हैं। इन मकानों में लोगों को 23 वर्ग गज भूमि दी गयी है, अर्थात लगभग 200 वर्ग फीट। अतः 200 वर्ग फीट एक साधारण कमरे का आकार है। इतनी जगह उन्हें एक मकान बनाने के लिए दी गई है। व्यक्तिगत रूप से तो वे कोई शौचालय आदि नहीं बना सकते हैं। अतः उन्हें कोई व्यक्तिगत कनेक्शन नहीं दिए गए हैं।

सामुदायिक शौचघर भी हैं। किंतु होता क्या है। श्री भगत ने कहा कि एक वर्ष पूर्व. सब कुछ ठीक था। किंतु उन्होंने हमें कहा कि किसी भी समय इन शौचालयों के सेप्टिक टैंक साफ करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। एक कतार में सात या आठ संडास हो सकते हैं जिनमें एक ब्लॉक में रहने वाले पांच सौ लोग जाते होंगे। अतः उन्हें सबेरे मल त्याग हेतु जाने के लिए लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, किंतु कई महीने वे इन संडासों में जाने से रह जाते हैं। वे बाहर खुले में मल त्याग के लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त संडास भी रहते हैं क्योंकि इनको साफ नहीं किया जाता है। चूंकि संडासों की सफाई नहीं हुई है, तो मल बिखर कर सड़कों पर फैल जाता है।

श्री एच० के० एल० भगत : आप अभी मेरे साथ आइए। मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और आप स्वयं देखेंगे कि वे क्या कर रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम में से कुछ वहां गए हैं।

श्री अमल दत्ता : श्री भगत, जब आपने यह देखा है तो आपको यह बात सदन के ध्यान में लानी चाहिए थी। यदि आप असफल रहते तो आपको यह हमारे ध्यान में भी लानी थी। हो सकता है कि हम आप की सहायता कर सकते थे।

इन शौचालयों की गंदगी केवल गलियों तक ही नहीं बल्कि पार्कों तक भी पहुंच गयी है। सड़कों तथा पार्कों की दृष्टि से ये वास्तव में सुनियोजित कालानियां हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक पार्क है। ये पार्क बच्चों के खेलने के लिए हैं। अब ये पार्क मलकुंड बन गये हैं। इसलिए वहां की प्रत्येक चीज दूषित हो गयी है तथा वहां पेय जल बिल्कुल भी नहीं है।

समस्या का सिर्फ यही समाधान है कि उन्हें पेयजल की सप्लाई की जाए। यह भी नहीं किया जा रहा है। कूड़ा-करकट की सफाई का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। अधिकांशतः उनकी सफाई नहीं की जा रही है बल्कि उन्हें उसी स्थान पर फैलाया जा रहा है। बस्तियों की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारा कुछ अनुभव है। कलकत्ता में जब कभी बाढ़ आती है तो ब्लीचिंग पाउडर

[श्री अमल दत्ता]

बिखेर देते हैं इससे किसी भी संक्रामक रोग को रोकने में मदद मिलती है क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर पदार्थ को क्लोरीन युक्त कर देता है। लेकिन वहाँ एक चम्मच भी ब्लीचिंग पाउड़र प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बारे में किसीने कभी नहीं सोचा है तथा इसे मंत्री महोदय के उन कार्यों की सूची में भी कोई स्थान नहीं मिला है जो किये जा रहे हैं।

वह जीवन रक्षक घोल के पैकिटों के बारे में कह रहे हैं। वहां उनमें से बहुत कम संख्या में उपलब्ध थे हमारे वहां जाने से पहले सम्भवतः एक जगह एक डाक्टर बैठा हुआ था। वहां जीवन रक्षक घोल के सिर्फ 15 पैकिट उपलब्ध थे जो कि जरूरत के दसवें भाग के बराबर भी नहीं थे। कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गयी है। मुझे यही आपत्ति है। मंत्री महोदय ने उन कार्यों की सूची दी है। जो किये जा रहे हैं। परन्तु इसके बारे में कुछ नहीं बताया है कि किस हद तक किया जा रहा है तथा कूड़ा-करकट किस हद तक साफ किया जा रहा है।

समाचार पत्रों में बढ़ा-चढ़ा कर बयान दिये जा रहे हैं। उनका कहना कि 400 कि० मी० लम्बी नालियों में से बहुत सी नालियों की सफाई की जा चुकी है तथा अनेक बाकी हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यदि आप वहां जायेंगे तो आपको यह मालूम पड़ जायेगा। मुझे यह नहीं मालूम कि वे कितनी बार गये हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि वे अस्पतालों में गये हैं। मुझे यह नहीं पता कि मंत्री महोदय इन पुनर्वास कालोनियों तथा अन्य स्थानों पर कितनी बार गये हैं। मुझे लगता है कि वे अभी भी भरी हुई हैं— नालियां अभी भी भरी हुई हैं। कुछ साफ हो गयी हैं तथा उनकी गंदगी को सड़कों पर एकत्रित कर दिया गया है। इससे अधिक कुछ नहीं है।

सरकार ने इस अल्प कालीन उपायों को नहीं अपनाया है जो कि अपनाये जाने चाहिए। यह एक आपराधिक उपेक्षा है कि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया जो तीन महीने पहले से हो रही थीं। प्रधानमंत्री के दिखावटी दौरे के बाद भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया···(**व्यवधान**)···· बहुत अधिक दिखावटी क्योंकि बहुत सी बातें निर्देश देने के बारे में समाचार पत्रों में कहा जा रहा है··· ····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, झगड़ा मत करो। दत्ताजी, कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री अमल दत्ता : मैं समाप्त कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, व्यवस्था बनाए रखिये।

श्री अमल दत्ता : मैं मंत्री महोदय को यह सुझाव देते हुए अपनी बात समाप्त कर सकता हूं कि वह वहां प्रतिदिन जाएं और यह देखें कि बचाव और राहत के लिए क्या कार्य किये जा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री के बारे में मेरा यह सुझाव है। इन कॉलोनियों के प्रभारी शहरी विकास मंत्री यहां नहीं हैं··· ·· ····

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दलबीर सिंह यहां हैं।

श्री अमल दत्ता : वह यहां हैं—मुझे खेद है। परन्तु वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे विचार से शहरी विकास मंत्री पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है। हम 7 मिलियन लोगों पर लगभग 1000 करोड़

रुपये खर्च कर रहे हैं तथा प्रति व्यक्ति व्यय 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक है। उन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों पर कितना खर्च किया जा रहा है जिनमें दिल्ली के लोग हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वास्तव में कितना खर्च किया गया है ?

श्री अमल दत्ता : वे कभी पता नहीं लगा सकते। लेकिन लिखित में भी कितना खर्च किया जा रहा है ? लगभग 25 लाख लोग हैं जो दिल्ली की एक तिहाई जनसंख्या के बराबर हैं। इसलिए उन पर 300 करोड़ रुपये खर्च किये जाने चाहिए। श्री भगत ने हमें अभी बताया कि 30 करोड़ उस कार्य के लिये दिये गये हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा वह धनराशि भी नहीं दी गयी है। 300 करोड़ के बजाय आपने 30 करोड़ रुपये दिये हैं और वह भी अभी नहीं दिये हैं। यह स्थिति है (व्यवधान) मैं इसे दलगत राजनीति का विषय नहीं बनाऊँगा। मैं आपको सम्पूर्ण स्थिति का अर्थशास्त्र बता रहा हूं। आपने इसका अर्थशास्त्र कैसे तैयार किया ? आप दिल्ली के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करते हैं उनमें से केवल 30 करोड़ रुपये इन लोगों के लिए खर्च करते हैं। आपको इन कालोनियों के विकास की नीति के बारे में विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत गम्भीर विषय पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं। हमें जैसे ही इस बीमारी का पता चला और यमुना-पार की कालोनियों में इस बीमारी की वजह से जितनी भी मौतें हुई, उससे हमें बहुत दुःख हुआ। दुःख इस कारण से भी हुआ क्योंकि इस बीमारी के शिकार गरीब लोग ही हुए।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां कूड़े के ढेर लगे हों, जहां गंदगी हो, जहां नाले भरे हों और जहां पीने के लिये गंदा पानी मिले वहां पर यह हैजे और आंत्रशोथ की बीमारी पैदा होती है। यह बीमारी दिल्ली की नन्दनगरी, कल्याणपुरी, गोविन्दपुरी और दूसरे कई इलाकों में अधिक मात्रा में फैली। हमें जैसे ही इस बीमारी के फैलने का पता लगा तो हमें बहुत चिंता हुई और हम अपने इलाके में मजबूत हुए। आप तो जानते ही हैं कि यह बीमारी फैलने वाली बीमारी होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम इसकी बड़ी गम्भीरता से रोकथाम करें।

आप तो जानते ही हैं कि आंत्रशोथ की बीमारी खराब पानी से होती है। अगर सब को पीने के पानी के साफ पानी मिले तो यह बीमारी उत्पन्न नहीं हो पाती है। अभी मुझे गुप्त जी की यह बात सुनकर हैरानी हुई कि जहां 10 फुट के अन्दर हैंडपम्प लगाया गया वहां यह बीमारी फैली। हमने तो कहीं 10 फुट के अन्दर हैंडपम्प लगा हुआ देखा नहीं है। सभी जगह 25-30 फुट गहरे हैंडपम्प लगाये गये। यह तो एक नई बात ही हमें सुनने को मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भगत जी की जिम्मेदारी है। यह बिल्कुल गलत है। हमारे भगत जी रात-दिन इस काम में लगे रहे और हर वक्त उनका ध्यान इसी तरफ लगा रहता था। मंत्री कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद भी उन्होंने इस ओर पूरा ध्यान दिया। अफसरों के साथ कई मीटिंग कीं और अनेकों पत्र भी लिखे। दिल्ली की 80 प्रतिशत जनता ने हमको वोट दिया है इस कारण हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनकी भलाई करें और हमने ऐसा किया भी।

[श्री भरत सिंह]

आप तो जानते ही हैं कि 1975-76 में यह कालोनियां बसायी गई थीं। पहले यहां झुग्गी-झोंपड़ियां थीं। बाद में हमने वहां के गरीब लोगों को 25-25 गज के प्लाट दिये, वहां सड़कें बनायीं, नालियां बनायी, सीवर भी डालें, बिजली भी दी और पीने के लिये यमुना का पानी दिया, स्कूल खोले और परिवहन सुविधा दी। यह सब सुविधायें 1980 के बाद ही उन्हें मिलीं। 1980 से पहले किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि 1980 के बाद उनको हर तरह की सहूलियत दी गई। लेकिन अब यह काम ढीला हो गया है। यह डी० डी० ए० से कारपोरेशन में गये, डी० डी० ए० में भी काम कुछ ढीला चल रहा था, कारपोरेशन में तो कोई साधन नहीं था। न ट्रक थे और न लेबर थी, न कोई और साधन था। दक्षिणपुरी, मदनगीर और तिगरी में जो सफाई कर्मचारी थे उनमें से भी आधे सफाई कर्मचारी कारपोरेशन ने ले लिये और आधे छोड़ दिये। वह शोर मचाते हमारे पास आये तो हमने कहा कि हम कोशिश करेंगे और इनके पास न तो ट्रक थे और न कोई और साधन थे जिससे सफाई करते। दो महीने तक किसी ने नाम नहीं लिया और इतनी गंदगी फैल गई कि उससे बीमारी फैल गई। हमें इससे बड़ी चिन्ता हुई और दुख हुआ कि गरीब लोगों में इस तरह से बीमारी फैल गई तो ज्यादा नुकसान हो जायेगा इसलिए मैं बीच में, हाउस में बताना चाहता हूं बीमारी की रोकथाम के लिए हमने 4 जगह कण्ट्रोल रूम खोले। आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में कण्ट्रोल रूम खोला, महेन्द्र सिंह साथी, मेयर के यहां कण्ट्रोल रूम खोला, जगप्रवेश चन्द्र जी के यहां कण्ट्रोल रूम खोला और उनमें डाक्टरों और दवाइयों के साधन किये ताकि यदि किसी को दवाई डाक्टर नहीं मिले तो कण्ट्रोल रूम को इत्तला कर के दवाई ले जाये तो हम पूरी कोशिश करते रहे। उसके बाद प्रधान मंत्री जी वहां गये यमुनापार तो वे तो वहां गये और हमारे यहां काम होना शुरू हो गया। वे हमारे यहां नहीं गये लेकिन यमुनापार जाते ही जितनी भी जे० जे० कालोनीज थीं सारी कालोनियों में काम शुरू हो गया, कूड़े के ढेर उठाओ, गंदगी साफ करो, लैट्रीन साफ करो। मैं तो प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि वहां पहुंचे और मेरे इलाके में सफाई का काम जोर शोर से चालू हो गया। उसमें भी हम चुने हुए नुमाइन्दे, चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम सारे चुने हुए नुमाइन्दे, मैम्बर कारपोरेशन, मैट्रोपोलिटन काउंसिल के मैम्बर और फिर आफिसरों की भी आंख खुली और अफसरों ने भी काम किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि सफाई करने की कोशिश की। मैं अपने इलाके में रोज घूमता हूं, जो सफाई के ढेर थे, जो कूड़ेदान थे, जो सड़कों पर कूड़ा पड़ा था वह सब उठाकर बाहर फेंक दिया गया और नालों की सफाई करने लगे। जो गंदे नाले थे, बड़े-बड़े नाले थे उनकी सफाई करने लगे। इसी तरह से हम ने भी सफाई अभियान चलाया, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, हम सब नुमाइन्दों ने, जितने ब्लाक के अध्यक्ष और इलाके के वर्कर्स थे, हम सब सफाई अभियान में लग गये और कहा कि यहां सफाई करो, यह करो, वह करो। यह ठीक था और इसके साथ ही पब्लिक ने भी काफी कोशिश की। हम यह चाहते हैं कि जिस तरह सफाई अभियान में यह काम था कि गंदे नालों की सफाई करें, नालियों की सफाई करें, लैट्रीन की सफाई करें जिससे सफाई होने के बाद बीमारी नहीं रहे वह हो गया।

इसके बाद हमने 80 कैम्प चलाये। 80 कैम्पों में हमने टीकों का बन्दोबस्त किया और लोगों को बताया कि गंदे फल न खायें, पानी उबाल कर पियें और हैंडपम्प का पानी बिल्कुल न पियें और

कूड़े को घर से बाहर रखें कूड़ेदान में रखें और सड़क पर कूड़ा न फैलायें, इस तरह की हिदायतें हम देते रहे। पानी में मिलाने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई पाउडर मिला था या मटके में एक गोली डाल देते थे तो उससे पानी साफ हो जाता था, वह पानी पियें जिससे हमारे इलाके में बीमारी न फैले लेकिन आप जानते हैं कि गंदा पानी इतना भरा था कि इधर भी मच्छर, उधर भी मच्छर और गंदा पानी। ऐसा नहीं है कि यह आज बिल्कुल साफ हो गया, मैं यह नहीं कहता कि पूरी सफाई हो गई है हमारे यहां पीरागढ़ी में दो रुपये गज में जमीन एक्वायर की गई और आज 5000 रुपये गज में बिकती है और उस गांव में आज भी गंदा पानी भरा है। मालवीय नगर, जो डी० डी० ए० ने बसाया, उसमें गंदा पानी भरा है, छः बार मैंने कहा कि इस पानी का निकास करो, सीवर डालो लेकिन अभी तक उसी तरह से पानी भरा हुआ है।

इस तरह से मैं कहूंगा कि मैं छाया नगर जे० जे० कालोनी में गया वहां 15271 टीके लगाये गये, शकूरपुर जे० जे० कालोनी में 3116 टीके लगाये गये, ज्वालापुर जे० जे० कालोनी में 3335 टीके लगाये गये, नजफगढ़ जोन में स्कूलों में बच्चों के टीके लगाये गये क्योंकि बच्चे ज्यादा कमजोर होते हैं वे हैजे की बीमारी बरदास्त नहीं कर सकते। बड़ा आदमी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन स्कूलों में टीके लगाना बहुत जरूरी था। इसलिए स्कूलों और प्राइवेट लोगों में 62 हजार टीके लगाए। मंगोलपुरी में 5,200 टीके लगाए, सुल्तानपुरी में भी 1633 टीके लगाए, हस्ताल जेजे कालोनी में 3,700, मदनगिरी में 3,000 टीके लगाए। नजफगढ़ कस्बों में भी टीके लगाने लग रहे हैं। हैदरपुर में भी 3,000 टीके लगाए। मंगलापुरी में भी टैम्पोरेरी कैम्प लग रहा है। वहां पर भी टीके लगाने का बहुत काम बाकी है जो पूरा नहीं हुआ है। यह काम तकरीन दो हफ्तों में पूरा होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब ज्यादा से ज्यादा काम शुरू हुआ है, अगर इससे पहले काम शुरू हुआ होता तो यह बीमारी न फैलती। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सन् 80 से बाद इन गरीबों के लिए हमारी सरकार ने जितने साधन जुटाए हैं, उतने साधन इससे पहले सन् 77-80 के दौरान इन कालोनियों में नहीं लगाए थे। ये साधन हमारी सरकार ने जुटाए हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों में अच्छी तरह से सुविधायें दी जायें, नालियों की सफाई की जाए, अच्छी तरह से लैट्रीन साफ हों। इनके लिए अच्छी तरह से सुपर बाजार खोल दिए हैं, ताकि उनको अच्छा सामान मिल सके। उन लोगों को अच्छी दाल, अच्छी सब्जी, अच्छा खाना, मिलना चाहिए जिससे ये बीमारी न फैले। मेरे कहने का मकसद यह है कि हमारी तरफ से डीडीए काम करे, हमारी तरफ से कारपोरेशन काम करे, हमारी तरफ से कोई भी काम करे, जिस प्रकार एन डी एम सी ने काम किया है, वैसी ही सुविधा उन गरीबों को भी मिलनी चाहिए। जो आदमी इतनी मेहनत करता है, जो हर तरह से दिन-रात काम करते हैं, उनको हर तरह से सुविधायें मिलनी चाहिए। अभी भी बहुत सी जगहों पर पानी नहीं मिलता है और इस बात को कई बार मैम्बर पार्लियामेंट ने उठाया है। इस बात को आज से दो साल पहले भी कहा था। दिल्ली में आबादी बढ़ती जा रही है और दिल्ली में हमें ज्यादा से ज्यादा पीने का पानी चाहिए। यह पानी चाहे आप हरियाणा से लाओ या भाखड़ा से हमारा कोटा पूरा करो, हमारा कोटा कहीं से भी आपको पूरा करना चाहिए और हमें दिल्ली में स्वच्छ और साफ पानी मिलना चाहिए। हमारे यहां ज्यादा आबादी बढ़ती चली गई और पुनर्वास कालोनियां बनती चली गई। पहले पानी जमुना से गांवों तक जाता था पीने के लिए और आज हमने गांवों में ट्यूबवैल लगाए हैं, जहां पानी नहीं मिलता है। हमने गांवों में ट्यूबवैल लगाए हैं। अच्छे गहरे

[श्री भरत सिंह]

ट्यूबवैल लगाए हैं। हम चाहते हैं कि इनको अच्छा पानी मिले। हमने पूरी कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा बीमारी से बचें। मेरे अन्दाज में भगत जी को ज्यादा चिन्ता है, क्योंकि यह इनका इलाका है, लेकिन चिन्ता हमें भी है। जितने सदस्य यहां पर बैठे हैं वे भी इस पर बोले हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि बीमारी की रोकथाम के लिए, गरीब लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, उतना ही भारत तरक्की करेगा और गरीब लोग तरक्की करेंगे और गरीब लोग बीमारी से बचेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि वे यमुना पार गये और दिल्ली की सारी कालोनियों में काम शुरू हो रहा है। मैं कहूंगा कि काम अभी बाकी है और यदि यह काम लगातार दो महीने करेंगे, तब जाकर यह सफाई का काम अच्छा होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस गन्दगी को घड़ों में डालकर मिट्टी से दबा देना चाहिए। जब सफाई अच्छी होगी तो पानी अच्छा मिलेगा। कुछ जगहों जैसे सुलतानपुरी, मंगोलपुरी आदि कालोनियों में लोगों के लिए न पानी है, न बिजली है और न उनको दूसरी सहूलियतें मिल रही हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि यदि इन कालोनियों में 35-40 लाख रुपए भी लगाने पड़ें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इन लोगों के लिए भी पानी और बिजली के साधन जुटाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने हाउस में उठायी हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। गरीब लोगों की कालोनियों में जहां गन्दे पानी का निकास नहीं है, उसको निकालने के लिए सारे साधन जुटाए जायेंगे। वे सारी चीजें कराएं। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, उनको भी आप ठीक कराएं। सरकार काम करेगी, तो ये सब चीजें होंगी। मैं ऐसा समझता हूं कि दो महीने तक काम होता रहेगा, तब यह काम पूरा होगा। अब वारिश के दिनों में तो सड़कें नहीं बन सकतीं लेकिन वारिश के दिनों में यह तो हो सकता है कि गन्दे नालों की सफाई हो जाए और लैट्रिन के सेप्टी टैंक्स साफ किए जाएं और गन्दे नालों से पानी का निकास किया जाए।

मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। 24 घंटे से नार्थ एवेन्यू में टेलीफोन व्यवस्था बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई है। पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है, यह इस्तीफा दे।............(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं कि श्री संतोष मोहन देव को संचार मंत्रालय में ही रखा जाए; अन्यथा टेलीफोन काम नहीं कर रहे—या फिर उन्हें गृह मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय दोनों ही दिए जाएं।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : *प्राधिकारियों की संवेदनहीनता एवं अपराधपूर्ण लापरवाही* इस राष्ट्र को एक बड़े संकट की ओर ले जा रही है। मगरमच्छ के आंसू बहाने और काम बिगड़ने के बाद पछताने से कुछ नहीं होने वाला। अब, यदि हम समस्या पर गौर करें तो प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार ने अब भी इस महामारी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना आरम्भ किया है या नहीं और क्या वे आवश्यक उपाय भी किए गए हैं जो वे कर सकते थे। मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं किया गया है।

जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सदन को बताया है और अन्य वक्ताओं ने भी उस पर प्रकाश डाला है, सरकार को इस समस्या के बारे में बहुत पहले से ही जानकारी थी। गंदी बस्तियों में रहने वालों और झुग्गी-वासियों की समस्याएं नेताओं एवं प्रशासन को मालूम थी। किंतु किसी ने इसकी रोकथाम के बारे में नहीं सोचा अब चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हैजा और आंत्रशोथ के कारण पीलिया और टाईफाईड जैसी अन्य बिमारियां भी हो रही हैं। अब जब ये सब महामारियां एक साथ हमला बोल देंगी तब कितनी जाने जाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसकी शुरूआत गन्दी बस्तियों और झुग्गियों में हुई। रिपोर्ट से मालूम होता है कि 13 जूलाई को समाचार पत्र वालों ने इसका पता लगाया और लोगों को इसके बारे में बताया। तीन बच्चे एक अस्पताल में लाए गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तब यह संदेह हुआ कि उनकी मृत्यु हैजे के कारण हुई। तब इस पर ध्यान दिया गया। यह सूचित किया गया कि हैजा और आंत्रशोथ फैल रहा है। 3000 निवासियों वाली एक कालोनी में यह शुरू हुआ। उस कालोनी का नाम सोनिया गांधी कालोनी है। वहां इसकी शुरूआत हुई। वहां से यह अगली कालोनी जिसका नाम संजय गांधी कालोनी है, पहुंचा और इन्दिरा गांधी कालोनी गया। इस प्रकार यह सब जगह फैला। हम जब इसकी गहराई में जा रहे हैं तो हमें समाचार-पत्रों की खोजपूर्ण खबरों से लोगों के लिए मुहैया सुविधाएं कराई गईं। सुविधाओं का भी पता चलता है। सोनिया गांधी कालोनी में रहने वाले 3000 लोगों के लिए 5 नल हैं और उनमें से दो खराब थे और पांच हैंडपम्प थे। पूरे क्षेत्र में बदबू फैली हुई है और नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है। 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' ने इस बारे में पता लगाकर इस आधे पृष्ठ की सामग्री छापी। तब अन्य अखबारों ने भी इस सम्बंध में छापा। श्री भगत ये तथ्य लोगों के सामने लाने के लिए अखबार वालों की प्रशंसा कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी मुख्यतः निगम प्रशासन की है। और निगम प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार यह जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार की है। दिल्ली के प्रशासन में केन्द्र सरकार भी प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। मैं तो कहूंगा कि इससे पता चलता है कि जब यह समस्या आरम्भ हो रही थी तो इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। अतः यदि दिल्ली के नागरिकों को अपनी समस्याएं स्वयं ही सुलझानी हैं तो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का यह उपयुक्त समय है। इससे सबक लिया जाना चाहिए कि यदि डी० डी० ए०, दिल्ली नगर निगम या केन्द्र सरकार इस सब की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय नहीं कर सकते तो स्वाभाविक है कि वे यही कर सकते हैं कि दिल्ली को ऐसी सरकार दें जो उन समस्याओं पर प्रत्यक्ष रूप से ध्यान दे सके जो लोगों से सम्बन्धित हैं। अतः यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो सम्भवतः इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सके जिसमें दिल्ली में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए सही ढंग से योजनाएं बनाई जा सकें। यह सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण

[श्री तम्पन थामस]

केन्द्र सरकार अन्य अभिकरण योजनाएं बना रहे हैं किंतु वे मुख्यतः समाज के उच्च वर्ग के कल्याण के लिए और उन्हें सुविधायें मुहैया कराने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, निर्धनों के लिए नहीं। ऐसी परिनीतियों में रहने वाले निर्धनों की देख-भाल करने वाला कोई नही है i

एक के बाद एक, ये महामारियां फैल रही हैं। किंतु इनके सम्बन्ध में समाचार पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अब अंततः उपराज्यपाल श्री कपूर तथा कुछ अन्य बड़े अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सही समय पर उपयुक्त कार्यवाही नहीं की गई। प्रधान मंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया किंतु क्या उससे निर्धन व्यक्तियों को कोई लाभ हुआ है? क्या इससे स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है? आज भी यह खबरें मिलती हैं कि हजारों लोग अस्पतालों में इलाज के लिए आ रहे हैं। अस्पताल में छह या सात बिस्तर होते हैं। लोगों को वहां दो या तीन घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद उन्हें कुछ दवाई देकर वापिस उनकी झुग्गियों में भेज दिया जाता है। पुनर्वास कालोनियों में लोगों के पास खाना या ऐसी कोई वस्तु नहीं है। क्या सरकार ने उन्हें मुफ्त राशन दिया है? कम से कम इन क्षेत्रों को महामारी-ग्रस्त घोषित किए जाने के बाद यह देखना सरकार का कर्त्तव्य था कि लोगों को पर्याप्त राशन मिले। सरकार को यह देखना चाहिए था कि क्या पानी, जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है और औषधियां उपलब्ध हैं या नहीं और क्या स्वयं सेवक एवं अधिकारी हैं जो सफाई और स्वच्छता प्रबन्धों की ओर ध्यान दे सकें। किसी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बीमारियां आज भी मौजूद हैं। वे किस प्रकार इस समस्या को सुलझा रहे हैं? वे किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? इस सभा में स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया गया है किंतु उससे कुछ स्पष्ट नहीं होता। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया है, उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। अब तक यही स्थिति है। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक यही स्थिति है। बात केवल इतनी है कि उपराज्यपाल ने त्यागपत्र दे दिया है और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। कुछ अधिकारियों का अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण कर दिया गया है। वहां भी यही सब होगा। यदि वे इस प्रकार काम कर रहे हैं, कल फिर यही समस्या होगी और इन गरीब व्यक्तियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। दिल्ली में आंत्रशोथ और हैजा फैल गया है। इससे कुछ बातें स्पष्ट हुई हैं। यही बीमारी मेरठ में भी फैली है। मेरठ की खबर यह है कि वहां हैजे से 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यह बीमारी दिल्ली से शुरू होकर देश के अन्य भागों में फैली है। यह पूरे देश में फैलेगी। भारत सरकार को खबरों के अनुसार हैजा नियन्त्रण में है। इसका लगभग उन्मूलन कर दिया गया है। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार टाईफाईड का उन्मूलन कर दिया गया है। मलेरिया का भी उन्मूलन कर दिया गया है। किंतु फिर भी ये सब बीमारियां मौजूद हैं। मैं तो कहूंगा कि डाक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार इससे न केवल निर्धन व्यक्ति प्रभावित होते हैं, अपितु दिल्ली में मकानों और फ्लैटों को जो पानी पाइपों के जरिए सप्लाई किया जाता है वह भी प्रदूषित होता है। उससे भी ये बीमारियां हो सकती हैं। अतः यदि यह सोनिया गांधी कालोनी से शुरू होकर संजय गांधी कालोनी और फिर इन्दिरा गांधी कालोनी में पहुंचती हैं तो फिर ये राजीव गांधी कालोनी में भी पहुंचेंगी। ये वहां भी बेरोक-टोक फैलेगी। केवल उनके दौरा करने से समस्या नहीं सुलझेगी कार्यवाही करने से समस्या सुलझेंगी। मेरी शिकायत यह है कि अब तक कार्यवाही नहीं की

गई। आप अभी तक इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। जो लोग इन्हें वहां लाए हैं वो अभी तक वहीं हैं। वे उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

6.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, वाकयी दुख की बात है कि दिल्ली, जो कि आज के भारत की राजधानी है, हमारी नाक के नीचे 200 से ज्यादा आदमियों की मौतें हो जाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि हम सदन का समय लगभग एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप सदन का समय दो घन्टे तक बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरा विचार है कि हम अधिक समय की अनुमति दे सकते हैं, ताकि हम इस कार्य को समाप्त कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, हम यह चर्चा समाप्त करने तक बैठ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : इतने लोगों की मौत होना और आज हम जितना भी उनके लिए करें, उन बस्तियों में काम करें, वह काफी नहीं है। यह बात सही है कि कालरा फैलाने के बाद, मौतों के होने के बाद हमने बहुत काम किया, कैंप लगाए, प्रधानमंत्री जी भी वहां गए, भगत जी भी गए, लेकिन क्या ये मौतें आगे रुक जाएंगी। जो हाल आज दिल्ली का है, क्या आप इसको खुली आंखों से देखना पसन्द करेंगे। जो दो सौ मौतें आज हुई हैं, ये आगे रुकने वाली नहीं हैं। आज जो हाल दिल्ली की बस्तियों का है, उनमें फिर हैजा फैलेगा, फिर वही हाल होगा और हम फिर यहां पर खड़े होकर इन बातों की चर्चा करेंगे, इस सब का कौन जिम्मेदार है। डी डी ए से वह कालोनी कारपोरेशन में चली गई चाहे कारपोरेशन से डी डी ए में आ गई, लेकिन क्या सालों से जो कूड़े करकट से सीवर भरे हुए हैं, जो सीवर पानी की लाइनों से मिले हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है।

मैंने अभी कल मंत्री जी को पुरानी दिल्ली की ढलाई की बस्तियों को दिखाया, वहां के मकानों को दिखाया, वहां पर दो-दो दिन सफाई नहीं होती, उस कूड़े-करकट की वजह से बराबर के मकानों में मौतें होती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब भगत जी के कहने के बावजूद आफिसर्स नहीं सुनते तो हमारे जैसे दिल्ली के एम पी क्या काम करा पाएंगे।

आज दिल्ली नगर निगम एक इलेक्टेड बाडी है जहां पर चुने हुए नुमाइंदे फैसला करते हैं कि क्या क्या काम करना है, उसके बावजूद डी डी ए को इतना बड़ा बजट दे दिया गया कि वह कालोनीज डेवलप करे, सफाई का काम करे। सफाई का काम कारपोरेशन भी करेगा, डी डी ए भी करेगा, सड़क बनाने का काम कारपोरेशन भी करेगा। डी डी ए भी करेगा। कई बार तो समझ में नहीं आता

[श्री जय प्रकाश अग्रवाल]

कि काम कौन करेगा, किस तरह से काम पूरे होंगे। यही वजह है कि गंदगी पड़ी रहती है चारों तरफ पार्कों का हाल देखिए, सीवर की गंदगी निकालकर पार्कों में गिरा दी जाती है, उनको नर्क बना रखा है। डी डी ए का कोई आफिसर सुनने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कोई बिल यहां नहीं आता, जिस पर खड़े होकर हम चर्चा कर सकें और बता सकें कि आपका डी डी ए इस तरह से हमें परेशान कर रहा है। आफिसर्स जो चाहते हैं फैसला कर लेते हैं, जिस तरह से चाहते हैं काम करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी एक फैसला उन्होंने लिया कि चांदनी चौक में 700 गाड़ियों के लिए अंडर-ग्राउंड पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। जो लोग बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, वे इस पार्किंग स्थल का क्या करेंगे? जहां पर 100 गाड़ियों के निकलने की जगह नहीं है, वहां पर 700 गाड़ियों को क्या हवा में खड़ा करेंगे। ये तरीके हैं इनके प्लानिंग करने के, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर हमने कोई सख्त कदम इस समय नहीं उठाया, ठीक कदम नहीं उठाया और फैसला नहीं लिया तो ये हादसे दिल्ली में होते रहेंगे। दिल्ली इतनी बड़ी है, इतनी कालोनियां हैं और 80 लाख आबादी हो गई है। जिस हिसाब से दिल्ली बढ़ी है, क्या उस हिसाब से यहां पर अस्पताल और डिसपेंसरीज खुली हैं। जिम्मेदारी किसी एक बाडी पर नहीं है, 5-5, 6-6 बाडीज बना रखी हैं और सब एक दूसरे पर लांच्छन लगा देती है कि यह सब हमारी वजह से नहीं हुआ, दूसरे की वजह से हुआ है। जब तक हम काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। बहुत सारी कालोनीज एल एण्ड डी ओ ने कारपोरेशन को दे दी हैं और कारपोरेशन कहता है कि हमें नहीं मिलीं, कमला मार्केट उनमें से एक है। ऐसी बहुत सी ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज हैं जिन्होंने बिल्डिंग्स बना ली हैं, लेकिन उनको पानी की लाइन नहीं दी गई, सड़क नहीं दी गई, डी डी ए को जो सुविधाएं वहां पर देनी चाहिए, वे नहीं दी गईं, सीवर की सफाई नहीं होती, तो ऐसे हादसे तो होंगे ही, बीमारियां तो फैलेंगी, इनको रोका नहीं जा सकता।

आज कुछ लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उस को कोर्ट में फांसी की सजा दी जाती है, यहां पर 200 लोगों का कत्ल हुआ है, किसको फांसी पर चढ़ाया गया है? सिर्फ ससपेंड करने से काम नहीं होगा। दिल्ली के उप राज्यपाल चले गए, अच्छा हुआ। उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया? दिल्ली में किसी इमारत पर जब तक उनका पत्थर नहीं लगता था तब तक उस इमारत की ओपनिंग नहीं होने देते थे। रात को कोई अच्छा-खासा अफसर सोता है और सुबह उठता है तो पता नहीं कौन सी नयी प्लानिंग लेकर शुरू हो जाता है। कारपोरेशन ऐसी बाडी है जो प्लानिंग के तौर पर काम करती है, बजाय उसको पैसा देने के आपने सारा पैसा डी० डी० ए० को दे दिया और उसने खर्च कर दिया जिसको यह नहीं मालूम कि दिल्ली में क्या चीज चाहिए। उसमें अफसरों का राज हो गया है। बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस कम्युनिटी सेंटर बनाए चले जा रहे हैं जबकि जरूरत स्कूल और डिस्पेंसरीज की है। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है। इन मौतों की जिम्मेदारी के लिए जो आपने सस्पेंड किए हैं, वह काफी नहीं है। क्रिमिनल केसेज चलाइए ताकि आइन्दा कोई भी अफसर जब रात को सोए तो उसकी नींद हराम हो और वह सोचे कि मैंने गलत

फैसला किया है, सुबह मुझे सजा या फांसी हो सकती है। तभी यहां के हालात सुधरेंगे। मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। जिस तादाद में दिल्ली बढ़ी है, उसी तादाद के हिसाब से हास्पिटल और डिस्पेंसरी भी बनाए जाने चाहिए। उसके साथ-साथ अच्छा सीवर सिस्टम हो। बहुत सारी कालोनियों में सीवर सिस्टम बिछा दिए हैं। लेकिन उसका कोई आउट-लेट नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में मजनूं का टीला में दस-दस फुट पर बरमे लगा दिए हैं जिस हिसाब से लगने चाहिए थे वह नहीं लगे। कम से कम सत्तर-अस्सी फीट पर ये लगने चाहिए थे। सीवर का पानी उन बरमों में आ जाता है। सड़कें टूटी हुई हैं। महीनों तक उनमें पानी भरा रहता है; उसमें कोई भी दवाई डालने के लिए तैयार नहीं है। जब चालान करने जाते हैं तो किसी के घर में जाकर कूलर का चालान करते हैं कि कूलर में पानी भरा हुआ है, इससे बीमारी फैलेगी। लेकिन सड़कों की तरफ कोई नहीं देखता। इसी तरह से पुरानी दिल्ली में ढलाव है जिसका मुआयना मैंने मंत्री महोदय को कराया है। मैं चाहता हूं, किसी समय वहां चलकर देखें। वहां रहने लायक जगह नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं, एक बार वहां से निकल जाइए तो आधे घंटे तक सांस नहीं ले सकते और पानी नहीं पी सकते। ऐसे हालात में लोग वहां रहते हैं अपने बच्चों के साथ और बीमारियों को झेलते हैं। दिल्ली में पहले धुएं की गाड़ियां भेजी जाती थी। वह दोबारा चालू करें और ज्यादा तादाद में चालू करें ताकि बीमारी फैलने से रुक सके। पहले स्प्रे होता था, वह भी ज्यादा तादाद में कराइए। जो हैंड पंप लगे हुए हैं उनको बंद करवार वहां से हटवाइए, वरना यह बीमारी सारी दिल्ली में फैल रही है। पुरानी दिल्ली में भी बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो हास्पिटल्स में गए हैं या प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। बहुत सारे प्राईवेट डॉक्टर्स एक-एक सुई से बीस-बीस आदमियों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। जिसका नतीजा यह होगा कि इसके बाद पीलिया फैलेगा और पीलिया की वजह से लोग मरेंगे। पटरी और सड़कों पर बैठकर ये प्राइवेट डॉक्टर एक इंजेक्शन के बीस रुपये लेते हैं और एक दिन में दो-दो हजार रुपये कमा लेते हैं। इसको रोकिए। इस पर सख्त पाबंदी लगायी जाए और उनको वार्निंग दी जाए। दिल्ली में ये जो अलग-अलग हिस्से बांट रखे हैं, इसको बन्द करना चाहिए। इसका इससे कोई भी फैसला कोई भी हल नहीं निकल पाता। मैं चाहता हूं, इन सुझावों को आप देखें और इस पर कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

चौधरी खुर्शीद अहमद (फरीदाबाद): महोदय, जैसा कि सदन के अधिकांश सदस्यों ने इस संबंध में अपनी भावनाएं एकमत होकर व्यक्त की हैं......(व्यवधान) मुझे डर है कि आप उन्हें वापिस फरीदाबाद नहीं भेज सकते।

महोदय, हम सभी ने सब की बात ध्यानपूर्वक सुनी है और उस चिंता पर गौर किया है जिसकी जांच हम यहां पोस्ट मार्टम के रूप में कर रहे हैं। यदि कुछ निवारक उपाय किए गए होते तो मेरे विचार में यह दुखद घटना न होती। किन्तु जैसा कि आम तौर पर होता है, गंदी बस्तियों में रहने वालों की कोई परवाह नहीं करता। कोई नहीं सोचता कि वे लोग कैसे रहते हैं और यदि कोई देखता भी है तो जैसा कि हमारे माननीय मंत्री श्री भगत ने बताया कि उन्होंने लगभग सौ बार दौरा किया है तो भी उन्हें नौकरशाहों ने गंभीरता से नहीं लिया और स्थिति में सुधार नहीं हुआ। यदि उनके अपने राज्य में, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में उनके दौरे को गंभीरता से नहीं लिया जाता

[चौधरी खुर्शीद अहमद]

तो ऐसे मामलों में और कौन प्रभावकारी हो सकता है ? ऐसा मालूम होता है कि कोई बात वास्तव में गलत है।

उनका कहना है कि ये सारी झुग्गी-झोंपड़ी कालोनियों की योजना त्रुटिहीन ढंग से बनाई गई थी, पेय जल और स्वच्छता के प्रबंध किए गए थे। किंतु इस समय कुछ भी नहीं है। ये कहां गायब हो गए। क्या वे केवल कागजी कार्यवाही थी और क्या उनकी केवल योजना ही बनाई गई थी और क्या इन मामलों को कार्यरूप केवल निगमों अथवा अन्य निकायों के रिकार्ड में ही दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कार्यरूप नहीं दिया गया और वे केवल कागजों पर ही रहे। कहीं कुछ गलत हुआ है। इसका पता लगाना होगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। पहले ही 214 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और अब तक कुछ और मौतें भी हुई हो सकती हैं। किसी न किसी को तो इसके लिए उत्तरदायी ठहराना ही होगा। यह गन्दी कालोनियों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों की हत्या है। अभी-अभी यह बताया गया था कि लगभग एक हजार करोड़ रुपये दिल्ली पर खर्च किए गए। इसमें से कितना गरीबों पर खर्च किया गया और उनका भाग कितना है ? क्या वे इंसान नहीं हैं ? हमने अब यह सोचा कि हमें वहां जाना चाहिए; हमें नंद नगरी जाना चाहिए। यहां तक कि 23 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स ने भगत द्वारा उद्घाटन की गई योजना का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है, "बहुत जोर-शोर के साथ केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एच० के० एल० भगत ने एक वर्ष पूर्व "पीओ और जीओ" का नारा देते हुये नंद नगरी में पाईप लाइन डालने का उद्घाटन किया था" लेकिन हुआ क्या ? लोगों ने उसका पानी पिया और उनकी मृत्यु हो गई। सभी काम गलत हुआ। प्रशासन, एजेन्सियां एवं भिन्न-भिन्न विभाग एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण निगम को दोषी ठहरा रहा है और निगम प्राधिकरण को। और इसी तरह से अधिकारी-गण भी एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं; यह पर्याप्त नहीं है। राज्य पाल को बदलने से या कुछ विभागों के उच्चतम अधिकारियों को बदलने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। हमें ध्यान-पूर्वक योजना बनानी चाहिये एवं स्थिति का गम्भीरता से जायजा लिया जाना चाहिए। जब वे रोग-ग्रस्त क्षेत्र थे तो स्वास्थ्य हेतु निवारक उपाय उठाये जाने चाहिए थे। स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन में सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को चेतावनी देनी चाहिये थी कि इस क्षेत्र में कोई रोग फैल सकता है। ऐसा नहीं किया गया। स्वास्थ्य विभाग ही असफल हो गया है निगम एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के बारे में तो क्या कहें ?

अधिकांश भीड़ वाली गंदी बस्तियां न सिर्फ दिल्ली में ही बढ़ रही हैं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही हैं। वहां भी यदि गंदी बस्तियों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया और उनका सुधार नहीं किया गया तो इस तरह की बीमारी फैलने का खतरा है। सभी तरह के शहरीकरण से, जहां कहीं भी यह हो रहा है, इस तरह की दुखद घटाएं होंगी। लोग उस जगह से दिल्ली आने को बाध्य होते हैं जहां जीविका के साधन नहीं हैं। वे शहरों में रोटी की तलाश में आते हैं। जहां कहीं भी उन्हें जगह मिलती है ये लोग बस जाते हैं और यदि उन्हें सुविधायें नहीं दी गईं तो एक दिन इस भीड़ भाड़ से ऐसी ही दुखद घटनाएं होंगी और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं अपितु अन्य स्थानों पर भी

होंगी। अतः शहरी विकास प्राधिकरण को, चाहे यह भारत सरकार का हो या राज्य या किसी अन्य एजेन्सी का, गंदी बस्तियों के बारे में विचार करना चाहिये जहां कि गरीब लोग उचित सुविधाओं के अभाव में एकत्र होकर रहते हैं। यदि हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो अंततः इस प्रकार की घटनाएं न सिर्फ दिल्ली में ही होंगी अपितु अन्य क्षेत्रों में भी होंगी अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि जहां कहीं भी गंदी बस्तियां है उनके सुधार के बारे में ध्यानपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए। यह योजना पीने का पानी प्रदान करने की भी हो सकती है जो कि उनकी पहली जरूरत है। और फिर अन्य स्वच्छता संबंधी उपाय, जहां कहीं भी मुमकिन हों किये जाने चाहियें। ये लोग छोटे क्वार्टरों में रहते हैं। वहां 'जन सुविधाएं' होती हैं। यह पूरे क्षेत्र में अत्यधिक असुविधा जनक क्षेत्र बन जाता है और यहां से इतनी गन्दी बू आती है कि लोग इन स्थानों से आ-जा भी नहीं सकते। अतः इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इन गरीब लोगों और इन कालोनियों के बारे में मैं क्या कहूं। इस सदन का सदस्य होने के नाते जब वेस्टर्न कोर्ट के विशाल भवन में मैं दाखिल हुआ, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो इन क्वार्टरों से भी मुझे बू आ रही थी। इनकी भी देख-भाल नहीं की जाती है। मैं नहीं समझता कि यहां बिछे हुये गलीचों को, उनकी खरीद के बाद, कभी साफ किया गया हो। मैंने पाया कि यहां एक और दरवाजा है जिसके द्वारा हवा आ-जा सकती है। मैंने पाया कि दरवाजे की खिड़कियों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था अतः मैं इसे नहीं खोल सका। यहां हवा आने जाने के लिए कोई रोशनदान नहीं है। अतः मानव स्थितियों की देख भाल के लिए जिम्मेदार व्यक्ति जब संसद सदस्यों का ही ध्यान नहीं रखते तो गन्दी बस्ती में रहने वालों के बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है। अतः महोदय मेरा निवेदन है कि उनके लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना जाए। दिल्ली में आज तक इन बीमारियों के कारण जितने लोग मरे हैं, उनमें से कई व्यक्ति मेरी कांसटीटूएंसी के थे जो रोजी-रोटी की तलाश में यहां आये थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके केवल दो ही बच्चे थे, उन्होंने अपना औपरेशन कराया हुआ था और इस बीमारी से उनके दोनों बच्चे मर गए। कलावती सरन अस्पताल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया, जो कौलरा से ग्रसित था। उसे वहां तीन घण्टे हो गए परन्तु उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने बड़ी मुश्किल से मुझे टेलीफोन किया। मैंने कलावती सरन अस्पताल के मैडिकल सुपरीन्टैंडैंट को फोन किया, परन्तु वे नहीं मिले। डिप्टी सुपरीन्टैंडैंट को फोन मिलाने पर, वे मिल गए। मैंने उनसे उस बच्चे का इलाज करने के लिए कहा तो पहले तो उन्होंने कहा कि हम उसका इलाज नहीं कर सकते, असमर्थ हैं। मैंने इत्तफाक से उनका नाम पूछ लिया था। जब मैंने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं मैम्बर आफ पालियामैंट बोल रहा हूं और यदि आप उस बच्चे का इलाज नहीं करेंगे तो मैं कल इस विषय को पालियामैंट में उठाऊंगा तो वे डर गए और कहने लगे, मैं उसका इलाज कर देता हूं। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को बैड भी दिया और इलाज के उपरान्त वह ठीक भी हो गया। इस उदाहरण से आपको सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाएगी।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

अभी हमारे एक मंत्री जी कहते थे, जो अब नहीं हैं, कि मैं वर्क्स एण्ड हाउसिंग का मंत्री था परन्तु डी० डी० ए० में कोई मेरी बात नहीं सुनता था। मुझे अब भी शक है कि वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्टर की बात डी. डी. ए. वाले सुनते हैं या नहीं परन्तु एम० सी० डी० की बात मैं जानता हूं क्योंकि मैं पिछले 20 वर्षों से दिल्ली में रहता आया हूं और यहां की एक-एक जगह से वाकिफ हूं। साउथ दिल्ली तो मेरा सारा देखा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साउथ दिल्ली की कालोनियों में आज जितना कूड़ा पड़ा हुआ है, आप मेरे साथ चलिए, एम० सी० डी० वाले उसे उठाने तक को तैयार नहीं हैं। दूसरी ओर एम० सी० डी० वाले टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं जब कि सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस ओर कौन देखे। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों का दौरा किया और उसके बाद वहां सफाई का कार्यक्रम आरंभ हो गया। उन्होंने दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर डी० डी० ए०, एम० सी० डी० और दिल्ली प्रशासन के बड़े अधिकारियों को हटाकर बहुत अच्छा काम किया। यदि प्रधानमंत्री जी वहां न जाते तो आज हैजे और आन्त्रशोथ से मरने वालों की संख्या 200 के स्थान पर 500 होती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कदम उठाया है। परन्तु मेरी मांग है कि जो लोग मरे हैं उन्हें उचित कम्पैन्सेशन मिलना चाहिए क्योंकि वे अपनी गलती के कारण नहीं मरे। जब रेलवे में कोई एक्सीडेंट होता है तो मरने वालों को कम्पैन्सेशन मिलता है। वैसे ही इन बीमारियों से जो लोग मरे हैं, वे हमारी गलती से मरे इसलिए उन्हें भी कम्पैन्सेशन मिलना चाहिए, चाहे वह कैसे भी दिया जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि इस मामले को हमें पार्टी पौलिटिक्स से ऊपर उठकर देखना चाहिए क्योंकि यह किसी पार्टी विशेष का विषय नहीं है। आप इसकी ज्यूडीशियल इंक्वायरी कराइये और जो भी व्यक्ति दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। यदि मेरी गलती हो तो मुझे भी कड़ी सजा दीजिए।

मैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट दस दिन तक कॉलिरा का वैक्सीनेशन खोजता रहा, सारे अस्पतालों में एक ही जवाब मिला कि वैक्सीनेशन नहीं है। मैं पालियामेंट अनैक्सी में गया वहां नहीं मिला, सफदर जंग अस्पताल में खोजा वहां नहीं मिला, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोजा, वहां नहीं मिला। दो-दो बार मैं गया, लेकिन नहीं मिला। मुझे कहा गया कि आप कल आइए, तब आपको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तब जा कर एन० डी० एम० सी० की डिस्पेंसरी में बड़ी मुश्किल से वैक्सीनेशन मिला। जब मेरे जैसे आदमी की मैम्बर आफ पालियामेंट की यह स्थिति हो सकती है, तो औरों के साथ क्या और कैसी स्थिति होती होगी, यह आप स्वयं सोचिए।

मान्यवर, यह बहुत सीरियस बात है। अग्रवाल जी ने ठीक कहा कि आज दो सौ लोग मरे हैं, कई सौ लोग अगले साल मरेंगे। नन्द नगरी में रहने वाले ज्यादातर लोग मेरी कांस्टीटूयएंसी से रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए हैं। नन्द नगरी में ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वे वहां रोटी की खोज में आए हैं। आपने बड़ी मेहरबानी की जो 25-25 गज के प्लॉट उनको दे दिए। मैं फरवरी महीने में नन्द नगरी में गया था। वहां जा कर मेरे मुंह से अचानक निकला कि यह "नन्द नगरी" नहीं बल्कि "गन्द नगरी" है। आप नाक से रूमाल हटा नहीं सकते, इतनी ज्यादा गंदगी वहां थी। कहीं कोई तो जिम्मेदार होगा। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को उपदेश देते

देते हैं कि हैंग कर दिया जाए। क्या यहां उन लोगों को हैंग नहीं कर दिया जाना चाहिए जिन्होंने. 200 आदमियों को मार दिया? क्या हम लोगों के दिल में इंसानियत नहीं है? आप इस पर ठंडे दिल–दिमाग से सोचिए।

अभी गुप्ता जी, मंत्री जी से मजाक-मजाक में पूछ रहे थे कि क्या आपको गेस्ट्रोइंट्राटिस है। यह तो वही बात हुई मुगल काल में, कोई किसी को कर्स करता था, तो कहता था, कि तुम्हें हैजा हो जाए। आज भी लोग गांव में कहते हैं कि तुम्हें हैजा हो जाए। मंत्री जी को गैस्ट्रोइंट्राटिस नहीं हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं इसकी क्या तकलीफ होती है।

लंदन की ट्रोपीकल मैडिकल इंस्टीट्यूट ने 4 चम्मच चीनी के और दो नमक के मिलाकर पेशेंट को दे दिया जाए, यह फार्मूला तैयार किया था। इससे बहुत कुछ डिहाईड्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं उनको इस खोज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी फार्मूले के आधार पर पिछली साल बंगला देश में बहुत भयानक कॉलरा हुआ, उस पर नियंत्रण पाया जा सका था। आप तो टैलीविजन पर प्रसारित करते हैं कि चार चुटकी चीनी और दो चुटकी नमक के मिलाकर दे दीजिए और चुटकी में कॉलिरा दूर हो जाएगा। ऐसे प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। मेरा आपसे कहना है कि इस तरफ आप जरा गंभीरता से ध्यान दीजिए।

मैं तो दिल्ली के सारे अखबारों को और अखबार वाले भाइयों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने परदा हटा दिया, हमारे चेहरे की नकाब को खोल दिया। हिप्पेक्रेसी की भी एक सीमा होती है। आप टी० वी० पर रोज प्रचार करते हैं कि हाइजीनिक कंडीशन्स लाइए। आप जो प्रचार करते हैं, उसको अमल में लाने की भी सोचते हैं? मैं तो सरकार से कहता हूं कि बातें छोड़िए, आप तो पिछले सिर्फ एक महीने में अखबारों में जो निकला है उसको दो रिसर्च असिस्टेंट बैठा कर दिखवा लीजिए कि क्या हो रहा है और क्या यह क्रिमिनल नैग्लीजेंस नहीं है और यदि यह क्रिमिनल नैग्लीजेंस है, तो फिर दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हैजा अभी रुका नहीं है, गार्बेज अभी भी नन्द नगरी से साफ नहीं हुए हैं, नालियां अभी तक साफ नहीं हुई हैं। टायलेट्स का वहां पर अभी भी इंतजाम नहीं है। नन्द नगरी हो, या कोई री-सैटलमेंट की कौलोनी हो, सब का यही हाल है। यह री-सैटलमेंट आपने नाम रख दिया है, लेकिन यह है तो स्लम का ही दूसरा नाम। फिर लोग यहां दिल्ली क्यों आते हैं अपनी रोजी-रोटी की तलाश में। आप इसको क्यों नहीं रोकते हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लोगों को यहां अपनी रोजी-रोटी की तलाश में आना ही न पड़े। आप गांवों में ही ऐसी योजनाएं चलाएं जिससे वहीं लोगों को रोजगार मिले।

मान्यवर, अब स्थिति बदल गई है। अब यह नहीं हो सकता है कि कुछ लोग तो महलों में ऐश करें और कुछ लोग यहां हैजे से मरें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर बताता हूं डी० डी० ए० में बहुत भ्रष्टाचार है। डी० डी० ए० ने तो बिना नींव के मकान बना दिए थे। अखबारों में उस समय निकला था कि दुनिया में यह

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

सातवां और आठवां वंडर है कि डी० डी० ए० बिना नींव के मकान बनाता है। जितना करप्शन वहां है, आप वहां के अफसरों की कमाई की जांच कीजिए तो आपको पता चलेगा।

यह तो एक मिरैकल ही है कि इतने दिनों तक लोग कैसे जिन्दा रह गए। एक्सपोज्ड फूड्ज से बीमारियां फैलती हैं। आपको यहां पार्लियामैंट स्ट्रीट और कनाट प्लेस में भी एक्सपोज्ड फूड मिल मिल जाएगा।

सरकार की बड़ी कोशिश है और रेडियो, टी० वी० पर बहुत प्रचार है कि आंत्रशोथ से बचिए। आप सीधी-सीधी बात कहिए कि आंत्रशोथ क्या है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इसे डायरिया क्यों नहीं कहते। बहुत से लोग मुझ से पूछते हैं कि आंत्रशोथ क्या है, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे पूछिए जो इसका प्रचार करते हैं। आप डायरिया का इलाज बताइये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आप प्रैक्टिल व्यू लीजिए, प्रैक्टिल कंसीड्रेशन से विचार कीजिए। इसके लिए मैं अपने आप को भी उतना ही दोषी पाता हूं जितना और कोई दोषी है। मेरा इतना ही कहना है कि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जाए।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में जो कौलरा और गैस्ट्रो-एन्ट्राइटिस फैला हुआ है, उसकी परिचर्चा पर आज हम भी काफी चिंतित हैं और इस तरह की चिंता दोनों ही पक्ष के लोगों द्वारा प्रकट की गई है।

मानवीय दृष्टिकोण से हमारे माननीय सदस्य इस बीमारी को आन्त्रशोथ कहने में थोड़ा औबजेक्शन करते हैं तो इसे डायरिया ही कह लें। इन सारी चीजों के विषय में वास्तव में गहरी चिंता व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। इसपर जो कार्यवाही की गई है, ऐसे कहने में तो वह कम है लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि जितनी चिंता हम यहां व्यक्त कर रहे हैं उतनी आवश्यकतानुभार कार्यवाही भी की गई है।

22 जुलाई को प्रधान मंत्री जी स्वयं उन जगहों पर गए हैं, ट्रांस-यमुना की कालोनीज को देखने। इससे यह साफ जाहिर है कि सरकार का ध्यान जिस रूप में आकृष्ट होना चाहिए, उसी रूप में आकृष्ट हुआ है। प्रधान मंत्री जी सीधे-सीधे उन स्थानों पर गए जहां कि यह वातावरण शुरू हुआ है। दुख की बात यह है, जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया और पेपर्स में भी बहुत काफी निकला है कि दिल्ली में एकाउन्टेब्जिटी फिक्स करने की बात होगी तो ऐसे साधन यहां उपलब्ध नहीं हैं जिनसे किसी एक व्यक्ति या एक संगठन पर हम पूरी की पूरी जिम्मेवारी सौंप सकें।

सबसे आवश्यक मेरे विचार से यह है कि यहां बेसिकली डी० डी० ए०, एम० सी० डी० और दिल्ली प्रशासन तीन स्थान ऐसे हैं जिनकी जिम्मेवारी अलग-अलग तरीके से एक-दूसरे से मिलती जुलती है। काम ये तीनों अलग-अलग तरीके से करते हैं लेकिन कहीं किसी एक जगह एक व्यक्ति पर कोई जिम्मेदारी नहीं। यह बहुत ही उपयुक्त होगा कि इन तीनों संस्थानों में सिर्फ एक ही संस्था काम करे और सिर्फ एक ही जगह पर जिम्मेदारी उनको दी जाए और किसी तरह लैफ्टिनैंन्ट गवर्नर

या चीफ सैक्रेटरीया म्युनिसिपल कमिश्नर या कुछ अफसरों को हटाने से सारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक पूरी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति या एक संगठन पर नहीं सौंपी जाएगी तब तक यह कहना गलत होगा कि इसने ऐसा किया।

श्री गुप्त ने कलकत्ता के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही हैं। वहां पर स्लम्स में काफी सुधार हुआ है, यह मैंने भी देखा है, मानता हूं लेकिन मैं उकना रिएक्शन भी जानना चाहूंगा प्रेस की इस रिपोर्ट पर जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता में सैकिंड जून की रिपोर्ट है, "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यह कहा गया है कि 192 डैथ्स इससे हुई हैं और कलकत्ता में केसिज कुल 3019 हैं। कहने का मतलब यह है कि कलकत्ता में भी इस तरह की घटनायें हुई हैं। यह रिपोर्ट 2 जून की है अतः कलकत्ता में भी इस रोग की रोकथाम के लिये हमें कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे केसिज और जगह भी बहुत हुए हैं।

जहां तक तकनीकी दृष्टि का सवाल है, मैं भी उस प्रोफेशन से आता हूं और मैं बता सकता हूं कि वातावरण में गंदगी, पीने के पानी का स्वच्छ न होना और सैनिटेशन की समस्या के कारण ही यह बीमारी पैदा होती है। जितनी भी कालोनियां हमारे यहां बनी हैं और जो नई.नई बनती जा रही हैं वहां यह चीज अक्सर देखने को मिलती है। आप तो जानते हैं कि देहातों से लोग ज्यादा से ज्यादा शहरों की ओर मुखावित हो रहे हैं और इसकी वजह से भी नई-नई कालोनियां बनती जा रही हैं। अगर दिल्ली विकास प्राधिकरण का नाम दिल्ली अनाधिकार प्राधिकरण रख दिया जाये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा और कहने व सुनने में भी अच्छा लगेगा। हमारे शहरी विकास राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वह हमें यह बतायें कि दिल्ली में क्या कोई किसी भी रूम में कहीं भी मकान बना सकता है? आखिर दिल्ली में अनाधिकृत रूप से इतनी कालोनियां किस कारण से बनती जा रही है? इस ढंग की आज जितने भी चर्चायें हो रही हैं, मेरे विचार से वे बहुत कम हैं। यहां अनाधिकृत रूप से कई मकान बन रहे हैं और रोज बन रहे हैं। इन सब को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसका कारण यह भी है कि यहां पर 3-3 संस्थायें काम कर रही हैं। एक व्यक्ति कहता है कि यह मेरा काम नहीं है दूसरा कहता है कि यह मेरा काम नहीं है व तीसरा कहता है कि यह मेरा काम नहीं है। जयप्रकाश जी ने एक ठीक बात अपने दिल की यह कही कि जब तक अनाधिकृत रूप से कालोनियां बनाना बंद नहीं किया जाता तब तक यहां की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है और लोगों की रक्षा नहीं की जा सकती है। यह एक बहुत चिंता का विषय है। सीवरेज का पाइप लाइन और पेय जल का पाइप लाइन एक ही फुटिंग पर और एक जगह पर पास करेगा तो उस जगह की सीवरेज की पाइप लाइन के लीकेज होने पर उसके कीटाणु उसमें मिल जाते हैं। हमारी प्रेस ने भी इस बात को उजागर किया था। इसके लिये मैं उसकी तारीफ भी करना चाहूंगा। यमुना पार की कालोनियों के पानी में तो कीड़े भी पाये गये। अतः सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम इस ओर अपना ध्यान दें।

वैक्सीनेशन के बारे में प्रेस में बहुत कुछ आया है। मैं इस बारे में यह जानना चाहूंगा कि आप जो एन्टी-कौलरा वैक्सीन दे रहे हैं क्या उस वैक्सीन की एफीकेसी मात्र 50 परसेंट है? यह हम कह नहीं सकते कि जिसको यह आप दे रहे हैं उसको आप हैजे से बचा पायेंगे। इस बारे में डब्लयू०

[श्री मनोज पांडे]

एच० ओ० का भी स्टेटमेंट आया है कि 90 परसेंट के लगभग इसकी एफीकेसी है। लेकिन इस बात का सत्यापन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी करें तो काफी अच्छा होगा ताकि हमें यह जानकारी हो पाये कि जो वैक्सीन हैजे के विरुद्ध दे रहे हैं वास्तव से उसका कवरेज 90 परसेंट है या 50 परसेंट है? क्या ऐसे वैक्सीन देने के बाद लोगों को हैजा नहीं होगा खास कर जो केसिज उस कांटेक्ट में नहीं आये। वैसे केसेज के प्रिवेंशन के लिए यह बहुत आवश्यक है, जिसको हैजा हो गया है उसमें वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी लेकिन खास कर वैसे लोगों को बचाने में इसकी आवश्यकता है जो उनके सम्पर्क में आने वाले हैं, आज आयेंगे या 10 दिन बाद आयेंगे, वहाँ वैक्सीनेशन की बहुत आवश्यकता होगी। क्या यह बात मंत्री महोदय बतायेंगे कि वैसे वैक्सीन को देने से, जो सम्पर्क में आने वाला है, हम हैजे से बचा पायेंगे? दूसरी बात, प्रैस में यह भी कई बार हमने पढ़ा है कि जिस हैजे को वाइब्रियो कोलेरी कहते हैं, जिससे हैजा होता है उससे जो स्ट्रेन वैक्सीन बनाया है, उसके स्ट्रेन से अलग है, यह उसकी उपजाति से अलग जाति का वैक्सीन है और जो वैक्सीन दे रहे हैं क्या वह इस स्ट्रेन पर लागू होगा जो यहां स्ट्रेन दे रहे हैं, जिससे हैजा प्रोड्यूस कर रहे हैं? मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आश्वस्त होना बहुत आवश्यक है और जो लोग आलरेडी हैजे में पड़े हैं उनके लिए उपचार करना आवश्यक है, दो पहलू हैं। इस सन्दर्भ में मेरा तो यह मानना है कि उनको बचाना भी उतना ही आवश्यक है जितना की मरीजों को इलाज देना।

यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम कितनी भी चर्चा करें इस चर्चा का अन्त नहीं हो पायेगा। मैं अन्त में इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली में जो संगठन बने हैं उन संगठनों को एक करके जिम्मेदारी किसी एक संगठन पर डालें ताकि किसी भी समय में कोई सरकार किसी एक व्यक्ति या किसी एक संगठन को ही ज़िम्मेदार ठहरा सके। 200 व्यक्तियों की मौत की जिम्मेदारी आज के दिन हम किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाल सकते, दोष नहीं दे सकते, यह शर्म की बात है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, बहुत दुख और शर्म की बात है कि दिल्ली के नजदीक यमुनापार में 200 आदमियों की मृत्यु हो गई। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्ता को बधाई देना चाहती हूं कि ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल आज हाउस में ले कर आये और डिस्कशन करने का मौका मिला। इस इंसीडेण्ट का तो मैं समर्थन नहीं कर सकती हूं, जो इंसीडैण्ट हो चुका है, जो 200 आदमियों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में बड़े-बड़े इंसीडैण्ट्स होते हैं और उस इंसीडैण्ट के बाद ही हमारी आंख खुलती है। इंसीडैण्ट के बाद ही हम लोग सोचते हैं कि क्यों ऐसा इंसीडैण्ट हुआ। इसके लिए पहले से थोड़ा प्रीकाशन हम लें तो ऐसे इंसीडैण्ट्स नहीं हो सकते हैं लेकिन बात यह है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान दिया और खुद स्पाट पर जाकर देखा और भी इंसट्रक्शन दिये हैं गड़बड़ी दूर करने के लिए और मेडिकल कैम्प बढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छा बन्दोबस्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने काफी काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूं जो फारेन से आने के बाद उन्होंने कोई पहला काम किया तो वहां जाने का था। यह प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत जरूरी काम था, इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं लेकिन दिल्ली में ....(व्यवधान) मैं यह कहना चाहती हूं कि यह कोई पोलिटिकल मैटर नहीं है..........

श्री बालकवि बैरागी : हमसे गलती हो गई है, जो चीजें देखने काबिल नही हैं, उधर क्यों देख रही हो। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यह कोई जोक की बात नहीं है, कोई पार्टी का मैटर भी नहीं है। हमारी साइड में भी फीलिंग हुई है, उस साइड से भी ऐसा ही फीलिंग होनी चाहिए। यह रूलिंग पार्टी का मैटर है लेकिन इसको हम कन्डैम करते हैं, हमारी पार्टी का यह कल्चर है। जो हुआ है अगर इसके लिए प्रीकाशन लिया जाता और कालोनिज का पहले से डवलपमैंट किया जाता तो ऐसा इंसीडैण्ट नहीं होता। हम दिल्ली में आज ही आये और यहाँ सब पेपर्स देखे क्योंकि हमारे इलाके में एक बड़ा इंसीडैण्ट हो गया इसलिए हम उधर रहे। लेकिन आज जो बात अग्रवाल जी ने बताया, इन्द्रजीत दा ने बताया और हमारे और सदस्यों ने बताया, उससे हमको थोड़ा सा मालूम हुआ है। यह इन्सीडेंट होने के बाद डी डी ए, दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउन्सिल और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में आपस में काम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन यह जिम्मेदारी हर आदमी को लेनी चाहिए। यह समय इस बात को कहने का नहीं है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस बीमारी से बहुत से लोगों का डैथ हो गया है। गवर्नर साहब ने रिजाइन करके एक गुड-जैस्टचर दिखाया है, लेकिन बात यह है कि सरकारी आफिसरों की नैगलीजेंस की वजह से यह इन्सीडेंट हुआ है और इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा इन्सीडेंट न हो और सरकार को इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरी राय में इसके बारे में एक इन्क्वायरी होनी चाहिए कि किस की नैगलीजेंस की वजह से यह इन्सीडेंट हुआ है, जिसमें दो सौ आदमियों की डैथ हो गई। इसके लिए दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउन्सिल भी जिम्मेदार है। वह यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैट्रोपोलिटन काउन्सिल को भी देखना है। मेयर भी इक्वली रिसपांसिबल है, कमिश्नर की भी रिसपांसिबिलिटी है। यह घटना भगत जी के क्षेत्र की है, इसलिए वे तो कदम उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जी भी खुद वहाँ गये। इसके लिए मैट्रोपोलिटन काउन्सिल, मेअर, कमिश्नर सबकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं, मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकती है, लेकिन जो लोग ग्रासरूट में काम करते हैं, उनको इन सबको देखना चाहिए। मैं इस घटना को कन्डैम करती हूं और इस बारे में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए।

एक बात मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में कहना चाहती हूं। गुजरात में भी हुआ है। हमारे ईस्ट कलकत्ता में 24 आदमियों का डैथ हो गया, कोलरा की वजह से सात-आठ दिन पहले... ....(व्यवधान)............इस वजह से हम नहीं आ सका। हमारी कान्स्टीचूयेंसी में एक हजार आदमी एवलट्रेटिड रैपसीड आयल खाने से पैरालाइजड हो गया और उसमें से 400 आदमी होस्पिटलाइज्ड है। मैं मिनिस्टर महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि हमारे हैल्थ मिनिस्टर, श्री मोतीलाल वोरा जी, हमारी कान्स्टीचूयेंसी में गए और उन्होंने होस्पिटल में विजीट किया और स्टेट को कहा कि इसके लिए जो भी एसिस्टैंसी की आवश्यकता होगी हम देंगे। दिल्ली राजधानी है और सबको मालूम हो जाता है, लेकिन जो बात राजधानी के नजदीक का नहीं है, उसका हर आदमी को मालूम नहीं होता है। मैं कहना चाहती हूं कि भोपाल इंसीडेंट के बाद इतनी बड़ी घटना हिन्दुस्तान में कभी नहीं हुई। दिल्ली में जो इंसीडेंट हुआ है मैं उसको कन्डैम करती हूं। हमारे

[कु० ममता बनर्जी]

कलकत्ता में जो कुछ हुआ है, मैं उसको भी कन्डैम करती हूं। हमारे यहां के इंसीडेंट में हमारे सैन्ट्रल हैल्थ मिनिस्टर गए, श्री अजीत पंजा जी गए, श्री प्रियरंजन दास मुंशी जी गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर वहां एकमिनट के लिए भी नहीं आए। यहशेम है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ....(व्यवधान)..........

[अनुवाद]

मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया। जब मैं बोल रही हूं तो क्यों वे मुझे परेशान कर रहे हैं? आप अपने राज्य में भी क्यों नहीं दिलचस्पी रखते? ....(व्यवधान)···मुझे परेशान मत कीजिए।...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : जब आप बोल रहे थे, तब आपको किसी ने डिसटर्ब नहीं किया अब आप क्यों कर रहे हैं। ···(व्यवधान)····

कुमारी ममता बनर्जी : जब दिल्ली के बारे में हमने कन्डैम किया है, जो कन्डैम की बात है, उसको हमने कन्डैम किया है। ···(व्यवधान)···

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए। कार्यवाही में शामिल मत करिये।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : हमें मालूम नहीं है कि ये लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं। मैं दिल्ली की बात भी बोलना चाहती हूं और कलकत्ते की बात भी बोलनी है। कलकत्ता में 24 आदमियों की डैथ हो गई है।··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

हम इस बारे में बहुत ही चिन्तित हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र वही है। यह मेरा नैतिक कर्त्तव्य है कि मैं अपने लोगों की आवाज यहां उठाऊं। इसीलिए मैं यहां बोल रही हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी सरोज खापर्डे : एक महिला बोल रही है, तो आप बीच में क्यों इन्टरप्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : किसी माननीय सदस्य ने बंगला में कहा कि मैं इस सदन में दुबारा कभी नहीं आऊंगी क्योंकि मैं हमेशा लड़ने के मूड में होती हूं। ऐसा कहने वाले वे कौन हैं ? दुबारा मैं आऊं या न आऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगी··· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

बात यह है कि हम इस हाउस में आएंगे या नहीं आएंगे, हम इलेक्ट होंगे या नहीं, यह तो हमारी कांस्टीटुयेन्सी के आदमी बताएंगे। बात यह है कि सच बोलने से ये लोग डरते हैं। हम सच बात बोलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का शासन है, यह इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं लेकिन जो स्टेट की बात है, उसको हम बोलेंगे। कलकत्ता में जो कुछ हुआ है, वह भोपाल इन्सीडेंट के बाद बड़ा इंसीडेंट हुआ है। हम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहते हैं कि आपने जब विजिट किया, उस के बाद भी बेहाला में, टोलीगंज में और हावड़ा में बहुत सारे आदमी भर्ती हुए हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मैं इस बात को उठा रही हूं क्योंकि यह इस मंत्रालय से सम्बंधित है। मेरा दोहरा मापदण्ड नहीं है। जो कुछ मैं कह रही हूं एक दम सही है। यदि यह गलत है तो आप मेरे विरुद्ध प्रस्ताव ला सकते हैं। मैं उन्हें चुनौती दे रही हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जब हमारे फ्रेन्ड्स बोल रहे थे, तो हमने उनकी बात को सुना है लेकिन हम को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। हमको बोलने दीजिए। हमको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम किधर बताएंगे। स्टेट में जो हुआ है, उसके बारे में क्या हम नहीं बोल सकते। कोलरा में 200 आदमियों की डैथ हो गई है लेकिन हमारी कांस्टीटुयेन्सी में एक हजार आदमी पैरेलाइज हो गये हैं।........ **(व्यवधान)**........उसके लिए हैल्थ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि इसको भी आप देखिए। अभी बहुत सारे नये केस एडमिड हो रहे हैं अस्पतालों में। एडलट्रेटेड रेपसीड आयल जो कलकत्ता में बंटा है, उसको भी आपको देखना चाहिए। आप सी० बी० आई से इंक्वायरी कराइए और जो कलप्रिट हैं, उनको पनिशमेंट देना चाहिए। ....**(व्यवधान)**........पनिशमेंट नहीं होगा, तो यह रुकेगा नहीं। पनिशमेंट देने के लिए मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कुडप्पा) : उपाध्यक्ष महोदय, उपचार से परहेज भला; यह आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का कहना है। अधिकतर सभ्य एवं विकसित देशों में हैजे का उन्मूलन किया जा चुका है और हमारे यहां भारत में 1988 में हमारे देश की राजधानी में जो कुछ हुआ वह सभी को मालूम है। हमें न सिर्फ वेदना ही होती है अपितु इस घटना की रोकथाम के लिये प्राधिकरण द्वारा ध्यान न दिये जाने पर दुख भी होता है विशेष रूप से तब जब सरकार ने शताब्दी के अन्त तक

[श्री डी० एन० रेड्डी]

सभी के लिये स्वास्थ्य का वायदा किया है। इसे भी अन्य नारों की भांति मजाक ही समझना चाहिये। क्या हम यह समझें कि सरकार अपने नारे को पूरा करने की जरा भी इच्छुक नहीं है।

महोदय हैजा जैसी बीमारी को आसानी से पहचाना एवं इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अतः यह मेरी सोच से परे है कि संतोषजनक उन्मूलनकारी उपाय करने में सरकार को क्या एक महीने से ज्यादा का समय लगा। हम पर अभी भी नियंत्रण नहीं पाया गया है और यह अभी भी फैल रहा है। इस उपेक्षा की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन प्राधिकरण को यह मानने में बहुत ज्यादा समय लगा कि हैजा फैल रहा है। यह दुखद सच है कि संबंधित प्राधिकरण इतने लापरवाह थे कि उन्होंने कोई उचित ध्यान नहीं दिया और न ही लोगों को यह सूचित किया कि हैजा फैल रहा है और न ही लोगों को इस बारे में कोई चेतावनी दी - पहले उन्होंने कहा कि यह साधारण आंत्र-शोथ की बीमारी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में यह बहुत ही आम बात है। ऐसा कहना अधिकारियों की ओर से अपराधिक उपेक्षा है तथा लोगों को गुमराह करना है क्योंकि हैजे का आसानी से पता लगाया जा सकता है। यह एक विशेष बैसिलस से होता है जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। उन्हें इसका पता काफी पहले लगा लेना चाहिये था। उन्हें तुरन्त ही उपचारात्मक उपाय करने चाहिये थे।

प्रभावित-क्षेत्रों के प्रधान मंत्री के दौरे के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं भी प्रसन्न हूं परन्तु क्या इसका अर्थ है कि कचरा हटा या नहीं यह देखना प्रधान मंत्री का काम है? इन दिनों में सरकार ने क्या किया है? क्या इसका अर्थ हुआ कि यदि प्रधान मंत्री इन क्षेत्रों का दौरा नहीं करते तो कचरा वहीं पड़ा रहता चाहे स्थिति कितनी ही खराब क्यों न हो जाती? सरकार के लिये यह बहुत खराब बात है और हमारे लिये खेद की बात है कि प्रधान मंत्री अधिकांशतः विदेशों में रहते हैं। और हमें इस कथन पर विश्वास करना पड़ेगा कि यहां कोई काम नहीं किया जाता जब प्रधान मंत्री नहीं होते। दिल्ली में सरकार कोई काम नहीं करेगी जब प्रधान मंत्री विदेशी दौरे पर हों। इसका यही अर्थ निकलता है। आपने स्वयं यह बात स्वीकार की है क्योंकि प्रधान मंत्री के दौरे के बारे में आपने इतना कुछ कहा है। स्वास्थ्य मंत्री को इन स्थानों का दौरा करना चाहिये था, संसद सदस्य को जाना चाहिये था और देखना था कि नालियां साफ हों और कचरा हटा दिया जाए।

महोदय, हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेंगे। नई दिल्ली एक 'शो पीस' है, मेरे दूसरे सहयोगी ने भी यह कहा है। 42 वर्ग मील का क्षेत्र निर्वाचित निकाय, एन० डी० एम० सी० द्वारा देखा जाता है जिसमें 3 लाख लोग रहते हैं। व्यय लगभग 130 करोड़ रुपया होता है। इसकी तुलना में, बाकी दिल्ली गन्दी बस्तियों को मिलाकर कुल क्षेत्र 1440 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या एक करोड़ है इसको दिल्ली प्रशासन (डी० डी० ए०) तथा डी० एम० सी, देखते हैं तथा इसके लिये बजट 1200 करोड़ रुपये है—इन निकायों के बीच कोई समन्वयन नहीं है। स्थिति यह है। लगभग 20 वर्ष पूर्व काफी भारी संख्या में शरणार्थी लगभग 20 लाख व्यक्तियों को यमुना पार क्षेत्र में बिना कोई उचित सुविधायें प्रदान किये भेज दिया गया था। मंत्री महोदय बता रहे थे कि सड़कें बनाई गई थीं

और भी बहुत से काम किये गये थे परन्तु हम वहां कुछ नहीं पाते हैं। वहां पर कोई भी सुविधायें नहीं है। वहां पीने के पानी तथा प्राथमिक स्वच्छता सुविधायें नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने स्वयं ही कहा है प्रधान मंत्री के आने तक कुछ नहीं होगा। कल के समाचार-पत्र में छपा है कि सैकड़ों लारियों में कचरा लादा गया। इससे पता चलता है कि वहां कई महीनों से ही नहीं कई वर्षों से सफाई नहीं हुई है।

यह महामारी संबंधित व्यक्तियों द्वारा ध्यान न दिये जाने की वजह से हुई है। दो तथ्य साफ तौर पर पता चलते हैं। प्रथम तो, जैसा कि मैंने कहा, वहां पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है, काफी लम्बे समय से नालियां साफ नहीं की गई हैं और यहां तक कि न्यूनतम आवश्यक सफाई सुविधायें भी प्रदान नहीं की गई थीं। दूसरे, हमें बताया गया है कि पानी के पम्प केवल 10 से 15 मीटर की गहराई तक ही खोदे गये थे जब कि मुझे बताया गया है कि न्यूनतम गहराई 30 मीटर होनी चाहिये यह बहुत ही गम्भीर तथ्य है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिये और देखना चाहिए कि उस समय क्या हुआ था जब कुएं खोदे थे। 10 से 15 मीटर खुदाई तो बहुत ही कम होती है और इस स्तर पर पानी गन्दगी, मल-मूत्र गन्दगी तथा अन्य प्रदूषित वस्तुओं से गन्दा हो जाता है। मैं समझता हूं कि इस महामारी के लिये उत्तरदायी यही महत्वपूर्ण कारक है। इस संदर्भ में, मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की पुष्टि करें कि इसके लिये बिल 15 मीटर की खुदाई करने के लिए दिये गये अथवा 30 मीटर की खुदाई के लिये। यह विकास संबंधी अधिकारियों की ओर से निरी लापरवाही है। तथा इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा दी जाये। मेरे दो साथियों ने दो बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। लोगों की लापरवाही तथा असावधानी के कारण यह दुखद घटना हुई यह जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए इस दुखद घटना का प्रकोप कम होने के बाद न्यायिक जांच की जानी चाहिए। मुझे आशंका है कि इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उपराज्यपाल ने त्याग पत्र देने का सही निर्णय लिया। मैं उनकी सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करता हूं। मुझे यह जानकर भी खुशी है कि कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है लेकिन अभी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

परन्तु मैं स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। क्या दिल्ली शहर के लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की भी क्या जिम्मेदारी है? एक दूसरे पर आरोप लगाना या जिम्मेदार, ठहराना उचित नहीं है। उन सभी अधिकारियों को दंडित किया जाए जो इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार हैं। मंत्री महोदय हमें उपयुक्त जवाब दें तथा इस बात का आश्वासन दें कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, समाप्त कीजिए।

श्री डी० एन० रेड्डी : अभी आपने उन महिला सदस्य को पन्द्रह मिनट का समय दिया है क्योंकि वह चिल्ला रही थीं। अब आप दो मिनट के बाद घंटी बजा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सात पहले ही बज चुके हैं इसलिए मैं विवश हूं। इसके अतिरिक्त आपके दल का समय समाप्त हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री डी० एन० रेड्डी : कल हममें से कुछ लोगों ने प्रभावित कालोनियों का दौरा किया वहां कुछ बातों को देखकर हमें धक्का लगा है। प्रभावित लोगों तथा मकानों का पता लगाया गया है। लाशें अधिकारियों के हवाले कर दी गयी हैं। यदि इन लाशों को तुरंत ही नहीं जलाया जाता तो संक्रामक रोग के रोगाणु हर जगह फैल जाते। इसलिए मकानों को रोगाणुओं से मुक्त करने जैसे एहतियाती तौर उपाय तुरन्त किये जाने चाहिए। अन्यथा वहुत अधिक प्रदूषण फैल जायेगा।

मैं गुरू तेगबहादुर अस्पताल में गया जहां कुछ मरीजों का इलाज हो रहा है। मुझे एक डाक्टर ने जो अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते, बताया कि जगह के अभाव में बहुत से मरीजों को दो घंटे तक रखा जाता है तथा ग्लूकोज और सेलाइन औषध देकर छुट्टी कर दी जाती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है, यदि हां, तो क्या यह सरकार की भूल नहीं है कि मरीजों के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था नहीं की गई है। यह मामले की बड़ी शोचनीय स्थिति है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों में सभी मरीजों को जगह दी जाए तथा वहां उन्हें तब तक रखा जाए जब तक कि वे स्वस्थ नहीं हो जाते। अस्पताल में दो घंटे ठहरने से कुछ नहीं होगा मरीज बाहर जायेंगे तो संक्रामक रोग और फैलेगा।

यह दुखद घटना यहीं खतम नहीं हो जाती है। इसके अतिरिक्त दो रोग ऐसे हैं जिनके पनपने में हैजा से अधिक समय लगता है। जब तक आपको इन रोगों के बारे में पता चलता है तब तक वे फैल चुके होते हैं। ये दो बीमारियां हैं टाइफाइड और हेपटाइटस। हैजा पनपने का समय कम है जब कि इन दो रोगों के पनपने का समय कुछ अधिक है परन्तु आपको उनका ध्यान नहीं है यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो ये दोनों रोग भी लोगों पर धावा बोल देंगे। इसलिए उनके लिए उपचारात्मक उपाय किये जाएं। ये दोनों रोग बड़े घातक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

7.00 म० प०

टीका सामग्री के अभाव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल टीके लगाने से मरीज नहीं बचेगा, यह रक्षा का दूसरा उपाय है। स्वच्छ जल, स्वच्छ शौचालय तथा प्रत्येक चीज की सप्लाई रक्षा के पहले उपाय है मक्खियां तथा गंदा पानी कहीं नहीं होना चाहिए। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीका ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हमारी रक्षा हो सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप टीकें न लगाये लेकिन यह रक्षा का दूसरा उपाय है। पहले, आप रक्षा के पहले उपाय पर विचार करें तत्पश्चात टीके की तरफ ध्यान दें।

अन्त में, श्री तम्पन थामस ने मांग की है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए। मुझे. मालूम है कि सत्ताधारी दल राजनीतिक कारण से इसका विरोध कर रहा है। यदि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जायेगा और इसका विकास नहीं किया जायेगा तो ये दुखद घटना बार-बार घटती रहेगी। यही पहले हुआ और यही अब हो रहा है। इसे राज्य बनाया जाए—राजधानी शहर। इसके एक तरफ झुग्गी झोपड़ी और दूसरी तरफ पंचतारा होटल नहीं होने चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सब बातों पर विचार करें तथा यह देखें कि ऐसी दुखद घटना की

पुनरावृत्ति न हो और सम्बन्धित लोगों की जिम्मेदारी ठहराये। मैं मंत्री महोदय तथा इस क्षेत्र के सांसद की चिंता को समझता हूं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अनेक बार उस क्षेत्र का दौरा करने के बावजूद भी वह उस क्षेत्र के लोगों को शुद्ध जल मुहैया नहीं करा सके। मुझे आश्चर्य है कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या कर सकते हैं जबकि एक ऐसा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सदस्य जो कि परिस्थितियों से भली-भांति परिचित है इन सब कार्यों को नहीं करा सका माननीय भगत इन सब बातों की उपेक्षा कैसे कर सके ?

इसलिए मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली एक ऐसे रोग से ग्रस्त है जिसे समय पर उपचारात्मक उपाय करके रोका जा सकता था ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे सकता। हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली में हैजे का प्रकोप और उसमें दो सौ बच्चों की मौत का न केवल हमारे लिए गहरे दुख का विषय है बल्कि एक प्रकार का शर्म का विषय भी है। इससे हम लोगों की निगाह में तो गिरे ही बल्कि साथ ही दुनिया में भी हमारी बदनामी हुई। इसके लिए हम गहराई से छानबीन करें तो हम देखेंगे कि यह उन लोगों की करतूत है जिन लोगों को आज यहां जवाब देने के लिए नहीं आना पड़ रहा है। जवाब देने के लिए सदन के सामने माननीय मंत्रीगण आते हैं। अधिकारी डी० डी० ए० के हों या कारपोरेशन के, उनमें से किसी को अलग कर देना या एक दो के ऊपर कार्यवाही कर देने से किसी को संतोष होने वाला नहीं है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अरबन डवलपमेंट के सेक्रेटरी श्री सुखथांकर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए और इसकी गहराई से छानबीन के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों या वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की कमेटी बननी चाहिए जो इसको देखे कि वास्तव में इसकी जड़ कहां तक फैली हुई है और इसके निदान के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए दोषी हर व्यक्ति को सजा देने के लिए प्रावधान किया जाए। उपाध्यक्ष जी, यह बड़े दुःख का विषय है कि जब प्रधानमंत्रीजी वहाँ पहुंचे तो उसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया। प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से पहले अखबारों में यह बात छपी, माननीय भगतजी कई बार लोगों से कह चुके, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे प्रशासन हर स्तर पर सो रहा हो और केवल औपचारिकता पूरी कर रहा हो। आज यहां मोतीलाल वोराजी को दूसरों के कुकृत्यों के लिए जवाब देने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। जबकि वास्तविक दोष हैल्थ विभाग का नहीं है, वास्तविक दोष एम० सी० डी० और डी० डी० ए० का है। वहां गलियों में जो कूड़ा-इकट्ठा हुआ क्या वह एक दिन में हुआ। डी० डी० ए० हर साल कूड़ा उठाने के लिए ठेका देती थी और वह करोड़ों रुपयों का होता था। माननीय मंत्रीजी यहां हैं वह बतायें कि कितने करोड़ रुपये ठेकेदार को दिए थे कूड़ा हटवाने के लिए। उसको हटाया नहीं जाता था, बल्कि वहां से उठाकर थोड़ी दूर दूसरी जगह पर रख दिया जाता था। इंजीनियर्स और ठेकेदार मिलकर उस रुपये को हजम कर जाते थे। एम० सी० डी० की भी यही हालत है। उसमें कूड़ा उठाने वाले जो ट्रक

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री हरीश रावत]

हैं, संतोष मोहन जी आप चैक करवाइए, वह 1949-50 माडल के हैं। वह एक बार भी कूड़ा नहीं उठा सकते। उनको एम० सी० डी० की ओर से पैसा दिया जाता है। मस्टर रोल पर अनेक कर्मचारियों को रखा जाता है, लेकिन आधे ही उपस्थित रहते हैं आधे का नाम ही होता है। वह पैसा कहां जाता है ? यह तो भगवान ही जाने। यह बात दिल्ली में हो, यह बहुत दुःख का विषय है। जब अखबारों में छपा कि प्रधान मंत्रीजी को अपने राहत कोष से हैजे की महामारी से सामना करने के लिए प्रशासन को साज-सामान करने के लिए पैसा देना पड़ा तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई जहाँ प्रधानमंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उदारता से पैसा दिया वहीं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने अर्से से वहां पर हैजा फैल रहा है, प्रशासन ने क्या किया, क्या सुविधायें उपलब्ध कराईं। वहां पर इतने बड़े पैमाने पर बच्चे मरते जा रहे थे और हम अपनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग पर डाल दें तो यह सही नहीं है। इस मामले में जहां उपराज्यपाल, डी० डी० ए० के वाइस चेयरमैन, एम० सी० डी० के आयुक्त जिम्मेदार हैं वहीं कुछ राजनीतिक लोगों को भी अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चाहे वह कापोरेशन में बैठने वाले हों। उनको कहना पड़ेगा, कि हम जिम्मेदार हैं और उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो जो लोग, गरीब लोग मारे गये हैं उनके लिए यह कहना कि हमारा कसूर नहीं है इस कलंक से हम यहाँ पर नहीं बच सकते। माननीय मंत्री जी जब जवाब दें तो यह बतायें कि जो गरीब लोगों के बच्चे मरे हैं उनको सरकार मुआवजे के रूप में धनराशि दे रही है या नहीं। और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है जो इसमें जिम्मेदार हैं। हम कहते हैं कि हमने हैजे का उन्मूलन कर दिया है। लेकिन दिल्ली में हैजा फैल जाये हम इसे साधारण शब्दों में नहीं ले सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ इन्द्रजीत जी गुप्त और अन्य ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब वोरा जी बोलेंगे।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, शहरी विकास मंत्री को जवाब देना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री मोतीलाल वोरा) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री वी० सी० जैन, डा० टी० कल्पना देवी, श्री अमल दत्ता, श्री भरत सिंह, श्री तम्पन थामस, श्री जे० पी० अग्रवाल, श्री खुर्शीद अहमद चौधरी, डा० जी० एस० राजहंस, श्री मनोज पाण्डेय, कुमारी ममता बनर्जी, श्री डी० एन० रेड्डी, श्री हरीश रावत का तथा उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा के दौरान महत्तवपूर्ण सुझाव दिए।

श्री एच० के० एल० भगत ने ठीक कहा है कि उन्होंने अनेक बार उस क्षेत्र का दौरा किया है तथा उस क्षेत्र का दौरा करके वहां उन्होंने बहुत कुछ किया है क्योंकि यह केवल उनके निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि उन्होंने अन्य जिस क्षेत्र का दौरा किया है वहां भी बहुत कुछ किया गया है। इसलिए यह कहना गलत है कि श्री एच० के० एल० भगत के दौरे के बाद कुछ नहीं किया गया

अथवा पिछले एक या दो वर्षों में कुछ नहीं किया गया अथवा पिछले एक या दो वर्षों में कुछ नहीं किया गया। हमें मालूम है कि 1975 से लेकर 1977 के बीच ये कालोनियां बनी हैं उसके बाद जो कुछ किया गया उसका प्रत्येक सदस्य को पता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि खतरा खतम नहीं हुआ है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। मैं उन सभी सदस्यों से भी सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि खतरा समाप्त नहीं है। जब खतरा खतम नहीं हुआ है तो निकट भविष्य में इस खतरे को टालने के लिए हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा कुछ न हो। हमें इससे पूर्णतः सावधान रहना चाहिए और उसके अनुसार उपाय करने चाहिए।

19 जुलाई को मैंने अस्पतालों का दौरा किया। मैंने यमुना पार क्षेत्र का भी दौरा किया मेरे साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनेक अधिकारी भी थे। इस क्षेत्र का दौरा करने के बाद मैंने श्री भगत को टेलीफोन पर बताया कि इन बातों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है तथा उस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए जितनी सहायता की जरूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। तदनुसार स्वास्थ्य विभाग ने टीके उपलब्ध कराये। इन टीकों को उपलब्ध कराये जाने के बाद 1-7-88 से 31-7-88 तक 13.21 लाख लोगों को टीके लगाये गए।

प्रधान मंत्री के दौरे के बाद वहां बहुत कुछ किया जा चुका है। उन्होंने 22 जुलाई, 1988 को उस क्षेत्र का दौरा किया। हम उनके बड़े आभारी हैं क्योंकि उनके दौरे के बाद कार्य में तेजी आई और प्रत्येक व्यक्ति सतर्क हो गया। 23 जुलाई, 1988 से 31 जुलाई, 1988 तक 1100074 लाख टीके लगाये गए। (व्यवधान) मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि एक जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक 1.15 लाख टीके लगाये गए हैं। मैं इससे असहमत नहीं हूं क्योंकि यह सच है और मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता : आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए........

श्री मोतीलाल वोरा : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि हैजे के बाद निश्चय ही टाइफाइड का खतरा है। 23 जुलाई और 31 जुलाई के बीच 1.27 लाख टीके लगाए जा चुके थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें इसे समाप्त करने की अनुमति देंगे ?

श्री अमल दत्ता : इसमें कुछ विसंगतियां हैं। अतः स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह केवल आंकड़े बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बीच में तंग न कीजिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : हैजे के ग्यारह लाख टीके दिए जा चुके हैं....(व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे : जब मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो उन्हें उनकी बात धैर्य से सुननी चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : पहले उन्हें मेरी बात सुनने दीजिए। जो कुछ वह पूछेंगे मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन उन्हें मेरी बात भी सुनने दीजिए। (**व्यवधान**)

मैं बात से पीछे नहीं हट रहा हूं, क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे पास टीकों की बिल्कुल भी कमी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा है कि आपने एक लाख टीके दिए हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मोती लाल वोरा : हरीश रावत जी, मैंने इस लिए कहा है क्योंकि श्री अमल दत्ता जी जानना चाहते हैं, उसी बात का मैं उल्लेख कर रहा हूं कि वैक्सीन की कमी नहीं थी और वैक्सीन की कमी न होने के कारण ही हमने 18 लाख 83 हजार वैक्सीन कॉलरा के दिए।

श्री अमल दत्ता : टाइफाइड के ?

श्री मोती लाल वोरा : टाइफाइड के 2 लाख 60 हजार एडल्ट डोसेज एम० सी० डी० और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को दिए।

[अनुवाद]

बच्चों के लिए, हमने दिल्ली प्रशासन और एम० सी० डी० को 7.10 लाख टीके दिये हैं। अतः यह किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनके पास पर्याप्त संख्या में टीके लगाने को डाक्टर हैं ?

श्री मोती लाल वोरा : मुझे बताया गया था कि उनके पास टीके लगाने वाले डाक्टर थे; और उसके बाद; हमारे विभाग ने लगभग 60 जेट गनस दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रशासन को भेज दिये थे। हम हैजे और आन्त्रशोथ की बीमारी से प्रभावित क्षेत्रों में 13,21,000 व्यक्तियों को टीके लगा सके थे। मैं आपको बताना चाहूंगा; हमने युनेस्को से सहायता के लिए अनुरोध किया था और हमें संदेश मिला कि 23 से अधिक जेट गन हमें मिल जायेगा; और वे दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम को कल तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे जिससे हम और अधिक टीके लगा सकेंगें, हैजे के बाद, जैसा आपने कहा था यकृत-शोथ से भी इन्कार नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये सब बीमारियां साथ-साथ होती हैं। दिल्ली प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम के माध्यम द्वारा फिर से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। यह हमने पहले कर दिया था। (**व्यवधान**) कृपया मेरी बात सुनिये।

श्री अमल दत्ता : कितना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? (**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : जब तक आप बोलते रहेंगे मैं आपके साथ साथ नहीं बोलूंगा मैं यहां रहूंगा। मै कहीं नहीं जा रहा हूं।

श्री अमल दत्ता : मै जाने के जल्दी में हूँ।

श्री मोती लाल वोरा : आपको जल्दी हो सकती है, लेकिन मुझे जल्दी नहीं है (**व्यवधान**) आपने काफी प्रश्न उठाये हैं, आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं; मैं उत्तर दे रहा हूं।

मैं श्री अमल दत्ता को बताना चाहता हूँ कि आज 1-8-1988 को बच्चों के लिए एक लाख हैजे के टीके दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को दिये गये हैं, उसके अतिरिक्त 18.83 लाख हैजे के टीके पहले ही दिये जा चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे अलग से टीके लगाने के बजाय मिश्रित टीकों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं जो टीएबीसी, के नाम से जाने जाते हैं।

श्री मोती लाल वोरा : हमें डाक्टरों द्वारा सलाह दी गई है कि उन मिश्रीत टीकों का प्रयोग न किया जाये, क्योंकि यह संदेह था इससे हैजे का टीका असर नहीं कर रहा था। (**व्यवधान**)

मैं एक मिनट के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ूंगा और मेरे विचार से श्री अमल दत्ता सहमत होंगे।

> "जनवरी, 1988 में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने एक दल गठित किया था उन्होंने अपनी राय दी है कि हाल ही में उपलब्ध हैजे के टीके देने से एक महीने के अन्तर पर दो खुराकें देने से आंशिक रूप से थोड़े समय के लिए बचाव किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक महीने में ?

श्री मोती लाल वोरा :

> "अन्य महत्वपूर्ण नियंत्रण उपायों के साथ-साथ हैंजे के टीके दो खुराकों में लिये जा सकते हैं। अगर उससे प्रभावित जनसंख्या सीमित है और जहां सामान्य जीवन और वातावरण अस्त व्यस्त है वहाँ सभी प्रभावित व्यक्तियों को टीके लागाना व्यवहार्य है।"

अत: यह टीका बेकार नहीं है; यह उपयोगी है और हमें इसकी दूसरी खुराक एक महीने के बाद देनी चाहिए क्योंकि इन टीकों में यह आवश्यक है।

जहां तक दिल्ली में दवाइयों की सप्लाई का सम्बंध है, हालोजन गोलियां, जीवन रक्षक घोल टेटरासाइकलिन और अन्य कई दवाइयां दिल्ली की अधिकतर दुकानों पर उपलब्ध कराई गई हैं। और हम ये सब प्रबंध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दवाइयां सहज ही उपलब्ध नहीं थीं; साधारणत: हैजे के टीके और आन्त्रशोथ की बीमारी फैलने के बाद बाजार में तुरन्त ही उपलब्ध नहीं थे। हमने इन दवाइयों को न केवल दुकानों पर उपलब्ध कराया बल्कि सभी 80 सी० जी० एच० एस० की डिस्पेन्सरियों में उपलब्ध कराया था। जहां 700 डाक्टर थे। हमने प्रत्येक डिस्पेन्सरी में पांच सौ टीके भेजे थे जिससे कि दिल्ली के किसी भी भाग में रह रहे लोगों को अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो वे बिना देरी व कठिनाई के टीके लगवा सकें।

[श्री मोती लाल वोरा]

श्री दत्ता कृपया मेरी बात सुनिये, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में 81 डाक्टरों की टीम अन्तरंग डाक्टर और मेडिकल विद्यार्थी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सुरक्षित जनता की डायरीया और निर्जलन के रोगों से बचाने के लिए जीवन रक्षक घोल के पैकेट बांट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : कितने पैकेट दिये गये हैं ?

श्री मोती लाल वोरा : 2 लाख 94 हजार पैकट दिये गये हैं और हमने दिल्ली नगर निगम को आश्वासन दिया है कि जितनी आवश्यकता है हम जीवन रक्षक घोल देने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह आंत्रशोथ और हैजे की बीमारी को रोकने में बहुत उपयोगी है।

एक माननीय सदस्य ने पीने के पानी के बारे में कहा है। वहां 44 पुनर्वास कालोनियां हैं और उन पुनर्वास कालोनियों में 12 लाख लोग रहते हैं। 35 कालोनियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। 3 से अधिक कालोनियों में—सुन्दर नगरी, सीलमपुर फेज I और फेज II में पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है। और जब कभी आवश्यकता होती है इनका परीक्षण किया जाता है, सफाई की जाती है और मरम्मत की जाती है। हैंडपम्प बहुत जल्दी ही लगा दिये जायेंगे। दस हैंडपम्प पहले ही लगा दिये गये हैं और उनका परीक्षण भी किया जा चुका है। एक सौ से अधिक हैंडपम्प 25 अगस्त तक लगा दिये जाने की सम्भावना है और अन्य पांच सौ तीन या चार महीनों के भीतर लगा दिये जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनधिकृत वैध कालोनियों के बारे में कहा है। वहां पांच सौ उन्तालीस अनधिकृत वैध कालोनियां हैं। जिनमें से 382 कालोनियों में पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है 157 कालोनियों में से साठ कालोनियों को सरकारी नल का पानी दिया जा रहा है और बाकी की 97 कालोनियों को टैंकरों और ट्रकों पर बनाए गए सिनटेक्स टैंकों से पानी दिया जा रहा है। तीन सौ से अधिक वैध कालोनियों को टैंकरों और ट्रकों पर बनाये गये सिनटेक्स टैंकों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। और 652 झुग्गी झोंपड़ी कालोनियां हैं। इन कालोनियों में टैंकों से व्यवस्था की जा रही है और टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। कूड़ा हटाने के बारे में प्रश्न उठाया गया था (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : कृपया हमें बताइये कि टैंकरों के माध्यम से प्रति व्यक्ति कितना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन कालोनियों में, पानी देने का और कोई स्रोत नहीं है····(व्यवधान)

श्री मोती लाल वोरा : दत्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं। हम इन कालोनियों में उनकी आवश्यकतानुसार पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अभी नहीं बता सकता कि कुल कितना पानी उपलब्ध कराया जा रहा है (व्यवधान)

श्री अमल दत्ता : स्वास्थ्य विभाग को कुछ मानदण्ड जारी किये जाने चाहिए। 10 लिटर या 15 लिटर प्रति व्यक्ति अवश्य उपलब्ध कराना जाना चाहिए (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वोरा, कृपया अपना भाषण जारी रखिये

(**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : मैं आपसे असहमत नहीं हूं परन्तु इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है कि कितनी मात्रा में अर्थात क्या 15 अथवा 10 लिटर की सप्लाई की जा रही है (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही यह मान लिया है कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है। इसको अधिक लम्बा खींचने की कोई बात ही नहीं है (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : धैर्य मत खोये क्योंकि जब हम वहां पर गये तो उन्होंने हमें एक टैंकर दिखाया जहां पर टैंकर आते ही 25 लोग पंक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने कहा हालत को देखें, इस टैंकर में कितना जल आता है और कितने लोग पानी लेने के लिए आ रहे हैं? 5000 लोगों के लिए एक टैंकर पर्याप्त नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : मैंने कहा है कि टैंकरों के माध्यम से हम पीने के जल की सप्लाई कर रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में जल चाहिए ? (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : पीने का जल सबसे महत्वपूर्ण पहलू है··· (**व्यवधान**)···

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आप एक कालोनी में एक टैंकर दे रहे हैं···(**व्यवधान**)···

श्री मोती लाल वोरा : इतना गुस्सा किये बगैर आप मुझसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं निश्चित तौर पर नहीं जानता (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्ता : आप तथ्यों को छुपा रहे हैं····

श्री मोती लाल वोरा : नहीं, मेरे प्रिय मित्र हम आपसे कुछ भी नही छुपा रहे हैं। मैंने कहा, जो मात्रा अपेक्षित है ····(**व्यवधान**)

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह मुझसे क्या चाहते हैं।

श्री अमल दत्ता : आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या आप लोगों द्वारा अपेक्षित जल की मात्रा नहीं बता सकते ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री संतोष मोहन देव**) : क्या आप बता सकते हैं कि आप रोजाना कितना पानी पीते हैं ?

श्री अमल दत्ता : स्वास्थ्य मंत्री को यह बताना चाहिए कि उनके विभाग के अनुसार प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितनी मात्रा में जल सप्लाई करने की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में वह सप्लाई कर रहे हैं ? ····(**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : इस समय हमारा सम्बन्ध पीने के जल की सप्लाई से है। इस बात से नहीं है कि क्या हम सप्लाई कर रहे हैं **(व्यवधान)** हम एक, दो अथवा तीन गिलास जल की सप्लाई नहीं कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : आप कैसे जानते हैं कि आप इतनी मात्रा में जल की सप्लाई कर रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री मोती लाल वोरा : ठीक है, अपेक्षा के अनुसार मैं जानकारी दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया, आप जानकारी हासिल करें।

श्री मोती लाल वोरा : मैं निश्चित तौर पर जानकारी हासिल करूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है कि उनके पास जानकारी नहीं है। वह इसे हासिल करेंगे और फिर बाद में बतायेंगे। अब, आप क्या कर सकते हैं?

श्री सत्यगोपाल मिश्र : वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय ऐसा कहते हैं तो आपको यह मानना होगा। कृपया, बैठ जाइये **(व्यवधान)**

श्री मोती लाल वोरा : जहां तक कूड़ा हटाने का सम्बन्ध है, 6000 ट्रक कूड़ा हटा दिया गया है। हालांकि हमने पहले से पड़े हुये सारे कूड़े को हटा दिया फिर भी प्रतिदिन 60 से 70 ट्रक कूड़ा हटाना पड़ता है·····

श्री अमल दत्ता : कूड़ा हटाने के बाद क्या आप व्यक्तिगत तौर पर इन कालोनियों में गये थे?

श्री मोती लाल वोरा : मैंने स्वयं इन कालोनियों का दौरा किया है। इसके बाद एम० सी० डी० और डी० डी० ए० के कर्मचारियों को मैंने निर्देश दिये·····**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : आपने दो अथवा तीन कालोनियों का दौरा किया·····**(व्यवधान)**

श्री मोती लाल वोरा : जहां तक सेप्टिक टैंकों का सम्बंध है, 1895 सेप्टिक टैंकों में से 1283 सेप्टिक टैंकों की सफाई पहले ही कर दी गयी है और बाकी के 612 सेप्टिक टैंकों की सफाई एक सप्ताह के अन्दर कर दी जायेगी।

जहां तक नालियों में जमी हुयी मिट्टी की सफाई का सम्बंध है, मेरे माननीय साथी ने इनकी सफाई की गई लंबाई के बारे में जानना चाहा। कुल 1234 किलोमीटर नालियों में से 1064 किलो-

मीटर लंबी नालियों की सफाई कर दी है। मैं समझता हूं कि आप इसे मानेंगे।

श्री अमल दत्ता : मैं पूर्णतया असहमत हूं।

श्री मोती लाल वोरा : कृपया मेरी बात मानें। हमने इतनी ज्यादा लंबाई में सफाई की है। बाकि बचे हुये कार्य को एक सप्ताह में पूरा कर दिया जायेगा।

जहां तक सुलभ शौचालयों के निर्माण का संबंध है····

श्री अमल दत्ता : ये सभी मन गढ़ंत आंकड़े हैं।

श्री मोती लाल वोरा : ये मनगढ़ंत आंकड़े नहीं हैं। आप उस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इतना कुछ किया जा चुका है। अभी फिर भी काफी कार्य किया जाना है······ **(व्यवधान)**।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं श्री अमल दत्ता को अपने साथ दौरा करने का निमंत्रण देता हूं। अभी तक मैं नहीं जानता कि उन्होंने कितने क्षेत्र का दौरा किया है। वह यह भी नहीं बता सकते कि वह कितना पानी पीते हैं। वहां पर सिर्फ टैंकर ही नहीं जा रहे हैं परन्तु जल सप्लाई के और भी साधन हैं। वह यहां पर गणितीय भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अमल दत्ता : मैं कोई भ्रम पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे दृष्टिकोण का सख्त विरोध करता हूं। मैं यह कहना चाह रहा था कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सही नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने स्वयं कहा है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। अभी काफी कुछ किया जाना है········**(व्यवधान)**

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आप ऐसा नहीं कहते हैं। यही तो समस्या है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने और किसी सदस्य को बोलने के लिए नहीं कहा है जो कुछ वे कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा········

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने और किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसलिए, जो कुछ वे कहेंगे उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अनिल बसु : निस्संदेह, महोदय, जब समझ ही समाप्त हो जाती है, तो फिर इस सम्मानीय सभा में इन सभी बातों पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है? यहां पर 7.30 बजे तक बैठकर और ये सभी उत्तर सुनकर हम अपना समय बरवाद क्यों कर रहे हैं? 200 से भी अधिक लोग मर गये हैं और सरकार तथा सत्तारूढ़ पक्ष की यह प्रतिक्रिया है········**(व्यवधान)**।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : पहले आप अपने दृष्टिकोण में सुधार करें····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री मोती लाल वोरा : महोदय, मैं **सुलभ शौचालय** के बारे में बता रहा था। यह निर्णय लिया गया है कि नवम्बर, 1988 के अन्त तक सभी 44 पुनर्वास कालोनियों में 80 स्थान वाले दो काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे। समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। मैंने अस्पतालों का दौरा किया है – जैसा कि कुछ माननीय सदस्य जानना चाहते हैं–आन्त्र शोथ के रोगियों को ठीक तरह से इलाज करने के लिए हमने पर्याप्त और सभी औषधियाँ उपलब्ध करायी हैं। औषधियों की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार हमारा प्राथमिक कर्तव्य उन लोगों का उपचार करना है जो अस्पतालों में आते हैं, और उन क्षेत्रों को स्वच्छ बनाना है जिनमें ये कालोनियां स्थित हैं। इस समय ये कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जाने हैं। जितनी भी मात्रा में उनको जल की आवश्यकता है उसकी सप्लाई की जा रही है। हम टैंकरों के माध्यम से भी जल की सप्लाई कर रहे हैं ···(**व्यवधान**)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा था कि आप जानकारी हासिल करेंगे और अब आप फिर कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में जल दिया जा रहा है। आप यह भी नहीं जानते कि आप कितना जल दे रहे हैं।

श्री मोती लाल वोरा : हम टैंकरों के माध्यम से जल की सप्लाई कर रहे हैं। जहाँ तक जल की मात्रा का संबंध है, मैं जानकारी हासिल करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले आप जानकारी हासिल कर लें····(**व्यवधान**)

श्री मोती लाल वोरा : महोदय, इस प्रकार, इस सभा के समक्ष मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। हमें बड़ा दुख है कि आन्त्र शोथ और हैजे की वजह से ये मौतें हुयी हैं। यह देखने के लिए हम सभी संभव कदम उठा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनायें फिर न हों क्योंकि जो कुछ अब हुआ है उससे सभी दुःखी हैं कोई भी प्रसन्न नहीं है। प्रत्येक ने अपना दुख और रोष प्रकट किया है। इस प्रकार, इसमें मैं आपके साथ हूं और प्रधान मंत्री के दौरे के पश्चात्-काफी कार्य किये गये हैं और मैं इस सम्मानीय सभा को आश्वासन देता हूं कि हमारी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी। जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं, वहां पर हमारी तरफ से भरसक प्रयास किए जाएंगे। जो कुछ किया जाना है, उस संबंध में एम० सी० डी० और दिल्ली प्रशासन ने सभी उपाय किए हैं। आशा है कि आने वाले दिनों में, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है उन पर तेजी से गौर किया जायेगा और हम समस्या को सुलझा सकेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिन बातों के बारे में शायद आप बता नहीं सकते और जान कारी हासिल कर रहे थे, कृपया वह जानकारी हासिल करें। क्या आप कृपया एक और सूचना हासिल कर

सकते हैं ? इन क्षेत्रों में मरने वाले लोगों में से बच्चों की संख्या क्या है ? ऐसी खबर है कि वहां पर काफी संख्या में बच्चों की मौत हुई है । मैं मरने वाले बच्चों की संख्या जानना चाहता हूं । यदि आप नहीं जानते हैं तो कृपया इस संबंध में भी जानकारी हासिल करें ।

श्री मोती लाल बोरा : महोदय, यही मेरा कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब लोक सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

7.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 2 अगस्त 1988/11 श्रावण, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली-92